Preservation Unit
12-8-84
Fumigated
On 8-2-84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

बारहवां सत्र

Twelfth Session

31.3.71

सत्यमेव जयते

खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं

Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—14, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1970/6 अग्रहायण, 1892 (शक)
No.—14, Friday, November 27, 1970/Agrahayana 6, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
391. राजधानी में दिल्ली परिवहन की बसों को बदलना	Replacement of D. T. U. Buses in the Capital	1—2
409. राजधानी में दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा में गिरावट	Deteriorating DTU Bus Service in the Capital	2—8
393. नेताजी संग्रहालय तथा नेताजी अनुसंधान ब्यूरों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Netaji Museum and Netaji Research Bureau	8—11
394. समाचार-पत्र उद्योग पर निहत-स्वार्थ वाले व्यक्तियों का निरंतर आधिपत्य रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन	Amendment of Companies Act to Curb Continued hold of vested Interests in Newspaper Industry	11—14
398. श्री एच० डी० मूदंड़ा द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Shri H. D. Mundhra	14—19
अल्प-सूचना प्रश्न	**SHORT-NOTICE QUESTION**	
4. भारत यात्रा के बारे में विदेशी पर्यटकों के रवैये में परिवर्तन	Shift in of Attitude of Foreign Tourists Visiting india	19—26

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

395. दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेशी पर्यटकों को कठिनाईयां	Difficulties Experience by Fareign Tourists at Delhi Airport	26—27
396. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लघु उद्योगों के लिये एक पृथक वित्तीय एजेन्सी स्थापित करने का सुझाव	Proposal made by Administrative Reforms Commission to set up a Separate Financial Agency for Small Sector	27
397. छोटे किसानों को लम्बी अवधि के ऋण देना	Long Term Loans to Small Farmers	27—28
399. आन्तरिक पर्यटन की सम्भावनाओं का निर्धारण करने हेतु सर्वेक्षण	Survey to Assess Potential of Internal Tourism	28
400. पर्यटन विकास के सम्बन्ध में दक्षिण भारत की उपेक्षा	Neglect of South India in the Development of Tourism	28—29
401. भारत में चांदी के तस्कर व्यापारियों का पता लगाया जाना	Unearthing of Silver Smuggling in India	29—30
402. करों में कमी करने से आर्थिक विकास	Economic Development by Slashing Taxes	30
403. विश्व शान्ति अनुसंधान संस्था	World Peace Research Body	30—31
404. बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे कृषकों को ऋण	Loans to Small Farmers by Nationalised Banks in Bihar	31—32
405. बचत अभियान पर नई दिल्ली में गोष्ठी	Workshop Discussion on Deposit Mobilisation held in New Delhi	32—33
406. बम्बई में तस्करों के गिरोह की गिरफ्तारी	Apprehension of Smuggling Gang in Bombay	33—34
407. केन्द्रीय संस्कृत संस्था, पुरी का विकास	Development of Central Institute of Sanskrit, Puri	34

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
408. जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ" परि-योजना की असफलता	Doubtful Working of Own Your Home Scheme of LIC	34—35
410. उवर्रक ऋण गारंटी निगम का स्थापित करना	Setting up of Fertililizer Credit Guarantee Corporation	35
411. कोलार स्थित सोने की खानें	Kolar Gold Mines	35—36
412. जीवन बीमा निगम के व्ययों और निवेश नीति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	A. R. C. Recommendation Regarding Expenses and Investment Policy of LIC	36
413. आयकर की बकाया राशि की वसूली	Realisation of Arrears of Income Tax	36—37
414. अशोक होटल, नई दिल्ली में हड़ताल के कारण अनुमानित हानि	Estimated Loss due to Strike in Asnoka Hotel, New Delhi	37—38
415. बकाया आयकर की वसूली	Recovery of Income Tax Arrears	38—39
416. गैर-विकास व्यय में वृद्धि	Increase in Non-Development Expenditure	40
417. टेक्निकल कालेजों में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Technical Colleges	40—41
418. दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में बढ़ता हुआ नक्सलवादी प्रभाव	Growing Naxalite Influence in Delhi University Campus	41
419. अखिल भारतीय पत्तन व गोदी कर्मचारी सघं द्वारा हड़ताल	Strike by All India Port and Dock Workers Federation	41—42
420. कम दूरी की गैर-निर्धारित उड़ानों के लिये टैक्सी विमानों का चलाया जाना	Introduction of Air Taxis for Short Distance Non-Scheduled Flights	42

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

2565. कलकत्ता पत्तन में सुधार	Improvement of Calcutta Port	42
2566. दिल्ली पालिटेक्निक्स के गैर-इंजीनियरिंग अध्यापकों की पदोन्नति	Promotion of Non-Engineering Teachers of Polytechnics in Delhi	42—43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2567.	जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष की मैसर्ज वोल्टास लिमिटेड में नियुक्ति	Appointment of Former Chairman of Life Insurance Corporation in M/s Voltas Limited	43
2568.	लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिये वित्तिय संस्थाओं से रियायती सहायता	Concessional Assistance from Financial Institutions for Small and Medium Scale Industries	44–45
2569.	चांदी की तस्करी	Smuggling of Silver	45—46
2570.	रासायनों तथा रंगने की सामग्री का तस्कर व्यापार	Smuggling of Chemicals and Dyestuffs	46—47
2571.	सलेम जिले में शेवेरांय पहाड़ियों के समीप पुष्पक प्रशिक्षण-विमान का दुर्घटना-ग्रस्त होना	Pushpak Trainer Aircraft Crash near Sheveroy Hills in Salem District	47
2572.	विदेशी पासपोर्ट धारी एयर इण्डिया के उच्च अधिकारी	Top Air India Officials holding Foreign Passports	47—48
2573.	इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेंट के साथ मिलाना	Amalgamation of Institute of Chartered Accoutants with Institute of Cost and Works Accountants	48—49
2574.	आड़ व्यवसायियों के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक	Nationalised Banks working as Pawn-brokers	49
2575.	कलकत्ता में परिवहन की समस्या	Transport Problem in Calcutta	49—50
2576.	होटल कर्मचारियों को सेवा खर्च से प्रोत्साहन बोनस का भुगतान	Incentive-Bonus Payment to Hotel Staff from Service Charge	50
2577.	अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक सम्मेलन में भारतीय क्षेत्र को गलत दिखाने वाले रूसी नक्शों पर चर्चा	Discussion at the International Geographical Conference regarding Soviet Maps Showing Indian Territory Wrongly	50—51
2578.	लाइसेंसों के लिये बड़े उद्योगपतियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र	Applications from Big Industralists for Licences	51

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2579.	भूतपूर्व नरेशों के पास विदेशी मुद्रा को अपने अधिकार में लेना	Taking over of Foreign Exchange held by the Ex-Rulers	51—52
2580.	होटल-मालिकों को आयात लाइसेंस दिया जाना	Import Incense to Hoteliers	52
2581.	रेवती विमान	Revati Plane	52—53
2582.	भारतीय टकसालों द्वारा थाइलैंड के लिए सिक्के तैयार करना	Coins struck by Indian Mints for Thailand	53
2584.	वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ हिमालयन ज्योलोजी द्वारा हिमालयन ज्योलोजी पर एक गोष्ठी का आयोजन	Seminar on Himalayan Geology held by Wadia Institute of Himalayan Geology	53
2585.	भारतीय क्रान्तिकारियों का विदेशियों से पत्र व्यवहार	Correspondence of Indian Revolutionaries with Foreign Countries	54
2586.	गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली के कार्यकरण के सम्बन्ध में मोरारका बन्धुओं के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Morarkas Re-working of Ganesh Flour Mills, Delhi	54
2587.	सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी	Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes Employees in Public Undertakings	54—55
2588.	सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडल में पिछड़ी जातियों के व्यक्ति	Persons belonging to Backward Communities on the Boards of Directors of Public Undertakings	55
2589.	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा केरल में उद्योगों के लिये ऋण	Loans Sanctioned to Industries in Kerala by Industrial Finance Corporation	55—56
2590.	बाढ़ पीड़ित राज्यों को वित्तीय सहायता देना	Financial Aid to Flood-affected States	56—57
2591.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) के मामलों में की गई जांच	Investigation Conducted in the Affairs of Indian Institute of Public Administration	57

ग्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2592.	दमन ग्रौर दीव को शराब ले जाना	Transporation of Liquor to Daman and Diu	58
2593.	सरकारी उपक्रमों के बारे में शिकायतें	Complaint against Public Undertakings	58
2594.	बड़े बन्दरगाहों के लिये लेखा सैल	Accounts Cell for Major Ports	58—60
2595.	विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के कार्य का जायजा लेने के लिये एक समिति की स्थापना	Setting up of a Committee to take Stock of work done by the University Grants Commission	60
2596.	विश्वविद्यालयों में ग्रध्यापकों के लिए नियमित वेतन मान (रनिंग ग्रेड)	Running Grades for Teachers in Universities	60
2597.	पश्चिम बंगाल में कालेज ग्रध्यापक संगठन तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक ग्रध्यापक संगठन के साथ बातचीत	Negotiation with College Teachers' Organisation and Secondary and Higher Secondary Teachers' Association in West Bengal	61
2598.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल	Strikes in Nationalised Banks	61
2599.	छिपे घन का पकड़ा जाना	Seizure of Concealed Money	61—62
2600.	मद्रास, बंगलौर-मंगलौर मार्ग पर एक पृथक विमान सेवा प्रारम्भ करना	Extension of a Separate Flight Service on Madras-Bangalore-Mangalore Route	62
2601.	बैंक ग्राफ बिहार की शाखा के लिए स्थानीय कार्यान्वयन समिति का निर्माण	Formation of Banks of Bihar Branch Local Implementation Committee	62
2602.	खेल कूद के विकास के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता	Financial help to Bihar Government for Developments Sports	62—63
2603.	पटना स्थित राजेन्द्र स्टेडियम का विकास	Development of Rajendra Stadium in Patna	63
2604.	ग्रायकर विभाग, दिल्ली के कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of Staff in Income Tax Department, Delhi	63—64

प्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2605.	स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया से ऋण लेने के लिए, देवीगढ़ पटियाला के छोटे दुकानदारों के आवेदन-पत्र	Loan Applied for by Small Shopkeepers of Devigarh, Patiala from State Bank of India	64
2606.	स्कूलों तथा कालिजों में मानक पोशक	Standard Uniform in Schools and College	64
2607.	शैक्षिक प्रबन्ध 'यूनेस्को' द्वारा ग्रायोजित दिल्ली में हुई गोष्ठी	UNESCO Sponsord Seminar on Educational Management held in Delhi	64—65
2608.	एशिया तथा दक्षिण प्रशान्त महा सागर के देशों के ग्रसैनिक उड्डयन निदेशकों के सम्मेलन में किये गये निर्णय	Decisions taken at the Conference of Civil Aviation Directors of Asia and South Pacific Countries	65—66
2609.	नीदरलैण्ड से ऋण	Loan from Netherland	66
2610.	केरल में कुवलम समुद्र तट का एक बड़े पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास किया जाना	Development of Kovalam beach in Kerala as a Major Tourist Centre	66—67
2611.	ग्रशोक होटल का नवीकरण करने के लिए नियुक्त विदेशी विधेयक	Foreign Experts Engaged on Renovation of Ashoka Hotels	67
2612.	अशोक होटल, नई दिल्ली के कार्य में सुधार लाने के लिए कार्यवाही करना	Steps to Improve working of Ashoka Hotel, Delhi	67—68
2613.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्त ग्रधिकारियों के वेतनमान	Pay Scales of Officers Employed in Nationalised Banks	68—69
2614.	इण्डियन ग्रोवर सीमा बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण	Training of Probationary Officers of India Overseas Banks	69
2615.	दिल्ली प्रकाशन के ग्रन्तर्गत नियुक्त महिला स्नातकोत्तर शिक्षकों को वरिष्ठता	Seniority of Femal Post Graduate Teachers Employed under Delhi Administration	69—70
2616.	चांदी तथा सोने की तस्करी	Silver and Gold Smuggling	70—71
2617.	जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों में कमी	Reduction in L. I. C. Premium Rates	71

अतारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2618.	विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा पर्यटक यातायात का संवर्धन करने के लिए दी सहायता	Assistance given by Indian Missions Abroad for Promotion of Tourist Traffic	71—72
2619.	चौथी योजना के अन्तर्गत पोत परिवहन का लक्ष्य	Shipping target during Fourth Plan	72
2620.	विश्वविद्यालय शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए समिति	Committee to Review Deteriorating Condition of University Education	73
2621.	हिन्दी के प्रचार के लिए राज्यों को अनुदान	Grants to States for Propagation of Hindi	73—74
2622.	बिहार के चम्पारन जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Setting up of Branches of Nationalised Banks in Champaran District of Bihar	74
2623.	राष्ट्रीयकृत तथा गैर-सरकारी बैंकों का कार्यकरण	Functioning of Nationalised and Private Banks	74—75
2624.	लेखा परीक्षा आपत्तियों का समाधान	Disposal of Audit Objections	75—76
2625.	जीवन बीमा निगम का प्रीमियम तथा बोनस	Premium and Bonus Rates of L. I. C.	76
2626.	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Laboratories Staff of Delhi University	77
2627.	हैदराबाद में स्थापित किये जाने वाले इण्डियन एयरलाइन्स संस्थान पर किये जाने वाला व्यय	Expenditure on Indian Airlines Institute being set up at Hyderabad	77
2628.	भुवनेश्वर में क्षेत्रीय प्रेस की स्थापना	Setting up of Regional Press at Bhubneswar	77—78
2629.	उड़ीसा में भौतिकी संस्थान की स्थापना	Setting up of Institute of Physics in Orissa	78
2630.	पैरिस में हुआ युनेस्को का सम्पूर्ण अधिवेशन	Plenary Session of UNESCO held at Paris	78

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2631.	बम्बई के निकट ऐलिफेंटा की गुफाओं में सुविधाओं की व्यवस्था करना	Amenities at Elephanta Caves near Bombay	78—79
2632.	राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा दिए ऋणों की वसूली न होना	Non-Recovey of Loans Advanced by Nationalised Banks	79
2633.	पी०एल० 480 की धन-राशि का उपयोग	Utilization of PL-480 Funds	79—80
2634.	पर्यटको की शिकायतें	Complaints of Tourists	81
2635.	तोक्यो में एक्स्पो-70 प्रदर्शनी में जाने वाले एयर इण्डिया के विमानों के टिकटों की जालसाजी का पता लगाना	Forged Air India Tickets Discovered during Flights to Tokyo at the time of Expo '70	81—82
2636.	एक ईस्ट कोस्ट रोड बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Construction of East Coast Road	82
2637.	महानगरों में वृहत परिवहन की समस्यायें	Problems of Mass Transportation in Metropolitan Cities	82—83
2638.	दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगें	Demand of Delhi University Teachers	83
2639.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चीनी उद्योग को दिया गया ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks to Sugar Industries	83—84
2640.	दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये प्रारम्भिक हिन्दी परीक्षा के उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना	Production of Certificate of having Passed Elementary Hindi Examination for Admission to Delhi University	84
2641.	गैर-सरकारी असैनिक उड्डयन कम्पनियों द्वारा संचालित मार्ग	Routes Operated by Private Civil Aviation Companies	84—85
2642.	समवाय अधिनियम के अधीन सनदी लेखा-पालो को लागत-लेखा कार्य करने की अनुमति	Permission to Chartered Accountants to do Cost Accounting under Companies Act	85—86

अ.सं० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2643.	पश्चिम बंगाल में कोयला खान कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन	Evasion of Taxes by Colliery Companies in West Bengal	86
2644.	केन्द्रीय नियमावलियों इत्यादि के अनुवाद के लिए नियुक्त समिति द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Committee Appointed for Translating Central Manuals Etc.	87
2645.	मध्यप्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले में स्टेट बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं में अनिर्णीत ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र	Pending Loan Applications in various Branches of State Bank of India in East Nimar District of Madhya Pradesh	87—88
2646.	मध्य प्रदेश में बहु प्रयोजनीय संस्थाओं का खोला जाना	Setting up of Multi-Purpose Institutions in Madhya Pradesh	88
2647.	इण्डियन एयर लाइन्स में हड़ताल से हुई अनुमानित हानि	Estimated Loss due to Strike in Indian Airlines	88
2648.	चिट फंड कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Chit Fund Companies	88—89
2649.	भूतपूर्व नरेशों द्वारा अपने महल पर्यटन विकास परिषद् को सौंपने की पेशकश	Places of Ex-Rulers Offered to Tourism Development Council	89
2650.	चौदहवीं अखिल भारतीय पर्यटक विकास परिषद् की सिफारिशें	Recommendations of Fourteenth All India Tourist Development Council	89—90
2651.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी में डा० तेजा तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकार, हक्क तथा हितों की नीलाम द्वारा बिक्री	Auction Sale of Right, Title and Interest of Dr. Teja and others in Jayanti Shipping Co.	90
2652.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड का प्रतिवेदन और वार्षिक परीक्षित लेखे	Annual Audited Accounts and Report of Jayanti Shipping Company Limited	91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2653.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी में डा० धर्म तेजा तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकार, हक्क तथा हितों की नीलामी	Auction Sale of the Right, Title and Interest of Dr. Jayanti Dharma Teja and others	91—92
2654.	भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating Condition of University Education in India	92
2655.	बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strikes by Bank Employees	93
2656.	एक तकनीकी शिक्षा सुधार के लिये रूस के साथ करार	Agreement with U. S. S. R. for Improving Technical Education	93—94
2657.	एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन निकट के सम्बन्ध रखने वाली कम्पनियों के मध्य धन के दुरुपयोग पर नियंत्रण	Control over Misuse of Funds between Closely held Companies with Identical Management	94—95
2658.	दिल्ली आ रहे इण्डियन एयर लाइन्स के विमानों बेगमपेठ पर उतरने के लिए बाध्य किया जाना	Delhi-Bound Plane of Indian Airlines made to Forceland at Begumpet	95
2659.	अहमदाबाद में तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह का पकड़ा जाना	Unearthing of a Gang of Smugglers in Ahmedabad	95
2660.	भारत में तस्कर व्यापारी	Smugglers in India	95—96
2661.	राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन का निकाला जाना	Overdrafts by States	96—97
2662.	गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat	97
2663.	राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके पास बंधक रखे गये अंशों के सम्बन्ध में मतदान का अधिकार	Voting Rights to Nationalised Banks in Respect of Shares Pledged by them	97—98
2664.	भारत के पास रक्षित विदेशी मुद्रा	India's Foreign Exchange Reserves	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2665.	छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Small Banks	98
2666.	स्थानान्तरण पर कलकत्ता, बम्बई व दिल्ली भेजे गये आयकर अधिकारियों के लिये आवास	Accommodation for Income Tax Officers at Calcutta, Bombay and Delhi on Transfer	99
2667.	ललित कला अकादमी के लिये बिना बिके प्रकाशन	Unsold Publications of Lalit Kala Akademi	99—100
2668.	कलकत्ता ट्रामवे कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay of Calcutta Tramway Workers	100—101
2669.	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों का पंजीकरण	Registration of Companies und Monopolies and Restrictive Trade Practice Act	101
2670.	विदेशी ऋणों की अदायगी	Repayment of Foreign Loans	101—102
2671.	जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Investment by Life Insurance Corporation	102
2672.	मध्य प्रदेश में स्वयं नियुक्त कमीशन एजेन्टों द्वारा ऋण के इच्छुक व्यक्तियों से कमीशन की वसूली	Collection of Commission from Loan Seekeers by Self-Appointed Agents in Madhya Pradesh	103
2673.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loans given by Nationalized Banks in Madhya Pradesh	103
2674.	गोरखपुर का फोर्बेसगंज मिलाने वाली पार्श्व सड़के के कुछ हिस्से का निर्माण	Construction of Stretch of Lateral Road Linking Gorakhpur with Forbesganj	103—104
2675.	उत्तर बिहार में स्टेट बैंक और सैन्ट्रल बैंक की शाखाओं में ऋण के लिए अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Applications for Loans pending with Branches of State Bank and Ccentral Bank in North Bihar	104
2676.	मध्य प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्थापित नई कम्पनियां	New Companies Incorparated in Madhya Pradesh	105

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
2677. ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया की सैटेलाइट शाखा कार्यालय	Satellite Branch Offices of State Bank of India	105—106
2678. गांवों में पुस्तकालयों की स्थापना	Setting up of Libraries in Villages	106
2679. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली ग्रायोग द्वारा विदेशी भाषाग्रों के उच्च स्तर के ग्रन्थों का हिन्दी में ग्रनुवाद	Translation of Standard Works of Foreign Languages into Hindi by Commission for Scientific and Technical Terminology	106—107
2680. वित्त मंत्री द्वारा ग्रन्तरिम सहायता के बारे में व्यक्त किये गये विचार	Views by Finance Minister Regarding Interim Relief	107
2681. खड़गपुर स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट ग्राफ टैक्नालोजी का एरोनाटिकल इंजीनियरिंग विभाग	Aeronautical Engineering Department of Indian Institute of Technology, Kharagpur	107—108
2682. इण्डियन एयर लाइन्स की विलम्ब से की गई या रद्द की गई उड़ाने	Delayed or Cancelled Flights of Indian Airlines	108—109
2683. सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of General Insurance	109
2684. ब्रिटेन से ऋण लेने के बारे में करार	Agreement for Loans from U. K.	109—110
2685. तीसरे वेतन ग्रायोग द्वारा प्रतिवेदन को ग्रन्तिक रूप दिया जाना	Finalisation of Report of Third Pay Commission	110
2686. ग्रलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्ण जयन्ती समारोह स्थगित करना	Postponment of Golden Jubilee Celebration by Aligarh University	110
2687. ग्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ग्रधिनियम में संशोधन के बारे में छात्रों द्वारा विरोध	Protest by Students against Amendment to Aligarh Muslim University Act	111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2688.	केन्द्रीय सरकार तथा अन्य विश्वविद्यालय द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शिक्षा स्नातक डिग्री को मान्यता दिया जाना	Recognition to Kurukshetra University's B. Ed. Degree by Central Government and other Universities	111—112
2689.	दिल्ली के लिए अलग शिक्षा अधिनियम	Separate Edudation Act for Delhi	112
2690.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालयों में पदों का भरना	Filling up of Posts in Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate	112—113
2691.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Commission for Scientific and Technical Terminology	113—114
2692.	भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिये दुकानों का खोला जाना	Opening of Shop for Sale of Foreign Exchange by Reserve Bank of India	114
2693.	कलकत्ता के डमडम हवाई अड्डे पर आग	Fire at Dum Dum Airport, Calcutta	114
2694.	शराब के उदारता से लाईसेंस देने के लिये चौदहवीं अखिल भारतीय पर्यटक विकास परिषद् की सिफारिशें	Recommendations of Fourteenth All India Tourist Development Council for Grant of Liberal Liquor Licences	114—115
2696.	अन्तरिम सहायता के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें	Recommendations of the Third Pay Commission regarding Interim Relief	115
2697.	आल इंडिया शिपर्स काउन्सिल द्वारा माल भाड़े में वृद्धि का विरोध	Opposition to Increase in Freight by All India Shippers Council	115—116
2698.	अधिक उपदान दिये जाने के लिये जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोध	Request Received from L. I. C. Employees for Grant of Increase Gratuity	116
2699.	जब्त की गई घड़ियों की बिक्री	Disposal of Confiscated Watches	116—117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2700.	जब्त की गई वस्तुओं के निपटान संबंधी समिति	Committee on Disposal of Confiscated Goods	117
2701.	इंडियन एयर लाइन्स द्वारा विमानों बेड़े का विस्तार	Fleet Expansion by Indian Airlines	117
2702.	नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज़ बैंक द्वारा व्यापारी बैंकिंग सेवा योजना की घोषणा	Merchant Banking Service announced by National and Grindlay Bank	118
2703.	बैंकाक में एशियाई राजपथ समन्वय समिति की बैठक	Meeting of Asian Highway Co-ordination Committee at Bangkok	118—120
2704.	दरों में भिन्नता के बारे में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा समितियों की स्थापना	Committees set up by Reserve Bank of India to Examine Differential Rates of Interest	120—121
2706.	हथियारों का पता लगाने के बारे लिये हवाई अड्डों पर उपकरण लगाना	Installation of an Instrument at Airports to detect Arms	121—122
2707.	ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सम्बन्धी सुविधाएं देने के बारे में सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश	Direction given to Government to Nationalised Banks Re: Credit Facilities in Rural Areas	122
2708.	राजनीतिक दल अथवा नेताओं को भेजा गया छुपा धन	Concealed Money sent to Political Party or Leaders	122
2709.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य पत्तनों पर घाटों के निर्माण कार्य का पूरा किया जाना	Completion of Berths in Major Ports during Fourth Plan	122—123
2710.	दिल्ली तथा बम्बई में तस्करी के सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Gold in Delhi and Bombay	123—124
2711.	भारत-थाइलैंड विमान सेवा	Indo-Thai Air Service	124—125
2712.	शैक्षिक प्रशासन में प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा की गई टिप्पणी	Remarks made by Chairman, University Grants Commission on Adoption of Modern Management Techniques in Educational Administration	125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2713.	बैंकाक में हुई इकाफे की एशियायी राजपथ समन्वय समिति में भारतीय प्रस्ताव	Indian proposal in Asian Highway Co. ordination Committee of ECAFE held Bangkok	125
2714.	बालीगंज (कलकत्ता) स्थित सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखा में धन का गोलमाल	Misappropriation of Fund in Ballygunge (Calcutta) Branch of Central Bank of India	126
2715.	वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव	Proposal Received Re : Revision of Pay Scales	126
2716.	14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा	Free Education of Children upto Age of 15	126—127
2717.	वाहनों की नम्बर प्लेटों पर केवल संख्या लिखने का प्रस्ताव	Numerical Number Plates on Motor Vehicles	127
2718.	वैयाचेरी के निकट एक मन्दिर से मूर्ति की चोरी के सम्बन्ध में गिरफतारी	Arrest in Connection with theft of Idol from a Temple at Vaiyacheri	127
2719.	द्वारपालक मूर्तियों वाले स्तम्भों का हटाया जाना	Removal of Pillars with Dwarapalka Idols	127—128
2720.	राज्य सड़कों तथा राष्ट्रीय राज पथों में संकेत पटों पर लिपि तथा दूरी को मीलों तथा किलामीटरों में लिखने की प्रक्रिया	Method of writing Script and Distance on Sign Boards on State Roads and National Highways	128—129
2721.	मैसूर राज्य के बेल्लारी जिले में हास्पेट में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Aerodrome at Hospet, Bellary District, Mysore	129
2722.	मैसूर में हुबली-धारवार में हवाई अड्डा	Aerodrome of Hubli-Dharwar in Mysore	129
2723.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में जूनियर ट्रेफिक असिसटेन्टों के पदों की नियुक्तियां	Appointment to the Post of Junior Traffic Assistant in I. A. C.	129—130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2724.	किसानों को ऋण की व्यवस्था के लिए चार सूत्रीय कार्यक्रम	Four Point Programme for Providing Loans to Farmers	130
2725.	भारत का आर्थिक परावलम्बन	India's Economic Dependence	130—131
2726.	इण्डियन एयर लाइन्स के नियमित उड़ान वाले विमान का दुर्घटना ग्रस्त हो जाना	Crash of Indian Airlines Service Plane	131
2727.	इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों की मांगें पूरी करने हेतु कार्यवाही करना	Steps taken to Meet the Demands of Indian Airlines and Air India Employees	131—132
2728.	समुद्रतटीय नौवहन द्वारा सामान्य माल, कोयला और नमक के लाने ले जाने में गिरावट आना	Fall in Movement of General Cargo, Coal and Salt by Coastal Shipping	132
2729.	भारत में तकनीकी शिक्षा	Technical Education of India	132
2730.	विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आयकर अधिकारियों का चयन	Selection of Income Tax Officers by the Departmental Promotion Committees	133
2731.	आयकर अधिकारियों का चयन	Selection of Income Tax Officers	133—134
2732.	दिल्ली के कालिजों के विद्यार्थियों द्वारा घेराव	Gheraoes by Students of Delhi Colleges	134
2733.	टाटा इन्टर कन्टोनेन्टल होटल, बम्बई का दिया गया ऋण	Loan Advanced to Tata Inter-Continental Hotel, Bombay	134—135
2734.	ओबराय इन्टरकान्टोनेन्टल होटल, नई दिल्ली को दिए गए, ऋण की अदायगी	Repayment of Loan Advanced to Oberoi Inter-Continental Hotel, New Delhi	135
2735.	रूस द्वारा एक नई किस्म के हैलीकाप्टर बेचने का प्रस्ताव	Offer to sell a New Type of Helicopter by U. S. S. R.	135
2736.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वित्तीय संस्थानों के उत्पन्न समस्याएं	Problems Created for Financial Institution following Nationalisation of Banks	136

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2737.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के उप-निदेशक को सौंपे गये जांच सम्बन्धी विशेष कार्य के लिये पारिश्रमिक	Payment of Remuneration for Special Investigation work Entrusted to Deputy Director to Commission for Scientific and Technical Terminology	136
2738.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा आरम्भ की गई योजना	Scheme Undertaken by Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology	136—137
2739.	पंजाब में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Officer in Punjab	137—138
2740.	नेहरू विश्वविद्यालय के लिये कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Staff for Nehru University	138
2741.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय के भावी गठन के बारे में ज्ञापन	Memoranda on Future set up of Aligarh University	139
2742.	नेहरू विश्वविद्यालय के साथ कुछ शैक्षिक संस्थानों को सम्बद्ध करना	Affiliation of Certain Institutions with Nehru University	139—140
2743.	भारत तथा ईरान के बीच विद्वानों तथा छात्रों का तबादला	Exchange of Scholars and Students between India and Iran	140—141
2744.	मंत्रियों के साथ सम्बद्ध कर्मचारी	Staff Attached to Ministers	141
2745.	ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों की जमा राशि में वृद्धि	Growth of Deposits in Bank in Rural Areas	141—142
2746.	बैंक ऋणों पर स्टाम्प शुल्क	Stam duty on Bank Loans	142—143
2747.	मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकों की जमा राशि में कमी	Decrease in Deposits following Rise in Prices	143
2748.	जीवन बीमा निगम की पोलिसी में कमी	Decrease in Number of Policies Issued by L. I. C.	143—144
2749.	दिल्ली के रेडियो तथा इलेक्ट्रोनिक्स के व्यापारियों द्वारा हड़ताल	Hartal by Radio and Electronics dealers of Delhi	144

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2750.	एयर इण्डिया की नियन्त्रित कम्पनी द्वारा पर्यटकों के लिये चार्टर विमानों का संचालन	Subsidiary Company of Air India to Operate Tourist Charters	144—145
2751.	गुजरात में समाचार पत्र उद्योग पर कुछ परिवारों के स्वामित्व तथा व्यक्तिगत नियंत्रण के बारे में जांच	Probe into the Ownership and Personal Control by a Few Families over Newspaper Industry in Gujarat	145
2752.	हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति	Expiry of term of Hindi Advisory Committee	145
2753.	कतिपय उद्योगों का कुछ हाथों में जमाव	Concentration in Certain Industries	145—146
2754.	इण्डियन स्कूल आफ इन्टर-नेशनल स्टडीज नई दिल्ली	Indian School of International Studies, New Delhi	146
2755.	इण्डियन स्कूल आफ इन्टर-नेशनल स्टडीज नई दिल्ली	Indian School of International Studies, New Delhi	146—147
2756.	इण्डिय स्कूल आफ इन्टर-नेशनल स्टडीज नई दिल्ली	Indian School of International Studies, New Delhi	147—148
2757.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता का वितरण	Disbursement of Financial Assistance by Financial Institutions	148
2758.	कलकत्ता पत्तन के शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में किया गया व्यय तथा संसद सदस्यों को निमन्त्रण	Expenditure in Connection with the Centenary Celebrations of Calcutta Port and Invitations to Members of Parliament	148—149
2759.	वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी, हैदराबाद	Vazir Sultan Tobacco Company, Hyderabad	149—150
2760.	मैसर्स वाल्कर ब्रादर्स को स्टेट बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा द्वारा दिया गया ऋण	Loans Advanced by London Branch of the State Bank of India M/s Walker Brothers	150—152
2761.	नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के लाकर में रखे रामपुर के नवाब के जेवरात	Valuables belonging to the Nawab of Rampur kept in State Bank's Locker in New Delhi	152

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2762.	उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं	Branches of State Bank of India in Jaunpur and Partapgarh Districts, U. P.	152—153
2763.	पारादीप पत्तन के लिए 'रिक्लेमर' के आयात हेतु विदेशी मुद्रा देना	Release of Foreign Exchange for Import of Reclaimer far Paradeep Port	153
2764.	उड़ीसा में वन्य जीवन पर्यटन का संवर्धन तथा विकास संबंधी योजना	Scheme for Promotion and Development of Wild Life Tourism in Orissa	153—154
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	154—158
	पूर्व पाकिस्तान के तूफान पीड़ित लोगों के लिये भारत द्वारा दी गई सहायता के लिये पाकिस्तान द्वारा स्वीकार किये जाने के समाचार	Reported refusal by Pakistan to Accept India's aid to Cyclone Victims of East Pakistan	154
	श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	154
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	154
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re: Question of Privilege	158
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	158—162
	सभा की कार्यवाही	Business of the House	162—165
	कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास	Coal Bearing Areas (Acquisition and Development)	165
	(संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पुरःस्थापित	(Amendment and Validation) Bill Introduced	165—166
	स्थपति विधेयक	Architects Bill	166
	राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	166
	श्री भगवान दास	Shri Bhagwan Das	166
	श्री शिंकरे	Shri Shinkre	166—167
	श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	167
	श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	167

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	168
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	168
(एक) कर्मचारी विधिक सहायता विधेयक, 1970 श्री सरदार अमजद अली द्वारा	Employees Legal Aid Bill, 1970 by Shri Sardar Amjad Ali	168
(दो) लाटरी प्रतिरोध विधेयक, 1970 श्री कमल नयन बजाज द्वारा	Prevention of Lotteries Bill, 1970 by Shri Kamalnayan Bajaj	168
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 58 और 157 में संशोधन) श्री शिवचन्द्र झा द्वारा	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Articles 58 and 157) by Shri Shiva Chandra Jha	169
(चार) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1970 (धारा 4 का संशोधन तथा नई धारा 566 का जोड़ा जाना) श्री जार्ज फरनेन्डीज द्वारा	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Section 4 and Addition of New Section 566) by Shri George Fernandes	169
(पांच) संविधान संशोधन विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 145 का संशोधन) श्री नाथ पाई द्वारा	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Article 145) by Shri Nath Pai	169
(छः) संविधान संशोधन विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 356 का संशोधन) श्री नाथ पाई द्वारा	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Articles 356) by Shri Nath Pai	170
(सात) राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) विधेयक 1970 (धारा 5 का संशोधन) श्री नाथ पाई द्वारा	Presidential and Vice Presidential Elections (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Section 3) by Shri Nath Pai	170
व्यक्तियों को उपाधियों से विभूषित करना (उत्सादन) विधेयक	Conferment of Decorations on Persons (Abolition) Bill	171—180
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	171
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	171—172
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	172
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	172—174
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	174—175

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	176
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	176
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	177
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	177
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	177–178
श्री बि० प्र० मंडल	Shri B. P. Madal	178
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	179
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	179—180
पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश को उद्योगों के स्थानान्तरण के बारे में आधे-घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re: Shifting of Industries from West Bengal to U. P.	180
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	180—182
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	182
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	183
श्री एम० आर० कृष्ण	Shri M. R. Krishna	183—184

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1970/6 अग्रहायण, 1892 (शक)
Friday, November 27, 1970/Agrahayana 6, 1892 (Saka)

लोक-सभा 11 बजकर 5 मिनट म० पू० पर समवेत हुई।
The Lok Sabha met at five minutes past Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री कलिता।

Shri Hardayal Devgun : Mr. Speaker, Question No. 409 may also be taken up with it.

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

राजधानी में दिल्ली परिवहन की बसों का बदलना

*391. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में दिल्ली परिवहन की 39.3 प्रतिशत बसें पुरानी हो गई हैं तथा उनकी मरम्मत करना भी लाभप्रद नहीं है ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन के पास इन पुरानी बसों को बदलने के लिए धन नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन को उक्त बसों के स्थान पर नई बसें लाने के लिए ऋण देने का है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। 1-4-70 की पुरानी बसों अर्थात 8 वर्षों से अधिक पुरानी बसों की वास्तविक संख्या 469 थी।

(ख) और (ग). इसके लिए सरकार ने 25-3-70 को दिल्ली परिवहन उपक्रम को 130 लाख रु० का ऋण दिया था जिसका उपयोग 50 एक मंजिली तथा 50 दो मंजिली बसों की प्राप्ति करने के लिए किया गया सुपुर्दगी कार्य प्रगति पर है और सितम्बर, 1970 तक पूरा हो जायेगा। दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों को खरीदने के लिए 1970-71 के केन्द्रीय सरकार के बजट में 200 लाख रु० ऋण सहायता की व्यवस्था की है। उपक्रम को इस व्यवस्था की उपयोग की कार्यवाही करने की अनुमति दे दी गई है तथा इस राशि का वास्तविक विमोचन उसी समय ही किया जायेगा जब कि दावे परिपक्व हो जायेंगे और विल भुगतान योग्य होंगे। तदनुसार उपक्रम ने 130 बसों (30 दो मंजिली तथा 100 एक मंजिली) के क्रियादेश दे दिये हैं जिनके फरवरी 1971 के अन्त तक सड़क पर आने की संभावना है उपक्रम को एक करोड़ रु० का और ऋण तुरन्त दिया जा रहा है जिससे उपक्रम एक सौ अतिरिक्त बसें खरीद सकेगा।

राजधानी में दिल्ली परिवहन उपक्रम की बस सेवा में खराबी

***409. श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजधानी में दिल्ली परिवहन उपक्रम की तेजी से खराब होती हुई बस सेवा की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विववरण सभा पटल पर रख दिया गया।

विवरण

(क) और (ख). दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई गई बस सेवा में खराबी सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उपक्रम ने यह बताया है कि वह इसकी परिचालन क्षमता में सुधार के लिए सभी संभव प्रयत्न कर रहा है। उपक्रम ने अपने अधीन क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बसों को खरीदने का क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है। 1-4-70 को पुरानी बसों अर्थात 8 वर्षों से अधिक पुरानी बसों की वास्तविक संख्या 469 थी। इसके लिए सरकार ने 25-3-70 को दिल्ली परिवहन उपक्रम को 130 लाख रु० का ऋण दिया था जिसका उपयोग 50 एक मंजिली तथा 50 दो मंजिली बसों का प्राप्ति करने के लिए किया गया। सुपुर्दगी कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 1970 तक पूरा हो जायेगा। दिल्ली परिवहन उपक्रम

को बसें खरीदने के लिए 1970-71 के केन्द्रीय सरकार के बजट में 200 लाख रु० ऋण सहायता की व्यवस्था की है। उपक्रम को इस व्यवस्था के उपयोग की कार्यवाही करने की अनुमति दे दी गयी है तथा इस राशि का वास्तविक विमोचन उसी समय ही किया जायेगा जब कि दावें परिपक्क हो जायेगी और बिल भुगतान योग्य होंगे। तदनुसार उपक्रम ने 130 बसों (30 दो मंजिली तथा 100 एक मंजिली) के क्रियादेश दे दिये है जिनके फरवरी 197 के अन्त तक सड़क पर आने की संभावना है उपक्रम को एक करोड़ रु० का और ऋण तुरन्त दिया जा रहा है जिससे उपक्रम एक सौ अतिरिक्त बसें खरीद सकेगा।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों पर मार्ग प्लेटों का ठीक ढंग से न लगाने या बिल्कुल न लगाने तथा रात के समय नम्बर प्लेटों पर रोशनी का न होने सम्बन्धी भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली परिवहन उपक्रम ने बताया है कि इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जिन मार्गों पर बसों का चलना निर्धारित होता है उन गतंव्य स्थानों के सारे बोर्ड लेकर चलती है, परन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक बस के खराब हो जाने पर या यातायात की भीड़ को उठाने के लिए एक को बदल कर दूसरे मार्ग पर लगा दिया जाता है। उपक्रम के यह स्थायी आदेश है कि इस परिस्थिति में चाक द्वारा लिखा हुआ गतंव्य स्थान बोर्ड लगा देना चाहिये। गतंव्य स्थान बोर्ड बक्सों में रोशनी की व्यवस्था है। कभी कभी अचानक बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। फालतू बल्ब देने की व्यवस्था मार्गों के अनुरक्षण स्थानों पर होती है जहां से शीघ्र अति शीघ्र उनको बदला जाता है।

गतंव्य स्थान बोर्डों को ठीक ढंग से लगाने की जांच के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रम ने एक विशेष दस्ता बनाया है। जहां कहीं गतंव्य स्थान बोर्ड को ठीक ढंग से न लगाने की सूचना मिलती है दिल्ली परिवहन उपक्रम द्वारा अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है।

श्री धीरेश्वर कलिता : पुरानी बसों को बदलने हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन देहली बस यात्रियों की दयनीय दशा के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। कल शाम जब मैं दिल्ली गेट क्षेत्र में जा रहा था तो मैंने देखा कि यात्री कई घण्टों से बसों का इन्तजार कर रहे थे और उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि बस कब आयेगी। मैंने उन्हें सर्दी में कांपते हुए देखा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आयें।

श्री धीरेश्वर कलिता : मुझे थोड़ी सी भूमिका बांधनी है। यह बात दिल्ली के लोगों से सम्बन्ध रखती है और यह संसद तथा अन्य दफ्तरों में काम करने वाले लोगों पर भी इतनी ही लागू होती है चूंकि वे ठीक समय पर दफ्तरों में नहीं पहुंच सकते। जब दफ्तर खुलते हैं तो दफ्तर के लोगों को बसें नहीं मिलती।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधा प्रश्न पूछें।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरा प्रश्न यह है। दिल्ली में जो स्थिति है, उसे सुधारने के लिए वास्तव में कितनी बसों का बदला जाना जरूरी है? मेरा पहला प्रश्न यह है। सरकार ने अब तक

इन बातों का उत्तर नहीं दिया है। दिल्ली के बस यात्रियों की संख्या देखते हुए वास्तव में कितनी बसों की आवश्यकता है?

श्री इकबाल सिंह : आज कल कुल 1193 बसें हैं। आठ वर्ष से पुरानी बसें 469 हैं। इनमें से 222 बसों को बदलने की आवश्यकता है। हम इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं और हमने इस हेतु तीन करोड़ रुपया नियत किया है। दो करोड़ रुपया बसें खरीदने के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रम को दिया जा चुका है और एक करोड़ रुपया और दिया जा रहा है। इस वर्ष हम 300 बसें और चलाना चाहते हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : दूसरा प्रश्न दिल्ली परिवहन उपक्रम के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसों से सम्बन्धित है। दिल्ली परिवहन उपक्रम ने प्राइवेट बसों के मालिकों से करार किया है और उन्हें प्रति मील के हिसाब से अदायगी की जाती है। परिणाम यह होता है कि ये प्राईवेट बसें कभी रुकती नहीं और हमेशा दौड़ती ही रहती हैं। यात्री हाथ भी खड़ा करते हैं लेकिन बसें खड़ी नहीं होती। यह इसलिए है कि इन्हें मीलों के हिसाब से अदायगी की जाती है। यह एक विचित्र स्थिति है। कल सदन ने गृह मंत्री का इस आशय का वक्तव्य सुना कि सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान नहीं करेगी। अतः यह केन्द्रीय सरकार की ही जिम्मेवारी है। सरकार कहती है कि वह समाजवादी मार्ग पर चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन प्राईवेट बसों के स्थान पर अन्य बसें चलाई जायेंगी और यदि हां तो कब?

श्री इकबाल सिंह : प्रश्न के मुख्य भाग के उत्तर में क्या मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली परिवहन उपक्रम भारत सरकार के अधीन नहीं है। यह नगर निगम के अधीन है उनकी अपनी समिति है। इसके दैनिक कार्य को मुख्य प्रबन्धक नियन्त्रित करता है।

श्री धीरेश्वर कलिता : भारत सरकार ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि सरकार की नीतियां समाजवादी हैं तो क्यों नहीं प्राईवेट बसों को बदला जाता। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन्हें बदला जावेगा और यदि हां तो कब तक?

अध्यक्ष महोदय : दो मंजिली बसों द्वारा यह समाजवादी मार्ग पर पहले ही चल रही हैं।

श्री इकबाल सिंह : जहां तक सेवा सुधार का सम्बन्ध है हम दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण दे रहे हैं।

प्राईवेट बसों के दिल्ली नगर निगम की समिति, जो दिल्ली परिवहन उपक्रम को नियंत्रित करती है, ने किराये पर लिया था क्योंकि मौजूदा बसों तथा जितनी बसों की जरूरत थी, उसके बीच काफी अन्तर था और दिल्ली परिवहन की कई बसें पुरानी थीं जो चल नहीं सकती थीं। लेकिन ऐसा 1964 के बाद ही किया गया। आजकल दिल्ली परिवहन उपक्रम के अधीन 310 प्राईवेट बसें हैं जिनको अदायगी मील के हिसाब से की जाती है। लेकिन इन बसों का कंडक्टर दिल्ली परिवहन का तथा ड्राईवर बस के मालिक का होता है। यदि कोई शिकायत हो तो वे उस पर कार्यवाही करते हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : सरकार प्राईवेट बसों को कब तक बदलने जा रही है? यह मेरा प्रश्न था जिसका इनसे कोई भी उत्तर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने पहले ही विवरण सभा पटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य उसे पढ़े।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैंने विवरण देखा है और फिर अनुपूरक प्रश्न पूछा है और आपने भी इसकी आज्ञा दे दी है। अतः उन्हें उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इन्होंने जो उत्तर दिया है, ठीक ही है।

श्री धीरेश्वर कलिता : यह उत्तर उचित नहीं है।

Shri Hardayal Devgun : Mr. Speaker, the hon'ble Minister in his reply has stated that 469 buses are out of order and 1100 more are required. Is it a fact that the Planning Commission had decided that a loan of Rs. one crore and ninety lacs per year will be granted during the Third Five Year Plan, if so, the amount of the loan actually given ? Is it also a fact that out of that only a sum of Rs. 60 lacs was given during 1968-69 and Rs one crore and 30 lacs was given during 1969-70 and that too after the year had come to an end ? Was it due to the fact that during these years the management of DTU was in the hands of Jana Sangh that you failed to provide the due loan and paid Rs. one crore and 30 lacs on the expiry of the term, which resulted in this mismanagement ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य इस प्रश्न का उत्तर स्वयं हीं दे रहे हैं, नियमों के अधीन सुझाव वाले प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर भी मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें। मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है लेकिन कभी कभी माननीय सदस्य मेरी बातों का पालन नहीं करते।

Shri Iqbal Singh : Mr. Speaker, we do not keep in view these factors—whether the management is in the hands of Jana Sangh or Congress, at the time of sanctioning the loans. The funds are given to improve the services. Last year we provided Rs. one crore and thirty lacs for the purchase of buses and Rs. 30 lacs for their ways and means expenses. We will provide Rs. two crores to them for the purchase of buses. We tried to unprove the transport services but saw no improvements. Thereafter, we decided to provide funds for the purchase of new buses only and accordingly Rs. one crore and 70 lacs were provided last year and we are providing Rs. two crores this year. In addition, another Rs. one crore will also be provided for the purchase of new buses and for effecting improvements in the bus services. We are aware of our responsibilities and that is why we are providing money for the purchase of buses.

Shri Hardayal Devgun : The Planning Commission had decided to provide Rs. one crore and 90 lacs during the year 1968-69. Why this amount was not provided during the year 1968-6 and 1969-70 ?

Shri Iqbal Singh : It was not given because the then Committee desired that DTU will effect improvements according to the amount of loan. Despite that, no operational improvements were seen. Even then we provided them a loan worth Rs, one crore and 60 lacs.

श्री लोबो प्रभु : साधारणतः मूल्य ह्रास का अर्थ बसों का बदला जाना होता है। इस मामले में माननीय सदस्य तथा योजना आयोग के अनुसार 1.90 करोड़ रुपया तथा मंत्री महोदय के अनुसार एक करोड़ रुपया दिया जा रहा है। इससे हर साल पूंजी लागत बढ़ती जाती है जिसका प्रभाव अन्त में किराये पर पड़ता है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम में क्या खराबी है ? सरकारी क्षेत्र के असफल होने का यह इतना शानदार उदाहरण क्यों हो और इसे इतना पैसा मांगने तथा प्राईवेट बसें चलाने की जरूरत महसूस क्यों हो । दूसरी बात यह है कि यदि ये प्राईवेट बसें चला रहे है तो क्यों नहीं प्राईवेट बसों को अपने हानि लाभ पर चलाने की आज्ञा दी जाती है ताकि सरकार की पूंजी बचने के साथ-साथ दिल्ली परिवहन उपक्रम के साथ स्वस्थ प्रतियोगिता भी हो ?

श्री इकबाल सिंह : मैं इस बात से सहमत हूँ कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की प्रति मील आय 105 पैसे तथा व्यय 131 पैसे है। काम चलाने के लिए खर्चे पूरे न होने के कारण हमें सेवा में सुधार करना पड़ता है । वे कहते हैं कि पुरानी बसें होने के कारण ये खर्चे पूरे नहीं हो सकते । इसीलिए हम सभी पुरानी बसों को बदलने के लिए पैसा दे रहे हैं। प्राईवेट बसों को प्रति मील 80 पैसा दिया जाता है । जहां आय 105 पैसा है । तो मेरे विचार मे दिल्ली परिवहन उपक्रम को कोई घाटा नहीं है ।

श्री लोबो प्रभु : दिल्ली परिवहन उपक्रम के साथ प्रतियोगिता में चलने के लिये ये प्राईवेट बसों को परमिट क्यों नहीं देते ?

श्री इकबाल सिंह : दिल्ली परिवहन उपक्रम के पास इतनी बसें नहीं कि यह सारे क्षेत्र में चला सके । प्राईवेट बसें वहीं चलाई जाती हैं जहां दिल्ली परिवहन उपक्रम अच्छी तरह नहीं चला सकता । कुछ बसों की आय तो प्रति मील 50 पैसे हैं जब कि व्यय 131 पैसे । आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी मार्गों पर यदि दिल्ली परिवहन उपक्रम बसें चलाए तो न केवल पैसा व्यय होगा बल्कि सेवा का स्तर भी घट जावेगा । वास्तव में लाभदायक मार्गों पर ये बसें चल रही है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन उपक्रम को ऋण न देने का एक कारण यह भी था कि पहले दी गई राशि बसों के खरीदने पर खर्च करने के स्थान पर प्रशासन पर खर्च की गई ? क्या यह भी सच नहीं है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम ने पिछले कुछ वर्षों से किस्तें भी नहीं अदा कीं ?

श्री इकबाल सिंह : जी हां ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Transport is the greatest problem of Delhi today. It has in a way become a chronic disease. The hon'ble Minister has stated that 300 new buses are required to the replaced and the number of absolate buses has been stated as 409 and the number of buses which require complete replacement has been stated as 30, an view of this, I understand that you cannot maintain the status quo despite advancing so much loan because the annual increase in the population is 1½ lacs and every year 50 new buses are required. I want to put two questions to the hon'ble Minister. The expert's assessment of the minimum requirement of buses for Delhi is 1500 whereas there are only 1000 buses on the road. Will the minimum requirement of 1500 buses be met by the end of Fourth Five Year Plan and what type of loans and subsidies into the given every year for this purpose ?

My second question is that you advance loan to the DTU and you will agree that every State Government subsidize its transport. So, will the Government write off the loan due from DTU ? Or stop getting instalments for 8 to 10 years from DTU ?

Shri Iqbal Singh : The question relating to writing off of the loan and providing

subsidy does not arise because if the DTU fails to effect operational improvements there cannot be improvement in the working even if subsidy is provided. Subsidy is not the solution to effect improvements in the DTU. The solution lies in the self improvement by increasing the income and stopping the leakage. The subsidy is no solution.

The assessment of the study group of the Planning Commission regarding 1500 buses is correct but they cannot be there because the DTU is not creating sufficient resources. How can there be resources if there is loss after every mile ? The position of their ways and means is very difficult. Despite all these factors, we have been giving loans for the purchase of buses keeping in view the difficulties of the people of Delhi.

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the programme under the Fourth Five Year Plan ?

Shri Iqbal Singh : A provision of Rs. 9 crores for the replacement of 469 old buses has been made in the Fourth Five Year Plan. This money has been earmarked for the purchase of new buses.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, I want to request the Government to give special attention to the administration, decrease the fare and increase the buses by three times and manage in a way so that bus is available after every ten minutes because almost all the Government officials, including those working in the Parliament, have to come from some ten to twelve miles (*Interruptions*). The Government should quit is it cannot solve the problem of communications...(*Interruptions*). During his five years rule Sher Shah Suri had opened roads through out India but this inefficient Government have been doing nothing for the last 20 years. May I know the steps being taken by the Government in this behalf ?

Mr. Speaker : You note what he has said ?

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, my question should be replied to.

Mr. Speaker : You have asked for decrease in the fare whereas it pertains to obsolete buses.

Shri Sheo Narain : I have asked what steps are being taken by the Government ?

Shri Iqbal Singh : The question of decreasing the fare does not arise. It has not been decreased since 1964 and the expenditure of the DTU has increased by Rs. two crores.

I reply to his second point I have to say that on many routes bus is available even after every five minutes.

Shri Prem Chand Verma : The hon'ble Minister has stated that DTU services should be improved and leakage should be stopped. May I know the position of the DTU in 1966 and its position in 1970 after giving them the said loans ?

Secondly, is it not a fact that there is a big scandal in the repairing of the buses ? New parts are sold and the old ones are put in the buses—such cases were detected ? Will the Government investigate into such scandals in the public sector enterprises especially DTU ?

Shri Iqbal Singh : I have not stated this thing. I have only stated that DTU requires to be unproved, the internal resources should be unproved and the leakage stopped. It should be improved in every way. This is what I said previously and our still saying.

So far as loan is concerned, a loan of Rs. 2.2 crores was given to the DTU in 1966 and the total loan till now is Rs. 8 crores.

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, the employees of the Lok Sabha and other employees come late due to non-availability of buses and their children can also not reach their schools in time. They are facing great difficulty. This is the responsibility of the Central Government. Lacs of Government employees are living in city. Why don't they take the management in their own hand, in case the Corporation is incompetent ? What are their experiences ? It is their responsibility to provide facilities to the Government employees coming from different parts of the country, in case DTU can not undertake this job. Either specific instructions may be issued to the DTU or this job should be taken over from them with a view to provide facilities to the people.

Shri Iqbal Singh : The study group of the Planning Commission has recommended the conversion of DTU into a Corporation but we can only do it alter the Delhi Metropolitan Council agrees to it. We cannot do it till the Metropolitan Council recommends the same. Either Delhi Metropolitan Council should get the improvements made in the DTU of recommend that it should be taken over by the Central Government. For the time being, our responsibility is that of giving loans for improvements which we are already doing.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 392 को अन्तरित कर दिया गया है ।

श्री न० कु० सांघी : मैं निवेदन करता हूँ कि इसका सम्बन्ध प्रतिरक्षा मंत्रालय से न होकर पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय से है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में लिया जाएगा ।

नेताजी संग्रहालय तथा नेताजी अनुसंधान ब्यूरो के लिए केन्द्रीय सहायता

*393. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से नेता जी संग्रहालय तथा नेता जी अनुसंधान ब्यूरो के लिए केन्द्रीय सहायता देने के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त संगठनों को सहायता देने का कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी तथा इस सहायता की शर्त क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री समर गुह : मैं नहीं जानता कि मैं किन शब्दों में कहूं कि इस सरकार ने नेता जी के लिए कुछ नहीं किया अथवा यह करना नहीं चाहती जब तक की उस पर दबाव न डाला जाए । सरकार के बजट को देखने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि नेता जी की स्मृति में किए गए व्यय को आधार माना जाए । तो उस हिसाब से नेहरू जी पर 6328 गुना, गांधी

जी पर 2080 गुना, शास्त्री जी पर 800 गुना तथा श्री जाकिर हुसैन पर 40 गुना अधिक खर्च किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह सच नहीं है कि शिक्षा संबंधी बजट पर चर्चा करते समय जब मैंने यह विषय उठाया था तब सरकार ने कहा था कि इसके सम्बन्ध में वह कुछ करेंगे। मेरे पास नेता जी संग्रहालय के निदेशक का एक पत्र है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर भाषण की अनुमति नहीं दूंगा। इस विषय पर पहले ही पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को नेताजी संग्रहालय के निदेशक की ओर से 13 मई को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें नेताजी संग्रहालय तथा नेताजी भवन पर लगने वाली राशि का अनुमान 3 लाख रुपये बताया गया था और क्या पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो क्या उनकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है यदि नहीं, तो क्या इसके लिए उन्हें कोई स्मरण-पत्र भेजा गया है ?

श्री भक्त दर्शन : मेरे माननीय मित्र ने तीन चार महान व्यक्तियों की तुलना करने का यत्न किया है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह ऐसा न करें क्योंकि हर नेता अपने स्थान पर महान है।

Shri Samar Guha : What has this Government done about Netaji.

श्री नाथ पाई : महोदय, आप माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर देने के लिए कहें।

श्री भक्त दर्शन : जब मेरे माननीय मित्र द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था तब हमने नेताजी संग्रहालय के अवैतनिक सचिव को नेताजी संग्रहालय के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा था और उन्होंने लगभग 5,30,000 रुपये के प्रस्ताव हमें भेजे। मेरा विचार है श्री समर गुह इसे भली भांति जानते हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् हमने पश्चिम बंगाल की सरकार को इस पर अपना मत प्रकट करने क लिए लिखा क्योंकि नियमानुसार किसी भी प्रस्ताव पर उस दशा में विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य सरकार उसके लिये सिफारिश नहीं करती। 13 अगस्त इस संबंध में हमने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा फिर 24 सितम्बर को एक तार दी और हाल ही में 12 नवम्बर को इसके लिए उन्हें पुन: याद दिलाया गया। हम अपनी ओर से हर संभव यत्न कर रहे हैं और जैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हमें प्रस्ताव प्राप्त होगा हम उसके लिए स्वीकृति दे देंगे।

श्री समर गुह : चूंकि नेताजी की कोई सम्पूर्ण जीवनकथा उपलब्ध नहीं है क्या सरकार उनकी एक प्राधिकृत, विस्तृत तथा पूर्ण जीवन कथा तैयार कराने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करेगी और इसके लिए पूर्ण अनुदान देगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संग्रहालय के संबंध में है।

श्री भक्त दर्शन : माननीय सदस्य ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सम्बन्ध हमारे मंत्रालय से नहीं अपितु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से है और मैं आशा करता हूँ कि वे इसकी ओर ध्यान देंगे।

डा० राम सुभग सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ या देश के अन्दर से अथवा बाहर से नेता जी सभी निशानियों, उनकी वर्दी, उनके हथियार तथा उनकी लेखन कृतियों को एकत्र करने का कोई प्रस्ताव है ? क्या लाल किले के प्राचीर पर नेता जी की प्रतिमा प्रतिस्थापित करने का भी कोई विचार है ?

श्री भक्त दर्शन : पहले तो हम कलकत्ता में स्थापित नेता जी संग्रहालय के विकास में सहायता देना चाहते हैं, और उसके बाद यदि आवश्यक समझा गया तो इसे भी पूरा कर लिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने किन राष्ट्रीय नेताओं को अधिमान्यता दी है ? क्या राष्ट्रीय नेताओं कों अधिमान्यता दिलाने के लिये सरकार को याद कराना होगा ? सरकार ने अन्य राष्ट्रीय नेताओं की स्मृति में कितना व्यय किया है तथा नेताजी संग्रहालय तथा अनुसंधान कार्य पर कितनी राशि लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री भक्त दर्शन : माननीय सदस्य ने उसी प्रश्न को एक अलग ढंग से पूछा है। सभी राष्ट्रीय नेता अपनी अपनी जगह महान है।

श्री हेम बरुआ : मैं राष्ट्रीय नेताओं की तुलना नहीं करना चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पर कितनी राशि व्यय की गई है। आपको याद दिलाना पड़ता है कि नेताजी एक राष्ट्रीय नेता थे।

श्री भक्त दर्शन : माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि यह एक अत्यन्त विस्तृत प्रश्न है। हम इसके लिए सूचना एकत्र करेंगे।

श्री समर गुह : मैंने पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

श्रीमती इला पाल चौधरी : नेता जी द्वारा आजाद हिन्द फौज के लिए कुछ गीत लिखे गए थे। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह संस्था नेता जी के उन गीतों को एकत्र कर रही है तथा क्या सरकार उन्हें संभाल कर रखने की जिम्मेदारी लेगी ?

श्री भक्त दर्शन : यह जिम्मेदारी कलकत्ता स्थित 'नेताजी ब्यूरों' की है। यदि वह इसके लिए कोई योजना बनाएंगे तो निश्चय ही हम उनकी सहायता करेंगे।

श्री स० कुन्डू : नेताजी ने, वर्तमान भारत के युवकों के पुनरुत्थान के लिए प्रेरक के रूप में कार्य किया। क्या सरकार का विचार उनकी स्मृति में एक युवक संस्थान बनाने का है। भारत सरकार को यह सुझाव, नेताजी पर बनाई गई, राष्ट्रीय समिति ने दिया था।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : हम उस सुझाव पर विचार करेंगे। जहां तक शिक्षा मंत्रालय का संबंध है मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम नेताजी को पूर्ण सम्मान दे रहे हैं।

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, it is 23 years since India attained freedom. While monuments of other national leaders have been raised, I do not understand why no monument of Netaji has been raised on the ramparts of Red-Fort, inspite of the repeated demand of the citizens of India and the residents of Delhi to this effect. Whenever inquiry is made the Government avoids giving straight answer to the question. Will the hon. Minister frankly tell us on to whether the Government is going to erect a statue of Netaji on the rampart of Red Fort at the place where the flag is hoisted on the Independence day ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, how can I answer this question when the question relates to the Works and Housing Ministry ? I will certainly convey the suggestion of the hon. Minister to the said Ministry.

Shri Hukam Chand Kachwai : Why is the hon. Minister evading the question of raising a monument of Netaji, and shifting his responsibility to other Ministry.

Mr. Speaker : Why should the hon. Member intervene like this without being called.

समाचार पत्र उद्योग पर निहित-स्वार्थ वाले व्यक्तियों का निरंतर आधिपत्य रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन

+

*394. **श्री राम किशन गुप्त :**　　**श्री के० अमात :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि समाचार-पत्र उद्योग पर निहित-स्वार्थ वाले व्यक्तियों का निरन्तर आधिपत्य रोकने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). समाचार पत्रों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के स्वरूप के बारे में एक विभागीय अध्ययन किया जा रहा है ।

Shri Ram Kishan Gupta : In the answer to the original question, the hon. Minister has said that a departmental study of the ownership pattern of companies is being undertaken, will any study team be appointed, and has it started working and what are its term of reference ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : किसी अध्ययन दल की नियुक्ति नहीं की गई है । समवाय-कार्य विभाग का अनुसंधान अनुभाग ही समाचारपत्रों को प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढांचे का अध्ययन करेगा । इस उद्देश्य के लिए किसी पृथक समिति की स्थापना नहीं की जा रही है ।

Shri Ram Kishan Gupta : May I know if any inquiry is going to be instituted regarding the recent statement of Shri Dharma Teja about the National Herald, and also are they going to find out if the owners of industries are the very capitalists who own

big newspapers ? Is there any proposal for setting up a parliamentary Committee in this behalf ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके द्वारा कही गई सब बातों को स्वीकार करते हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : उनका प्रश्न संगत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम अगला प्रश्न ले सकते हैं।

Shri Ram Kishan Gupta : What has been decided about the setting up of a Parliamentary Committee ?

डा० राम सुभग सिंह : उन्होने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है और इसका स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा कि यह विशिष्ट प्रश्न है। परन्तु इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने मंत्री महोदय तथा संसद के एक महत्वपूर्ण सदस्य का नाम लिया है और कहा है कि उन दोनों ने उन्हें दान देने के लिए बाध्य किया। आप संसदीय समिति को मामले की जांच करने को क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है और पहले से ही न्यायालय के विचाराधीन है आप इस पर कोई टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। जांच में कुछ भी कहा जा सकता है। आप संसदीय समिति की नियुक्ति न्यायधीशों के निर्णय से पहले करना चाहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : He had asked two questions. You did not give permission regarding Shri Teja's question and then he raised the question about the setting up of a Parliamentary Committee.

अध्यक्ष महोदय : संसदीय समिति किस मामले में ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रैस के एकाधिकार के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु उस मामले पर नहीं जो न्यायलय के विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस समबन्ध में वह कुछ न कहें। यह वह मुझ पर छोड़ दे। वह प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री रघुनाथ रेड्डी : सबसे पहले तो स्वयं विभाग के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और इस अध्ययन के परिणामों को जान लेने के बाद ही अन्य प्रश्नों पर विचार किया जाएगा।

श्री वासुदेवन नायर : मंत्री महोदय का कहना है कि उनका मंत्रालय सारे मामले का अध्ययन कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस अध्ययन का उद्देश्य क्या है ? क्या यह सच नहीं कि समाचारपत्रों पर निहित स्वार्थ के प्रभावों से संबंधित सभी सामग्री सरकार के पास है यदि हां, तो दोबारा जांच कराने में समय क्यों व्यर्थ गंवाया जा रहा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार समाचारपत्रों में निहित स्वार्थों के निरंतर बढ़ते आधिपत्य को रोकने

के लिए करेगी। पुनः जांच आदि पर समय बेकार करने के स्थान पर कोई ठोस कार्यवाही करेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : एकाधिकार अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को लागू करने से पहले उद्योगों और समाचारपत्रों के आपसी सम्बन्ध को समझना होगा। अत: मामले को अच्छी तरह समझने के लिए एक नया अध्ययन किया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : Last year when the question concerning the "*Times of India*" was raised as to whether the Government had arrived at a settlement with Shanti Prasad Jain, I had asked if the representatives of the workers and journalists will be taken in the board and the hon. Minister had answered that the Government were considering the matter sympthatically. May I know if the Government has arrived at any conclusion after a year's consideration ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह कम्पनियों के स्वामित्व के ढांचे से संबंधित एक साधारण सा प्रश्न है। इसके लिए एक पृथक प्रश्न पूछा जाए।

Shri Madhu Limaye : Please read the question. It refers to "continued hold of vested interests." As long as the workers and journalists do not become participants, the vested interests are bound to have a hold. The hon. Minister is also in collusion with them. Why should the hon. Minister assume the role of the Speaker. He is not the Speaker, he is a Minister. In respect of every question he says that it does not arise out of the main question. Please direct him to answer the question.

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों कहते हैं कि यह साधारण सा प्रश्न है। आप यह कहिए कि क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं अथवा नहीं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने यह निवेदन किया कि एक पृथक प्रश्न पूछा जाए ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं।

Shri Rabi Ray : Shri Madhu Limaye's question was that the matter had been discussed here a year before and then it was said that it was under consideration but now the hon. Minister is not in a position to reply.

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री कोई आश्वासन देता है तो वह आश्वासन होता है और माननीय सदस्य उसके पूरा न किए जाने के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री नाथ पाई : यह अधिक उचित होगा कि मंत्री महोदय सदन को बताएं कि उन्होंने इस संबंध में कोई आश्वासन दिया था अथवा नहीं। यदि उन्होंने दिया था जैसाकि हमें याद है, तो उसे पुरा करने में क्या कठिनाई है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister has said that a study team has been constituted which is investigating the extent of the vested interests in the newspaper industry. I want to know if this team is going to find out the number of newspapers which are getting foreign aid and the form in which the foreign aid is provided to them ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने अपने उत्तर नें यह कहा था कि समाचारपत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के सम्बन्ध में विभागीय अध्ययन किया जा रहा है। यह शुद्ध रूप से विभागीय अध्ययन है। कोई बड़ा दल इसकी जांच नहीं कर रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह विभागीय समिति इस बारे में भी जांच करेगी कि क्या इन समाचारपत्रों को कोई विदेशी सहायता भी मिल रही है अथवा नहीं ? क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देने की स्थिति में हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस अध्ययन का सीमित उद्देश्य यह जानना है कि समाचारपत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व का क्या ढांचा है।

श्री वेद व्रत बरुआ : मंत्री महोदय का उत्तर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसका संबंध एकाधिकार अधिनियम ऐसे सारे प्रश्न का सम्बन्ध कम्पनी अधिनियम से है, क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम के किसी विशेष उपबन्ध के अधीन न केवल स्वामित्व के प्रश्न पर बल्कि नियंत्रण सम्बन्धी नीति के स्वरूप पर भी विचार किया है ? इस सम्बन्ध में केवल एक अनुसंधान अनुभाग ही पर्याप्त नहीं है। क्या संसद में तथा उससे बाहर इस समाचार-पत्र शृंखला द्वारा सारे समाचार पत्र उद्योग के नियंत्रण के बारे में बार-बार की गई आलोचनाओं से सरकार भली प्रकार अवगत है तथा क्या इस बीच इस मंत्रालय ने इस संबन्ध में विचार किया है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक प्रेस के एकाधिकार का प्रश्न है प्रो० महालानोविस द्वारा अपने प्रतिवेदन में तथा क्या एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन में व्यापक निष्कर्ष निकाले गये हैं। परन्तु वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य समाचारपत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढांचे को समझने का है तथा इस अध्ययन के परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद माननीय सदस्य द्वारा रखे गये अन्य प्रश्नों की जांच की जायेगी।

श्री स० कुण्डू : श्रीमन् एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री—अनुपस्थित ; श्री भोगेन्द्र झा—अनुपस्थित ; श्री शंकर राव माने—अनुपस्थित। इन लोगों को क्या हुआ। आज तो सप्ताह का अन्तिम दिन है। श्री श्रीधरन।

श्री एच० डी० मूंदड़ा द्वारा आयकर का भुगतान

*398. **श्री ए० श्रीधरन् :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि श्री एच० डी० मूंदड़ा तथा उनकी पत्नी ने आयकर का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने आयकर का भुगतान कब से नहीं किया है ;

(ग) उनके आयकर की देय राशि कितनी है ; और

(घ) इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). श्री हरिदास मूंदड़ा ने कर-निर्धारण वर्ष 1941-42 से 1965-66 तक के आय-कर की इस समय बकाया पेटे अब तक 1,26,567 रुपये अदा किये हैं। इसी प्रकार, उनकी पत्नी ने कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 से 1969-70 तक के आय-कर की बकाया पेटे अब तक 16,250 रुपये अदा किये हैं। श्री मूंदड़ा ने वित्तीय वर्ष 1958-59 से कोई कर अदा नहीं किया है और उनकी पत्नी ने वित्तीय वर्ष 1967-68 से कोई कर अदा नहीं किया है।

(ग) 31-10-1970 को श्री हरिदास मूंदड़ा पर आय-कर के 2,30,10,844 रुपये बकाया थे, और उनकी पत्नी पर 45,631 रुपये।

(घ) अपेक्षित सूचना विवरणपत्र में दी गयी है, जो सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बकाया की वसूली के लिये की गयी अथवा की जानेवाली कार्यवाही नीचे लिये अनुसार है :—

1. **श्री हरिदास मूंदड़ा :**

निर्धारिती की चल और अचल परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. **लोदना कोलयरि कम्पनी (1930) लि०**

(क) श्री जी० डी० भट्टर के नाम के 8000 शेयर अभिग्रहीत किये गये थे, परन्तु उसके द्वारा किया गया दावा कर-वसूली अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। कर-वसूली अधिकारी द्वारा किया निर्णय आय-कर विभाग ने नहीं माना है और सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाने का निश्चय किया है।

(ख) श्री हरिदास मूंदड़ा के नाम के 3900 शेयर अभिग्रहीत किये गये और वे 3-10-1970 को बिक्री के लिए प्रस्तुत किये गये। इन शेयरों के लिये सबसे ऊंची बोली केवल 12,600 रुपये की थी, जो बहुत कम थी। कर-वसूली अधिकारी से न्यूनतम मूल्य नियत करने के लिए कहा गया है।

2. **मैसर्स उस्मानशाही मिल्स लि०**

मैसर्स कामर्शियल कम्बाइन लि० मूंदड़ा की एक फर्म है और उसके नाम में 7850 शेयर हैं, एवं इस कम्पनी ने 50 लाख रुपये की जमा (बैंक में) करा रखी है तथा उसका ब्याज आता है। इन सबका अभिग्रहण कर लिया गया है। मामला कलकत्ता के कर-वसूली अधिकारी और महाराष्ट्र राज्य में नान्देड के कलक्टर के विचाराधीन है।

3. (i) एफ० सी० ओस्लर इण्डिया लि० 69,400 शेयर
(ii) मैसर्स ब्रह्मपुत्र टी० कं० लि० 2,08,300 शेयर
(iii) रिचर्डसन कूडास लि० 56,000 शेयर

उपर्युक्त शेयर अभिग्रहीत किये गये हैं इन शेयरों के बारे में ईस्टर्न बैंक लि०, इलाहाबाद बैंक लि० और चार्टर्ड बैंक लि० ने कलकत्ता तथा 24 परगना के कर-वसूली अधिकारी के समक्ष अपने दावे पेश किये हैं। कर-वसूली अधिकारी ने ईस्टर्न बैंक लि० की याचिका नामंजूर कर दी है, परन्तु चार्टर्ड बैंक लि० और इलाहाबाद बैंक लि० की दावर-याचिकाएं मंजूर की हैं। आय-कर विभाग ने दो बैंकों के दावे मंजूर करने सम्बन्धी कर-वसूली अधिकारी के आदेश के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही के विचार के लिये स्थायी परामर्शदाता की राय मांगी है।

4. 2, राय लेन, कलकत्ता स्थित सम्पत्ति।

कलकत्ता निगम की किताबों में यह सम्पत्ति एक तीसरी पार्टी के नाम में होते हुए भी इस के वास्तविक मालिक श्री एच० डी० मून्दड़ा हैं। इस सम्पत्ति का तथा इस सम्पत्ति के किरायेदारों द्वारा देय किरायों का अभिग्रहण किया गया है। 28-3-1969 को यह सम्पत्ति बिक्री के लिये रखी गयी थी और तब सबसे ऊंची बोली केवल 6500 रुपये लगी जबकि इसकी नियत कीमत 40,000 रु० थी।

5. मेसर्स टर्नर मारिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

(क) श्री एच० डी० मून्दड़ा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा, संख्या 1961 की 600 चलाया है, जिसमें इस कम्पनी में सामान्य शेयरों के 51 प्रतिशत की खरीद करने के विकल्प के सिलसिले में यथावत् पालन के अधिकार का दावा किया है। 14-7-1969 को इस मुकदमे की डिग्री श्री एच० डी० मून्दड़ा के हक में हुई और 24 परगना के प्रमाण-पत्र अधिकारी ने इसका अभिग्रहण कर लिया। परन्तु, कलकत्ता उच्च न्यायालय हाल ही में दिये गये एक निर्णय द्वारा, 14-7-1969 के आदेशों को रद कर दिया गया है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ परामर्शदाता की राय ली गयी है कि क्या 1961 के मुकदमा सं० 600 में दी गयी डिक्री के अन्तर्गत श्री एच० डी० मून्दड़ा के विकल्प सम्बन्धी अधिकारों का अभिग्रहण किया जा सकता है और क्या कोई वैकल्पिक कार्यवाही की जा सकती है। विभाग, वरिष्ठ परामर्शदाता की सलाह के अनुसार, आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(ख) टर्नर पारिसन एण्ड कम्पनी लि० के 2005 शेयरों का, जो श्री एच० डी० मून्दड़ा की मालिकी के कुल शेयरों के शेष 49 प्रतिशत बनते हैं, कर वसूली अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया गया है। परन्तु, ब्रह्मपुत्र टी० कम्पनी लिमिटेड द्वारा उच्च न्यायालय में दायर किया गया, 1959 का मुकदमा सं० 93, निर्णयाधीन होने के कारण इनकी बिक्री नहीं की जा सकी।

6. 1958 के मुकदमा सं० 610 में नियुक्त कोर्ट रिसीवर के पास जमा हुए 25 लाख

रुपये के लाभांश का कर वसूली अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया गया है और लाभांश वसूल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

7. कर वसूली अधिकारी, कलकत्ता तथा 24 परगना को, श्री एच० डी० मून्दड़ा के नाम में पड़े मेसर्स कीमर, बागशा एण्ड कम्पनी (इं०) प्राइवेट लिमिटेड के 100 शेयरों और आटोमैटिक प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के 2500 शेयरों तथा श्रीमती हेलन्स नामिनीज Helen's Nominees इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम में श्री एच० डी० मुन्दड़ा की मालिकी के कानपुर टैक्सटाइल्स लिमिटेड के 1900 शेयरों का तत्काल अभिग्रहण करने के लिये कहा गया है।

11. श्रीमती जसोदा देवी मून्दड़ा

श्रीमती जसोदा देवी मून्दड़ा की तरफ बकाया की मांगें प्रमाण-पत्रों के अन्तर्गत आ जाती हैं। ग्लोब मोटर वर्कशोप प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली तथा मेसर्स एन्जिलो ब्रदर्स, कलकत्ता में श्रीमती जसोदा मून्दड़ा के शेयरों तथा उनके द्वारा खोले गये विभिन्न बैंक खातों का अभिग्रहण करने के लिये कर वसूली अधिकारी, कलकत्ता तथा 24 परगना को परिसम्पत्तियों की सूची भेज दी गई है। ग्लोब मोटर वर्क्स, प्राइवेट लिमिटेड में जमा उनके शेयरों तथा उक्त कम्पनी की ओर उनके बकाया ऋण का अभिग्रहण करने की कार्यवाही भी की गई है। श्रीमती जसोदा देवी को नारायण दामोल्कर रोड, बम्बई स्थित "श्रीमदन" नाम से जानी जानेवाली सम्पत्ति से मिलने वाले किराये का भी अभिग्रहण कर लिया गया है।

श्री एं० श्रीधरन : विश्व भर में भारत भी एक ऐसा देश है जहां आयकर की भारी राशि बकाया पड़ी है तथा सरकार के दो आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1970 को यह राशि 507.79 करोड़ रुपये थी और सरकार ने श्री हरिदास मूंदड़ा से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किये गये हैं, जैसा कि गत नवम्बर, में कलकत्ता उच्च न्यायालय को निर्णय से स्पष्ट है। अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने कहा है कि 28 फरवरी, 1968 से 1968 तक श्री हरिदास मूंदड़ा से बकाया राशि वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन आय-कर अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जो कि श्री हरिदास मूंदड़ा से इतने लम्बे समय तक आयकर न वसूल करने के कारण उसके प्रभाव में दबे प्रतीत होते हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस निर्णय की ओर हमारा ध्यान गया है और हमने विभिन्न उपाय किये हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिसे मैंने सभा-पटल पर रखा है, और विभाग ने श्री मूंदड़ा के सम्बन्धित सम्पत्तियों तथा शेयरों को कुर्क करा लिया है तथा उन्हें नीलाम किया जा रहा है तथा धनराशि वसूल की जा रही है। कुछ मामलों में श्री मूंदड़ा द्वारा कलकत्ता में तथा पश्चिमी बंगाल में बाहर न्यायालयों में मामले दर्ज कराये जाने से उनके द्वारा प्राप्त कुछ स्थगन आदेशों अथवा अन्य प्रकार के आदेशों के कारण हमारी कार्यवाही रुक गई है और यही कारण है कि वसूली की गति कुछ कम है, परन्तु मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं

कि इस विशिष्ट मामले पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और वसूली की गति तेज करने का उपाय कर रहे हैं।

श्री ए० श्रीधरन : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देश के एक बहुत बड़े न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि बकाया राशि वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या इसका कारण कर वसूल करने वाले अधिकारियों की अयोग्यता तथा सांठ-गांठ है, तथा क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह पता लगाऊंगा कि क्या उक्त निर्णय के आधार पर इस विशिष्ट आयकर अधिकारी के बारे में ऐसा कारण बन सकती है।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि श्री मूंदड़ा तथा अन्य लोगों की ओर आय-कर की भारी राशि बकाया पड़ी है, क्या सरकार यह अनुभव करती है कि आयकर कानून में कोई बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि आयकर की वसूली सुगमता से तथा तीव्र गति से हो सके ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हम भी कानून में परिवर्तन करते रहते हैं। हर वर्ष ही हम कतिपय परिवर्तन करते हैं, जब कि हम सभा में वित्त विधेयक पेश करते हैं। अभी हाल ही में भी, एक सप्ताह पूर्व, हमने इस सभा में एक कानून बनाया है जिससे कि आयकर कानून में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। जब भी आवश्यकता होती है हम आयकर कानून तथा प्रत्यक्ष कर कानून में परिवर्तन करते रहते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि जब भी हम किसी कमी को दूर करते हैं। नई कमियों का पता लगता है और लोग कर से बचने के तथा कर अपवंचन के नये-नये रास्ते निकाल लेते हैं और फिर हमें कर अपवंचन को रोकने के लिए कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिए यह एक निरन्तर जारी रहने वाली क्रिया है कि हम इस बारे में जांच तथा तदनुसार कार्यवाही करते रहे हैं। परन्तु एक बात तो मैं कहूंगा कि किसी भी देश का कर-कानून त्रुटिहीन नहीं है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि सरकारी सेवा से निवृत्त होने वाले अनेक वरिष्ठ आय-कर अधिकारियों ने बड़े-बड़े व्यवसायों में नौकरी कर ली हैं और यही लोग आय-कर कानून की कमियों का अनुमति लाभ उठाने के लिए उत्तरदायी हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सम्बन्ध में सिविल कर्मचारी आयकर नियम है जिनमें कुछ शर्तें रखी गई है तथा आय-कर अधिकारी सेवा तथा आचार नियम भी हैं। उसे पूरा ब्योरा तो याद नहीं है परन्तु एक यह बात याद है कि आचार नियमों में इस आशय की यह बात याद है कि आचार नियमों में इस आशय की व्यवस्था है कि यदि किसी अधिकारी ने अपनी सेवा-निवृत्ति से पूर्व किसी क्षेत्र में पांच या छः वर्ष सेवा की हो उसे वहां कोई स्वतन्त्र रूप से अभ्यास करने या उस व्यवसाय-गृह में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिससे उसका सेवा के दौरान सम्बन्ध रहा हो। ऐसी नोकरियाँ प्राप्त करने के लिए उन्हें सदैव की सरकार से पूर्वानुमति

लेनी होगी। यह प्रतिबंध दो वर्षों तक के लिए है। इसके पश्चात वह बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी फर्म में नौकरी कर सकता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : कर के वसूल न होने का कारण निस्संदेह आय-कर कानून में त्रुटियों का होना नहीं हैं बल्कि मूल रूप से कर व्यवस्था का अकुशल प्रशासन है। क्या करों की वसूली उच्च न्यायालय द्वारा रोक आदेशों के कारण नहीं हो पाती, क्योंकि उच्च न्यायालय तो शायद ही कभी रोक आदेश देता है? क्या कर निर्धारण यथा समय पूरा कर लिया जायेगा क्योंकि हम देखते हैं कि विलंब से कर निर्धारण होने के कारण ही कर वसूली में विलम्ब होता है। तीसरे, आयकर कानून में व्यवस्था है कर की अदायगी न करने पर अथवा राजस्व की अदायगी न करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को कारावास का दण्ड मिल सकता है, तो श्री मूंदड़ा को कारावास का दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है...(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री साल्वे की भांति बहुत कम लोग आय-कर कानून की खामियों से अवगत हैं. जहां तक इस मामले का सम्बन्ध हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और जो भी खामियां पाई जायेंगी हम उन्हें दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम इस मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए प्रयत्नशील हैं ताकि कर की वसूली भी शीघ्र ही हो जाये?

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

भारत यात्रा के बारे में विदेशी पर्यटकों के रवैये में परिवर्तन

अ० सू० प्र० संख्या 4. श्री स० कुन्दू : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों के रवैये में कोई परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो उनके रवैये में क्या परिवर्तन आया है तथा उन्हें क्या-क्या आशायें थीं और इस परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों में भारत में कितने विदेशी पर्यटक आये तथा वे किन देशों से आये हैं; और

(घ) क्या पर्यटक को कोई व्यापारिक रूप दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत को पर्यटन का लक्ष्य बना कर आने की दिशा में विदेशी पर्यटक भारत के प्रति बढ़ती हुई रुचि का परिचय दे रहे हैं। उपयुक्त आवास और यातायात की सुविधायें, तथा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण उनकी मुख्य आवश्यकतायें हैं। इस दिशा में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा है ।

(घ) यह स्वीकार किया है कि पर्यटन एक प्रमुख व्यावसायिक क्रियाकलाप का रूप धारण कर सकता है जिससे कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन होने के साथ-साथ देश में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे । पर्यटन विकास विषयक कार्यक्रमों को तैयार करते समय इस पक्ष को ध्यान में रखा जाता है ।

विवरण

सारिणी

राष्ट्रिकता के देश के अनुसार विदेशी पर्यटकों की संख्या, 1967-69

राष्ट्रिकता का देश	1967	1968	1969
कैनाडा	3,001	3,575	4,486
यू० एस० ए०	43,041	41,721	52,836
नौर्थ अमरीका	46,042	45,296	57682
मैक्सिको	451	688	724
अन्य	1,419	1,717	3,265
दक्षिण अमरीका	1,870	2,405	3,989
औस्ट्रीया	831	1,143	1,417
बैनिलक्स	2,833	3,098	4,364
फ्रांस	7,224	8,786	12,094
जर्मनी	8,101	9,862	14,222
इटली	2,550	2,740	4,630
स्केन्डीनोबिया	3,366	3,792	5,910
स्पेन	527	629	1,057
स्वीटजरलैंड	3,017	3,251	4,418
यू० के०	27,309	29,821	38,037
अन्य	755	882	1,220
उत्तरी यूरोप	56,513	64,004	87,378
चैकोशलोवेकिया	778	854	1,506

यू० एस० एस० आर०	1,959	2,057	2,935
अन्य	2,452	2,321	3,355
पूर्वी यूरोप	5,189	5,232	7,796
कीनिया	4,209	2,254	3,363
मलावी	205	107	228
दक्षिण अफ्रीका	1,429	1,554	2,368
तनजानिया	2,453	1,733	2,075
उगाडा	1,685	1,063	1,569
अन्य	1,797	1,891	2,971
अफ्रीका	11,778	8,602	12,574
अदन	2,212	248	119
फार्शियन गल्फ कन्ट्रीज	2,776	3,067	3,98[illegible]
ईरान	1,290	1,175	1,771
अन्य	1,983	2,458	3,587
पश्चिम एशिया	8,261	6,948	9,457
अफगानिस्तान	2,067	3,112	3,860
लंका	20,116	19,899	19,891
जापान	5,315	6,024	8,352
मलेशिया	7,138	8,032	8,823
फिलिफाइन्स	693	822	952
थाईलैंड	1,110	1,384	1,910
अन्य	5,994	7,327	9,406
पूर्वी एशिया	42,433	46,600	53,194
आस्ट्रेलिया	6,351	8,322	10,615
न्यूजीलैंड	929	1,234	1,832
अन्य	199	177	207
आस्ट्रेलेशिया	7,479	9,733	2,654
कुल योग	1,79,565	1,88,820	2,44,724

श्री स० कुण्डू : कहा जाता है कि भारत में पर्यटन सम्बन्धी बड़ी गुंजाईश है। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि पर्यटन क्षमता के मामले में भारत एक ऐसा समृद्ध देश है जिसने अपनी क्षमता का विकास नहीं किया है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है पर्यटकों के रवैये या दृष्टिकोण का अध्ययन करना। जहां तक मुझे जानकारी है, भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की प्रवृत्ति का कोई सार्थक, योजनाबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या अब भी पर्यटक भारत में तनावपूर्ण वातावरण, गन्दे खाद्य पदार्थ, अस्वस्छ स्थिति, निर्धनता तथा सर्वोपरि लाल फीताशाही के कारण भारत आने में सकुचाते हैं तथा क्या हिमाचल पर्वत, समुद्री तटों तथा सुन्दर मन्दिरों निहित भारत की गारिया को विदेशों में समुचित ढंग से प्रचारित नहीं किया गया है ?

क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि भारत में पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका से आने वाले युवापीढ़ी के उन पर्यटकों की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन आया है जो केवल ऐश-व-आराम के लिए नहीं बल्कि वास्तविक भारत को देखने के लिए यहां आते हैं ? वस्तुतः मेरा एक मित्र मुझे बता रहा था कि एक यूरोपीय महिला भारत को जानने की दृष्टि से चांदनी चौक में गई। वहां उसने भारी भीड़ देखी और शमशान घाट तथा कब्रिस्तान में गई और फिर कहा "यह भारत है, यह भारत है।" क्या भारत आने वाले इन पर्यटकों के रवैये में इस स्पष्ट परिवर्तन का अध्ययन किया जा रहा है ? या कि विभाग उसी पुराने परम्परागत रवैये के अनुसार कार्य कर रही है ? मंत्री महोदय सार्थक उत्तर दें क्योंकि उन्हें इस सम्बन्ध में बहुत जानकारी है।

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि भारत आने वाले पर्यटकों के रवैये का अध्ययन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वस्तुतः यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसे प्रमुख गमन स्थानों पर पर्यटन विभाग द्वारा किये गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर किया जा रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भी कुछ अध्ययन किया है।

माननीय सदस्य ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। पहला तो यह कि विदेशों में भारत की गरिमा का समुचित ढंग से चित्रण किया जा रहा है। यह बताकर मुझे प्रसन्नता होती है कि गत दो तीन वर्षों में भारत की गरिमा के चित्रण में हमारे प्रयासों का फल हमें प्राप्त होने लगा है। जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण से स्पष्ट है, हमारे यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष भी 20 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त कर लेने की हमें आशा है।

हम विदेशों में भारत की समृद्ध संस्कृति तथा परम्पराओं, मंदिरों तथा स्मारकों, इसके वन्यजीवों तथा मित्र सरीखे लोगों की सही तस्वीर पेश कर रहे हैं। दृश्यों, ध्वनियों तथा सुगन्धियों सहित एक पूरी तस्वीर पेश करने का हम प्रयत्न करते हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सही तस्वीर पेश करने के सम्बन्ध में विभाग पूरी तरह जागरूक है। हमने ऐसा विश्व भर में अभियानों द्वारा किया है जिनके परिणाम हमें नजर आ रहे हैं और मुझे आशा

है कि अगले कुछ वर्षों में यहां अधिक से अधिक पर्यटक आयेंगे और विशेषतः नई पीढ़ि के पर्यटक जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है ।

ी स० कुण्डू : मेरे प्रश्न का दूसरा महत्वपूर्ण भाग पर्यटन के व्यापारिक पक्ष से संबंधित था । मेरे विचार से चौथी योजना काल में 7 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान था । मौजूदा उपायों तथा व्यवस्था द्वारा क्या हम 6 लाख पर्यटक आकर्षित कर सकेंगे, मुझे इस बात में संदेह है । मंत्री महोदय से जो जरूरी बात मैं पूछना चाहता हूं, वह इस प्रकार है । क्या सरकार ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में माना है जिसके द्वारा रोजगार भी मिलता है और विदेशी मुद्रा भी ? क्या मैं जान सकता हूँ कि मंत्री महोदय ने कोई ऐसा जोरदार कार्यक्रम सोचा है जिसके अनुसार पर्यटन में पूंजी लगायी जा सके ताकि हम करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा सकें और विदेशी मुद्रा की अपनी बिगड़ती हुई स्थिति को सुधार सकें ? मुझे इस बात का बहुत दुख है कि विश्व में पर्यटन की आय पांच गुणा बढ़ गयी है जबकि हमारे यहां यह आय घट गई है, 1967 में हमारी आय का प्रतिशत 0.67 था और अब यह 0.24 तक गिर गई है । पर्यटक सम्भवतः आते ही रहे लेकिन यदि हमें विदेशी मुद्रा की आय भी न हो तो सारी योजना पर पैसा लगाना लाभदायक न होगा । अतः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बड़े स्तर पर व्यापारिक दृष्टि से पूंजी लगाने के बारे उन्होने कुछ सोचा है और यदि हां, तो क्या वे इतनी बड़ी पूंजी लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सम्पर्क में हैं ? जब संयुक्त राष्ट्र के इस शाखा के अध्यक्ष यहां आये तो उन्होंने कहा था कि हम विदेशी पर्यटन मार्केट के बारे कुछ नहीं जानते ? क्या वे इस में कुछ ब्यौरा देंगे ?

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि इस देश में पर्यटन काफी महत्वपूर्ण हो गया है । इससे विदेशी मुद्रा की आय भी हो रही है और रोजगार के अवसर भी खुल रहे हैं । लेकिन यह बात माननी चाहिए कि अभी तक पर्यटन के वास्तविक महत्व को स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री नाथपाई : किस के द्वारा ?

डा० कर्ण सिंह ; राष्ट्र द्वारा (व्यवधान)...उदाहरणार्थ पर्यटन के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के लिए 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, अर्थात् 20,000 करोड़ की कुल योजना में से 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस प्रकार अब तक पर्यटन को बहुत कम प्राथमिकता दी गई है। फिर पिछले दो तीन सालों से हमारे कार्यों के फलस्वरूप यह माना जा रहा है कि यदि इसमें अधिक पूंजी लगाई जावे तो पर्यटन काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है । आशा है कि अगली योजना में राज्यों तथा केन्द्र में पर्यटन के लिये अधिक राशि रखी जावेगी । चौथी योजना के अन्त तक 6 नहीं 4 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य है । अपने थोड़े से साधनों का हम यथा सम्भव उपयोग कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त, हम संयुक्त राष्ट्र के सम्पर्क में भी हैं । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन श्री ओ० ड्रिसकल के नेतृत्व में आजकल एक उच्चस्तरीय दल भारत में है । वे यहां 6 सप्ताह रहेंगे । वे भारत में पर्यटन की उपयोगिता का अध्ययन करेंगे । वे कश्मीर से कन्याकुमारी

तक की यात्रा करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर मेरे विचार से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन हमें सहायता मिल सकती है ।

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि पर्यटन पर सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस प्रकार अधिक से अधिक पूंजी लगाई जावे ।

श्री नाथ पाई : प्रश्न साधनों की कमी का नहीं बल्कि संकल्प और आयोजन की कमी का है । मैं नहीं जानता कि उनका मतलब यह कहने का किससे है कि देश में पर्यटन की सराहना नहीं की जाती । मेरे विचार में उनके मन में उस समय अपनी सरकार की न कि जनता सरकार के बाधा डालने के बावजूद भी यदि हम पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयत्न करते रहें तो यह भी कोई संतोषजनक बात नहीं । मैं नहीं समझता कि उनका यह कहने से क्या तात्पर्य था कि पर्यटकों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ गयी है । क्या वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इतने बड़े देश में इतने पर्यटकों का आना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं । क्या यह सच है कि पैसिफिक टूरिस्ट कोंसिल ने पर्यटक की दृष्टि से भारत को एक बहुत ही असन्तोषजनक देश कहा है क्योंकि यहां होटल भी घटिया हैं और सीमा शुल्क विभाग भी दुर्व्यवहार करता है तथा 68 प्रतिशत पर्यटक भारत आने का नाम नहीं लेते ? वे हमारे परम्परागत आकर्षणों के कारण यहां आते हैं लेकिन उन्हें इतना तंग किया जाता है कि वे दोबारा भारत आने का नाम तक नहीं लेते । क्या यह बात सच है या नहीं ?

क्या यह भी सच नहीं है कि काफी विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में नहीं जाती बल्कि होटलों के नजदीक कार्यरत गिरोह प्राईवेट तौर से इसे बेचते हैं और इस विदेशी मुद्रा का बहुत कम अंश रिजर्व बैंक में जाता है । इन सब बातों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि हमारे देश में सुविधाएं अपर्याप्त हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि स्थिति सचमुच इतनी दुखद तथा निराशाजनक है जितनी कि माननीय सदस्य ने बतायी है । यह सच है कि हमारे होटलों की सुविधाएं अब भी अपर्याप्त हैं। हम सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में नये होटल बना रहे हैं। यह भी सच है कि सुविधा प्रदान करने की हमारी प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है । हमने कच्छ कदम उठाये हैं । आज एक प्रश्न था जो इस कारण सामने नहीं आया कि प्रश्न करने वाला यहां नहीं था । इस प्रश्न में पूछा गया था कि हवाई अड्डों पर क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं । हमने तीन सूत्रीय प्रणाली लागू की है ताकि लोग बिना विलम्ब के जा सकें।

मैं इस बात से पूरी तरह परिचित हूं कि अधिक पर्यटकों की आकांक्षा रखने से पहिले हमें पर्यटन सुविधाओं पर अधिक पैसा लगाना पड़ेगा । माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रश्न पूंजी लगाने का नहीं बल्कि संकल्प का है । मैं उनसे सहमत नहीं । मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा संकल्प पूरा है । इसकी बुनियाद लगाने के लिए साधनों की कमी है और यही कारण है कि पिछले तीन सालों से मैं देश के कोने-कोने में घूमता आ रहा हूँ और राज्य सरकार तथा लोगों के पर्यटन के महत्व समझाने के लिए कहता आया हूँ और लोगों को अधिक होटल बनाने के लिए तथा पर्यटकों के अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए कहता आया हूं ।

श्री रंगा : आप अपने अधिकारियों से भी कहें कि वे अच्छा व्यवहार करें ।

डा० कर्ण सिंह : दुर्भाग्यवश यह बात भी सच है कि विदेशी मुद्रा की काफी मात्रा में चोरी होती है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त मंत्री, इस काम को कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश सरकारी दर, गैर-सरकारी दर से बहुत कम होती है। इसी कारण विदेशी मुद्रा की चोरी होती है। हम इससे काफी चिंतित हैं। हमने इस प्रयोजनार्थ एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की है और हम विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने के लिए यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० आर० दामानी : देश में पर्यटन के विकास हेतु किये गये मंत्री महोदय के प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूँ। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान पालम, सांताक्रूज, डमडम तथा मद्रास के हवाई अड्डों को जम्बोजेट विमान के लिए सक्षम बनाने हेतु कितनी राशि व्यय की गयी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि छोटे हवाई अड्डों पर तथा छोटे शहरों को वायुयात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए जो राशि व्यय की गयी, उसका क्या प्रतिशत है ?

डा० कर्ण सिंह : मेरे पास प्रतिशतता के आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं कह सकता हूं कि चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास करने के लिए हमने विशेष कदम उठाये हैं। पालम हवाई अड्डे पर काफी विकास कार्य किया गया। वहां आजकल दो ब्लौक निर्माणाधीन हैं। बम्बई के सांताक्रूज हवाई अड्डे पर हम एक करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं। मद्रास में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं और कलकत्ता के हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए हम 2½ करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं। इस प्रकार अपने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को विकसित करने पर हम काफी व्यय कर रहे है। छोटे हवाई अड्डों के लिए भी जो कुछ हम कर सकते हैं, हम कर ही रहे हैं।

श्री एस० आर० दामानी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं प्रतिशतता जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पृथक सूचना दे सकते हैं। आप प्रश्न से बहुत दूर जा रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, travellers from all the parts of the world go to see the birth-place of Christ of Israel. We can attract many of them to visit India. Not to speak of visiting India, that cannot even utilize the service of Air India do not operate flights to Tel-Aviv. Leaving aside the diplomatic aspect, has the Government considered the question in the contact of development of tourism so that Air India services could be started to Tel-Aviv also ?

Dr. Karan Singh : This question is and has been under consideration.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon'ble Minister might be aware of the fact that the Ankorvat Temple in a major source of income for Combodia. The followers of the Buddhist Religion from many countries of South-East Asia and large number of other tourists are anxious to come to India to see historical places as well as their own religious places. But they cannot fulfil their ambitions due to lack of travelling and lodging facilities in India. I want to know whether such places will be developed keeping in view the earnings from foreign exchange, fulfilment of religious ambitions of those people and development of the Tourist Industry ?

Dr. Karan Singh : Yes. Sir. We are paying attention to the places of Buddhist importance. We visited those places and have provided funds for the purpose. We are

going to provide facilities to the tourist at Bodhgaya, Rajgor, Nalanda and Sandri in consultation with the State Governments concerned.

Shri Rabi Ray : Has the attention of hon'ble Minister been drawn to the statement of Dr. T. J. Odriskol, in which he said that :—

"भारत में पर्यटन विकास की काफी क्षमता है बशर्ते कि भारत की मार्केटिंग विदेशों में पर्यटन विभाग द्वारा की जाय।"

He has pointed out the shortcomings of the branches of Tourist Department in foreign countries. What steps are being taken by the hon'ble Minister in this behalf ?

Dr. Karan Singh : I also met Mr. Odriskol and had talks with him. We will thorougly consider his suggestions We are already working for our publicity and promotion. We will definitely consider the suggestion of Dr. Odriskol.

श्री स० मो० बनर्जी : साधारणतः देखा गया है कि भारत आने वाले कई पर्यटक हमारे गाईड से अधिक जानकारी रखते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे ही लोगों को नियुक्त किया जाता है जो देश के बारे में जानकारी रखते हों ? कई व्यक्ति यहां पर्यटक बनकर आये और लालकिले से गुजरते हुए उसने धोबियों को कपड़े धोते हुए देखा। अपने देश में जाकर उसने कहा कि भारत एक ऐसा शानदार देश है जहां कपड़ों से पत्थर तोड़े जाते हैं। वे नहीं जानते थे कि वे वास्तव में कपड़े धो रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : वह विदेशी भी बहुत समझदार होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : कोई गाईड कबर दिखाता है तो वह यह नहीं जानता कि यह किसकी कबर है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि बेरोजगार नौजवानों की सेवाओं का उपयोग करें ताकि प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें गाईड नियुक्त किया जा सके।

डा० कर्ण सिंह : पुरातत्व विभाग में हमारा गाईडों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम था लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है, हमारे देश में अच्छे स्तर के गाईड नहीं हैं। इस ओर हम ध्यान दे रहे हैं। हम इतिहास, संस्कृति तथा सभ्यता की जानकारी प्रदान करने के लिए एक संस्थान भी स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं जिससे कि प्रशिक्षित गाईड भारत की सही तस्वीर पेश कर सकें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेशी पर्यटकों को कठिनाइयां

*395. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 सितम्बर, 1970 के समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' में 'दिल्ली

हवाई अड्डे पर कठिनाइयां' (दिल्ली एयरपोर्ट ओरडियल) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें विदेशी पर्यटकों द्वारा सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं तथा अन्य औपचारिकताओं के कारण होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक-उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विमान क्षेत्र पर 34.24 लाख रुपये की लागत से दो नये ब्लाकों के निर्माण के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(i) आने वाले यात्रियों की शीघ्र निकासी के लिए तीन मार्ग पद्धति का प्रारम्भ किया जाना ;

(ii) वर्तमान आप्रवास एवं स्वास्थ्य फार्मों तथा सीमाशुल्क पास को मिला कर एक मिला जुला विमानावरोहण कार्ड शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

(iii) विमान क्षेत्र रेस्टोरेंट तथा बैंकिंग सुविधाओं के सुधार किये जा रहे हैं ;

(iv) पर्याप्त पार्किंग प्रबन्ध किये जा चुके हैं तथा टैक्सियों के प्रवाह पर नियंत्रण करने के लिए और कदम उठाये जा रहे हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लघु उद्योगों के लिए एक पृथक वित्तीय एजेन्सी स्थापित करने का सुझाव

*396. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने केवल लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए एक पृथक वित्तीय एजेन्सी स्थापित करने की कोई सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

छोटे किसानों को लम्बी अवधि के ऋण देना

*397. **श्री शंकरराव माने :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि छोटे किसानों को दिये जाने वाले ऋण लम्बी अवधि के आधार पर दिए जायेंगे और समृद्ध किसानों के लिए मंजूर किये जाने वाले ऋण कम अवधि के लिए होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). मैंने 24 अक्तूबर, 1970 को सहकारी भूमि विकास बैंकों (कोआपरेटिव लैंड डेवेलपमेंट बैंक) के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों साथ बात चीत की थी। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि भूमि विकास बैंकों को खास

कर छोटे किसानों को उपयुक्त मामलों में,7,15 वर्ष वर्तमान अवधि की तुलना में 20-25 वर्ष की लम्बी अवधि के ऋण देने की अनुमति होनी चाहिए । इस सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है।

आंतरिक पर्यटन की सम्भावनाओं का निर्धारण करने हेतु सर्वेक्षण

*399. **श्री अदिचन : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आंतरिक पर्यटन की सम्भावनाओं का निर्धारण करने हेतु कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) चतुर्थ योजना में आंतरिक पर्यटन का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). आंतरिक पर्यटन का क्षेत्र जिसमें तीर्थ यात्रा में सम्मिलित है, इतना व्यापक है कि उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्तर्गत कोई वृहत सर्वेक्षण हाथ में लेना कठिन है ।

(ग) पर्यटन सुविधायें एवं पर्यटन के आधारभूत उपादान (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आंतरिक पर्यटन के लिए भी उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त युवा होस्टलों के निर्माण तथा वन्य जीव शरणस्थलों एवं पर्यटन बंगलों में उपलब्ध आवास की अभिवृद्धि के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं । होटल विकास ऋण निधि योजना के लाभों को प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर स्थित एक और दो 'स्टार' वाले होटलों पर भी लागू कर दिया गया है ।

पर्यटन विकास सम्बन्ध में दक्षिण भारत की उपेक्षा

*400. **श्री वासुदेवन नायर : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पर्यटन विकास के सम्बन्ध में दक्षिण-भारत की सामान्यतः उपेक्षा की गई है ;

(ख) क्या दक्षिण में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). पर्यटन योजनायें क्षेत्रीय अथवा राज्य-वार आधार पर नहीं अपितु पर्यटकों के लिए किसी स्थान के वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण के आधार पर तैयार पर तैयार की जाती है । चौथी योजना की अवधि के दौरान दक्षिण भारत में हाथ में ली जाने वाली पर्यटन योजनाओं को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

	योजना का नाम	योजना व्यय (लाख रुपयों में)
1.	कोवालम समुद्रतटीय बिहार-स्थल	221.50
2.	बंगलौर में भारत पर्यटन विकास निगम होटल	150.00
3.	मीनाक्षी मंदिर, मदुराई में सन-एट-लूमियर	18.00
4.	मैसूर में पर्यटन सुविधायें	20.00
5.	नागार्जुनसागर में पर्यटन सुविधायें	15.00
6.	मदुराई में पर्यटन सुविधायें	2.00
7.	हैदराबाद में पर्यटन सुविधायें	1.00
8.	मद्रास, त्रिवेन्द्रम तथा हाम्पी में युवा होस्टल	7.50
		435.00

इन के अतिरिक्त, पेरियार को उन चुने हुए आखेट पशु शरण स्थानों में सम्मिलित किया गया है जहां इस उद्देश्य के लिये विनियम की गई 50 लाख रुपये के कुल राशि के अन्तर्गत ही आवास तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

भारत में चांदी के तस्कर व्यापारियों का पता लगाया जाना

401. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 27 अक्तूबर, 1970 को समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचार को देखा है कि भारत में चांदी के तस्कर व्यापारियों का अफ्रीका, ईरान, डुबोई पाकिस्तान तथा अन्य देशों में ऐसा ही धन्धा करने वालों के साथ सम्पर्क होने का पता चला है ।

(ख) क्या कुछ फर्मों से कुछ लेखा पुस्तकें भी पकड़ी गई थीं जिनसे काले धन की चांदी के तस्कर व्यापार में लगाये जाने सम्बन्धी सनसनी खेज तथ्यों का पता लगा ; और

(ग) इन तस्कर व्यापारियों के खोटाले का पता लगाने तथा इस अवैध धन्धे को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखी हैं, जो कुछ बातों के सम्बन्ध में असत्य हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण भी हैं ।

(ख) कुछ लेखा पुस्तकें और दस्तावेज पकड़े गये थे, जिनमें बड़ी मात्रा में चांदी के लेन देन बताये गये हैं । अब तक की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि ग्रस्त फर्मों ने बड़े लेन-देन किये थे जिनको उनकी लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था । आगे जांच पड़ताल जारी है ।

(ग) तस्कर व्यापार के जाल चक्र का पता लगाने के लिए किये गये उपाय ये हैं :

सु यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था । भारत से चांदी के तस्कर निर्यात को रोकने के लिए, सीमाशुल्क अधिनियम में संशोधन करके, पश्चिमी समुद्र तट देश के अन्दर 50 किलो मीटर तक और पूर्वी समुद्र तट का वह भाग जो तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में पड़ता है उसे एक निर्दिष्ट क्षेत्र बनाया गया है । इस क्षेत्र के अन्तर्गत उन स्थानों की घोषणा पहले ही से करनी होगी जिनमें 15,000 रुपये से अधिक मूल्य की चांदी रखी जाएगी । परिवहन वाउचर के अधीन चांदी को लाने ले जाने और निर्धारित लेखा रखने तथा काल्पनिक व्यक्तियों के नाम बिक्री को रोकने के लिए भी उपयुक्त उपाय किए गए हैं ।

करों में कमी करने से आर्थिक विकास

*402. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशों में किये गये नये प्रयोगों की ओर दिलाया गया है, जिनके अनुसार करों में भारी कमी किये जाने से सरकारी आय में भारी वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे उपाय अपनाने का है जिनसे अन्ततोगत्वा प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हो, बेरोजगारी की समस्या हल हो और उद्योगों का विस्तार हो ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार को कुछ उन्नत देशों द्वारा करों की दरों को कम करने के लिए किये गये प्रयत्नों की जानकारी है, हालांकि सरकार को यह जानकारी नहीं है कि करों की दरों में कमी होने से राजस्व में कहां तक वृद्धि हुई है । भिन्न-भिन्न देशों में कर-नीति की भूमिका भिन्न-भिन्न होती है, जो वहां के सामाजिक और आर्थिक संगठन के ढांचे पर और इस बात पर निर्भर होता है कि वहां किस प्रकार के विकास की परिकल्पना की जा रही है । भारत का कर-नीति का एक मुख्य उद्देश्य देश के अन्दर बचतों को बढ़ावा देना और इसके जरिये निवेश को और अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति में वृद्धि करना है ।

विश्व शान्ति अनुसंधान संस्था

*403. श्री सीताराम केसरी :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संगठन (यूनेस्को) से एक विश्व शान्ति अनुसंधान संस्था स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्था का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के बारे में अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). हाल ही में पेरिस में हुए यूनेस्को के आम सम्मेलन (12-10-70 से 14-11-70 तक) में, भारत ने एक संकल्प पेश किया था, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि यूनेस्को के महानिदेशक को, ऐसे तथ्यों की ओर विशेषकर गांधी दर्शन के बारे में खोज बीन करने के लिए, एक अन्तर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाना चाहिए, जिससे शांति को बढ़ावा मिले अथवा विरोधात्मक स्थितियों का शांतिपूर्ण हल खोजा जा सके। आम सम्मेलन के कार्यक्रम आयोग द्वारा इस संकल्प को, भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के प्रधान के इस संशोधन के साथ कि "गांधी दर्शन" के स्थान पर "गांधीवादी मार्ग" लिख दिया जाय, अपना लिया गया था। संकल्प के आधार पर, यूनेस्को द्वारा दी जाने वाली आगे की कार्यवाई की प्रतीक्षा है। यदि योजना व्यवहार्य पाई गई, तो प्रस्तावित संस्थान के ब्यौरों को अन्तिम रूप देने का कार्य यूनेस्को का होगा।

Loans to Small Farmers by Nationalised Banks in Bihar

*404. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite the announcement by Government that small farmers would be provided the facility of getting loans from the nationalised banks, they have hardly been able to get loans in Bihar so far ;

(b) whether any scheme has been formulated by Government to provide loans to the small farmers in Bihar from the nationalised banks on easy terms ; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) It is a fact that during the first few months following the nationalisation of banks, direct finance to farmers in Bihar by the public sector banks did not register any significant increase. However, the table below would show that during the brief period of three months between March and June, 1 70, there has been some progress in such financing :

No. of Accounts		Amount outstanding (Rs. in crores)	
As on 31-3 1970	As on 30-6-1970	As on 31-3-1970	As on 30 6-1970
5210	8522 (63% increase)	1.75	3.11 (78% increase)

Information as to what proportion of these advances has gone to farmers with small holdings is not available. However, the average amount advanced per accou t works out to a little over Rs. 3,600/- which indicates that, by and large, the loans have been given to the small and middle group of farmers.

(b) A number of schemes have been formulated by the public sector banks to facilitate giving of loans to farmers and these schemes are equally applicable to farmers in Bihar.

(c) A statement showing the broad features of the facilities provided by the public sector banks under the various schemes implemented by them is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—4417/70.]

बचत अभियान पर नई दिल्ली में गोष्ठी

*405. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में बचत अभियान पर त्रिदिवसीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बचत अभियान को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव दिए गए ; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) यद्यपि हाल में ऐसी कोई गोष्ठी नहीं हुई थी, लेकिन नवम्बर, 1969 में राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान ने नयी दिल्ली में 'जमा के लिए रकमें जुटाने का अभियान' के बारे में एक गोष्ठी का आयोजन किया था ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है, जिसमें उक्त गोष्ठी में दिये गये सुझावों और उनके बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

जमा के लिए रकमें जुटाने के अभियान के बारे में हुई गोष्ठी द्वारा दी गयी मुख्य सिफारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं :

(एक) बैंक को यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि जमाकर्त्ता क्या चाहता है और भविष्य में उसकी जरूरतें क्या होंगी ;

(दो) नये इलाकों और नये वर्गों के ग्राहकों तक पहुंचने के लिए बैंक को अपने क्रियाकलापों में गतिशीलता और लचकीलापन लाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । इससे बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र से व्यापक आधार पर बचतें जुटाने में सहायता मिलेगी ;

(तीन) ग्रामीण शाखाओं के लिए कर्मचारियों का चुनाव उद्यमी युवा व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए ;

(चार) यात्री चैकों आदि जैसे नकदा-वत प्रपत्रों की पेशकश के जरिये, नकदी की अदायगी में कमी की जानी चाहिए ;

(पांच) जमाकर्त्ताओं को बचत प्रोत्साहन अभियान आदि के जरिये विशेष प्रलोभन दिये जाने चाहिए ;

(छः) इस बात की आवश्यकता है कि अपेक्षाकृत अधिक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में शाखाओं का युक्तियुक्त आधार पर वितरण किया जाय ;

हाल के महीनों में जमा की रकमों में वृद्धि करने के लिए जो उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

(एक) ग्रामीण क्षेत्रों से जमा की रकमों के संग्रह के एक प्रमुख उपाय के रूप में, बैंक देश के सभी भागों में विशेषतः बैंक-रहित और देहाती इलाकों में तेजी के साथ अपनी शाखाओं का जाल फैला रहे हैं।

(दो) वित्त मंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षों के साथ 22 जुलाई 1970 को हुई अपने बैठक में जमा के लिए रकमें जुटाने के महत्व पर बल दिया था। बैठक में इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर और जमा की रकमें जुटाने के अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए किये जा सकने वाले उपायों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। यह स्वीकार किया गया कि ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि जमा के लिए रकमें जुटाने के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया जाय और बैंकों के कर्मचारी भी इसमें भाग लें। इसके अलावा, बैंकों के काम के घंटे ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार निर्धारित किये जाने चाहिएं, आवश्यक प्रपत्र (फार्म) स्थानीय भाषाओं में होने चाहिएं और जमा-कर्त्ताओं को विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहन देने की विशेष योजनाएं होनी चाहिये। प्रचार का अधिक काम, अंग्रेजी के समाचारपत्रों की बजाय क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस बैठक में निकले मुख्य निष्कर्षों के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम एक परिपत्र जारी किया जिसमें बताया गया था कि जमा रकमों में काफी अधिक वृद्धि करने के लिए बैंकों को किन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

(तीन) बैंक अपनी प्रक्रिया और परिपाटियों में निरन्तर संशोधन कर रहे हैं ताकि उन्हें ग्राहकों की जरूरतों, पसन्द और प्रयोजनों के अनुसार बनाया जा सके।

(चार) छोटे जमाकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न जमा योजनाएं तैयार की गयी है।

(पांच) बैंकों के काम के घंटों में उपयुक्त फ़ेरबदल किया जा रहा है। कुछ इलाकों में चलते फिरते बैंक कार्यालय और उप-कार्यालय काम कर रहे हैं।

(छः) बैंकों को उनके प्रयत्नों में सहायता देने के लिए, रिजर्व बैंक ने छोटी जमा-राशियों के सम्बन्ध में दलाली की अदायगी पर लगायी गयी पाबन्दियों को ढीला बना दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम एक परिपत्र भी भेजा है जिसमें यह बताया गया है कि रकमें जमा कराने के काम को तेज करने के लिए क्या कार्य किये जाने चाहिए।

Apprehension of Smuggling Gang in Bombay

*405. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the gang of 'Haji Mastan' and 'Yusuf Patel' involved in smuggling was apprehended in Bombay a few months back ;

(b) whether the Customs Officers, who apprehended the said gang, have since been transferred and replaced by new officers ; and

(c) whether the new officers have withdrawn the cases against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Haji Mastan and some of his associates were arrested in 1969 in connection with smuggling. Yusuf Patel was not one of the persons arrested in 1969.

(b) Out of the various Customs Officers who apprehended the said gang, one officer has been transferred.

(c) The cases referred to above for which the arrests were made in 1969 and on account of which the Customs Department was able to get Mastan's bail application refused by the Presidency Magistrate from time to time have not been withdrawn.

It may, however, be added that in another case Haji Mastan Mirza was arrested in September, 1967 by a different set of officers than those referred to in (b) above. In that case, prosecution proceedings against Haji Mastan Mirza were dropped as the Ministry of Law had advised that "the case was very weak for launching prosecution" and the Senior Prosecuting Counsel had advised that the case is "all too likely to result in the failure of the prosecution to obtain conviction and would be waste of time and money."

केन्द्रीय संस्कृत संस्था, पुरी का विकास

*407. **श्री रवि राय** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पुरी में स्थित केन्द्रीय संस्कृत संस्था ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने के बाद से कितनी प्रगति की है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा के शिक्षा मंत्री ने उनसे इस बारे में 28 अक्तूबर, 1970 को भेंट की थी और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नामक एक स्वायत्त संगठन की स्थापना, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के तत्वावधान में की गई है। यह संस्था तिरुपति और दिल्ली में स्थित विद्यापीठों सहित सभी केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों का प्रबंध करेगी। संस्थान की पहली बैठक 21 दिसम्बर, 1970 को होने वाली है। संस्थान के संगठन के नियम और ज्ञापन की एक प्रति उड़ीसा के शिक्षा मंत्री को भेज गई दी है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपेक्षित भूमि का हस्तान्तरण इस संस्थान के पक्ष में कर दें और पुरी में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के लिए स्थान सुलभ होने की भी पुष्टि करें।

जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओं परियोजना" की असफलता

*408. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान जीवन बीमा निगम द्वारा आरम्भ की गई "अपना घर बनाओं परियोजना" के कार्यकरण की असफलता की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि इस योजना में कोई त्रुटि है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार और जीवन बीमा निगम को इस आलोचना का पता है कि "अपनी मालिकी का घर बनाओं योजना" के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया दिक्कतभरी है। इस प्रकार के लेन-देन में निवेश की सुरक्षा का इतमीनान करने के लिये कम से कम कुछ औपचारिकताएं तो बरतनी ही पड़ती हैं, फिर भी, फार्म एवं प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये जीवन बीमा निगम ने अपने अनुभव के आधार पर समय-समय पर, उपाय किये हैं। हाल ही में उसने आवेदकों को पूरा विवरण देने के लिये मार्ग-दर्शक हिदायतें भी जारी की हैं।

उर्वरक ऋण गारंटी निगम स्थापित करना

***410. श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री देवराव पाटिल :

क्या वित्त मन्त्री उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना के बारे में 3 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1051 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बार उर्वरक ऋण गारंटी निगम स्थापित करने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निगम कब तक स्थापित हो जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराय चव्हाण) : (क) से (ग). समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक निगम स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है जिसका कार्य योग्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं को जिनमें उर्वरक विक्रेता शामिल है, दिये गये ऋणों की गारंटी देना होगा अतः उर्वरकों विक्रेताओं के ऋणों की गारटी देने के लिये अलग से एक निगम अर्थात उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाही नहीं की जा रही है।

कोलार स्थित सोने की खान

411. **डा० रानेन सेन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कोलार का सोने की खानों के संचालन के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिए गए ; और

(ग) क्या खानों के संचालन को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री राजस्व और व्यय मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग ने कोलार के स्वर्ण खनन उपक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में एक अध्ययन-रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों तथा उनके सम्बन्ध में

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण सभा-पटल पर रख दिया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4418/70]

(ग) खानों के संचालन-कार्य में सुधार करने के लिए अनेक उपायों पर विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम के व्ययों और निवेश नीति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

412. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के व्ययों और उसकी निवेश नीति की जांच करने के लिये आयोग या समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश नहीं की थी कि निगम के खर्चों की जांच-पड़ताल करने के लिये कोई आयोग अथवा समिति नियुक्त की जाय। फिर भी, निगम के ऊंचे स्तर के व्यय के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने 21 जुलाई 1967 को एक समिति नियुक्त की थी, जिसको मोरारका समिति कहा जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग और मोरारका समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं, जिनमें निगम की निवेश-नीति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें भी शामिल हैं।

आयकर की बकाया राशि की वसूली

*413. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप आयकर की बकाया राशि की वसूली में कोई सुधार हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो कितना ; और

(घ) इस समय आयकर की बकाया धनराशि कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण पत्र में दी गयी है, जो सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) बकाया मांगों में से सितम्बर 1970 तक 96.29 करोड़ रुपये की रकम वसूल की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने तक 72.65 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी।

(घ) 30 जून, 1970 को आय-कर के 627.85 करोड़ रुपये वसूल होने बाकी थे।

विवरण

आयकर की बकाया रकमों की तेजी से वसूली के लिये निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये गये हैं :

(i) वसूली के कार्य को केन्द्रीय सरकार के अपने हाथ में लेना ; यह कार्य अब तक राज्य सरकारों के अधिकारों द्वारा किया जाता था। इसमें से, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश गुजरात तथा राजस्थान के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में वसूली कार्य को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया गया है एवं पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश बम्बई तथा पूना के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्र में वसूली-कार्य को अभी आंशिक रूप में हाथ में लिया गया है।

बाकी के कार्यक्षेत्रों में भी वसूली-कार्य को चालू वर्ष के अंत तक अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है।

(ii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन की योजना लागू करना, जिसके अन्तर्गत कर-संग्रह का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशेष कार्य बना दिया गया है।

(iii) आयकर-आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में आयकर की बकाया रकमों की वसूली का कार्य शीघ्रता से करने के लिये विशेष वसूली एककों का निर्माण।

(iv) 1 अक्तूबर 1967 से, विलम्ब से की जाने वाली अदागियों के मामले में ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

(v) विभाग द्वारा रेखांकित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी लेने के लिये विशेष काउन्टरों का खोला जाना।

(vi) उन निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना, जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(vii) पूरे देश भर में बकाया की वसूली के पखवाड़े मनाये जा रहे हैं। इस अवधि में, विचाराधीन समायोजनों/संशोधनों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों से बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(viii) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के नगर कार्यक्षेत्रों में अपर आयकर आयुक्तों के चार पदों का निर्माण।

(ix) बकाया मांगों की वसूली के कार्य को देखने के लिये सरकार द्वारा हाल ही में आयकर अधिकारियों (संग्रह) के साठ पदों की मंजूरी दी गयी है।

Estimated Loss due to Strike in Ashoka Hotel, New Delhi

*414. **Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the estimated loss caused by the strike which took place sometime back in Ashoka Hotel, New Delhi ;

(b) whether it is proposed to make certain arrangement to prevent such strikes in future ; and

(c) whether Government also propose to notify Hotel service as an "essential service ?"

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Rs. 5.69 lakhs approximateiy,

(b) Frequent meetings are held with the representatives of the union to improve relations and resolve any genuine grievances of the workers.

(e) The Delhi Administration has declared the Hotel Industry in Delhi as a Public Utility Service. The Hotel Industry is not an essential service under the Essential Services Maintenance Act, 1968.

बकाया आयकर की वसूली

*415. **श्री चेंगलराया नायडु :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में, विशेषकर बड़े व्यापारियों की आयकर की बकाया राशि तेजी से बढ़ रही है ;

(ख) क्या आयकर की वसूली में असाधारण विलम्ब होने के कारण भी आयकर का अपवंचन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो आयकर की बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए तथा भविष्य में उसे जमा होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) किसी विशिष्ट आय से ऊपर जिन बड़े बड़े व्यापारियों का आयकर निर्धारण किया जाता है उनकी तरफ आयकर की बकाया के आंकड़े पृथक नहीं रखे जाते। परन्तु पांच लाख रुपये से ऊपर की आयकर बकाया मांगों के मामले में सूचना रखी जाती है। 30-6-1969 और 31-3-1970 को इस प्रकार की बकाया की मांगों के किये गये विश्लेषण से यह पता नहीं चलता है कि बकाया में वृद्धि हो रही है।

(ख) वसूली की कार्यवाही को शुरू करने तथा उसका अनुसरण करने में कुछ विलम्ब होने से करों की वसूली में कठिनाइयां आती जरूर हैं। इन मामलों में से अधिकांश में इस प्रकार का विलम्ब आयकर विभाग के नियंत्रण से बाहर के कारणों से होता है, जैसे अदालत में मुकदमें बाजी, अदालतों द्वारा स्थगन आदेश, निर्धारिती का लापता होना आदि।

(ग) आयकर की बकाया को तेजी से वसूल करने के लिए और बकाया को जमा होने से रोकने के लिए सरकार ने पहले ही अनेक प्रशासनिक तथा कानूनी उपाय किये हैं। ये उपाय सभा की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

आयकर की बकाया रकमों की तेजी से वसूली के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये गये है :

(i) वसूली के कार्य को केन्द्रीय सरकार के अपने हाथ में लेना ; यह कार्य अब तक राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इसमें से, दिल्ली, आंध्र-प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में वसूली कार्य को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया गया है, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पूना के आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्र में वसूली-कार्य को अभी आंशिक रूप में हाथ में लिया गया है।

बाकी के कार्यक्षेत्रों में भी वसूली-कार्य को चालू वर्ष के अन्त तक अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है।

(ii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन की योजना लागू करना, जिसके अन्तर्गत कर-संग्रह का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशेष कार्य बना दिया गया है।

(iii) आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों में आयकर की बकाया रकमों की वसूली का कार्य शीघ्रता से करने के लिए विशेष वसूली एककों का निर्माण।

(iv) 1 अक्तूबर, 1967 से, विलम्ब से की जाने वाली अदायगियों के मामले ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

(v) विभाग द्वारा रेखांकित चैकों का स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी लेने के लिए विशेष काउन्टरों का खोला जाना।

(vi) उन निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना, जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(vii) पूरे देश भर में बकाया की वसूली के पखवाड़े मनाये जा रहे हैं। इस अवधि में, विचाराधीन समायोजनों/संशोधनों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों से बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(viii) बम्बई कलकत्ता दिल्ली तथा मद्रास के नगर कार्यक्षेत्रों में अपर आयकर आयुक्तों के चार पदों का निर्माण।

(i) बकाया मांगों की वसूली के कार्य को देखने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में आयकर अधिकारियों (संग्रह) के साठ पदों की मंजूरी दी गयी है।

गैर विकास व्यय में वृद्धि

*4 6. श्री लताफत अली खां : श्री भयाबन :

श्री बी० ना० देव :

क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बचत योजनाओं के चालू रहते हुए भी, 1968-69 और 1970-71 के बजट के बीच की अवधि में केन्द्र के गैर-विकास व्यय में वृद्धि हुई ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकारी खर्च में मितव्ययता लाने के लिए और कोई कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). संसद के समक्ष रखे गये, केन्द्रीय सरकार के बजट 1970-71 (भाग I) के व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध I के परिशिष्ट IV में उल्लिखित विश्लेषण के अनुसार राजस्व खाते के (रक्षा तथा रेलवे को छोड़ कर) विकास भिन्न व्यय के सम्बन्ध में 1968-69 (लेखाओं) और 1970-71 (बजट अनुमान) के बीच 126 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कई शीर्षों में फैली हुई है और उसके कारण, बजट (1970-71) के व्याख्यात्मक ज्ञापन के भाग II में बताये गये हैं।

उपर्युक्त विकास-भिन्न व्यय में ऋण परिशोधन प्रभार, कर-संग्रह, पुलिस आदि मद शामिल हैं, जिनमें अनिवार्य परिस्थितियों के कारण अपरिहार्य वृद्धि हुई है। अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य स्थिति में कुछ वृद्धि अपरिहार्य रही है।

(ग) ऐसे व्यय की वृद्धि को सीमित रखने के प्रश्न पर सरकार बराबर ध्यान देती रही है। प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित रखने के लिए पिछले कुछ वर्षों में मितव्ययिता के कई उपाय किये गये हैं, जैसे इस मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षक एकक द्वारा कर्मचारियों की भरती संबंधी अध्ययन को कठोर करना, वेतनमानों के वृद्धि मूलक संशोधन पर रोक, यात्रा-भत्ते के व्यय में मितव्ययिता और श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों के लिए भरती पर आंशिक रोक।

Medium of Instruction in Technical Colleges

*417. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the Government propose to permit the continuance of English as medium of instruction in the Technical College as well as Technological Institutes ; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government to facilitate the admission of students of Hindi medium schools in the Technical Colleges and Institutes having English medium ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) As for engineering colleges in the States, the All India Council for Technical Education and Education Commission have recommended that English should continue as the medium of instruction and the change over to the regional languages should only be after adequate preparations have been made for text books, instructional materials and teachers.

As for the Indian Institutions of Technology, since these are all-India institutions for advanced studies and research in engineering, there is no proposal at this stage to change their medium of instruction.

(b) While no particular complaint or difficulty of students of Hindi-medium schools in getting admission to our Institutes of Technology has been received, a detailed study of the position has been undertaken.

दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में बढ़ता हुआ नक्सलवादी प्रभाव

*418. **श्री हेम बरुआ :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में नक्सलवादी प्रभाव बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारण का पता लगाया गया है और इस मामले में पर्याप्त कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). उग्रवादियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में कड़ी चौकसी रखी जा रही है । दिल्ली में उग्रवादियों की गतिविधियां अब तक दिल्ली-विश्वविद्यालय कैम्पस की दीवारों पर नारे लिखने तक सीमित रही है । दिल्ली प्रशासन, बराबर निगरानी रखे हुए है और जहां कहीं आवश्यक होगा, कानून के अनुसार कारवाई की जाएगी ।

अखिल भारतीय पत्तन व गोदी कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल

*419. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके आश्वासन देने पर अखिल भारतीय पत्तन व गोदी कर्मचारी संघ ने अपनी राष्ट्र-व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों ने क्या मामले उठाए और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख). अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ ने 25-8-1970 को मद्रास में हुए सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव अस्वीकार किये जिसमें पत्तन पर श्रमिकों द्वारा खाद्यान्न को धरा उठाई, पत्तन न्यास कर्मचारी और नामरक और अन्य गोदी कर्मचारियों को विभिन्न मांग रखी गई थी। जहां तक पत्तन न्यास कर्मचारियों का संबंध है इन मांगों में पेन्सन के प्रयोजन के लिए वेतन की परिभाषा को उदार करना, पत्तनों में प्रभावी कार्य दर योजनाओं का संशोधन पत्तन प्राधिकरणों के अनुसूचित और गैर अनुसूचित कर्मचारियों के बीच मतभेद उन कर्मचारियों से जिन्हें पत्तन और डाक प्राधिकरण से मकान मिले है किराये की वसूली का आधार का समाप्त करना, कर्मचारियों के वर्गीकरण में कथित असंगतियों को हटाना और तटीय श्रमिकों को कुछ वर्ग को अनाकस्मिक नाम

देना शामिल है। सम्मेलन ने संघ के अध्यक्ष को अधिकार दिया कि यदि एक महीने के अन्दर विभिन्न मांगों पर बातचीत से समझौता नहीं हुआ तो वह बड़े पत्तनों पर हड़ताल करने की तारीख घोषित करे।

2. संघ के मांगों की जाँच की गई और स्थिति उन्हें बताई गई। बाद में संघ के अध्यक्ष और महामन्त्री 29-9-1970 को पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री से मिले। उनका ध्यान उन उत्तरों की ओर आकर्षित किया गया जो उनको पहले ही भेजे जा चुके थे जिनमें विभिन्न मुख्य विषयों के बारे में संघ के विचारों से सरकार बड़ी हद तक सहमत हो गई थी। उन विषयों पर जिन पर और कार्यवाही की जायेगी के बारे में भी सूचित किया गया उन्हें सलाह दी गई कि हड़ताल पर जाने से मामले में अवक्षेप न करें बल्कि लंबित विषयों पर सन्तोषप्रद समझौते के लिए उपयुक्त समय दें। बकाय विषयों पर जल्दी से कार्य करने के लिए तदनुसार और कार्यवाही की जा रही है।

कम दूरी की गैर-निर्धारित उड़ानों के लिए टैक्सी विमानों को चलाया जाना

*420. **श्री केदार नाथ सिंह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम दूरी की गैर-निर्धारित उड़ानों के लिए सरकार की विमान टैक्सियां चलाने की कोई योजनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन में सुधार

2565. **श्री अब्दुल गनी डार : क्या पोतपरिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन में सुधार करने हेतु हुगली में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है, और यह प्रस्ताव कितने समय में सफल हो जायेगा ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली पालिटेक्निक्स के गैर-इंजीनियरिंग अध्यापकों की पदोन्नति

2566. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पालिटेक्निक्स के गैर-इंजीनियरिंग विषयों के अध्यापक

वर्ष 1964 से वेतन-मानों तथा पदोन्नतियों के अवसरों के बारे में भेदभाव की शिकायतें करते आ रहे हैं ; और

(ख) उन्हें लेक्चरर, विभागाध्यक्ष, सहायक निदेशक/उप-निदेशक तथा प्राध्यापक के पदों पर पदोन्नतियां न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली पालिटेक्निक्स में भौतिकी, रसायन, गणित या अंग्रेजी जैसे गैर-इंजीनियरी विषयों के यूनियर प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक अभिवेदन दे रहे हैं कि उन्हें इन्जीनियरी विषय के अध्यापकों की तरह उच्चतर पदों पर पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जायें ;

(ख) पालिटेक्निकों के स्टाफ के लिए अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार प्राध्यापकों के उच्चतर पद तथा विभागाध्यक्षों के पद केवल इन्जीनियरी विषयों के लिए ही स्वीकृत होते हैं। अतः इन्जीनियरी और गैर-इन्जीनियरी विषयों के अध्यापकों में समानता का प्रश्न ही नहीं उठता। सहायक निदेशक, उप-निदेशक, और प्रधानाचार्यों के पदों के लिए इन्जीनियरी योग्यताएं अपेक्षित होती हैं। फिर भी, गैर इन्जीनियरी विषयों के जूनियर प्राध्यापकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, प्राध्यापकों के 3 पद बनाये गये हैं।

जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष की मैसर्ज वोल्टास लिमिटेड में नियुक्ति

2567. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०सी०एस० तथा जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम०आर० मिडे की सेवायें 7000 रुपये प्रति मास के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के अतिरिक्त कम्पनी के शुद्ध लाभ पर एक प्रतिशत कमीशन पर मैसर्ज वोल्टास लिमिटेड द्वारा प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) कम्पनी कानून बोर्ड ने इतनी अधिक परिलब्धियां मंजूर करते समय किन विशिष्ट बातों पर ध्यान दिया ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान्। कम्पनी के हिस्सेधारियों ने, अपनी दिनांक 26 मार्च, 1970 को हुई, पन्द्रहवी वार्षिक साधारण बैठक में, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदित पारिश्रमिक पर, श्री एम०आर० मिडे का, कम्पनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद की नियुक्ति का अनुमोदन किया था।

(ख) वोल्टास, 12 करोड़ रुपये की प्रभावी पूंजी, 60 करोड़ रुपयों का व्यापारावर्त एवं प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपयों के माध्य शुद्ध लाभ सहित एक बृहद रूप की कम्पनी है। इसका अध्यक्ष 7500-8500 रुपये एवं कार्यकारी निदेशक 6000-7000 रु० का पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अतः कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा, श्री एम० आर० मिडे को कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद के लिये, अनुमोदित, 7000-7500 रु० का पारिश्रमिक, उनके उत्तरदायित्वों, स्थिति, योग्यता एवं अनुभवों की दृष्टि से, अस्यापिक एवं विशिष्ट रूपेण अनुफूल नहीं समझा गया था। यह अनुमोदित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत है, एवं इस कम्पनी व इसकी समतुल्य अन्य कम्पनियों के पारिश्रमिक के प्रतिरूपान्तर्गत है।

लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिये वित्तीय संस्थाओं से रिआयती सहायता

2568. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री काशी नाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकार ने लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को चलाने के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से रिआयती धन दिए जाने की योजना बनाई है और सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को चुना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र का दो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने हाल ही में पिछड़े जिलों के छोटे और दरमियाने आकार के औद्योगिक उपक्रमों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की योजना घोषित की है। दी जाने वाली रियायतें संक्षेप में ये हैं :—

(i) औद्योगिक एककों को रियायती दर पर ब्याज, जो बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक होगा तथा जिसकी न्यूनतम दर ब्याज का वर्तमान 8½ प्रतिशत की दर के मुकाबले 7 प्रतिशत होगा ;

(ii) ऋण की वापसी के लिए 3 वर्ष का प्रारम्भिक सामान्य रियायती अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष करना ;

(iii) ऋण की वापसी के लिए 15-20 वर्ष का अधिक लम्बी अवधि (ऋण की वापसी की 10-15 वर्ष की सामान्य अवधि के मुकाबले) ;

(iv) ऋण की न ली गयी रकम पर वचन-बद्धता-प्रभार में कमी।

(v) शेयरों और ऋण-पत्रों का हामीदारी में पहले से कम हामीदारी-कमीशन ;

(vi) अन्य स्थानों पर स्थित प्रायोजनाओं की अपेक्षा पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों में स्थित औद्योगिक कम्पनियों की शेयर पूंजी में हामीदारी अथवा अन्य प्रकार से अधिक भाग लेना।

(vii) प्रायोजनों की लागत की तुलना में प्रवर्तक के अंशदान तथा ऋण के मार्जन से सम्बन्धित सामान्य शर्तों में रियायत।

(viii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी प्रारम्भ में सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्श सम्बन्धी सेवाओं का खर्च उठा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि बाद में जब प्रायोजना लाभ कमाने की स्थिति में पहुंच जाय तो उसे इस व्यय की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

ऊपर बतायी गयी रियायतें सामान्यतः उन प्रायोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगी जिनकी

प्रायोजना-लागत एक करोड़ रुपए से अधिक न हो। बड़ी प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में जो रियायतें आवश्यक समझी जायगी, चयनात्मक आधार पर दी जायेगी।

इसी प्रकार की रियायतें भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा भी, जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है, दी जायेगी।

आसान शर्तों पर केवल वे ही प्रायोजनाएं सहायता प्राप्त कर सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों के इस प्रकार की सहायता के निमित्त चुने हुए जिलों में स्थित होंगी। अब तक विभिन्न राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों में रियायती वित्तीय सहायता के लिए पात्र समझे गए जिले अनुबन्ध क में गिनाए गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—4419/70] अन्य जिलों के शीघ्र ही अधिसूचित किये जाने की सम्भावना है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले सभी ऋणों के लिए, सभी पात्र संस्थाओं को जैसे राज्य वित्त निगमों और वाणिज्यिक बैंकों को 4½ प्रतिशत की रियायती दर पर पहले से ही पुनर्वित दे रहा है। राज्य वित्त निगम और बैंक, पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं को आसान शर्तों पर पुनर्वित सहायता दे सकें, इस हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक छोटे और मध्यम एककों को 20 लाख रुपये तक पूरी तौर से 3½ प्रतिशत की रियायती दर पर पुनर्वित्त सहायता देगा, बशर्ते कि इस प्रकार की वित्तीय संस्थाएं ऋणकर्त्ता एकक से 6 प्रतिशत वार्षिक से अधिक दर पर व्याज न लें।

चांदी की तस्करी

2569. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में कितनी चांदी का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की कमाई हुई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी चांदी का अनधिकृत ढंग से निर्यात किया गया और इससे विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई ; और

(ग) चांदी नियंत्रण आदेश के फलस्वरूप चांदी की तस्करी को किस हद तक रोका गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विदेश व्यापार सांख्यिकी में दिये अनुसार वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में चांदी की सिल्लियों का निर्यात नीचे दिये अनुसार था :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1967-68	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1968-69	54,340 किलोग्राम	332 लाख (लगभग)

(ख) उपर्युक्त अवधि में चांदी के अनधिकृत निर्यात की मात्रा, तथा उसके कारण विदेशी मुद्रा की हुई हानि की सीमा का अनुमान लगाने के लिये कोई विश्वसनीय आधार सामग्री नहीं है। किन्तु, वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई चांदी की मात्रा तथा उसका मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
		(भारतीय बाजार-दर पर लाख रुपयों में)
1967-68	69,⁵99	366
1968-69	49,462	285

(ग) वर्ष 1969 में सीमाशुल्क अधिनियम में किये गये संशोधन तथा उस संशोधन के जरिये देश के पश्चिमी तट पर चांदी के रखे जाने तथा उसकी आवाजाही पर विनियामक उपबन्धों के प्रवर्तन के कारण, भारत से चांदी के तस्कर-निर्यात में पर्याप्त कमी हुई जान पड़ती है।

रासायनों तथा रंगने की सामग्री का तस्कर व्यापार

2570. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मूल्यावान रासायनों तथा रंगने की सामग्री का बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान पकड़े गये तस्करी के रासायनों तथा रंगने की सामग्री के नाम क्या हैं और उनका मूल्य क्या है तथा इस बारे में पकड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) खर्चीले रसायनों तथा रंग-सामग्रियों के बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). संगत ब्योरों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) रसायनों और रंग सामग्रियों सहित निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

सुव्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्रतट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था। सीमा शुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता

तथा सहायक समाहर्ता जैसे कुछ वरिष्ट अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिये सुगमता से पार करने योग्य स्थानों पर तैनात किया गया है। एकत्रित सूचना पर उचित कार्यवाही करने के लिये स्थिति की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

सलेम जिले में शेवेराय पहाड़ियों के समीप पुष्पक प्रशिक्षण विमान का दुर्घटना-ग्रस्त होना

2571. **श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास फ्लाईंग क्लब का एक पुष्पक प्रशिक्षण विमान 4 अक्तूबर, 1970 को सलेम जिले के शेविराय पहाड़ियों के निकट दुर्घटना ग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो विमान के अकस्मात् ही बहुत नीचे आ जाने के क्या कारण थे ;

(ग) पुष्पक विमानों के उपयोग पर से प्रतिबन्ध हटा लेने के बाद से कितने पुष्पक विमान दुर्घटना ग्रस्त हुए किस-किस तारीख को दुर्घटना ग्रस्त हुए उन दुर्घटनाओं का स्वरूप क्या था तथा ये दुर्घटनायें कहां-कहां हुई ; और

(घ) क्या पुष्पक विमानों की उड़ान फिर से बन्द कर देने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ). पुष्पक विमान के प्रयोग पर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। परन्तु पुष्पक विमानों को 27-12-1968 को अस्थायी तौर पर भूमिस्थ कर दिया गया था क्योंकि कुछ "रियर-विंग स्ट्रट बॉटम अटेचमेंट लग्स" पर फेटीग दरारें पाई गयीं। प्रभावित सभी विमानों पर अपेक्षित सुधार कर दिये गये। भारत में पंजीकृत सभी पुष्पक विमान, जिनके पास उड़न योग्यता का चालू प्रमाण-पत्र था, सुधार होने के बाद मई, 1969 से पुनः उड़ने लगे।

पुष्पक विमानों की अब तक 19 दुर्घटनायें हुई हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4420/70] इन में से कोई भी दुर्घटना विमान में किसी सरचना संबंधी कमजोरी के कारण नहीं हुई।

विदेशी पासपोर्ट धारी एयर इण्डिया के उच्च अधिकारी

2572. **श्री बाबूराव पटेल : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा विदेशों में एयर इण्डिया के उन उच्च अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिनके पास भारतीय के अतिरिक्त विदेशी पासपोर्ट हैं तथा उनके पास किन देशों के पासपोर्ट हैं तथा उनको क्या वेतन मिलता है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं कि विदेशी इन जिम्मेदार पदों पर नियुक्त हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर इंडिया में उच्चतम पद महाप्रबन्धक, सहायक महा प्रबन्धक तथा विभागीय अध्यक्षों के हैं। इन पदों पर भारतीय अधिकारी हैं। इनके तुरन्त नीचे के ग्रेडों पर लगे, निम्नलिखित अधिकारियों के पास विदेशी पासपोर्ट हैं :—

नाम	पद संज्ञा	पासपोर्ट का देश	वेतन
श्री पी०एफ० मेहता	उप वाणिज्यिक निदेशक, बम्बई।	यू०एस०ए०	2600.00 रुपये प्रति मास।
श्री एम०आई० कादिर	क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०एस० ए० तथा कनाडा, न्यूयार्क।	यू०के०	1972 यू०एस०डालर प्रति मास।
श्री एन०डी०ओ' नील	स्थानिक प्रतिनिधि, सीटल।	यू०के०	1792 यू०एस०डालर प्रति मास।

ये तीनों अधिकारी एयर इंडिया में 1953 में इसके प्रारम्भ होने के समय से ही हैं। उन्हें उसकी पूर्ववर्ती कम्पनी के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ ही इस कम्पनी में ले लिया गया था।

इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेंट के साथ मिलाना

2573. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्टर्ड अकाउन्टेट संस्थान ने लागत तथा कार्य लेखापाल संस्थान का जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन लागत लेखा परीक्षा करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेन्टों की पात्रता पर आपत्ति करता रहा है, अपने संस्थान में विलय करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) शास-प्राप्त लेखाकर संस्थान ने, सरकार से, भारतीय लेखा फर्म व्यवसाय पर, भारतीय शासप्राप्त लेखाकार संस्थान, एवं भारतीय लागत एवं कर्मान्त लेखाकार संस्थान की, संयुक्त समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने की प्रार्थना की है, जो सरकार को जून, 1968 में प्रस्तुत की गई थी।

(ख) संयुक्त समिति की यह सिफारिशें, कि लेखा फर्म व्यवसाय, एक निकाय द्वारा विनियमित होना चाहिए, भारतीय लागत एवं कर्मान्त लेखाकार संस्थान द्वारा मान्य नहीं थी।

तथापि, भारत में लेखा-फर्म व्यवसाय के विकास के लिए भिन्न विशेषीकरण सहित, परन्तु एकीकृत विनियमित निकाय के अंतर्गत एक नवीन प्रस्ताव, प्राथमिक रूप से विचारणीय है, तथा सरकार को भारतीय शास प्राप्त लेखाकार संस्थान एवं भारतीय लागत एवं कर्मान्त लेखाकार संस्थान से इस विषय पर कुछ परामर्श करने की आशा है।

आढ़ व्यवसायियों के रूप में राष्ट्रीकृत बैंक

2574. **श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि दो राष्ट्रीयकृत बैंक शीघ्र ही आढ़-व्यवसाय का कार्य करना आरम्भ कर देंगे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और आढ़ व्यवसाय के लिये केवल दो बैंकों को ही चुनने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सोने के आभूषणों के आधार पर ऋण देने की योजना शुरू की हैं जिसका मुख्य प्रयोजन किसानों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना का अन्तर्निहित उद्देश्य यह है कि किसानों को उत्पादक-कार्यों के लिये सहायता दी जाए और ऐसे ऋणकर्ताओं तथा किसानों को आढ़ व्यवसायियों या सूदखोरों के पंजे से मुक्ति पाने के योग्य बनाया जाय। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस योजना का चलाया जाना इसके कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव पर निर्भर करता है।

कलकत्ता में परिवहन की समस्या

2575. **श्री कं० हाल्दार** : क्या **पौतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कलकत्ता नगर की परिवहन की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया है ;

(ख) क्या इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि परिवहन निगम को 156 बसें और चलानी पड़ेंगी ;

(ग) क्या योजना आयोग ने योजना के प्रथम वर्ष (1970-71) के लिए एक करोड़ रुपया आवंटित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अपेक्षित संख्या में बसें खरीद ली गई हैं ?

पौतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) महानगर परिवहन सेवाओं पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक कार्य दल ने भारत के चार महानगरों, जिनमें कलकत्ता भी शामिल है, में जन परिवहन की समस्याओं का अध्ययन किया है।

(ख) कार्य दल ने यह देखा है कि 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान 150 वर्तमान पुरानी बसों का नवीकरण करके तथा 200 नई बसें उपलब्ध करके कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को अपने बेड़े में 350 बसों की वृद्धि करनी होगी।

(ग) योजना आयोग ने कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के कार्यक्रम में कलकत्ता महानगर क्षेत्र के लिये 1970-71 की वार्षिक योजना में 50 लाख रुपये की व्यवस्था को शामिल करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश करते हुए आयोग ने इस बात का ध्यान रखा कि निगम औद्योगिक विकास बैंक से 50 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करेगा। उपरोक्त भाग (क) के अधीन उल्लिखित, कार्य दल ने सुझाव दिया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस निगम के लिये 60 लाख रुपये की और व्यवस्था करनी चाहिये। परन्तु निगम ने औद्योगिक विकास बैंक से 10 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर लिया है। शेष 60 लाख रुपये इस प्रयोजन के लिये राज्य योजना की व्यवस्थाओं से तथा कलकत्ता महानगर क्षेत्र प्राधिकरण के साधनों से पूरा किया जायेगा।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार कलकत्ता राज्य परिवहन निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20 दो मंजिली तथा 133 एक मंजिली बसें खरीदने के लिये क्रियादेश दिया है।

होटल कर्मचारियों को सेवा खर्च से प्रोत्साहन बोनस का भुगतान

2576. श्री म० ला० सोंधी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि ग्राहकों से लिया गया सेवा-खर्च, प्रोत्साहन बोनस भुगतान के नवीनतम अर्थों में वस्तुतः होटल कर्मचारियों को किया जायेगा ; और

(ख) सरकार अशोक होटल तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के होटलों और इंडियन इन्टर नेशनल सेन्टर, नई दिल्ली जैसे संस्थानों में सेवा खर्च का भुगतान न करने की गम्भीर समस्या को कैसे हल करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अतिथियों से लिए गये सेवा प्रभारों का उपयोग दिल्ली के होटल उद्योग के लिए वेज बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप किया जाता है। दिल्ली स्थित सरकारी क्षेत्र के होटलों ने वेज बोर्ड की सिफारिशों का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन किया है। इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर पूर्णतः एक निजी संस्था है।

अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक सम्मेलन में भारतीय क्षेत्र को गलत दिखाने वाले रूसी नक्शों पर चर्चा

2577. श्री रा० की० अमीन : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेहरान में हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में भारतीय क्षेत्र के बारे में रूस द्वारा गलत नक्शे प्रकाशित करने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या भारतीय प्रतिनिधि ने रूसी नकशों को ठीक करने के लिये सम्मेलन को प्रभावित किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में रूस के प्रतिनिधि की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तेहरान में, इस प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सम्मेलन नहीं हुआ था। किन्तु एशिया और सुदूर पूर्व के लिये छठा संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय मानचित्र सम्मेलन वहां 24 अक्तूबर से 7 नवम्बर, 1970 तक हुआ था।

(ख) से (घ). यह बिलकुल तकनीकी सम्मेलन था जिसे सर्वेक्षण और मानचित्र सम्बन्धी नवीनतम तकनीकों तथा विभिन्न देशों में किये जा रहे सर्वेक्षण और नक्शा संबंधी कार्य के लिए उनके प्रयोग पर विचार-विमर्श के लिये बुलाया गया था। राष्ट्रीय सीमाओं से संबन्धित राजनितिक प्रश्न, इस सम्मेलन के दायरे से बाहर थे और इसलिये, उन्हें, न तो उठाया गया था और न ही उन पर चर्चा की गई थी।

लाइसेंसों के लिए बड़े उद्योगपतियों द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र

2578. **श्री रवि राय :** क्या समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 20 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की आस्तियों वाले उपक्रमों और प्रमुख उपक्रमों को 25 अक्तूबर, 1970 को औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र देने का निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन फर्मों से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनी कार्य विभाग ने 25 अक्तूबर, 1970 को, यह उल्लिखित करते हुए एक प्रेस नोट प्रेषित किया था कि उन विषयों में जहां उपक्रमों को उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस, तथा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अनुमोदन, प्राप्त करना अपेक्षित है, उन सम्बन्धित उपक्रमों के लिए, इन दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत साथ साथ प्रार्थना पत्र देना यह सुनिश्चित करने के लिए वान्छनीय होगा कि यह विषय सरकार द्वारा परिहार्य बिलम्ब के बिना निपटाया जा सके।

(ख) प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—4421/70**]।

(ग) इस प्रेस नोट का अभिप्राय एक प्रक्रिया के रूप में उपक्रमों को परामर्श देना था।

Taking over of Foreign Exchange held by the Ex-Rulers

2579. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over the foreign exchange in possession of

ex-rulers of former Indian States as per news item appeared in the "Hindustan" dated the September, 1970 ;

(b) whether it is a fact that the officials of the Central Intelligence Bureau are engaged in locating the foreign exchange ;

(c) whether Government have also issued any directive to the Rulers of the former Indian States to furnish details in this regard ; and

(d) if so, the details of the replies received from them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such proposal is under consideration.

(b) No, Sir.

(c) and (d). The Reserve Bank of India are pursuing the question relating to foreign currency accounts maintained abroad by all citizens, including ex-rulers. Information is collected and maintained on an annual basis as at the end of December each year. According to the information furnished the the Reserve Bank 27 ex rulers had foreign balances of Rs. 61 lakhs approximately as on 31-12-1968. The position of balances as on that date in respect of 13 other ex-rulers is being ascertained and will be laid on the Table of the House.

होटल-मालिकों को आयात लाइसेंस दिया जाना

2580. **श्री हो० ना० मुखर्जी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन योजना के अन्तर्गत होटल मालिकों जैसे व्यक्तियों को दिये गये आयात लाइसेंसों की कार्यशीलता की निरन्तर जांच की जाती है ; और

(ख) क्या बढ़िया किस्म के भारतीय उत्पादों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की वस्तुओं आयात अधिकार की गारन्टी को यदि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता तो आयात मात्रा में पर्याप्त कमी भी नहीं की जा सकती ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची पर धारित होटलों, रेस्टोरेंटों, पर्यटक टैक्सी परिचालकों और शिकार की साज-सज्जा के आयोजकों को आवश्यक उपकरणों तथा खान-पान सामग्री के आयात के लिये तभी लाइसेंस जारी किये जाते हैं, जब देशीय स्रोतों से उचित स्तर का सामान उपलब्ध नहीं होता तथा अनुमोदित अभिकरणों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों को बनाये रखने के लिये उक्त सामग्री का आयात अनिवार्य समझा जाता है। आयात की गई वस्तुओं के उपयोग की, यथा आवश्यक, जांच आदि की जाती है।

Revathi Plane

2581. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the cost of production of "Revathi Plane" ;

(b) whether the plane can be chartered by private parties for their personal use ; and

(c) the number of these planes being manufactured every year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The Revathi is a proto-type aircraft with a seating capacity for two persons. It is intended to be a basic trainer for flying clubs but can also be used for touring and private flying. The cost of materials, equipment and the power plant of the proto-type is Rs. 30,000 approximately.

(c) The second proto-type is now undergoing flight trials. There is no proposal at present to undertake quantity production of this aircraft for commercial sale.

भारतीय टक्सालों द्वारा थाईलैंड के लिये सिक्के तैयार करना

2582. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की टक्सालों के थाईलैंड के लिए जून, 1970 में 1.20 करोड़ रुपये के मूल्य के सिक्के तैयार किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो ये सिक्के किन शर्तों पर तैयार किये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम ने 17 जून 1970 को थाईलैंड सरकार को लागत-बीमा-भाड़ा सहित बैंकाक में सप्लाई किये जाने के लिए 122.55 लाख रुपये के मूल्य पर 860 लाख ताम्र-निकल के अमुद्रित सिक्के बेचने का एक करार किया था। बम्बई स्थित भारत सरकार की टक्साल ने जुलाई 1970 में अमुद्रित सिक्कों के उत्पादन का काम अपने हाथ में ले लिया और अब तक, करार में की गई डिलीवरी की शर्तों के अनुसार 550 लाख सिक्के जहाज द्वारा भेजे जा चुके हैं। बाकी सिक्के 17 जनवरी 1971 तक भेजे जाने हैं।

वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ हिमालयन ज्योलोजी द्वारा हिमालयन ज्योलोजी पर एक गोष्ठी का आयोजन

2583. **श्री हेमराज :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ ज्योलोजी द्वारा हिमालयन ज्योलोजी पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में की गई चर्चा के क्या परिणाम निकले और वहां पर क्या ठोस सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) उन सुझावों में से किन सुझावों को क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) गोष्ठी का प्रमुख लक्ष्य हिमालयन भूविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर शोध कर्ताओं द्वारा किये गये कार्य का पुनरीक्षण, और इस क्षेत्र में भावी अल्पावधिक और दीर्घावधिक अध्ययनों की रूप रेखा तैयार करना था। गोष्ठी में कुल 31 अनुसंधान पत्र पढ़े गये और चर्चा की गई ;

(ग) चूंकि गोष्ठी ने सरकार को कोई विशिष्ठ सिफारिश अथवा सुझाव नहीं दिया है, अतः उनको कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Correspondence of Indian Resolutionaries with Foreign Countries

2585. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government have made any effort to acquire the correspondence exchanged by Shri Shayamji Krishna Verma and Swami Dayanand Saraswati, the first revolutionaries of India, with Japan and other countries ;

(b) whether Government have enquired about the connected material available in India House in London ; and

(c) the details regarding the efforts made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Likely archival repositories abroad will be contacted to ascertain whether they have any of the said correspondence with them.

गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली के कार्यकरण के सम्बन्ध के मोरारका बन्धुओं के विरुद्ध शिकायतें

2586. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहली स्थित गणेश फ्लोर मिल्स का नियंत्रण करने वाले मोरारका बन्धुओं के विरुद्ध सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा किन-किन तारीखों को प्राप्त हुई हैं ;

(ख) उक्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बारे में विलम्ब किया जा रहा है क्योंकि कुछ अधिकारी मोरारका बन्धुओं में रुचि रखते हैं :

(घ) मोरारका बन्धुओं ने ब्याज तथा कमीशन आदि के रूप में अब तक कितनी धनराशि प्राप्त की है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें यह आदेश देने का है कि वे शेयर-धारियों को उनकी राशि लौटा दें ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रेड्डी) : (क) से (ङ). मोरारका बन्धुओं द्वारा निधियों के प्राविधान तथा साथ ही, मोरारका समूह से सम्बन्धित कुछ कम्पनियों के क्रय विक्रय पर कमीशन की अदायगी की बावत, कुछ शिकायतें हैं, एवं कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी के कार्य कलापों के प्रबन्ध के विरुद्ध आरोपों की जांच की है व शीघ्र ही आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया है ।

(ग) इस के लिए सरकार को कोई आधार ज्ञात नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कर्मचारी

2587. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों में नियुक्त अनुसूचित जातियों/जन-जातियों

तथा पिछड़े वर्गों के श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के अधिकारी वहां नियुक्त कुल अधिकारियों का एक प्रतिशत से भी कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि सरकारी उद्यमों मे पहली और दूसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों (पिछड़े वर्गों) के अधिकारियों की संख्या 1 प्रतिशत से कम है, जबकि इससे नीचे की श्रेणीयों में ऐसा नहीं है। हलांकि सरकारी उद्यम, अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों (पिछड़े वर्ग) के व्यक्तियों की नियुक्ति सम्बन्ध में कोटे के आरक्षण के मामले में, सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का ही पालन कर रहे हैं, फिर भी इन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की संख्या प्राप्त न होने के कारण, उच्च श्रेणियों के पदों पर नियुक्त इन जातियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति कल्याण समिति (चौथी लोक-सभा) ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में सरकारी उद्यमों में की जाने वाली नियुक्तियों में इन जातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जांच की थी और इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ सिफारिशें की थी। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति कल्याण समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, कार्यवाई की गई है।

सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडल में पिछड़ी जातियों के व्यक्ति

2588. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य दूसरी पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार, सरकारी उपक्रमों के निदेश मंडलों के सदस्यों का उनकी जाति या समुदाय के अनुसार कोई ब्यौरा नहीं रखती। इन सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडलों में नियुक्तियां पूर्णतया गुणावगुणों तथा उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा केरल में उद्योगों के लिए ऋण

2589. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने केरल में उद्योगों के लिए कुल कितनी राशि के ऋण की स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में ऋण का अधिकांश भाग महाराष्ट्र राज्य को दिया गया था ;

(ग) क्या निगम का विचार ऐसे राज्यों को ऋण देने का है जो कि अब औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जुलाई 1948 में अपने स्थापना दिवस से लेकर 30 जून, 1970 तक, केरल के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मंजूर की गई वित्तीय सहायता की शुद्ध रकम 11.34 करोड़ रुपये थी जिसमें से 8.00 करोड़ रुपया ऋण सहायता के रूप में था।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1969-70 (जुलाई-जून) में मंजूर की गई ऋण सहायता की कुल 15.70 करोड़ रुपये की रकम में से महाराष्ट्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों (अधिकतर चीनी और कपड़ा सहकारी समितियों) को लगभग 6.46 करोड़ रुपया मिला था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रादेशिक आधार पर नहीं दी जाती बल्कि यह सहायता आर्थिक दृष्टि से सक्षम प्रायोजनाओं से प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति पर निर्भर करती है। पिछले 12 वर्षों के दौरान निगम ने केरल राज्य से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त किसी भी प्रार्थनापत्र को अस्वीकार नहीं किया है।

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को निदेश दिया गया है कि, जहां तक व्यावहारिक हो, वह पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए सहायता दे ताकि ऐसे प्रदेशों का अधिक सन्तुलित आधार पर आर्थिक विकास किया जा सके। निगम, कम विकसित राज्यों में स्थित प्रयोजनाओं के वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है बशर्ते ऐसी प्रयोजनायें तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हों। निगम ने, अभी हाल ही में, पिछड़े राज्यों/क्षेत्रों के छोटे और मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उद्यमों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की अपनी योजना की घोषणा की है।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बाढ़ पीड़ित राज्यों को वित्तीय सहायता देना

2590. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या वि . मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या राज्यों को उनके द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता पूरी नहीं दी गई है ; और

(ग) बाढ़ नियंत्रण के लिए एक वृहद योजना बनाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) बाढ़ और अन्य विपत्तियों के कारण किये जाने वाले राहत कार्यों पर खर्च के बारे में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता उन केन्द्रीय दलों की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत व्यय की उच्चतम सीमा के अन्दर-अन्दर दी जाती है ; जो स्थिति का और इन राहत-कार्यों के लिए राज्यों को धन की आवश्यकता का मौके पर जाकर जायजा लेने के लिए राज्यों को भेजे जाते हैं। केन्द्रीय दल राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद और अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राहत-कार्यक्रमों पर होने वाले अनुमानित व्यय. प्राकृतिक विपत्ति से हुई हानि राहत के प्रयोजनों के लिए हाथ में लिये जाने वाले आवश्यक कार्यक्रमों और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देते हैं। सहायता वस्तुतः शुरू में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किये गये और उनके द्वारा सचिव किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में निर्धारित सीमा के अन्दर-अन्दर की जाती है।

विवरण

1969-70 में (26 नवम्बर 1970 तक) बाढ़ सम्बन्धी राहत-कार्यों पर हुए खर्च के सम्बन्ध में राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

1. असम	2,00
2. बिहार	2.00
3. गुजरात	2.00
4. केरल	1.00
5. उत्तर प्रदेश	3.00
6. पश्चिमी बंगाल	7.00

इसमें सूखे से सम्बन्धित राहत कार्यों पर होने वाला व्यय भी शामिल है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में की गई जांच

2591. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान के मामलों के बारे में अभी हाल ही में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दमन और दीव को शराब ले जाना

2592. श्री ई० के० नायनार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गोग्रा के उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा दमन और दीव को शराब ले जाने के लिए ग्रारम्भ की गई अनुमति पत्र-प्रणाली में गंभीर त्रुटियां होने से शराब की बडे पैमाने पर तस्करी करने में बहुत सहायता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जहां तक सरकार को पता है, दमन तथा दीव में शराब ले जाने के सम्बन्ध में गोग्रा ग्राबकारी विभाग द्वारा लागू की गई परमिट प्रणाली में कोई खामियां नहीं है । गोग्रा ग्राबकारी विभाग, दमन तथा दीव में शराब ले जाने के परमिट उस सरकार द्वारा निर्धारित शराब के कोटे के अनुसार जारी करता है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी उपक्रमों के बारे में शिकायतें

2593. श्री देवेन सेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक शिकायतों के मंच (दिल्ली) के संयोजक की ओर से कुछ संलग्नपत्रों तथा समाचार कतरनों सहित एक पत्र प्रधान मंत्री को भेजा गया था जिसमें विभिन्न सरकारी उपक्रमों में व्यापक रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार तथा भाईभतीजा की ओर ध्यान ग्राकर्षित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

बड़े बन्दरगाहों के लिए लेखा सैल

2594. श्री स० कुन्डू : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े बन्दरगाहों के लिए एक लेखा सेल स्थापित किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा यह कितनी अवधि तक के लिए स्थापित किया गया है ;

(ख) क्या ऐसे लेखा सैल अभी भी कार्य कर रहे हैं । यद्यपि उनकी कार्य करने की तिथि समाप्त हो गई है और उनके लिए कोई कार्य नहीं है ;

(ग) क्या बम्बई बंदरगाह न्यास के न्यासधारियों ने इस आशय पर एक प्रस्ताव पारित किया है कि उन्हें लेखा सैल के रखरखाव के लिए यथानुपात आधार पर भी किसी भी व्यय के लिए अंशदान करने को विवश नहीं किया जाये ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या सरकार ने इस स्ताव को स्वीकार किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को दिये गये कुछ वचनों को पूरा करने की दृष्टि से बंबई पत्तन न्यास और कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने चारटर्ड एकाउन्टेंटों के फर्म को नियुक्त किया जो दो पत्तनों के लेखे प्रणाली में किये जाने वाले परिवर्तन यदि कोई हो पर रिपोर्ट दे जिससे सामान्य रूप से स्वीकृत वाणिज्यिक लेखा सिद्धांतों के अनुसार उनके लेखे में यथार्त वित्त परिणाम प्रतिबिंबित हो सके और जिससे मुख्य सेवाओं और परिचालनों की व्यवस्था करने की लागत जल्दी से निश्चित की जा सके। अपनी रिपोर्ट में दोनों फर्मों ने इन पत्तनों पर चालू लेखा प्रणाली में आमूल चले संशोधन करने का सुझाव दिया था । संबंधित पत्तन न्यास अधिनियमों के अनुसार फारम और तरीके जिसमें विभिन्न पत्तनों के लेखे रखे जाने हैं केन्द्रीय सरकार को निर्धारित करना है। फारम और तरीके जिसमें लेखे रखे जाने हैं का निश्चय करते समय, केन्द्रीय सरकार को आवश्यक रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो पत्तन प्राधिकरणों के लेखे का लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदाई है से परामर्श करना होता। यद्यपि बंबई और कलकत्ता पत्तन प्राधिकारियों ने लेखे कार्य विधियों के अध्यन के लिए के चारटर्ड एकाउन्टेंटों के फर्मों को ही नियुक्त किया है यह अनुभव किया है कि संशोधित कार्य विधि दूसरे बड़े पत्तनों पर भी लागू की जायेगी अतः पत्तन प्राधिकरणों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह निश्चय किया गया कि चारटर्ड एकाउन्टेन्टों को रिपोर्ट में सुझाये गये परिवर्तनों के वास्तविक कार्यान्वियन और मूल्यांकन करने के लिए बम्बई में जिसका मुख्यालय ही ऐसा एक 'एकान्टिंग सैल' बनाया जाय। सेल का प्रभार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नामित आई० ए० एण्ड ए० एस० का वरिष्ठ अधिकारी के अधीन रखा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से उचित सम्पर्क बनाये रख सके। सेल प्रारम्भ में 6 महीने के लिए नवम्बर, 1965 में स्थापित किया गया। कार्य जो देश के बड़े पत्तनों से सम्बन्धित था के परिणाम को दृष्टि से सेल की अवधि में वृद्धि की जाना था। यद्यपि अब तक बहुत कार्य हो चुका है तथापि कुछ अभी बकाये विषय है जिन्हें अंतिम रूप दिया जाना है और सेल की अवधि 3.-12-1970 तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है।

(ग) से (ङ). सेल का व्यय प्रारम्भ से सभी बड़े पत्तन प्राधिकरणों द्वारा कुछ सहमत अनुपातों में वहन किया जा रहा है। यह स्थिति 30-9-1970 तक रही है। बड़े पत्तन प्राधिकरणों से इस व्यवस्था को और तीन महीने और अर्थात दिसम्बर, 1970 के अन्त तक जारी रखने के लिये अनुरोध किया गया है अभी तक केवल बम्बई पत्तन के न्यासियों ने इस आशय का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है तथापि बम्बई पत्तन न्यास ने सरकार को सूचित किया है कि

वे 30-9-1970 के बाद सेल की लागत का कोई भाग वहन नहीं करेगें। इस तारीख के बाद सेल का व्यय के वहन करने का अंतिम निर्णय सभी पत्तन प्राधिकरणों से उत्तर प्राप्त होने पर किया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य का जायजा लेने के लिये एक समिति की स्थापना

2595. **श्री न० कु० सांघी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक किये गये कार्य का जायजा लेने तथा भविष्य के लिये मार्ग निर्धारण करने के लिये सरकार का विचार एक समिति स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी नहीं। किन्तु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग को स्थापना से उसकी उपलब्धियों का अध्ययन तथा उनका मूल्यांकन करने के लिये, एक विशेषज्ञ दल नियुक्त करने का निर्णय किया है।

विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिये नियमित वेतन मान (रनिंग ग्रेड)

2596. **श्री न० कु० सांघी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय सेवाओं के समान नियमित वेतन मान (रनिंग ग्रेड), जैसा कि दिल्ली, जोधपुर तथा अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापक संघों ने मांग की है, लागू करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार मानक समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के चयन के लिये सिद्धांत निर्धारित करने का है क्योंकि आम तौर पर विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का चयन करते समय योग्यता से भिन्न अन्य बातों पर विचार किया जाता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अध्यापक संघों द्वारा विश्वविद्यालय में चलता वेतन मान लागू करने की मांग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय और कालेजों के शासन पर स्थापित समिति के विचाराधीन है।

(ख) अध्यापकों को विभिन्न श्रेणियों के चयन के लिये सिद्धांत निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचारार्थ नहीं है।

पश्चिम बंगाल में कालेज अध्यापक संगठन तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अध्यापक संगठन के साथ बातचीत

2597. **श्री समर गुह :**
डा० रानेन सेन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में कालेज अध्यापक संगठन तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अध्यापक संगठन के साथ उनकी समस्याओं का न्यायोचित हल ढूंढ़ने हेतु बातचीत करती है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों से संबंधित प्रमुख बातें क्या-क्या हैं ; और

(ग) ऐसी बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल के अध्यापक संगठनों से कोई बातचीत नहीं हुई थी। तथापि, केन्द्रीय शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के एक अधिकारी, पश्चिम बंगाल के शिक्षा सचिव के साथ, पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं जानने के लिए 22 अगस्त, 1970 को कलकत्ता में मिले। इस बैठक के दौरान उठाए गए विषयों में दो प्रमुख थे : अध्यापकों को वेतन को अनियमित अदायगी तथा अध्यापकों के कुछ वर्गों के लिए नए समाकलित वेतनमानों में वेतनों का तुरंत नियतन। उठाए गए प्रश्नों की जांच की जा रही है।

Strikes in Nationalised Banks

2598 **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of strikes that took place in the nationalised banks since their nationalisation and the duration of these strikes ;

(b) the causes of each of these strikes and the conditions on which each of them was called off ; and

(c) the steps taken by Government to prevent the recurrence of such strikes and to improve the services in future ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

छिपे धन का पकड़ा जाना

2599. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री रामसिंह अग्रवाल :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने गत तीन वर्षों में काले धन का पता लगाने के लिये कितने छापे मारे ; और

(ख) इस अवधि में काले धन की राशि का पता लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आवश्यक विवरण एकत्रित किये जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायगा।

मद्रास, बंगलौर-मंगलौर मार्ग पर एक पृथक विमान सेवा आरम्भ करना

2600. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास, बंगलौर-मंगलौर मार्ग पर एक पृथक विमान सेवा आरम्भ करने का है ; और

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई-मंगलौर विमान यात्रा के लिये बहुत से यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाते हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विमान बेड़े की परिसीमाओं के कारण इस सैक्टर में एक पृथक उड़ान की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

बैंक आफ बिहार की शाखा के लिए स्थानीय कार्यान्वयन समिति का निर्माण

2601. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के एजेन्ट के कहने पर बैंक आफ बिहार शाखा के लिये एक स्थानीय कार्यान्वियन समिति उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक आफ बिहार के कर्मचारी संघ के सचिव ने, इस समिति का गठन करते समय अपनाई गई प्रक्रिया का विरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी सुस्थापित परिपाटी के अनुसार पटना-स्थित अपनी बैंक आफ बिहार शाखा में स्थानीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया है और शाखा अभिकर्त्ता (एजेण्ट) इसका पदेन अध्यक्ष हैं। इस समिति में आवार्ड-कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के स्थानीय एकक से सलाह करके की गयी थी। अपने आप को बैंक आफ बिहार कर्मचारी संघ का मंत्री बताने वाले एक व्यक्ति द्वारा भेजी गयी एक शिकायत प्राप्त हुई थी। पता चला है कि चूंकि इस कर्मचारी संघ को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए स्टेट बैंक द्वारा इस विरोध-पत्र के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

Financial help to Bihar Government for Development of Sports

2602. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have formulated any scheme for the development of sports in the State ;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the Central Government have decided to give some financial assistance to the State Government for this purpose; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). It is understood that a scheme for development of sports, is being formulated by Bihar State Sports Council.

(c) and (d). On receipt of proposals from the Bihar State Sports Council, they will be considered for financial assistance by this Ministry, in consultation with the All India Council of Sports.

पटना स्थित राजेन्द्र स्टेडियम का विकास

2603. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने पटना स्थित राजेन्द्र स्टेडियम के विकास के लिये कोई निश्चित धनराशि प्रदान करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग, दिल्ली के कर्मचारियों को स्थायी करना

2604. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग, दिल्ली में 25 जुलाई, 1970 को उच्च श्रेणी लिपिकों, निम्न श्रेणी लिपिकों, नोटिस सर्वरों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के मामले गत 5 वर्षों से अनिर्णीत पड़े थे ;

(ख) क्या विभागीय पदोन्नति समिति ने, जिसकी बैठक दिसम्बर, 1969 में आयकर विभाग, दिल्ली में हुई थी, उपरोक्त संवर्गों के स्थायीकरण को अंतिम रूप दे दिया है तथा क्या आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) निम्न श्रेणी लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी में संवर्गों के स्थायीकरण के मामले दिसम्बर 1965 से अनिर्णीत पड़े हुए थे। उच्च श्रेणी लिपिक तथा नोटिस तामीलकर्त्ताओं के संवर्ग में 25 जुलाई 1970 से पूर्व इस प्रकार के स्थायीकरण अन्तिम बार क्रमशः जुलाई 1967 तथा जनवरी 1970 में किये गये थे।

(ख) तथा (ग). विभागीय पदोन्नति समिति ने दिसम्बर 1969 में हुई अपनी बैठक में केवल नोटिस तामीलकर्ताओं के संवर्ग में स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार किया था और उन्हें जनवरी 1970 में सम्यक् रूप से स्थायी कर दिया गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने उल्लिखित अन्य संवर्गों से संबंधित स्थायीकरण के मामलों पर बिलकुल ही विचार नहीं किया। उसके

बाद मार्च 1970 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक फिर हुई और उसने निम्न श्रेणी लिपिकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों के संवर्गों में स्थायीकरण के मामलों पर विचार किया और इस बीच उसकी सिफारिशों का अनुपालन करते हुए स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। चतुर्थ श्रेणी में स्थायीकरण तथा अन्य संवर्गों में भी और अधिक स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जल्दी ही होने वाली है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया से ऋण लेने के लिए देबीगढ़, पटियाला के छोटे दुकानदारों के आवेदन-पत्र

2605. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पटियाला जिले के नन्दी देबीगढ़ के छोटे दुकानदारों ने स्टेट बैंक आफ इन्डिया की स्थानीय शाखा से ऋण के लिये आवेदन पत्र भेजे थे ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक ने उनमें से किसी को भी अब तक ऋण दिया नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या दुकानदारों को ऋण देने के लिये बैंक को कोई अनुदेश भेजे गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पंजाब के पटियाला जिले में नन्दी देबीगढ़ नामक स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है। परन्तु, देबीगढ़ में स्टेट बैंक आफ पटियाला का एक-व्यक्ति (वन-मैन) कार्यालय है। इस शाखा ने किसी दुकानदार का ऋण सम्बन्धी सुविधा का अनुरोध अस्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा इस समय बैंक के पास ऋण सम्बन्धी कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन नहीं है।

(घ) जी हां।

स्कूलों तथा कालिजों में मानक पोशाक

2606. **श्री शंकर राव माने :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों तथा कालिजों में पहने जाने वाली तंग पोशाक को एक मानक एक रूप पोशाक द्वारा बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शैक्षिक प्रबन्ध 'यूनेस्को' द्वारा आयोजित दिल्ली में हुई गोष्ठी

2607. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शैक्षिक प्रशासन के लिये प्रबन्ध समिति सम्बन्धी आधुनिक तकनीकी को अपनाने के बारे में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक गोष्ठी दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में चर्चा के मुख्य विषय क्या थे ; और उन पर क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) गोष्ठी में प्रणाली विश्लेषण, अनुसंधान कम्प्यूटर उपयोग जाल विश्लेषण (पी ई आर टी तथा सी पी एम), धार्मिक प्रबन्ध तकनीक, संगठन और पद्धति, तथा निष्पादन बजट और पी पी बी एस (निष्पादन-योजना-बजट प्रणाली) जैसी आधुनिक प्रबन्ध तकनीकी पर विचार-विमर्श किया गया। निर्णय लेने के लिए यह गोष्ठी आयोजित नहीं की गई थी। तथापि गोष्ठी के विमर्शों से यह निष्कर्ष निकला है कि शैक्षिक प्रशासन को अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाने की दिशा में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकी का लागू किया जाना एक व्यवहार्य पग है। इसके साथ ही, इसने शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों के प्रयोगों, अनुसंधान तथा अनुकूलन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इन तकनीकों में शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण के महत्व पर भी इसने जोर दिया।

(ग). गोष्ठी में की गई सिफारिशों से अथवा प्राप्त निष्कर्षों से भारत सरकार फिलहाल संबन्धित नहीं हैं। भारत सहित एशियाई क्षेत्र के संबंधित सदस्य राज्य तथा यूनेस्को यथासमय इन सिफारिशों पर विचार करेंगे तथा जहां तक उपयुक्त होगा इन्हें कार्यान्वित करनें का प्रयास करेंगे।

एशिया तथा दक्षिण प्रशान्त महासागर के देशों के असैनिक उड्डयन-निदेशकों के सम्मेलन में किये गये निर्णय

2608. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियायी तथा दक्षिणी प्राशान्त महासागर में देशों के असैनिक उड्डयन निदेशकों का एक सम्मेलन नवम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में आयोजित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या-क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। एशिया तथा दक्षिण प्रशान्त महासागरीय दशों के नागर विमानन के निदेशकों का आठवां अनौपचारिक सम्मेलन 2 नवम्बर से 6 नवम्बर, 1970 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के तत्वावधान में हुआ था।

(ख) सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया, वे निम्नलिखित से सम्बन्धित थे :—

(i) विमान क्षेत्र

(ii) वैमानिक दिकचालन सुविधायें तथा सेवायें

(iii) विमान परिचालन तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्याए

(iv) प्रशिक्षण, तथा

(v) विमान परिवहन ।

सम्मेलन से कोई निर्णय लेने के लिए नहीं कहा गया था ।

(ग) सम्मेलन में अनेक कागज-पत्र पढ़े गये तथा उन पर विचार-विमर्श किया गया । यह सम्मेलन इस क्षेत्र के नागर विमानन प्रशासन के समक्ष आने वाली विभिन्न तकनीकी तथा परिचालन विषयक समस्याओं के सम्बन्ध में प्रतिनिधियों के बीच विचार-विनिमय की दृष्टि से काफी लाभदायक साबित हुआ ।

नीदरलैण्ड से ऋण

2609. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैण्ड ने हाल ही में भारत को ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की राशि कितनी है, वह किन शर्तों पर दी गई है ; और

(ग) इसका उपयोग किन कार्यों के लिये करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह ऋण 8.29 करोड़ रुपये से बराबर की रकम का है जिस पर 2½ प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज लगेगा और यह 8 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि सहित 30 वर्षों में चुकाया जायेगा ।

(ग) इस ऋण का उपयोग, हमारी विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सघटकों, कच्चे माल, फालतू पुर्जों और पूंजीगत उपकरणों के आयात के वितपोषण के लिए किया जायगा ।

केरल में कुवलम समुद्री तट का एक बड़े पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास किया जाना

2610. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुवलम समुद्र तट को एक बड़े पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) इस परियोजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) राज्य सरकार द्वारा अभिगृहीत राजभवन की सम्पति और कोवालम तट के साथ लगने वाली भूमि का कब्जा 23 अक्तूबर, 1970 को ले लिया गया था । होटल का प्रबन्ध अब भारत पर्यटन विकास निगम

लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 40 कुटीरों, एक 100 कमरों वाले होटल तथा 'बीच सर्विस सेन्टर' का निर्माण कार्य वर्ष 1970 के अन्त से पहले पहले प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है।

(ख) इस परियोजना पर अब तक पर्यटन विभाग द्वारा 14.90 लाख रुपये तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 1.04 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) इस परियोजना के चौथी योजना की अवधि के दौरान पूरा किये जाने की आशा है।

अशोक होटल का नवीकरण करने के लिए नियुक्त विदेशी विशेषज्ञ

2611. **श्री रा० बरुआ :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में अशोक होटल, नई दिल्ली का नवीकरण करने के लिये नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों पर कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) अशोक होटल में किये गये सुधारों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये सुधार अशोक होटल के कार्य में सुधार करने तथा वहां ठहरने के स्थान को बढ़ाने के लिये कहां तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अशोक होटल के नवीकरण के संबंध में परामर्श शुल्क के रूप में अब तक मैसर्स स्टेगनबर्गर, कन्सन्टेटंस जे०एम०बी०एच०, पश्चिम जर्मनी, को 48,404/- रु० की राशि प्रदान की जा चुकी है।

(ख) आगे का पहुँचमार्ग, एलिवेटेड़ रोड, मुख्य प्रवेश, लाबी, शाप आर्केड्स, यात्रा काउन्टर, आदि, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, तथा सातवीं और आठवीं मंजिल पर कमरों और स्नानगृहों का पूरी तरह से नवीकरण किया गया है। एक रेस्टोरेन्ट का नवीकरण पूरा होने वाला है, तथा एक अन्य रेस्टोरेन्ट व चौथी और पाचवीं मंजिल पर कमरों का नवीकरण कार्य चल रहा है।

(ग) इस नवीकरण से होटल की भव्यता और वहां प्राप्त सुख-अराम के स्तर में सुधार हुआ है ; परिणामत: गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष होटल में शय्याओं की लाग में 18.20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

अशोक होटल, नई दिल्ली के कार्य में सुधार लाने के लिए कार्यवाही करना

2612. **श्री रा० बरुआ :** क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित अशोक होटल के कर्मचारी अभी भी आन्दोलन कर रहे हैं तथा हाल की हड़ताल के पश्चात् अभी तक अशोक होटल का कार्य सामान्य रूप से नहीं चल रहा है ;

(ख) इस होटल के काम को सामान्य बनाने की दृष्टि से गत छः महीनों के दौरान कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है ; और

(ग) इस होटल के कार्य में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) अशोक होटल के कार्य में सुधार करने की दृष्टि से प्रबंधकवर्ग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(1) एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों, कमरों और रेस्टोरेन्टों का नवीकरण किया जा रहा है । सातवीं और आठवीं मंजिल के कमरों का, लोबी का, तथा सामने वाले कार्यालय का नवीकरण पहले ही पूरा हो चुका है । नये रेस्टोरेन्टों का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(2) और अधिक पर्यवेक्षी कर्मचारियों की नियुक्ति करके परिचालन के अनेक स्तरों तथा विभिन्न क्षेत्रों में पर्यवेक्षण की ओर सुदृढ़ कर दिया गया है ।

(3) कुछ प्रशिक्षण योजनायें प्रारम्भ कर दी गई हैं तथा अन्य योजनायें तैयार की जा रही हैं । कर्मचारियों को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव है ।

(4) कर्मचारियों के वेतन मानों में वृद्धि करके संशोधन कर दिया है ।

(5) केन्द्रीय कक्ष सेवा प्रारम्भ की जा रही है ।

(6) होटल में हैल्थ क्लब, टर्किश और सौनाबाथ्स, तथा ब्यूटि-सैलून जैसी व्यवस्थाओं को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । एक आर्ट गैलरी हाल ही में खोली गई है ।

(7) होटल की पाकशालाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है उनमें आधुनिकतम उपकरण लगाये जा रहे हैं ।

(8) अपने यहां विश्व के अन्य भागों में प्रचलित आधुनिकतम होटल तकनीकों को प्रारम्भ करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने के उद्देश्य से पश्चिम जर्मनी की सरकार के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गई हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्त अधिकारियों के वेतनमान

2613. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और इण्डियन बैंक ऐसोसिएशन के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने से सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्लर्कों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान सामान हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिवीक्षाधीन अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों के वेतनमानों में भारी अन्तर है ;

(ग) क्या विभिन्न बैंकों के वेतनमानों में इस भारी विषमता के कारण अधिकारियों में बहुत असन्तोष है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के परिवीक्षाधीन अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों के वेतनमानों को स्टेट बैंक आफ इंडिया के वेतनमानों के समान करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो नये वेतनमान कब तक तथा किस तिथि से लागू किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह सच है कि चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमानों में एकरूपता है परन्तु इन बैंकों में अधिकारियों और परिवीक्षाधीन अधिकारियों के वेतनमानों में भिन्नता है। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अलग अलग बैंकों में दिये जा रहे अलग अलग वेतनमानों के कारण अधिकारियों में बहुत असन्तोष फैला हुआ है। अपने कर्मचारियों के वेतनमानों का निश्चय अलग-अलग बैंकों के निदेशक मण्डलों द्वारा किया जाता है। चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों को भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के वेतनमानों के बराबर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इन्डियन ओवरसीस बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण

2614. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ओवरसीस बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को दो वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ता है जब कि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह अवधि केवल 6 महीने से एक वर्ष तक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इण्डियन ओवरसीस बैंक के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि भी एक वर्ष तक करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जायेगा और यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). मेसर्स इंडियन ओवरसीस बैंक में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष नियत की गई है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि प्रत्येक बैंक द्वारा, इन अधिकारियों को बैंक के कार्य के विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम के संदर्भ में नियत की जाती है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करना बैंक के निदेशक मंडलों पर निर्भर करता है।

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत नियुक्त महिला स्नातकोत्तर शिक्षकों की वरिष्ठता

2615. **श्री शशि भूषण :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अपने स्नातकोत्तर महिला शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में हाल ही में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और उसमें कितने शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या वरिष्ठता का पुनः निर्धारण, कतिपय शिक्षकों को, जोकि उच्च अधिकारियों के निकट सम्बन्धी है, लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है ; और

(घ) शिक्षकों के साथ न्याय बरतने और प्रभावित शिक्षकों की वरिष्ठता को पुनः पूर्व स्थिति पर लाने के लिए, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और कब तक ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 30 जुलाई, 1965 तक स्नातकोत्तर महिला शिक्षकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची, नियमों के अनुसार तथा उनकी नियमित नियुक्ति की तिथियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सम्बन्धित शिक्षकों से इस सूची के बारे में आपत्तियां मांगी गई हैं। यदि कोई आपत्तियां प्राप्त हुई तो उन पर ध्यान देते हुए वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

चांदी तथा सोने की तस्करी

2616 **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तस्कर व्यापार द्वारा सोना देश में लाने और चांदी देश से बाहर भेजने की घटनायें बढ़ रही हैं ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक सीमा शुल्क तथा राजस्व में आसूचना कर्मचारियों ने कितने वजन का सोना तथा चांदी पकड़ा है और उनका मूल्य क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि 28 अक्तूबर, 1970 को दक्षिण बम्बई में 1' लाख रुपये के मूल्य की चांदी पकड़ी गई थी और जो कि बक्सों में बन्द थी और बक्सों पर 'नेल्स' अंकित था ;

(घ) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या, नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का विचार है ; और

(ङ) तस्कर व्यापारियों के गिरोह को पकड़ने तथा इस अवैध व्यापार को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसे कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं जिनसे पता चल सके कि देश में सोने का तस्कर आयात और देश से चांदी का तस्कर निर्यात वृद्धि पर है।

(ख) सीमाशुल्क एवं राजस्व गुप्तचर्या के अधिकारियों द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 1970 तक की अवधि में पकड़े गये सोने और चांदी की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :—

मात्रा	मूल्य
किलोग्राम	(लाख रुपयों में)
सोना 2,875	243 (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर)
चांदी 12,913	65 (भारतीय बाजार दर पर)

(ग) जी हां। 28 अक्तूबर, 1970 को 14 विक्टोरिया डाक के शेड के बाहर पड़े हुए एक जत्थे से 11 लाख रुपये मूल्य की चांदी पकड़ी गई थी। उस जत्थे 'कीलें' (नेल्स) होने की घोषणा करके उसको गोदी के अन्दर लाया गया था और सैकजों पर "एम० ए० डुबाई" मार्का था।

(घ) माल पकड़ने के इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जांच पड़ताल की जा रही है।

(ङ) देश में सोने के तस्कर आयात और देश से चांदी के तस्कर निर्यात को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

सुव्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात निर्यात करने का सदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों की गश्त की व्यवस्था। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है। पश्चिमी समुद्रतट से देश के अन्दर 50 किलोमीटर तक का विशिष्ट क्षेत्र और पूर्वी समुद्र तट का वह भाग जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, उसे निर्दिष्ट किया गया है जिसके अन्तर्गत चांदी की सिल्लियों और सिक्कों के बारे में विनियामक उपबन्ध लागू होंगे। सीमाशुल्क के कुछ समाहर्ता, अपर समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्यरूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिये सुगमता से पार करने योग्य स्थानों पर तैनात किया गया है। एकत्रित सूचना पर उचित कार्यवाही करने के लिए स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों में कमी

2617. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों में कमी करने के संबंध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). कुछ लाभ रहित बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्रीमीयम दरें 1-2-70 से कम की थीं। जहां तक लाभ सहित बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्रीमियम दरें कम करने का संबंध है, भावी व्ययों के रुख की अनिश्चितता को देखते हुए, निगम ने इन दरों में किसी प्रकार का संशोधन करने के विचार को तब तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय किया है जब तक रुपयों में स्थिरता नहीं आ जाती।

विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा पर्यटक यातायात का संवर्धन करने के लिये दी गई सहायता

2618. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा विशेष कर यूरोपीय तथा अफ्रीकी देशों से पर्यटक यातायात का संवर्धन करने के लिए क्या सहायता की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ। पिछले पांच कैलेंडर वर्षों के दौरान भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों के आंकड़े निम्न प्रकार थे :

1965	1,47,900
1966	1,59,603
1967	1,79,565
1968	1,88,820
1969	2,44,724
(1970 (अक्तूबर के अन्त तक)	2,28,056

विदेशों में भारतीय मिशन (दूतावास) पर्यटन साहित्य सप्लाई करते हैं तथा भारत में सीमा-शुल्क एवं मुद्रा सम्बन्धी विनियमों आदि के बारे में अन्य सम्बद्ध सूचना देते हैं। वे "पर्यटक मदिरा अनुज्ञा-पत्र" (टूरिस्ट लिकर परमिट) भी जारी करते हैं।

चौथी योजना के अन्तर्गत पोतपरिवहन का लक्ष्य

2619. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री प्र० के० देव :

क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चौथी योजना के अन्तर्गत पोतपरिवहन के लक्ष्य के विषय में 15 अक्तूबर, 1970 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या लक्ष्यों के प्राप्त होने की संभावना है ?

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग). चौथी योजना के अन्त तक पोतपरिवहन का लक्ष्य 40.00 लाख जी० आर० टी० है जिसमें से 35.00 लाख जी०आर०टी० परिचालक समझा गया है तथा शेष 5.00 लाख जी०आर०टी० के पक्के आदेश दिये गये हैं। 1-10-70 की परिचालक टनेज 23.42 लाख जी०आर०टी० थी और 6.63 लाख जी०आर०टी० के० आर० टी० पक्के आदेश दिये गये है तथा इस समय 2.04 लाख के अतिरिक्त जहाज अर्जन करने के लिए वार्ता को अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है। यह सच है कि विदेशी मुद्रा की उपलब्धि के लिए कठिनाइयां विद्यमान हैं फिर भी योजना लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन जहाजों का आर्डर अभी देना है उनकी प्राप्ति की सुविधा के लिए सरकार उचित अन्तर्राजकीय सहायता विक्रेता प्राप्त करने में प्रयत्नशील है।

विश्वविद्यालय शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति पर पुनर्विचार के लिए समिति

2620. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री जी० वेंकटस्वामी :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है तथा क्या इस समस्या में सुधार लाने के लिए राजनीतिक रुकावटें विद्यमान है ; और

(ख) क्या इस समूची व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति शीघ्र ही नियुक्त की जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) एक निश्चित अवधि में स्तरों के वस्तुगत मूल्यांकन करने तथा ठीक ठीक यह कहने में स्वाभाविक कठिनाई है कि किस सीमा तक तथा किस दिशा में स्तर गिर रहे हैं अथवा उनमें सुधार हो रहा है । फिर भी, जैसा कि शिक्षा आयोग (1964-66) ने टिप्पणी की है, शिक्षा के बहुत बड़े क्षेत्र में विषय वस्तु तथा कोटि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं और भावी मांगों के लिए अपर्याप्त है और अन्य शैक्षिक रूप से उन्नत देशों के औसत स्तरों की तुलना में असन्तोषजनक है । ऐसी ही राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी जाहिर की गई है । अपने उपलब्ध सीमित साधनों के अंतर्गत विषय वस्तु एवं कोटि सुधारने तथा उच्च शिक्षा के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक यत्न किया जा रहा है । यह कहना कठिन है कि इस प्रणाली के सुधार के मार्ग में कोई राजनीतिक अढ़चने नहीं आती ।

(ख) जी, हां । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1964—66) देश की विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित स्थिति का विस्तारपूर्वक अध्ययन पहले से ही कर चुका है ।

Grants to States for Propagation of Hindi

2621. **Shri Kamble :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the names of the States to which grants have been provided for the propagation of Hindi during the last three years and the amount thereof in each case ;

(b) whether it is a fact that some of the States have not utilized such grants ; and

(c) the names of the States which have stopped receiving such grants ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Under two Centrally Sponsored Schemes, namely, (1) Appointment of Hindi Teachers and (2) Establishment of Hindi Teachers' Training Colleges in the non-Hindi speaking States, financial assistance on 100% basis is rendered to these States by the Central Government. A statement, showing the grants given to various non-Hindi speaking States under these schemes during the last three years, is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4422/70.]

(b) No, Sir.

(c) The Government of Tamil Nadu have not asked for any grant under the scheme

for appointment of Hindi Teachers from the year 1967-68 and for establishment of Hindi Teachers' Training Colleges from the year 1968-69 onwards on account of abolition of the three language formula in that State from January, 1968 which resulted in the elimination of study of Hindi from the school curriculum.

Setting up of Branches of Nationalised Banks in Champaran District of Bihar

2622. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister Finance be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in setting up the branches of the nationalised banks in each region of Champaran District of Bihar ;

(b) whether the present policy of Government is to set up at least one branch of the nationalised bank in each region so that the middle class and other farmers could be benefited by it and they could be saved from usury in the rural areas ; and

(c) if so, the names of the places in Champaran District where the branches of the nationalised banks are proposed to be set up by 1971 ?

The Minister of State in the Minister of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) As on July 19, 1969, the date of nationalisation of the 14 major Indian Banks, there were 9 bank offices—5 of the State Bank and 4 of the nationalised banks in Champaran District of Bihar. Since then 11 new offices have been opened in this district of which State Bank accounts for 7 and the nationalised banks 4. The number of bank offices in the district has thus more than doubled in the course of a little over a year. However, for the intensive development of banking in the district and for identifying areas and sectors which are in need of banking services urgently, the district has been allotted to Central Bank of India under the 'Head Bank Scheme.' The bank is expected shortly to carry out a survey of the district from this angle. Pending the completion of the survey, the Reserve Bank has impressed upon the public sector banks the necessity of paying immediate attention to backward districts in the under-banked States in the matter of providing banking facilities. The banks have been advised to examine the feasibility of opening offices in centres which are in pressing need of banking facilities in these districts, (of which Champaran is one), on a priority basis without waiting for the lead banks to complete their surveys.

(b) It is the intention of the Government that all potential growth centres which require banking services and areas suffering from credit gaps should be covered by bank offices as quickly as possible. In order to achieve this, lead banks have been advised to undertake a quick survey of their lead districts to identify such areas and to draw up a phased programme of branch expansion in the districts in co-operation with other banks operating in the region. This, it is expected, will enable the farmers to avail of bank credit in greater measure and help curb the activities of usurious money-lenders in the rural areas.

(c) Offices are expected to be opened by public sector banks at 4 centres in the trict of Champaran in the next few months. These are Valmikinagar, Adapur, Dhaka G horasahan.

राष्ट्रीयकृत तथा गैर-सरकारी बैंकों का कार्यकरण

2 23. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर-सरकारी बैंकों ने उगाही के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया ने चैक स्वीकार करना कब से बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या बैंक के "क्लियरिंग हाऊसिस" ने सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया है ;

और यदि हां, तो ऐसे करने से केन्द्र हैं जहां इन बैंकों ने 31 अक्तूबर, 1970 तक काम आरम्भ नहीं किया था ;

(ग) बैंकों का कार्य ठप्प हो जाने के क्या कारण हैं और इस गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाई की है ; और

(घ) सामान्य रूप से उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सम्भवतः यह सूचना बिहार में बैंक-क्लीयरेंस के स्थगन के सम्बन्ध में मांगी गयी है। 27 अगस्त, 1970 से पटना में बैंक क्लीयरिंग हाऊस का कार्य स्थगित कर दिया गया था क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अधिकांश बैंकों के कर्मचारियों ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के नाम जारी किये गये चैकों तथा अन्य लिखतों का काम सम्हालने के लिए मना कर दिया था। इसका कारण यह था कि स्टेट बैंक ने अपने चार कर्मचारियों को अनुशासनहीनता के आरोप से निलम्बित कर दिया था। 31 अक्तूबर, 1970 की स्थिति यह थी कि पटना के अलावा जमशेदपुर, गया, मुजफ्फरपुर और रांची के क्लीयरिंग हाऊस भी कार्य नहीं कर रहे थे। स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ परामर्श करने के बाद स्थिति पर पुनर्विचार करके चारों कर्मचारियों के निलम्बन आदेश वापस ले लिए हैं। क्लीयरिंग हाउसों में सामान्य कारोबार अब शुरू हो गया है।

(घ) यह बताना सम्भव नहीं है कि इससे उत्पादन को तथा सामान्य रूप में उद्योग और व्यापार को कितनी हानि हुई है।

लेखा परीक्षा आपत्तियों का समाधान

2624. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित तिथि पर लेखा परीक्षा आपत्तियों का सामाधान न किये जाने पर उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही करता है ;

(ख) लेखा परीक्षा की वे सबसे पुरानी आपत्तियां किस तिथि की हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं किया गया है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने मंत्रालयों का ध्यान वसूलियों सम्बन्धी नियम की ओर दिलाया है और यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार अब ऐसा करने का है और साथ ही यह नियम बनाने का है कि प्रत्येक मंत्रालय प्रकाश में लाई गई हानियों और की गई वसूलियों के बारे में एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ;

(घ) लेखा अनुभाग द्वारा अस्थायी अधिकार-पत्रों पर, विशेष कर सक्षम अधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के बारे में क्या कार्यवाही की जाती है ; और

(ङ) ऐसी तिथियां हर मामले में निर्धारित क्यों नहीं की जाती है जिससे अस्थायी अधिकार पत्र निर्धारित तिथि को व्यपगत हो जायें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बकाया लेखा-परीक्षा

आपत्तियों के शीघ्र निपटान के लिए सभी आवश्यक उपाय करना मुख्यतः प्रशासनिक मंत्रालयों का काम है। फिर भी, लेखा प्राधिकारियों द्वारा बकाया आपत्तियों की सूचियां संबंधित वित्तीय सलाहकार के पास भेज दी जाती हैं, जो प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके उपयुक्त अंतराल पर उनकी समीक्षा करता है। वित्त मंत्रालय में हाल ही में एक अद्यतन स्थायी गार्ड फाइल तैयार की गई है तथा इसे सभी प्रशासनिक मंत्रालयों में परिचालित किया गया है। इसमें लेखा परीक्षा आपत्तियों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश दिये गये हैं।

(ख) चूंकि बकाया लेखा-परीक्षा आपत्तियों पर वित्त मंत्रालय में केन्द्रीकृत रूप में कार्यवाही नहीं की जाती अथवा निगरानी नहीं रखी जाती, इसलिए यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली करने सम्बन्धी आदेश उन स्थायी आदेशों के ही एक भाग हैं जो सामान्य वित्तीय नियमावली में निहित हैं तथा तदनुसार मंत्रालयों को उनकी जानकारी है।

(घ) यदि नियत तारीख तक अपेक्षित प्राधिकार नहीं प्राप्त हो जाता, तो लेखा-विभाग मामले की ओर उपयुक्त प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करता है तथा अगली कार्यवाही के बारे में उनके आदेश प्राप्त करता है।

(ङ) जहां कहीं सम्भव होता है ऐसा किया जाता है। किन्तु कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें निर्धारित तारीख को सख्ती से लागू करने से परेशानी हो सकती है तथा विशेष रियायत बरतना आवश्यक हो सकता है।

जीवन बीमा निगम का प्रीमियम तथा बोनस

2625, **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सावधिबीमा पालिसियों पर प्राप्त धनराशि का कितने प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाता है ;

(ख) उक्त प्रतिशतता का क्या औचित्य है जबकि जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजित पूंजी से अधिमान शेयरों पर 9.45 प्रतिशत और इक्विटी शेयरों पर 11.1।, प्रतिशत आय होती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त प्रतिशतता के कम होने का कारण सरकारी प्रतिभूतियों में धन लगाना हो तो सरकारी प्रतिभूतियां कानून के अनुसार निम्नतम पूंजी न लगाने का क्या औचित्य है ; और

(घ) भारत, ब्रिटेन, अमरीका, पाकिस्तान और श्रीलका में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सावधि बीमा पालिसी पर प्रीमियम तथा बोनस किस दर से लिया और दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). यथा उपलब्ध आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला कर्मचारियों की हड़ताल

2626. **श्री जगेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला कर्मचारी 21 अक्तूबर 1970 से हड़ताल पर थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). प्रयोगशाला कर्मचारियों ने अक्तूबर, 1970 में देय सितम्बर मास का वेतन न लेकर हड़ताल की। उन्होंने निम्नलिखित मांगें की :

(1) सैलेक्शन-ग्रेड में प्रयोगशाला परिचरों की स्थापना विधि में परिवर्तन, और

(2) प्रयोगशाला कर्मचारियों के लिए विभिन्न वर्ग के मदों में पदोन्नति हेतु, योग्यताओं में रियायत।

नवम्बर, 1970 के पहले सप्ताह में कर्मचारियों ने अपना वेतन ले लिया।

Expenditure on Indian Airlines Institute being Set up at Hyderabad

2627. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the total expenditure likely to be incurred on the new type of Institute to be set up at Hyderabad for training the staff of the Indian Airlines ; and

(b) the total area likely to be made available for this Institute in order to complete this scheme of modernisation ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The proposal is still under the consideration of Indian Airlines.

भुवनेश्वर में क्षेत्रीय प्रेस की स्थापना

2628. **श्री रवि राय :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के शिक्षा मंत्री ने भुवनेश्वर में क्षेत्रीय प्रेस स्थापित करने के बारे में 28 अक्तूबर, 1970 को उनसे भेंट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) और (ख). जी, नहीं उड़ीसा के शिक्षा मंत्री को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से दि० 28 अक्तूबर, 1970 को भेंट करनी थी, परन्तु वस्तुतः बैठक हुई ही नहीं। तथापि उड़ीसा के मंत्री ने निर्माण, आवास तथा शहरी विकास विभाग के अधिकारियों से दि० 30-10-70 हुई एक बैठक में सुझाव दिया था कि भुवनेश्वर के छापेखाने भवन, जिसे सितम्बर, 1971 तक तैयार होना था, पहले तैयार कर

दिया जाये और परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाये। राज्य के मंत्री को सूचित किया गया कि संबधित अधिकारी शीघ्र ही भुवनेश्वर जाकर भवन-निर्माण की प्रगति का, तथा मशीनरी की स्थापना के लिए अन्य आवश्यक-सेवाओं का विस्तृत अध्ययन करेगा।

उड़ीसा में भौतिकी संस्थान की स्थापना

2629. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के शिक्षा मंत्री ने उड़ीसा में भौतिकी संस्थान स्थापित करने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से भेंट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). उड़ीसा के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से अक्तूबर 1970 के अन्तिम सप्ताह में मिले थे और अन्य विषयों के साथ, उन्होंने भौतिकी और उससे सम्बद्ध विषयों की सभी शाखाओं में आधार भूत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, भुवनेश्वर में एक भौतिकी संस्थान स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जो कि राज्य सरकार द्वारा पहले आयोग को भेजा जा चुका था। आयोग ने उत्कल विश्वविद्यालय व राज्य सरकार के परामर्शसहित एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो, इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध संभव साधनों को दृष्टि में रखते हुए प्रस्ताव की जांच करेगी। समिति द्वारा, भुवनेश्वर का दिसम्बर, 1970 के मध्य में किसी समय दौरा करने की आशा है।

पैरिस में हुआ युनेस्को का सम्पूर्ण अधिवेशन

2630. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पैरिस में हाल ही में हुई यूनेस्को के सम्पूर्ण अधिवेशन में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिवेशन द्वारा कौन-कौन से कार्य सम्पन्न किये गये ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०— 442 /70]

बम्बई के निकट ऐलिफेंटा की गुफाओं में सुविधाओं की व्यवस्था करना

2631. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के निकट ऐलिफेंटा की गुफाओं में भी कतिपय आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र में केवल एक कुंआ है और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पर्याप्त जल नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां रेस्तारां की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा वहां एकमात्र रेस्तारां पुराना लगता है और वहां सफाई की व्यवस्था भी पुराने ढंग की है ;

(घ) वहां पानी की सप्लाई बढ़ाने तथा अच्छे रेस्तारां की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस गुफा में आने वाले पर्यटकों को अन्य सुविधायें मुहैया करने के लिए कोई योजना बनाई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस द्वीप पर पानी की सप्लाई अपर्याप्त है क्योंकि वहां प्राकृतिक पानी का कोई साधन नहीं है, अतः पानी एक कुंड (हौज) में एकत्रित किया जाता है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वीप पर एक मौसमी रेस्टौरेंट चलता है। पानी की कमी के कारण असुविधा होती है।

(घ) राज्य सरकार पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के उपाय सोच रही है तथा इस योजना से रेस्टोरेंट को भी लभ पहुँचेगा।

(ङ) द्वीप में बिजली की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली न होना

2632. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुछ राज्यों में कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋणों की वसूली नहीं होने के कारण सरकार को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र से निश्चित तिथि पर कितना अनुमानित धन वसूल नहीं हो पाया है ?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

पी० एल० 480 की धनराशि का उपयोग

2633. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**　　**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि पी० एल०-480 कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत को कृषि वस्तुएं

सप्लाई करने पर भारतीय रिजर्व बैंक में अमरीकी सरकार की जमा भारतीय मुद्रा का उपयोग करने के लिए भारत सरकार तथा अमरीकी सरकार किन्हीं साझी योजनाओं या परियोजनाओं पर सहमत होने में असमर्थ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संचित धन-राशि कितनी है ; और

(घ) इस धनराशि के उपयोग के बारे में यदि कोई मदभेद हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). जैसा की 20 नबम्बर 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1768 के उत्तर में कहा गया है, अमरीकी रुपया निधियों के इस्तेमाल के सम्बन्ध में बातचीत जारी है । अन्तिम निर्णय होने में अभी कुछ समय लगेगा ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है ।

विवरण

1956 से 30 सितम्बर 1970 तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में कुल जमा रकम 2231.12 करोड रुपये थी । इन जमा रकमों के प्रयोग-वार निर्धारणों, वास्तविक व्यय और 30 सितम्बर 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पास खर्च न की गई बकाया रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	कुल प्राप्तियां	व्यय	बकाया रकम
भारत सरकार को ऋण	1412.15	1360.75	51.40
भारत सरकार को अनुदान	388.63	356.69	31.94
भारत-अमरीका संयुक्त उद्यमों को कुल ऋण	141.58	81.95	59.63
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उपयोग की गई रकमें	288.76	274.40	14.36
जोड़	2231.12	2073.79	157.33
ख. इसके अलावा वे रुपया निधियां जो (क) भारत सरकार द्वारा पी० एल० 480 और अन्य रुपया ऋणों के संबंध में की गई वापसी अदायगियों (ख) इन ऋणों के व्याज और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक में संयुक्त राज्य अमेरिका की जमा रुपया राशियों पर अमरीका द्वारा अर्जित व्याज के संबंध में 1956 से अमेरिका के पास जमा हो गई है ।			603.02
30-9-1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उपलब्ध, खर्च न की गई कुल रुपया निधियां			
(क+ख का जोड़)			760.35

पर्यटकों की शिकायतें

2634. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पर्यटक सुविधा तथा मानक विभाग को गत एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1-8-69 से 30-7-70 तक की अवधि के दौरान शिकायत कक्ष को 516 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ख) विशेष शिकायतों के मामले दुकानों, होटलों, इंडियन एयरलाइन्स, रेलवे, सीमा-शुल्क, आदि जैसी यथा-संबंधित एजेंसियों के साथ उपयुक्त कार्यवाही के लिए उठाये गये।

तोक्यो में एक्सपो-70 प्रदर्शनों में जाने वाले एयर इंडिया के विमानों के टिकटों की जालसाजी का पता लगाना

2635. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक्सपो-70 प्रदर्शनी के समय तोक्यो तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य शहरों को जाने वाले एयर इंडिया के विमानों के कई जाली टिकट पाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उससे एयर इंडिया को कितनी हानि हुई है ;

(ग) इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन ने यह पाया है कि विमानों के जाली टिकटों से विमान कंपनियों को प्रतिवर्ष 65 लाख डालरों से भी अधिक हानि हो रही है ; और

(ङ) एयर इंडिया ने अपने टिकटों की जालसाजी रोकने के लिए क्या कोई ठोस कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एयर इंडिया ने सूचित किया है कि अभी तक एक्सपो-70 के समय टोकियो तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के नगरों की यात्रा करने के लिए एयर इण्डिया की किन्हीं जाली टिकटों का पता नहीं लगा है।

(घ) अगस्त, 1970 में, आई० ए० टी० ए० के सुरक्षा एवं जाल साजी निवारण के निदेशक ने बताया कि यू० एस० ए० तथा फिलिपाइन्स के बीच यात्रा के दौरान जापान एयर-लाइन्स तथा फिलिपाइन्स एयरलाइन्स के जाली टिकटों का पता लगा था।

(ङ) एयर इण्डिया द्वारा अपनी टिकटें छपवाने में विशेष सुग्राही स्याही, फ्लाइट कूपनों के

कार्बनीकरण, टिकटों के ग्लूइंग, आदि के सम्बन्ध में आई० ए० टी० ए० की जाल-साजी निवारक समिति की सिफारिशें अपना ली गई हैं।

एक ईस्ट कोस्ट रोड बनाने का प्रस्ताव

2636. **डा० रानेन सेन :** क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या एक ईस्ट कोस्ट रोड बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). पूर्वी तटवर्ती सड़क पहले ही मौजूद है और वह 465 मील लम्बी है जिसमें से गायब कड़ी सिर्फ 25 मील लम्बी है। सम्पूर्ण लम्बाई का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(1) तारकोल की दो गली वाली सड़क (24 फुट चौड़ा यानमार्ग)	.... 14 मील
(2) तारकोल की एक गली वाली सड़क (12 फुट चौड़ा यानमार्ग)	...............175 मील
(3) पानी कुटी मेंकेडेम रोड़ी की सड़क 8-12 फुट यानमार्ग वाली	.... 25 मील
(4) महाबलीपुरम से मारकानम तक गायब कड़ी	.... 25 मील
	465

प्रश्नगत सड़क राज्य सड़क है। अतः इसके विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है, तथापि इस सड़क का विकास करने के लिए भारत सरकार ने महाबलीपुरम् और मारकानम, के बीच की गायब कड़ी के निर्माण के 50 प्रतिशत खर्च की पूर्ति के लिए राज्य सरकार को दिसम्बर, 1966 में 16 लाख रुपये की सहायता अनुदान दिया। लागत का शेष भाग राज्य सरकार अपने साधनों से पूरा करेगी। यह निर्माणकार्य प्रगति पर है।

महानगरों में बृहत परिवहन की समस्यायें

2637. **डा० रानेन सेन :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में वृहत परिवहन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) संभवतया उल्लेख महानगर परिवहन सेवाओं के कार्यदल से है जिसको मार्च 1970 में योजना आयोग ने नियुक्त किया ताकि जन परिवहन की समस्याओं पर एक सभाकलित उपागम का विकास किया जा सके और महानगरीय शहरों में जनपरिवहन सेवाओं को सुधारने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया जा सके । इस दल ने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के महानगरीय शहरों में स्थिति का अध्ययन किया और सितम्बर 1970 में अपनी रिपोर्ट दी ।

(ख) दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दिखाई गई हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** सख्या एल० टी०-4424/70]

(ग) सिफारिशें संबंधित राज्य सरकारों, राज्य परिवहन उपक्रमों और भारत सरकार के मंत्रालयों के परामर्श से विचाराधीन है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगें

2638. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में संघ ने विश्वविद्यालय निकायों में तुरन्त सुधार लाने की आवश्यकता तथा विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों की सेवायें समाप्त करने के विरुद्ध कानूनी संरक्षण की व्यवस्था पर बल दिया है ।

विश्वविद्यालय के विभिन्न कानूनी निकायों के गठन का सामान्य प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालयों और कालेजों पर के शासन स्थापित समिति के विचाराधीन है । संघ की अन्य मांग विश्वविद्यालय के विचारार्थ दी गई है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चीनी उद्योग को दिया गया ऋण

2639. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत उनके द्वारा चीनी उद्योग को कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत से उन्होंने उद्योग, व्यापार, कृषि आदि को कुल कितना ऋण दिया है ;

(ग) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत छोटे, मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों, व्यापार कृषि आदि को कुल मिले ऋणों के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों को ऋण देने का कोटा निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रारम्भिक हिन्दी परीक्षा के उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

2640. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के छात्रों को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली के अन्य विद्यालयों में प्रवेश पाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये एक आदेश के अन्तर्गत प्रारम्भिक हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ;

(ख) क्या ऐसा आदेश पश्चिम बंगाल के छात्रों पर ही लागू होता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). केवल पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। (गैर भारतीय राष्ट्रिक, नागालैंड के और मिजों अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित छात्रों को छोड़ कर सभी छात्रों के लिए, जिन्होंने मैट्रिक अथवा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के स्तर तक हिन्दी का अध्ययन नहीं किया है, हिन्दी में अनिवार्य परीक्षा निर्धारित की गई है। ऐसे व्यक्तियों को अध्ययन के एक पाठ्यक्रम में भाग लेकर प्रथम, द्वितीय अथवा बाद के वर्षों के आखिर में हिन्दी में एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी असैनिक उड्डयन कम्पनियों द्वारा संचालित मार्ग

2641. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी असैनिक उड्डयन कम्पनियों द्वारा संचालित मार्गों को अपने अधिकार में ले लेने का निर्णय किया है ;

(ख) गैर-सरकारी असैनिक उड्डयन कम्पनियां किन-किन मार्गों पर अपने विमान चला रही है तथा इन गैर-सरकारी असैनिक उड्डयन कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन मार्गों को अपने अधिकार में लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

कम्पनी का नाम	जिन स्थानों के बीच परिचालित करती है
1. एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता ।	(i) कलकत्ता-अम्बारी (ii) कलकत्ता-अगरताला (इंडियन एयरलाइन्स की ओर से अनुसूचित मालवाही सेवायें)
2. जामेयर कम्पनी (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।	(i) दिल्ली-हिसार-पटियाला-लुधियाना (ii) दिल्ली-जयपुर-कोटा-जोधपुर (iii) दिल्ली-हिसार (iv) कलकत्ता-जलपाईगुरी-तेलीपारा (v) कलकत्ता-जलपाईगुरी-भाटपारा (vi) कलकत्ता-जलपाईगुरी-पारी (vii) कलकत्ता-जलपाईगुरी-सौगांव-भाटपारा (viii) कलकत्ता-जलपाईगुरी-ग्रामसौर-तेलीपारा (ix) कलकत्ता-जलपाईगुरी-सौगांव-तेलीपारा (x) कलकत्ता-अगरताला (इंडियन एयरलाइन्स की ओर से अनुसूचित मालवाही सेवायें)

समवाय अधिनियम के अधीन सनदी लेखापालों को लागत-लेखा कार्य करने की अनुमति

2642. **श्री इंद्रजीत गुप्ता** : क्या **समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लागत लेखा परीक्षा (अर्हता) नियम, 1970 के अधीन सनदी लेखापालों को लागत लेखा कार्य करने की अनुमति है जैसा कि समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 233-ख के अनुसार अपेक्षित है ;

(ख) क्या इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया ने सनदी लेखापालों की लागत लेखा कार्य की अनुमति दिये जाने पर आपत्ति प्रकट की है ;

(ग) यदि हां, तो इन्स्टीट्यूट ने किस आधार पर आपत्ति प्रकट की है ; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) लागत लेखा-परीक्षा (योग्यता) नियम 1970 के अनुसार, शास-प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 के अर्थान्तर्गत एक शास-प्राप्त लेखाकार जो 10 वर्ष की अवधि से, संस्थान का अधिसदस्य है, एवं कथित अधिनियम के अर्थान्तर्गत, व्यवहार में है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख के अन्तर्गत, लागत लेखा-परीक्षा करने के योग्य है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) भारतीय लागत एवं कार्यान्त लेखाकार संस्थान के अनुसार, धारा 233 ख का यह अभिप्राय है कि धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षा, केवल व्यवहारित लागत लेखाकार द्वारा ही होनी चाहिये, जब तक कि इस कार्य के लिये उनकी पर्याप्त संख्या उपलब्ध है, एवं शास-प्राप्त लेखाकार व अन्य व्यक्तियों के लिए योग्यता का विनिधान, केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेशित लागत लेखा-परीक्षा की संख्या को पूर्ण करने के लिए व्यवहारित लागत लेखाकारों की संख्या अपर्याप्त होने की दशा में, केवल एक समकारी प्राविधान है ।

(घ) विधि मन्त्रालय द्वारा दी गई कानूनी सलाह के अनुसार, धारा 233 ख की उप धारा (1) के अन्तर्गत शास-प्राप्त लेखाकारों की योग्यता का विनिधान, अधिदेशक है ।

पश्चिम बंगाल में कोयला खान कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

2643. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार को पश्चिमी बंगाल में कोयला खान कम्पनियों द्वारा कर अवंचन के कुल कितने मामलों की सूचना दी गई है ;

(ख) प्रत्येक मामले में कुल कितनी धनराशि का कर अपवंचन किया गया तथा कर अपवंचन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की पूर्ण रूप से जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चार मामले ।

(ख) और (ग). मामलों की अभी भी जांच-पड़ताल की जा रही है । जांच पड़ताल पूरी होने पर और कर अपवंचन की आरोप सिद्ध होने पर ही कम्पनियों के नाम और कर अपवंचन की सीमा को बता सकना सम्भव होगा ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय नियमावलियों इत्यादि के अनुवाद के लिये नियुक्त समिति द्वारा की गई प्रगति

2644. **श्री राजदेव सिंह :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न केन्द्रीय नियमावलियों, नियमों तथा विनियमों का हिंदी में अनुवाद करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं। तथापि, 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई थी और विधीतर, केन्द्रीय नियम पुस्तिकाएं, नियम व विनियमों का हिन्दी में अनुवाद करना भी इस निदेशालय के कार्यों में एक रहा है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

अब तक प्राप्त और अनुवाद किए हुये नियम-पुस्तिकाओं आदि सहित क्रियाविधि सहित की प्रगति निम्नलिखित है :—

(क)	अक्तूबर 1970 तक प्राप्त क्रियाविधि साहित्य आदि।	मानक पृष्ठ 1,75,000
(ख)	अक्तूबर 1970 तक, विभिन्न अवस्थाओं में पड़ी सामग्री सहित अनुदित कुल सामग्री	1,17,623
(ग)	(ख) में दी गई सामग्री में से मंत्रालयों/विभागों को अक्तूबर 1970 तक भेजी गई सामग्री।	1,01,277

Pending Loan Applications in various Branches of State Bank of India in East Nimar District of Madhya Pradesh

2645. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of loan applications which have been under consideration in the various branches of the State Bank of India in the East Nimar District of Madhya Pradesh (with figures for Burhanpur branch, separately) for over one month and over three months ; and

(b) the reasons for the delay and whether any responsibility is being fixed for this delay ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Five loan applications are pending for over one month with the branches of State Bank of India in East Nimar District of Madhya Pradesh. Of these three loan applications are pending for a period of over one month with Khandwa branch and two applications are

pending for a period of over three months with Burhanpur branch of State Bank of India.

(b) The applications are pending for want of technical reports and applicant's financial statements.

Setting up of Multi-Purpose Institutions in Madhya Pradesh

2646. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether any multi-purpose institutions have been set up in Madhya Pradesh to give loans and to deal in marketing ;

(b) if so, their locations :

(c) if not, whether Government propose to set up such institutions in the future ; and

(d) if so; the number of such institutions and where those will be located ?

The Minister of State in the Ministy of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Estimated Loss due to Strike in Indian Airlines

2647. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the estimated loss caused by the strike that took place some time back in the Indian Airlines ;

(b) whether Government propose to take certain special measures to prevent the recurrence of such strike in future ; and

(c) whether Government have received certain suggestions to declare Air service as an essential service ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The estimated loss due to the recent 'go slow' and 'work to rule' tactics by the technical staff of Indian Airlines is Rs. 30 lakhs.

(b) Government have already issued a notification under the essential Services Maintenance Act, prohibiting strikes in

"Services connected with the operation repair or maintenance of aircraft of Air-India and Indian Airlines'.

(c) Air Services have been classified as essential service under the Essential Service Maintenance Act, 1968.

चिट फंड कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

2648. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्मार्ट्स चिट फंड तथा कुछ अन्य चिट फंड कम्पनियां अपने ग्राहकों के साथ जालसाजी करने के आरोपों में अंतर्ग्रस्त हैं और धोखा करने आदि के बारे में इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन चिट फंड कम्पनियों की कार्य-प्रणाली की जांच की गई है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन चिट फंड कम्पनियों को बन्द करने का है क्योंकि इनमें से अधिकांश विनियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों से धन बटोरने में लगी हुई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायगा।

(ग) बैंकिंग आयोग गैर बैंकिंग कम्पनियों जिनसे चिट फंड कम्पनियां भी शामिल हैं, से सम्बन्धित मामलों की जांच कर रहा है। आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखकर विचार किया जायगा।

भूतपूर्व नरेशों द्वारा अपने महल पर्यटन विकास परिषद को सौंपने की पेशकश

2649. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कई भूतपूर्व नरेशों ने अपने महलों को होटलों में परिणत करने के लिये उन्हें पर्यटन विकास परिषद् को सौंपने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : जी, नहीं, परन्तु सम्बन्धित पक्षों द्वारा इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का स्वागत किया जायेगा क्योंकि इससे पर्यटन के आधारभूत उपादानों (इन्फ्रास्ट्क्चर) को बल मिलेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चौदहवीं अखिल भारतीय पर्यटक विकास परिषद् की सिफारिशें

2650. **श्री जनार्दनन** : क्या पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में मदुरै में हुई चौथी अखिल भारतीय पर्यटक विकास परिषद् की बैठक की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने वे सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मदुराई में अक्तूबर, 1970, में हुई पर्यटन विकास परिषद् की 14 वीं बैठक में पारित संकल्पों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4425/70]

(ख) ग्रौर (ग). संकल्पों की प्रतिलिपियां जांच एवं ग्रावश्यक कार्यवाही के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों को प्रेषित कर दी गई हैं ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी में डा० तेजा तथा ग्रन्य व्यक्तियों के ग्रधिकार, हक्क तथा हितों की नीलाम द्वारा बिक्री

2651. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई के शैरिफ द्वारा जयन्ती शिपिंग कंपनी में डा० धर्म तेजा तथा ग्रन्य व्यक्तियों के 212472 शेयरों के ग्रधिकार हक्क तथा हितों के निलाम द्वारा बिक्री करने के सम्बन्ध में जारी किए गये नोटस की ओर दिलाया गया है, जिससे ग्रायकर की बकाया धनराशि वलस्ल की जा सके ;

(ख) क्या बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बोली लगाने से पूर्व बम्बई के शैरिफ के पास 50 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा गया है और 50 लाख रुपये से ग्रधिक बोली लगाने पर उस व्यक्ति को बोली स्वीकार किये जाने के 48 घटे के भीतर बाकी रकम का भुगतान करना पड़ेगा ;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 5 करोड़ रुपये से ग्रधिक पूंजी वाली कम्पनियों पर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया ग्रधिनियम ग्रौर ग्रौद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के होते हुए सरकार उपरोक्त शर्त के कारण सब से ऊंची बोली से वंचित रह जायेगी ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सरकार सबसे ऊंची बोली से उक्त शर्त के कारण वंचित न रह जाए ?

संसद्-कार्य ग्रौर पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) बम्बई के शैरिफ की 16-9-1970 की घोषणा डा० धर्म तेजा के जयन्ती शिपिंग कम्पनी 212472 शेयरों जो उनके नाम पर थे, के हकों, टाइटल और हितों की बिक्री-निलाम से सम्बन्धित है। यह घोषणा बम्बई ग्रौर दिल्ली उच्च न्यायालयों द्वारा जयन्ती शिपिंग कम्पनी द्वारा किए गए दीवानी मुकदमों में की गई डिग्रियों के ग्रनुसरण में की गई न कि ग्राय कर के बकाये के लिए। डा० जयन्ती धर्म तेजा द्वारा देय ग्रायकर ग्रौर संपत्ति कर शेयरों की बिक्री से ग्राने वाले धन सबसे प्रथम चुकाये जाने हैं ।

(ख) जी हां । शैरिफ की घोषणा के इस की व्यवस्था है ।

(ग) और (घ). कानून ग्रौर नीति निर्णयों के ग्रनुबंध ऐसे मामले हैं जिनका पालन करना ग्रावश्यक है ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड का प्रतिवेदन और वार्षिक परीक्षित लेखे

2652. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के वार्षिक परीक्षित लेखे और प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिये गये हैं जैसे कि समवाय विधि के अनुसार अपेक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं और ये कब तक प्रकाशित हो जायेंगे ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम 1966 की धारा 8 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के प्रभाव के कारण जयन्ती शिपिंग कम्पनी की कंपनी कानून की धाराओं 166 और 210 के प्रवरों से जिसके अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक बुलाना और उसमें वार्षिक लेखे और तुलन पत्र और आय व्यय लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक है, छूट मिल जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी में डा० धर्म तेजा तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकार हक्क तथा हितों की नीलामी

2653. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई के शैरिफ द्वारा डा० धर्म तथा अन्य व्यक्तियों के जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के 212472 अंशों के अधिकार, हक्क तथा हितों की निलामी किये जाने संबधी नोट्स की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धक को उक्त शेयरों के खरीदारों को हस्तांतरित करने का है ; और

(ग) यदि (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या इससे संभावी बोली देने वालों पर रोक नहीं लगेगी और उसके परिणामस्वरूप बोली नीची रहेगी और उस प्रकार सरकार सब से अधिक ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति से वंचित रह जाएगी ?

संसद्-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) बम्बई के शैरिफ की 16-9-1970 की घोषणा डा० धर्म तेजा के जयन्ती शिपिंग कम्पनी के 2,12,452 शेयरों जो उनके नाम पर थे, वे केवल हक्कों टाइटल और हितों की बिक्री निलाम से सम्बन्धित है ।

(ख) और (ग). 1966 के केन्द्रीय अधिनियम 22 के धारा 3 (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रण बोर्ड का कार्यकाल 10 जून, 1966 से 5 वर्ष का है बशर्ते कि यह बढ़ाया न गया हो।

प्रबन्ध का भविष्य उसके बाद सरकार द्वारा अधिनियम के धारा 3 (6) के परन्तुक के संदर्भ में उचित समय पर विचार किया जायेगा।

भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति

2654. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का स्तर गिर रहा है ;

(ख) क्या ऐसी घटनायें हुई हैं जिनमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने दबाव में आकर परीक्षाओं में किये गए कदाचार को अनदेखा कर दिया है ;

(ग) क्या लोगों ने कुछ विश्वविद्यालयों का खुले आम तिरस्कार करना शुरू कर दिया है जैसा कि हाल ही में एक पद के लिए छपे विज्ञापन में संकेत दिया गया था कि विक्रम विश्व-विद्यालय के छात्र एक विशिष्ट पद के लिए आवेदन पत्र न दें ;

(घ) क्या एक ओर अयोग्य प्रशासन के कारण और दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र में राजनीति के प्रवेश के कारण छात्रों के आन्दोलन बढ़ गये हैं और शिक्षकों की हड़ताल के कारण कई विश्वविद्यालयों में कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) निर्धारित अवधि में स्तरों को वास्तविक रूप में मापने और निश्चित रूप से यह बताने में कि वे किस सीमा तक और किन विषयों में गिर रहे हैं अथवा उन्नत हो रहे हैं, इसमें सहज कठिनाई हैं। किन्तु, जैसा कि शिक्षा आयोग (1964-66) ने कहा है, शिक्षा के काफी बड़े क्षेत्र में, शिक्षा की विषय-वस्तु और किस्म हमारी वर्तमान आवश्यकताओं और आगामी जरूरतों के लिए अपर्याप्त है और शैक्षिक रूप से उन्नत अन्य देशों के औसत स्तरों के मुकाबले कम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इसी प्रकार की चिन्ता व्यक्त की है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) ऐसी किसी घटना की सरकार को जानकारी नहीं कराई गई है।

(घ) विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा आन्दोलन के कुछ मामलों की सूचना मिली है। इनसे शिक्षा संस्थाओं का कार्यकरण कुछ सीमा तक प्रभावित हुआ है। किन्तु यह कहना कठिन है कि इन आन्दोलनों में राजनीतिक पार्टियों का कुछ हाथ है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपलब्ध सीमित साधनों के अन्दर और अपनी सांविधिक जिम्मेदारियों के अनुसार, उच्च शिक्षा की किस्म और विषय वस्तु में सुधार के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है।

बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2655. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि बैंक कर्मचारियों की हाल की हड़ताल में कनिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था जबकि पहले की हड़तालों में उन्होंने ऐसा नहीं किया था ;

(ख) क्या मुद्रा बाज़ार पर उक्त हड़ताल के पूरे समूचे और काम को ठप्प कर देने वाले प्रभाव से किसी एक उद्योग के सभी प्रमुख एककों के राष्ट्रीयकरण के दुष्प्रभाव स्पष्ट हो गये हैं ; और

(ग) हड़ताल की दृढ़ता से मुकाबिला करने में सरकार की अक्षमता और बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा करने में सरकार की असमर्थता के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वस्तु स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सूचना को सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) और (ग). माननीय सदस्य द्वारा निकाले गये निष्कर्षों से सरकार सहमत नहीं है।

तकनीकी शिक्षा सुधार के लिए रूस के साथ करार

2656. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने, तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिये रूस के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). 10 दिसम्बर, 1966 के आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी भारत तथा रूस के क्रेडिट करार के अधीन निम्नलिखित परियोजनायें अनुमोदित की गई हैं :

I उन्नत स्तरीय अध्ययन और अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना :—

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई में वैमानिक इन्जीनियरी

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में धातु विज्ञान

(3) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में भू भौतिकी

(4) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में स्वचालन तथा संगणक

II निम्नखित क्षेत्रों में उद्योग के सहयोग से तकनीशनों के प्रशिक्षण के लिये प्रायोगिक परियोजनायें :

(1) भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से दुर्ग पालिटेक्निक में धातु-विमान

(2) भारी इन्जीनियरी निगम, राँची के सहयोग से रांची पालिटेक्निक से भारी मशीन भवन

(3) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में प्रशिक्षण केन्द्र में विद्युत मशीन भवन।

(4) गुजरात उर्वरक निगम, गुजरात परिस्करण शाला तथा तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से बड़ौदा विश्वविद्यालय पालिटेक्निक में तेल तथा गैस उद्योग।

(5) हैवी इलैक्ट्रिकलस लिमिटेड, भोपाल के सहयोग से (एस० वी० राजकीय) पालिटेक्निक, भोपाल में विद्युत मशीन भवन।

(6) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से राजकीय पालिटेक्निक, हैदराबाद में रेडियो इलेक्ट्रानिकी तथा बिजली।

इन सभी परियोजनाओं के लिए कुल अनुमानित रूसी सहायता लगभग 3 करोड़ रुपये है जिनका उपयोग रूसी विशेषज्ञों की सेवा, रूस में भारतीय संकाय के प्रशिक्षण और केन्द्रों के लिए विशिष्ट साज-समान उपलब्ध करने में किया जायेगा।

एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन निकट के सम्बन्ध रखने वाली कम्पनियों के मध्य धन के दुरुपयोग पर नियंत्रण

2657. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में गोल्डन तम्बाकू कम्पनी ने गोल्डन कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड कम्पनी से जो उसी प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन कम्पनी है, लगभग 4 लाख रुपये का ऋण लिया था ;

(ख) क्या इसी प्रकार के ऋण वर्ष 1967-68 और 1969-70 में भी लिए गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन निकट के संबंध रखने वाली कम्पनियों के मध्य धन के सम्भाव्य दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

समवाय कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) गोल्डन टोबेको कम्पनी प्राइवेट लि० के 30 जून, 1969 तक के तुलन-पत्र से, गोल्डन कैमीकल्स प्राइवेट लि० से ऋण तथा अग्रिम धन, 4,23,966 रुपये शेष, प्रदर्शित होता है।

(ख) गोल्डन टोबैको कम्पनी के तुलन-पत्र में, 30 जून, 1968 तक, इस कंपनी पर

किसी अन्य कंपनी का कोई ऋण शेष नहीं दिखाया गया है। चूंकि संबंधित कंपनियों ने, कंपनी रजिस्ट्रार, बम्बई को, 30 जून, 1970 के अपने तुलन-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की हैं, अतः 30 जून, 1970 तक की इस वाबत स्थिति, का पता नहीं है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370, पब्लिक कम्पनियों, तथा उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो अन्य निगम निकाय जो उसी प्रबन्ध के अन्तर्गत होने या न होने, वाली पब्लिक कम्पनियों की सहायक हो, से प्राप्त ऋणों के विनियमित करने के रुपांकन के लिए है। इस विशिष्ट विषय में, उधार देने वाली कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी होने से साधारणतः धारा 370 के उपबन्ध इस पर लागू नहीं होते। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 के उपबन्धों में कुछ संशोधन विचाराधीन है।

Delhi-Bound Plane of Indian Airlines made to Forceland at Begumpet

2658. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian Airlines plane bound for Delhi was forced to land at Begumpet on the 16th January, 1970 on the suspicion that it carried a bomb in it ; and

(b) if so, whether Government have made any enquiry about the person who gave this baseless information ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). On the 16th September, 1970, Indian Airlines, Madras received an anonymous call to the effect that there was a bomb on flight IC-440. The aircraft was in flight from Madras to Delhi, but landed at Begumpet at 1801 hours. The aircraft was thoroughly searched but no bomb was found. Thereafter, it continued its flight to Delhi.

Unearthing of a Gang of Smugglers in Ahmedabad

2659. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri S. K. Tapuriah** :
Shri Mahendra Majhi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Customs and Income Tax authorities had raided and unearthed an international gang of smugglers in Ahmedabad in October, 1970 ;

(b) if so, the value of the goods seized and the number of persons arrested ; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Customs and Income Tax authorities carried out searches jointly of certain premises in Ahmedabad in October, 1970 as a result of which some documents, books of account, Indian currency amounting to Rs. 3.4 lakhs and silver of an estimated value of Rs. 1 lakh were seized. No arrest have been made. The seized documents and books are under scrutiny. Eurther action will be taken according to relevant laws in the light of the results of investigation.

Smugglers in India

2660. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have made any study of the *modus operandi* of smugglers in the country.

(b) if so, the findings thoreof ; and

(c) the measures proposed to be taken by Government to check the increasing smuggling trade in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The *modus operandi* of smugglers into the country is the subject of continuous study by the officers engaged on anti-smuggling duties. Goods are generally smuggled by concealment on person/in baggage, in post parcels/in aircrafts, ships, vehicles, fast moving launches and country crafts etc. The following steps have been taken to prevent smuggling of foreign goods into the country :—

> Systematic collection and follow-up of information, keeping a watchful eye on the suspected smugglers, rummaging of suspected vessels or aircrafts, and patrolling of vulnerable sectors along the coast and the land frontiers. Customs Act, 1962 has been amended making additional provisions to take special measures for the purpose of checking illegal import and export of certain commodities and facilitating their detection. These measures are kept constantly under review.

राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन का निकाला जाना

2661. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा 1 नवम्बर, 1970 तक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से जमा राशि से कितना अधिक धन निकाला गया ;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति का पुनर्विलोकन कर लिया है ;

(ग) राज्यों द्वारा जमा राशि से बार-बार अधिक धन निकालने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) राज्यों की बजट सम्बन्धी प्रवृत्तियों की समीक्षा करना लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है ।

(ग) और (घ). सम्बद्ध राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी बजट सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा करें और अपने आयोजनागत और आयोजना-भिन्न अर्थात् दोनों प्रकार के परिव्यय में आवश्यक फेर-बदल करें ताकि वर्ष के अन्त में जमा से अधिक निकाली गयी कोई रकम न रहे ।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा जमा से अधिक निकाली गयी रकमों का विवरण

(2 नवम्बर 1970 की स्थिति के अनुसार चूंकि पहली नवम्बर को छुट्टी थी इसलिए 2 नवम्बर को स्थिति की सूचना दी गई है)

	(करोड़ रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	43.56
बिहार	1.32
केरल	8.76
मैसूर	0.60
राजस्थान	44.33
तमिलनाडु	18.06

गुजरात को वित्तीय सहायता

2662. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने 100 ग्रामों और बरोच जैसे नगरों को भी, जिन्हें, बाढ़ का सामना करना पड़ता है, अन्य स्थानों पर ले जाने का विचार प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ब्याज मुक्त ऋण देकर राज्य के भार को हल्का करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार को गुजरात सरकार की ओर से, प्रश्न में उल्लिखित इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति तथा राहत और पुनर्वास सम्बन्धी विभिन्न उपायों के लिए धन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए, राज्य का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल को एक ज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ 100 ग्रामों को ऐसे नये स्थानों पर ले जाने का प्रस्ताव किया गया है जो बाढ़ के प्रकोप से मुक्त होंगे। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके पास बंधक रखे गये अंशों के सम्बन्ध में मतदान का अधिकार

2663. **श्री स० कुन्दू :** **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋणों को साम्य अंशों में बदलने के प्रस्ताव तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को, उनके पास बंधक के रूप में रखे गये अंशों के सम्बन्ध में मतदान का अधिकार देने सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब और किस रूप में क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार अपने उस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यचालन सम्बन्धी व्यवस्था के ब्यौरे पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिसमें वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा दिये गये ऋणों को सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने के लिए विकल्पाधिकार का प्रयोग करने के लिए कहा गया है।

जहां तक शेयरों के सम्बन्ध में मताधिकार का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 अगस्त, 1970 को राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों के नाम निर्देश जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ यह बताया गया है कि 50,000 रुपये से अधिक रकम के लिए बंधक के रूप में रखे गये शेयर बैंक के नाम हस्तांतरित कराये जाने चाहिए और इस सम्बन्ध में बैंक को ही एक मात्र मताधिकार होना चाहिए। सरकार रिजर्व बैंक के साथ एक तन्त्र की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार विमर्श कर रही है ताकि इस बात को सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि बैंक और जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाएं जो शेयरों आदि से निवेश करती हैं, मताधिकार का स्थान और युक्तिसंगत पद्धति के अनुसार प्रयोग करें।

यद्यपि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं हैं, फिर भी उपर्युक्त व्यवस्था को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारत के पास रक्षित विदेशी मुद्रा

2664. **श्री हेम बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की रक्षित विदेशी मुद्रा हाल ही में बहुत घट गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने रक्षित विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण

2665. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वांछनीयता पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). छोटे बैंक मुख्यतः छोटे ऋणकर्त्ताओं और स्थानीय असामियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा, सीमित भौगोलिक क्षेत्र-सीमा और प्रशासनिक कर्मचारियों तथा प्रबन्धकीय साधनों के अभाव के कारण उन्हें राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के योग्य तैयार करना कठिन होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह विचार किया है कि छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं होगा।

स्थानान्तरण पर कलकत्ता, बम्बई व दिल्ली भेजे गये आयकर अधिकारियों के लिए आवास

2666. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानान्तरण पर कलकत्ता, बम्बई व दिल्ली भेजे गये आयकर अधिकारियों एवं सहायक आयुक्तों के लिए कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है ;

(ख) कितने अधिकारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं और कितने अधिकारियों के आवेदन पत्र इस समय लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली तथा बम्बई के बारे में सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

जहां तक कलकत्ता का सवाल है, सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

	दिल्ली	बम्बई
1. स्थानान्तरण पर भेजे गये आयकर अधिकारियों तथा सहायक आयकर आयुक्तों के लिए जितने क्वार्टरों की आवश्यकता है उनकी संख्या	238	172
2. जिन अधिकारियों को आवास दिया जा चुका है उनकी संख्या	79	74
3. जिन अधिकारियों की प्रार्थनाएं अनिर्णीत पड़ी हैं उनकी संख्या	159	52*
4. कमी को पूरा करने के लिए किये गये उपाय	विभागीय पूल में दिल्ली तथा बम्बई में और अधिक फ्लैटों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।	

*इसमें वे अधिकारी शामिल नहीं हैं जिनके नाम वरीयता सूची में बहुत नीचे हैं और जिन्होंने आवास के लिए आवेदन नहीं किया है।

ललित कला एकादमी के लिये बिना बिके प्रकाशन

2667. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री स० अ० अगडी :**

श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित 4,50,000 रुपये की

पुस्तकें और पुस्तिकाएं पिछले दो वर्ष से अकादमी के गोदामों में बिना बिके पड़ी हुई हैं क्योंकि मंत्रालय ने अभी विपणन प्रबन्धक की मंजूरी देनी है ;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) महापरिषद द्वारा स्थापित स्टाफ की समीक्षा समिति तथा प्रबन्धक बोर्ड की सलाह से ललित कला अकादमी द्वारा पणन-प्रबन्धक को लगाने का प्रश्न विचाराधीन है। इस पद की संस्वीकृति के लिए अकादमी द्वारा इस मंत्रालय को कोई औपचारिक पत्र नहीं लिखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कला के प्रकाशनों का बाजार सीमित है, किन्तु अच्छे प्रतिलाभ की सम्भावनाओं के प्रति अकादमी पूर्ण जागरूक है। पणन प्रबंधों में सुधार किया गया है, जिनसे भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की आशा है।

कलकत्ता ट्रामवे कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

2668. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता ट्रांमवे कम्पनी ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कर्मचारियों ने अपने वेतनमानों के पुनरीक्षण की मांग के समर्थन में कई बार हड़ताल की थी ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी हड़तालें हुई थी ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता ट्रामवे कर्मचारियों के वेतनमानों में पुनरीक्षण करने का है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी के कर्मचारियों के वर्गों और वेतनमानों में 1964 में संशोधन किया गया था, जब फोरमैनों के सिवाय सभी वर्गों में त्रिवर्ग पद्धति के स्थान में द्विवर्ग पद्धति की गई थी। कुछ वर्गों के पदों के वेतन-मानों में वृद्धि की गयी यद्यपि अधिकतम पर पहुंचने के लिए और लंबा समय निश्चित किया गया (अर्थात अधिकतम वेतन पर पहुंचने के लिए कंडक्टरों और ड्राइवरों द्वारा पूरा किया गया सेवाकाल 16 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष किया गया।

(ख) और (ग). गत तीन वर्षों (अर्थात 1967 से 1969 तक) के दौरान इस कम्पनी के कर्मचारियों ने तीन बार हड़ताल की।

(घ) कलकत्ता ट्रामवे कर्मचारी संघ ने गत वर्ष वर्गों और वेतनमानों के संशोधित करने की मांग पेश की थी। कम्पनी के प्रबन्धक ने मांग के वित्तीय आशयों की जांच की और मामले के

सांविधिक सलाहकार समिति के समक्ष रखा। इस समिति ने नोट किया कि कलकत्ता ट्रामवे कंपनी के कर्मचारियों की कुल उपलब्धियां कलकत्ता राज्य-परिवहन निगम के कर्मचारियों की उपलब्धियों से तुलना में अधिक हैं और वह समिति इस निष्कर्ष पर आयी कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति के अनुसार फिलहाल इन मांगों पर विचार करना सम्भव नहीं है। उसके बाद मामला समझौते के लिए भेजा गया और वह अब समझौता अधिकारी के पास निलंबित है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों का पंजीकरण

2669. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितनी कम्पनियों के पंजीकृत किये जाने की संभावना थी और उनमें से कितनी कम्पनियों ने वास्तव में अब तक अपने को रजिस्टर करा चुकी है ;

(ख) अनेक कम्पनियों के पजीकृत न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पंजीकरण के बारे में अनुभव होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए है और यदि हां, तो उन कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है और उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिये अपेक्षित उपक्रमों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है। अब तक 646 उपक्रम पंजीकृत हो चुके हैं।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों की व्याख्या की बाबत कठिनाइयों का उल्लेख करते हुये, धारा 20 की प्रयोज्यता के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। स्पष्टिकरण के इच्छुक उपक्रमों को समुचित परामर्श दिया गया है।

विदेशी ऋणों की अदायगी

2670. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा विदेशों को ऋणों की अदायगी की वर्तमान वार्षिक बचनबद्धता कितनी है और देशवार उसके आंकड़े क्या हैं और इस वर्ष ऋणों की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ;

(ख) आगामी तीन वर्षों में ब्याज और मूलधन की अदायगी के रूप में कुल कितनी राशि दी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ऋण की अदायगी के इस कार्यक्रम का पालन करना कठिन समझती है ; यदि हां, तो अदायगी के भार को कम करने लिये कोई कार्यवाही की गई है और क्या उसमें कुछ सफलता मिली है ;

(घ) क्या सरकार को चौथी योजना में किये गये उपबन्धों के अनुसार विदेशी सहायता मिलने की आशा है और यदि हां, तो किन-किन देशों से ; और

(ङ) यदि नहीं, तो संभावित कमी कितनी होगी और उसे कैसे पूरा किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1970-71 के दौरान विदेशी ऋणों का अनुमानित वापसी अदायगी का देशवार ब्यौरा दिया गया है।

1970-71 के दौरान ऋणों की अनुमानित वापसी अदायगी का 434 करोड़ रुपये की रकम के मुकाबले चालू वर्ष में कुल 640 करोड़ रुपये तक का नया सहायता के वचन मिलने की संभावना है ।

(ख) अनुमान है कि मौजूदा बकाया विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी में 1971-72 में 4:8 करोड़ रुपये, 1972-73 में 459 करोड़ रुपये और 1973-74 के दौरान 441 करोड़ रुपये की रकम चुकाना होगा ।

(ग) सरकार, विदेशी ऋणों के शोधन को, निर्यात और अन्य विदेशी लेन देनों से देश को होने वाली विदेशी मुद्रा की आय पर, प्रथम प्रभार मानता है । फिर भी, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त विदेशी मुद्रा के साधनों को जुटाने के लिए सरकार निर्यात का संवर्द्धन, आयात का प्रतिस्थापन और जहां तक समुचित हो, ऋण-राहत की प्राप्ति जैसे विभिन्न उपाय करती रहती है। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें पिछले तीन वर्षों में आयात और निर्यात की प्रवृत्ति और इस अवधि के दौरान प्राप्त की गयी ऋण-राहत के आंकड़े दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**—4426/70]

(घ) और (ङ). चूंकि अधिकांश सहायता दाता वार्षिक आधार पर ही सहायता की आवश्यकता पर विचार करते हैं इसलिये, इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि चौथी आयोजना के दौरान विदेशी सहायता की रकम में यदि हुई तो कितनी कमी होगी ।

जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी नियोजन के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

2671. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के धन के नियोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इस मामले पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है । अनुमान है कि सरकार दो महीने की अवधि में मार्गदर्शक सिद्धान्त अंतिम रूप से तैयार कर लेगी ।

मध्य प्रदेश में स्वयं नियुक्त कमीशन एजेन्टों द्वारा ऋण के इच्छुक व्यक्तियों से कमीशन की वसूली

2672. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में स्वयं नियुक्त कमीशन एजेंट ऋण के इच्छुक व्यक्तियों से राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम पर कमीशन वसूल कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त एजेंटों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में काम करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों से पता चला है कि ऐसा कोई मामला उनके देखने में नहीं आया है । फिर भी, बैंकों को परामर्श दिया गया है कि छोटे ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में, वे किसी भी प्रकार से बिचौलियों को प्रोत्साहित न करें ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

2673. **श्री देवकी नन्दनपाटोदिया :** क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण बैंक मैनेजर के विवेक पर दिये जाते हैं और दिये गये ऋणों के अनुचित उपयोग पर बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबन्धकों को अपने विवेकानुसार निर्धारित सीमाओं तक की रकमों के ऋण मंजूर करने के अधिकार दिये गये हैं । यह इसलिए किया गया है कि ऋणों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके । शाखा प्रबन्धकों से यह आशा की जाती है कि वे इस बात की तसल्ली कर लें कि ऋण का उपयोग उस प्रयोजन के लिये किया जायगा, जिसके लिए वह दिया गया है । मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय शाखाओं के कार्यचालन की, जिसमें शाखा प्रबन्धकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण भी शामिल हैं, देखरेख करते हैं ।

गोरखपुर की फोरबेसगंज से मिलने वाली पार्श्व सड़क के कुछ हिस्से का निर्माण

2674. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री 28 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4343 के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्श्व सड़क द्वारा या कोसी पर पुल बनाकर वर्तमान पार्श्व सड़कों को मिलाकर गोरखपुर की फोरबेसगंज से मिलाने के लिए इस बीच किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) बिहार में पार्श्व सड़क परियोजना का काम कब तक पूरा हो जायेगा और सड़कों के बीच के फासले को यातायात योग्य बना दिया जायेगा ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से कसिया तक तथा बिहार में पिपराकोठी से मुजफ्फरपुर तक सड़क का भाग पहले से ही विद्यमान है। कासिया तथा पिपराकोठी के बीच की लुप्त कड़ी का पार्श्व सड़क परियोजना के भाग के रूप में और मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक पार्श्व सड़क की संपर्क सड़क के तौर पर निर्माण कार्य प्रगति पर है कोसी नदी पर पुल और उसके लिये यह मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) नवीनतम् समीक्षा के अनुसार बिहार में गंडक नदी पर पुल जिसकी मार्च 1972 तक पूर्ण होने की सम्भावना है, तथा कुछ अन्य छोटे मोटे कार्य जो मार्च 1971 के कुछ महीने पश्चात् पूर्ण कर दिये जायंगे। के सिवाय बिहार में स्वीकृत पार्श्व सड़क परियोजना मार्च, 1971 के अन्त तक लगभग पूर्ण होने की सम्भावना है।

उत्तर बिहार में स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक की शाखाओं में ऋण के लिए अनिर्णीत आवेदन-पत्र

2675. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष दरभंगा जिले और उत्तर बिहार में अलग अलग स्टेट बैंक आफ इंडिया और सेंट्रल बैंक की विभिन्न शाखाओं के कृषि तथा लघु उद्योगों के हेतु ऋण के कुल कितने आवेदन पत्रों का निपटारा हुआ अथवा कितने अनिर्णीत पड़े थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दरभंगा और उत्तर बिहार के जिलों में भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया से कृषि (प्रत्यक्ष सहायता) और लघु उद्योगों के लिए मांगे गये अग्रिमों की रकम और ऐसे अग्रिमों के लिए विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या सम्बन्ध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, जून 1969 और जून 1970 के अन्तिम शुक्रवार तक बिहार राज्य में भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया द्वारा कृषि (प्रत्यक्ष सहायता) और लघु उद्योगों के लिए दिये गये अग्रिमों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(रकम-लाख रुपयों में)

अग्रिमों का विवरण	भारतीय स्टेट बैंक		सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
कृषि को अग्रिम (प्रत्यक्ष सहायता)				
जून, 1969	826	21.00	7	1.30
जून, 1970	7017	273.00	181	2.20
लघु उद्योगों को अग्रिम				
जून, 1969	414	118.48	111	102.16
जुलाई, 1970	588	282.78	174	122.56

New Companies Incorporated in Public and Private Sectors in Madhya Pradesh

2676. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of new companies which have been incorporated in the public and private sectors, separately, in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the number of Companies which have been permitted to expand the activities during this period ;

(c) the spheres of activities of these companies ; and

(d) whether some of the Companies were closed down in the recent past, and if so, the details thereof and the reasons therefor ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) During the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70, 48 companies in the Private Sector and one company in the Public Sector were registered in Madhya Pradesh under the Companies Act, 1956.

(b) and (c). During the aforesaid period one Company was granted an industrial licence and a letter of intent for substantial expansion to manufacture Switchgears, Control-gears, Transformers and Power Capacitors etc.

(d) Thirteen companies ceased functioning in Madhya Pradesh during the aforesaid period. Of these seven were struck off the register as moribund companies, four went into members voluntary liquidation and one by Court's order. The thirteenth one was a company limited by guarantee. The details are given in the Statement annexed. [*Placed in Library. See* No. LT—4427/70].

Satellite Branch Offices of State Bank of India

2677. **Shri Ram Avatar Sharma** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to open 50 Statellite branch offices of the State Bank of India in rural areas in different parts of the country for providing the facilities of rural credit ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the names of the places (State-wise) where these Statellite branch offices are proposed to be opened ;

(d) the details of the facilities to be provided by these branches ; and

(e) whether backward State like Madhya Pradesh will be given preference in the matter of opening of such Satellite branches ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). State Bank of India extends to open about 50 statellite offices around 7 base branches on an experimental basis to reach out into un-banked, mostly rural, areas and provide there on-the-spot banking facilities including rural credit.

A satellite office will function essentially as an adjunct to the base branch and will operate at a particular centre during specified hours on specified days in suitable premises fixed there. On non-operating days, customers will be permitted to transact their business at the base branch.

For the present Burdwan, Amalapuram and Amritsar branches from Calcutta, Hyderabad and New Delhi Circles of State Bank, respectively, have been selected for operating 5/6 satellite offices each. Similar centres are expected to be selected from Bombay, Madras, Kanpur and Ahmedabad Circles as well.

The following types of business is proposed to be transacted at the satellite offices ;

(1) Savings Bank and Term Deposit Accounts.

(2) Advances for agricultural and allied purposes on village adoption basis only.

(3) Acceptance of cheques and other like instruments for collection.

(4) Issue of drafts and small transfers.

(5) Encashment of bank's ruppee travellers cheques.

(e) If the experiment proves successful, such offices may eventually be established in all States in the country with due regard to the special needs of the backward States.

Setting up of Libraries in Villages

2678. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kothari Commission on Education and recommended the setting up of a Chain of libraries in villages ;

(b) whether it is also a fact that Madhya Pradesh is the only State where the State Government had embarked upon a rural library scheme in 1950 ;

(c) if so, whether Government propose to treat the scheme as a Centrally sponsored scheme ; and

(d) if so, the amount of assistance to be given by the Centre to the State ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Translation of Standard Works of Foreign Languages into Hindi by Commission for Scientific and Technical Terminology

2679. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commission for Scientific and Technical Terminology had embarked upon a scheme to translate standard works in foreign languages directly into Hindi and to publish them ;

(b) whether such standard works were allotted to several Translators for translation etc. ;

(c) if so, the number of works translated, revised and published so far and the number of such works which are still under translation/revision ; and

(d) whether the Commission propose to take steps for the expeditious completion of translation, revision and publication, in view of the fact that huge expenditure has already been incurred on them ; if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). Prior to 19 8-69, the Commission for Scientific and Technical Terminology was implementing the scheme for preparation, translation and publication of standard works of university-level in Hindi and other Regional languages in collaboration with various universities and private publishers. With the introduction later of this Ministry's Rs. 12 crore programme for production of university-level text-books in regional languages including Hindi, under which financial assistance to the extent of Rs. one

crore will be rendered to the States for production of university level text books in their respective regional languages, the old scheme of the Commission for Scientific and Technical Terminology has been abandoned. Under the old scheme, the Commission had allotted 432 titles for translation into Hindi to various translating agencies and book production cells set up in the various universities. Out of the 432 titles, 145 have so far been published.

The work of production of university-level text-books in Hindi (including translation) has now been undertaken by the five Hindi-Speaking States. To avoid duplication and to ensure coordination, a Conference of the Representatives of Hindi-Speaking States has been set up. The Conference has set up a Co-ordination Committee, which selects titles for translation and topics for original writing, which are then allotted to the Hindi Branth Academies set up under the new scheme in the five Hindi-Speaking States for further processing and publication, The Coordination Committee has allotted 1170 titles for translation and 899 topics for original writing in various subjects. With the streamlining and decentralisation of the work of book production in Hindi, it is expected that the work will proceed with much greater pace than hitherto.

वित्त मंत्री द्वारा अन्तरिम सहायता के बारे में व्यक्त किए गये विचार

2680. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने वित्त सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठक में हाल ही में यह कहा था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम सहायता में वृद्धि नहीं की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रवैया अपनाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को सस्ती दरों पर खाद्यसामग्री सप्लाई करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अन्तरिम राहत में वृद्धि का प्रश्न वित्त मंत्रालय की परामर्शदाता समिति की पछली बैठक की कार्यसूची में नहीं था। इसलिए इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब एक माननीय सदस्य ने सरसरी तौर पर इस का उल्लेख किया तो वित्त मंत्री ने कहा था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अन्तरिम राहत में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तृतीय वेतन आयोग ने अन्तरिम राहत के प्रश्न की सावधानी पूर्व जांच की थी और सरकार ने उसकी सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार किया है।

(ग) जी, नहीं।

खडगपुर स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेकना-लोजी का एरोनाटिकल इंजीनियरिंग विभाग

2681. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वर्ष पूर्व, संसाधनों तथा क्षमताओं को सावधानी पूर्वक मूल्यांक करने के पश्चात् खडगपुर स्थित इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनोलाजी तथा उससे संबद्ध

कानपुर और मद्रास के संस्थानों का पहली बार ऐरोनाटिकल इन्जीनियरिंग के क्रमबद्ध पाठ्यक्रम के लिए चयन किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि विशेषतया सन्तोषजनक कार्यशीलता के बाद भी इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालोजी के एरोनाटिकल इन्जीनियरिंग विभाग के बन्द हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) ऐसी कार्यवाही किये जाने के क्या कोई कारण हैं ; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगामी दशाब्दियों में एरोनाटिकल इंजीनियर अधिक होने अनिवार्य है क्या उनके परीक्षण सुविधाओं में ह्रास के स्थान पर विकास किया जाना आवश्यक नहीं है ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) एक विशेषज्ञ समिति, जिसने चौथी और पांचवी योजना के दौरान आवश्यक वैज्ञानिकी इंजीनियरों का अनुमान निर्धारण किया था, की सिफारिशों पर कुछ वर्ष पूर्व खडगपुर, मद्रास, कानपुर, और बम्बई के प्रौद्योगिकी संस्थानों में वैज्ञानिकी इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया था ।

(ख) से (घ). केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि वैमानिकी विकास के बारे में सुब्रमनियम समिति की सिफारिशों का विस्तृत परीक्षण होने तक खडगपुर संस्थान सहित सभी केन्द्रों पर वैमानिकी इंजीनियरी के पाठ्यक्रमों को यथापूर्व स्थिति में बनाये रखा जाये ।

इंडियन एयरलाइन्स की विलम्ब से की गई या रद्द की गई उड़ानें

2682. **श्री अदिचन :**
श्री राम किशन गुप्त :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1970 से इंडियन एयरलाइन्स की कितनी उड़ानों में बिलम्ब हुआ तथा कितनी उड़ानें रद्द की गई ; और

(ख) इसके क्या कारण थे ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. इंडियन एयरलाइन्स की 30 मिनट से अधिक की देरी से हुई उड़ानों की कुल संख्या (रद्द हुई उड़ानों सहित) 8873

2. उपर्युक्त मद 1 का विवरण ।

	देरी से की गई	रद्द की गई	कुल
1. इन्जीनियरिंग	752	22	774
2. यातायात तथा खान-पान	359	23	382
3. परिचालन	132	30	162
4. परिवहन	40	3	43
5. मौसम	448	372	820
6. परिणामी	5519	465	5984
7. विविध	532	147	679
8. विमान यातायात नियंत्रण (ना० वि० म० नि०)	17	12	29
कुल	7794	1074	8837

सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण

2683. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करने हेतु, इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सरकार इस मामले पर पूरी तरह विचार कर रही हैं ।

ब्रिटेन से ऋण लेने के बारे में करार

2684. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से ऋण लेने के बारे में 24 सितम्बर, 1970 को दिल्ली में दो ब्यौरों पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) क्या उक्त करारों के परिणाम-स्वरूप भारत अपने निर्यात को बनाये रखने के लिये आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकेगा और आंशिक रूप से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की हालत सुधार सकेगा ; और

(ग) क्या भारत को उक्त ऋण का प्रयोग केवल ब्रिटेन से उपकरणों, सामग्री तथा अन्य सेवा की वस्तुओं का आयात करने के लिये करना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी, हां। ब्रिटेन और भारत की सरकारों के बीच, 24 सितम्बर, 1970 को, नई दिल्ली में निम्नलिखित दो ऋण-करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं :

(i) 260 **लाख पौण्ड** (46.8 **करोड़ रुपये**) **के लिये ब्रिटेन। भारत अनुरक्षण ऋण सं०** 2170

भारत इस ऋण के द्वारा ब्रिटेन से अर्थव्यवस्था की अनुरक्षण सम्बन्धी सभी प्रकार की आवश्यकताओं, जैसे फालतू पुर्जों, मशीनों के हिस्सों, वस्तुओं छोटे उपकरणों, अन्य छोटी वस्तुओं तथा संबंधित सेवाओं के आयात की वित्त व्यवस्था कर सकेगा।

(ii) 31 **लाख पौण्ड** (5.58 **करोड़ रुपये**) **के लिए ब्रिटेन। भारत दुर्गापुर ऋण संख्या** 1970।

यह ऋण मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की दुर्गापुर इस्पात प्रायोजना के लिए ब्रिटेन से फालतू पुर्जों, इस्पात के रोल और पूंजीगत मशीनों के आयात की वित्त व्यवस्था के लिए है। यह एक नया ऋण है जो 1962 के पुराने दुर्गापुर ऋण की अप्रयुक्त बकाया रकम के बदले में दिया गया है।

तीसरे वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जाना

2685. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग को 31 मार्च, 1971 तक अपना प्रतिवेदन तैयार कर लेने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा जयन्ती समारोह स्थगित करना

2686. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपना स्वर्ण जयन्ती समारोह स्थगित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ;

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां। विश्वविद्यालय के अनुसार, स्वर्ण जयन्ती समारोह स्थगित कर दिए गए क्योंकि विश्वविद्यालय इसके लिए तैयारियां पूरी नहीं कर सका।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के बारे में छात्रों द्वारा विरोध

2687. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पुराने अथवा वर्तमान छात्रों ने इस विश्वविद्यालय के लिये प्रस्तावित संशोधन विधेयक के बारे में कोई विरोध किया है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त ज्ञापन को सभा पटल पर रखने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन व्यक्तियों और संगठनों से प्राप्त हुए हैं । सरकार का उन्हें सभा-पटल पर रखने का कोई विचार नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार तथा अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शिक्षा स्नातक डिग्री को मान्यता दिया जाना

2688. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपने छात्रों को शिक्षा स्नातक की डिग्री प्रदान करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे शिक्षकों को नियुक्ति के उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार तथा अन्य सहयोगी विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी डिग्री प्रधान करने का क्या अचित्य है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) जी, हां । कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा अपने विद्यार्थियों को मैट्रिकुलेशन के पश्चात शिक्षक-शिक्षा के चारवर्षीय स्माकलित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर सहृत बी० ए० बी० एड, तथा बी० एस० सी० बी० एड की डिग्रियां प्रदान की जाती थी जबकि इसके विपरीत, अन्य विश्वविद्यालयों के मैट्रिकुलेट विद्यार्थियों को बी० एड० की डिग्री प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष अध्ययन करना पड़ता है । तथापि कु क्षेत्र विश्वविद्यालय ने अब इस पाठ्यक्रमों को बन्द कर देने का निश्चय किया है और 1969-70 से इन पाठ्य क्रमों के लिए नए विद्यार्थियों की भरती नहीं की जा रही है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय अथवा राज्य विधान-मंडलों के किसी अधिनियम द्वारा संस्थापित, भारत के विश्वविद्यालयों, या संसद के किसी अधिनियम से स्थापित अथवा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (1956) की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय तुल्य माने

गए अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा स्वतः ही, केन्द्रीय सरकार में रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए इन डिग्रीयों/डिप्लोमाओं को मान्यता देने के किन्ही औपचारिक आदेशों की आवश्यकता नहीं होती।

जहां तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बी० ए०/बी० एस० सी०, बी० एड० डिग्रियों को, अन्य, विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता देने का प्रश्न है, भारत तथा श्री लंका के अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड ने जो एक स्वायत्त निकाय है, इस डिग्री को अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों की बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० एड की डिग्रियों के समकक्ष नहीं माना है। संबंधित डिग्रियों की अमान्यता का प्रस्तुत प्रमुख कारण यह है कि इनमें प्रवेश अर्हता एस० एस० एल० सी० है जब कि अन्य विश्वविद्यालयों में यह पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अथवा हायर सैकेन्डरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस समस्या की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी तथा विश्वविद्यालय को यह राय दी थी कि इस पाठ्यक्रम को बन्द कर दिया जाए जो विद्यार्थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बी० ए० बी० एड० अथवा बी० एस० सी० बी० एड० डिग्रियां पहले ही प्राप्त कर चुके है उनकी समस्या को सुलझाने का विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ले लिया है।

दिल्ली के लिये अलग शिक्षा अधिनियम

2689. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि दिल्ली के लिये अलग शिक्षा अधिनियम होना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर अपना अनुमोदन दे दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने महानगर परिषद द्वारा पारित रूप में माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 1970 अधिनियमन के लिये भेजा है और इसकी सरकार द्वारा अभी जाच की जा रही है।

Filling up of Posts in Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate

2690. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 3608 on the 21st August, 1970 regarding promotion of Hindi Translators and Officers in Education Ministry and state :

(a) the names of the seven posts not referred to the Union Public Service Commission and the reasons for not referring those posts to U. P. S. C. for regular appointment till the reorganisation of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology take place ;

(b) the reasons for not keeping in abeyance the other remaining 24 posts, particularly when these seven posts are kept in abeyance till the reorganisation of the two offices ; and

(c) whether it is also a fact that more than three years have elapsed since *ad-hoc* appointments were made to these posts ;

(d) whether Government propose to request the U. P. S. C. to select candidates for filling these seven posts on regular basis ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The names of the seven posts are :

1.	Principal Scientific Officer	2
2.	Linguist	1
3.	Deputy Director (Extension Programme)	1
4.	Regional Officer	1
5.	Research Assistant	2

A proposal for the reorganisation of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology has been under the consideration of the Government for some time. The question as to whether these 7 posts will be required in the reorganised set up of the two bodies will, *inter alia*, be also considered. It is because of this that it has not so far been considered necessary to refer these posts to the U. P. S. C. for regular appointments against them.

(b) These 24 posts are likely to be required even in the reorganised set up of the two offices, and hence reference was made to the U. P. S. C. for filling up these posts on regular basis.

(c) No, Sir.

(d) and (e). As already stated, the question of referring these posts to the U. P. S. C. for filling up on regular basis will be considered in the light of the decision taken in regard to the reorganisation of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology.

Reorganisation of Commission for Scientific and Technical Terminology

2691. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3609 on the 21st August, 1970 regarding the reorganisation of the Commission for Scientific and Technical Terminology and state :

(a) whether the organisation of the office of the Commission for Scientific and Technical and Terminology has been completed ;

(b) if so, whether the Senior Research Officers and other technical personnel deployed on administrative work have been relieved of such duties and assigned technical jobs ;

(c) if the reorganisation has not taken place, the reasons for the delay ; and

(d) the time by which the said reorganisation will be completed and the time by which the concerned officers and employees will be relieved of administrative duties ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The reorganisation of the Commission for Scientific and Technical Terminology, as also the Central Hindi Directorate, has not yet been completed. Consequently, the status quo in regard to all the staff continues. The main reason for the delay is that the Government is considering the allocation of alternative work to the employees, who would be rendered surplus consequent upon the eventual winding up of the Commission for Scientific and Technical Terminology. But no final decision on

this has yet been taken. It is difficult to indicate the precise time, by which the reorganisation will be completed and the concerned officers and employees will be relieved of administrative duties.

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए दुकानों का खोला जाना

2692. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि रिजर्व बैंक को, सरकारी दरों से ऊंची दरों पर विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए, अपनी दुकानें खोलनी चाहिएं ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

कलकत्ता के डमडम हवाई अड्डे पर आग

2693. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम हवाई अडडे पर 29 अक्तूबर, 1970 को लगी आग के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त आग के कारण लगभग कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । दम दम हवाई अड्डे पर नियन्त्रण-बुर्ज के स्विच-बोर्ड में 28-10-70 को प्रातः 10.25 बजे आग लग गई थी ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (विद्युत) द्वारा इसकी जांच की गई । आग लगने का कारण मल्टीकोर कन्ट्रोल केबल टर्मिनल्स में शार्ट सर्किट हुआ बताया गया है । 250/- रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है ।

शराब के उदारता से लाइसेंस देने के लिए चौदहवीं अखिल भारतीय पर्यटक विकास परिषद् की सिफारिशें

2694. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नारायणन : **श्री सामिनाथन :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी अखिल भारतीय पर्यटक विकास परिषद ने राज्य सरकारों से सिफारिश

की है कि वे उन स्थानों के लिए शराब के लाइसेंस उदारता से दें जहां अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मदुराई में 18-21 अक्तूबर, 1970 को हुई पर्यटन विकास परिषद् की 14वीं बैठक में पारित संकल्पों में से एक संकल्प में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित होटलों, विमान क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर स्थित पर्यटन बंगलों एवं रेस्टोरेन्टों जैसी संस्थाओं को, जहां विदेशी पर्यटकों का अवसर आना जाना होता है, उदारतापूर्वक 'बार लाइसेंस' जारी किये जाने चाहिये । क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, संकल्प की प्रतियाँ उन्हें विचारार्थ भेज दी गई हैं ।

अन्तरिम सहायता के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें

2695. **श्री के० कृ० दासचौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय करने से पूर्व कर्मचारियों के संघों से विचार विमर्श किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुसार उन्हें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व मत्रियों की एक ऐसी समिति के समक्ष अन्तरिम राहत के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया था जिसमें प्रधान मन्त्री वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री थे । इस बात को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के उल्लिखित अभ्यावेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

आल इण्डिया शिपर्स काऊंसिल द्वारा माल भाड़े में वृद्धि का विरोध

2697. **श्री के० कृ० दासचौधरी** : क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी जहाजरानी कम्पनियों तथा आल इंडिया शिपर्स काउंसिल के प्रतिनिधियों द्वारा 21 अक्तूबर, 1970 को नयी दिल्ली में हुई बैठक में माल भाड़े में वृद्धि का विरोध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). भारत अमेरिका (अटलांटिक) सम्मेलनों ने जनवरी 1971 से प्रभावी 10-15 प्रतिशत से भाड़ा दरों में सामान्य वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है । इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में सम्मेलनों के शिष्ट मंडल ने 20 अक्तूबर 1970 को सरकारी अधिकारियों और 21-10-1970 को अखिल भारतीय पोतवणिक परिषदों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया । परिषद् ने प्रस्तावित दर वृद्धि को बिल्कुल गिराने की या जिसके न होने पर वृद्धि की मात्रा को उपर्युक्त स्तर तक संवेदी वस्तुओं को विशेष ध्यान रखते हुए कम करने की मांग की । सम्मेलन के शिष्टमंडल जल्दी ही न्यूयार्क में अपने बैठकों में परिषद् द्वारा कहे गये विषयों पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है । मामले की लिखा पढ़ी सम्मेलनों के साथ की जा रही है ।

अधिक उपदान दिये जाने के लिए जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से प्राप्त अनुरोध

2698. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जीवन बीमा निगम के उन कर्मचारियों से, जो 1 जनवरी, 1967 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि में सेवा निवृत्त हुए थे, जून 1970 में कर्मचारियों और जीवन बीमा निगम के बीच हुए समझौते के अनुसार अधिक उपदान दिये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध मिला है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों ने क्या तर्क दिया है ;

(ग) यदि उनका अनुरोध स्वीकार किया जाये तो उस पर कितना धन खर्च होगा ; और

(घ) सरकार का विचार उनके अनुरोध को कब स्वीकार करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारियों ने, उन्हें दिये जा रहे 15 महीनें के सेवान्त मूल वेतन के स्थान पर 20 महीने के सेवान्त मूल वेतन के बराबर उपदान की मांग की है ।

(ग) लगभग 20 लाख रुपये ।

(घ) यह ऐसा मामला है, जिस पर जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यवाही की जाती है । जीवन बीमा निगम ने यह मांग अस्वीकार कर दी है । क्योंकि पंच-निर्णय के अन्तर्गत, जिसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है, भूतपूर्व कर्मचारी बढ़ा हुआ उपदान पाने के हकदार नहीं है ।

जब्त की गई घड़ियों की बिक्री

2699. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पकड़ी गई कुल कितनी तस्कृत घड़ियां इस समय सरकार के कब्जे में हैं ;

(ख) जिन कीमतों पर ये घड़ियां खरीदी गई होंगी उनके अनुसार इन घड़ियों का कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) उक्त घड़ियों की बिक्री के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई घड़ियों की संख्या, जिनमें दीवार घड़ियां तथा टाइम पीस भी शामिल हैं, और जिनका निपटान होना है, 31-7-1970 को 22834 थी । जिस कीमत पर ये घड़ियां खरीदी गई होंगी, उसका अनुमान लगाना तो संभव नहीं है परन्तु भारत में इनका थोक बाजार मूल्य 31,54,036 रुपये आंका गया है ।

(ग) वर्तमान कार्यविधि के अनुसार जब्त की गई घड़ियों को, जो निपटान के लिए तैयार होती है, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, लिमिटेड, नई दिल्ली, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) तथा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड (गृह मंत्रालय द्वारा संचालित) के जरिए उपभोक्त.ओं को बेचा जाता है । निपटान के लिए सर्वोत्तम उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार न एक समिति नियुक्त की थी । समिति की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है ।

जब्त की गई वस्तुओं के निपटान सम्बन्धी समिति

2700. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब्त किये गये माल की बिक्री करने के सन्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान बेड़े का विस्तार

2701. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी 10 वर्षों में यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इण्डियन एयर-लाइन्स ने अपने विमान बेड़े में विस्तार करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपने विमान बेड़े की अभिवृद्धि के लिये इण्डियन एयरलाइन्स ने सात बाइंग 737-200 विमानों तथा 10 अतिरिक्त एच-एस-748 विमानों के लिए क्रय-आदेश दे रखे हैं, तथा वे अपनी और अधिक आव-श्यकताओं की जांच कर रहे हैं ।

नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा व्यापारी बैंकिंग सेवा योजना की घोषणा

2702. **श्री जार्ज फरनेण्डोज :** क्या वित्त मन्त्री 27 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा व्यापारी बैंकिंग सेवा इस बीच आरम्भ कर दी गई है ; और

(ख) यदी हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें तथा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 2˙ जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर में बताई गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

बैंकाक में एशियाई राजपथ समन्वय समिति की बैठक

2703. **श्री नारायणन :**

श्री सामिनाथन :

क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1970 में बैंकाक में एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग की एशियाई राजपथ समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था ; और

(ग) वहां किन विषयों पर चर्चा हुई थी और उन पर क्या निर्णय किये गये थे ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) समिति ने मुख्य रूप से एशियाई राजमार्ग पद्धति में शामिल मुख्य रास्तों के विकास के बारे में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की और कुछ अन्य सम्बन्धित मामलों पर भी विचार किया—जैसे इंजीनियरों के प्रशिक्षण तथा अन्वेषण की सुविधायें एशियाई राजमार्गों के यातायात की उन्नति के लिए अपेक्षित कार्यवाही, इत्यादि, उसने निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(1) समिति ने सम्बन्धित देशों की एशियाई राजमार्ग पद्धति के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए और उन योजनाओं को एशियाई राजमार्ग परिवहन तकनीकी व्यूरो को भेजने के लिए कहा ।

(2) विभिन्न देशों की समस्याओं तथा उनके द्वारा की गई प्रगति को नोट करते हुए समिति ने लाओस के नाम नगुन और नाम काडिन्ह पुलों के जांच पड़ताल के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता की प्रशंसा की और भारत सरकार से कहा कि वह निविदा कागजों और सम्बन्धित जरूरतों के कागज बोली बोलने के लिए आमंत्रण भेजने से पूर्व, तैयार करने में सहायता देने पर विचार कर सकती है ।

(3) समिति ने आगामी वर्ष के दौरान चलाये जाने वाले प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों

को नोट किया। इन कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ इकाफे क्षेत्र 14 राजमार्ग इन्जीनियरों के लिए भारत सी० आर० आर० आई० पर आयोजित किया जाने वाला चौथा कार्यक्रम भी शामिल है। समिति ने इस विचार का अनुमोदन किया कि एशियाई राजमार्ग देशों में परिभ्रामक तकनीकी गोष्ठियां की जानी चाहिए जिससे उनमें भाग लेने वाले लोगों की बड़ी संख्या को लाभ पहुँच सके।

(4) समिति ने कहा कि सहयोगी देशों और सहायता देने वाली एजेन्सियों को एशियाई राजमार्ग तकनीकी सूचना केन्द्र जो बैंगकाक में स्थापित किया गया है, को तकनीकी सहयोग के रूप में तथा तकनीकी साहित्य की सहायता देनी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि उक्त केन्द्र के अधिकारियों को इस क्षेत्र के देशों की यात्रा करने का अवसर दिया जाना चाहिए जिससे वे स्थानीय समस्याओं से परिचित हो सकें।

(5) समिति ने सहयोगी देशों तथा सहायता देने वाली एजेन्सियों से परीक्षण और प्रकातर नियंत्रण प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाने के लिए उन देशों को आवश्यक अतिरिक्त उपस्कर की सहायता देने के लिए कहा।

(6) अधिकतम लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय प्रयोगशाला के नियंत्रण की फील्ड प्रयोग शालाओं की शृंखला स्थापित करने की आवश्यकता की भी सिफारिश की।

(7) समिति ने सिफारिश की कि जिस प्रकार के सर्वेक्षण अफगानिस्तान और ईरान में अंतराष्ट्रीय यातायात के विकास तथा खोज के लिए किये जा रहे हैं वैसे ही पालट सर्वेक्षण पड़ोसी देशों, दक्षिण-पूर्वी एशिया उप प्रदेश के देशों में, जहां एशियाई विकास बैंक द्वारा किये जा रहे परिवहन सर्वेक्षण से आंकड़े उपलब्ध होंगे, और नेपाल, जहां एशिया से यूरोप को जाने वाले यातायात के लिए होने वाली संचार कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्यक्रम किये जाने है, में भी किये जा सकते हैं।

(8) समिति ने भारत सरकार को राजमार्ग वर्गीकरण और डिजाइन मानको को आई० आर०सी० के मार्फत छपवाने से सहायता देने के लिए संतोष व्यक्त किया और उससे अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वितरण के लिए 250 प्रतिलिपियां और देने के लिए अनुरोध किया।

(9) समिति ने यह आशा व्यक्त की है कि इकाफे प्रदेश के सभी देशों से सड़क चिन्हों, और संकेतों, यातायात नियमों और पटरी को चिन्हित करने सम्बन्धित सं० रा० अभिसमयों को शीघ्र सत्यांकित करना सम्भव होगा।

(10) समिति ने नोट किया कि इकाफे का परिवहन तथा संचार प्रभाग और एक कार्य दल अंतराष्ट्रीय यानायात की सुविधाओं के पहलुओं का जल्दी ही और आगे गहन अध्ययन करेंगे। समिति ने सिफारिश की कि माल यातायात के लिए सीमांत औपचारिकताओं को सरल बनाने की आवश्यकताओं के अध्ययन की भी आवश्यकता है जिससे यथासंभव उन्हें सुप्रवाही बनाया जा सके।

(11) समिति ने सिफारिश की कि एशियाई राजमार्ग के तैयार रास्तों पर प्रत्येक देश द्वारा सहायक सेवाओं की व्यवस्था के लिए संगठित कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे इन रास्तों पर यातायात वृद्धि में सहायता मिल जाय। यह अनुभव किया गया कि जबकि इन सुविधाओं के चयन में कुछ अंश तक एकरूपता वाछनीय होगी, इसे बहुत बड़ी हद तक लचीला होना जरूरी है जिससे इन रास्तों पर के यातायात की सघनता और पृथक पृथक स्थितियों की पूर्ति हो सके।

(12) समिति ने इस परियोजना के विकास के लिए और अधिक सहायता प्राप्त करने तथा इसके प्रचार के उपायों और साधनों पर भी विचार किया।

(13) समिति ने यह आशा व्यक्त की कि तेहरान और ढांका के बीच 7 नवम्बर से 15 नवम्बर 1970 तक हुई एशियाई राजमार्ग मोटर रैली का अनुकरण करते हुए 1971 में रास्ता (रूट) ए-2 के पश्चिमी भाग के एक खण्ड से होकर तीसरी मोटर रैली संगठित करना संभव होगा।

दरों में भिन्नता के बारे में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा समितियों की स्थापना

2704. **श्री नारायणन :** **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री सामिनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज की भिन्न दरों सम्बन्धी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर ऋण देने सम्बन्धी दोनों समितियों को भारत के रिजर्व बैंक द्वारा गठित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के सदस्यों के नाम तथा उनके निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) ये समितियां अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत कर देंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जुलाई, 1970 में वित्त मंत्री की, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निकाले गये निष्कर्षों के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने दो समितियों का गठन किया है—एक निभेदी दरों पर ब्याज लेने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए और दूसरी बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं की रोजगार देने की क्षमता के विशेष संदर्भ में उन योजनाओं की समीक्षा करने के लिए/विभेदी ब्याज-दर विषयक समिति के निर्देश पद इस प्रकार हैं :

(1) प्रत्येक क्षेत्र में बैंकों द्वारा ऋणकर्त्ताओं से पहले से ही लगाई जा रही विभेदी ब्याज-दरों की सीमा और गुंजाइश की समीक्षा करना ;

(2) प्रत्येक क्षेत्र में, ऐसे ऋणकर्त्ताओं का पता लगाने के लिए मानदण्ड स्थापित करना जिनको ब्याज की निचली दर का लाभ दिया जा सकता है ;

( ) प्रत्येक क्षेत्र में किस सीमा तक विभेद रखा जा सकता है, इसका निर्देश करना ; और

(4) इस बात की जांच करना कि क्या निचली ब्याज दरों के बदले अथवा इसके अलावा अन्य कोई रियायतें दी जा सकती हैं।

समिति के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डा० आर० के० हजारी हैं और (1) डा० ए० एम० खुसरो, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, दिल्ली विश्वविद्यालय (2) श्री के० पी० जे० प्रभु, अभिरक्षक, कनारा बैंक, (3) श्री टी० आर० शाह, अर्थशास्त्री, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, (4) डा० अशोक मित्र, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, (5) श्री टी० आर० वरदाचारी, प्रबन्ध-निदेशक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, और (6) श्री एम० नरसिंहम सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके सदस्य हैं।

बैंकों की विशेष ऋण योजना विषयक समिति के निर्देश पद इस प्रकार हैं :

(1) विशेष श्रेणियों के आत्म-नियोजित व्यक्तियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए वर्तमान संस्थागत सुविधाओं और वाणिज्यिक बैंकों (मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों) में इस समय चालू विशेष योजनाओं की समीक्षा करना ;

(2) ऐसे आत्म-नियोजित व्यक्तियों की श्रेणियों का पता लगाया जिनके विशेष वित्त-पोषण के लिए विचार किया जाना चाहिए ; और

(3) सुरक्षा, ब्याज की दर, वापसी की अवधि और अन्य शर्तों के बारे में मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित करना।

बैंक आफ बड़ौदा के संयुक्त महाप्रबन्धक श्री वी० डी० ठक्कर इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्य ये हैं (1) श्री एच० ई० चटेलियर, मुख्य अधिकारी (चीफ अफसर), स्टेट बैंक आफ इण्डिया, (2) श्री सी० टी० दास, उप-महाप्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया (3) श्री जे० जे० खम्बट्टा, सहायक महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, (4) श्री ए० एन० मुकर्जी, विकास प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, (5) श्री एम० एस० पार्थसारथि, उपाध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग संस्था संघ, (6) श्री बी० पी० लूंथरा, प्रबन्धक निदेशक, टेलिस्टार एन्ड टेलीविजन (प्राइवेट) लिमिटेड, नयी दिल्ली, और (7) श्री ए० रामन, निदेशक ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक।

विशेष ऋण योजना विषयक समिति से दो महीने के अन्दर और विभेदी ब्याज दर विषयक समिति से तीन महीने के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा की जाती है।

Installation of an Instrument at Airports to detect Arms

2706. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Janeshwar Misra :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to install some instrument at the air-ports to detect arms there ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether it is also possible to install such instruments at other public places ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c). It is proposed to instal metal detectors at the four international airports. Necessary action in the matter has been initiated.

Direction given by Government to Nationalised Banks Regarding Credit Facilities in Rural Areas

2707. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have directed the nationalise banks to provide more credit facilities in the rural areas ; and

(b) if so, whether Government have received any report from banks in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The nationalised banks have been advised to open larger number of branches in rural areas and to provide more credit facilities there.

(b) Periodical reports are submitted by the 14 banks both to Government and to Reserve Bank showing the progress made by them in the matter of financing of agriculture. The progress made by them in providing credit to farmers is reflected in the increase in the number of borrowal accounts of farmers from 1,34,849 at the end of June, 1969 to 4,27,648 at the end of August, 1970 and the increase in the outstanding amount in these accounts from Rs. 26.96 crores to Rs. 110 crores during the same period.

Concealed Money Sent to Political Party or Leaders

2708. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of concealed money detected by Government which was sent to any political party or leaders in any form during the current year ; and

(b) the steps being taken by Government to find out the source of this money ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The account books of the current year would be examined by the Incom-tax Department in the course of assessment proceedings for the assessment year 1971-72 returns for which year would be due by 30th June, 1971. It it, therefor, not possible at present to give the amount of concealed money, if any, sent to political parties of leaders.

(b) The question does not arise in view of the reply to part (a) of the question.

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य पत्तनों पर घाटों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना

2709. **श्री बे० प्रमात** : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कांवला, हल्दिया और पारादीप जैसे मुख्य पत्तनों में कितने घाटों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ;

(ख) वर्ष 1969-70 में उक्त प्रत्येक पत्तन पर कितनी मात्रा में माल चढ़ाया तथा उतारा गया ;

(ग) पारादीप पत्तन के मालवाहक जहाजों के लिए कम संख्या में घाट अलाट करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उक्त प्रत्येक पत्तन की क्षमता क्या होगी ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कांडला, पारादीप और कलकत्ता पत्तनों के जो अतिरिक्त घाट चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे किये जाएंगे उनकी संख्या नीचे दी जा रही है :

कांडला	—	2
कलकत्ता (हल्दिया गोदी पद्धति)	—	6
पारादीप	—	1

(ख) इन पत्तनों में से प्रत्येक पत्तन पर 1969-70 में घराउठाई किये गये माल की मात्रा नीचे दी जा रही है :

		(दस लाख टनों में)
कांडला	—	2¦.1
कलकत्ता (हल्दिया तेल जेट्टी और हल्दिया लंगरगाह सहित)	—	68.9
पारादीप	—	17.5

(ग) पारादीप पत्तन को शुरू में एक वस्तु पत्तन के रूप में बनाने की योजना थी जिसमें एक खनिज-घाट होगा और उसमें 25 लाख टन खनिज लौह घराउठाई करने की सुविधाएं होंगी। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इन सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है जिससे यहां पर 40 लाख टन खनिज धातु की घराउठाई हो सके। इस यातायात के लिए किसी अतिरिक्त घाट की आवश्यकता नहीं होगी। एक यातायात अध्ययन के आधार पर पारादीप पर एक सामान्य माल-घाट निर्माण करने का निश्चय किया गया है।

(घ) इस समय ठीक ठीक तरह से यह बताना कठिन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इन पत्तनों में से प्रत्येक की क्षमता क्या होगी क्योंकि उनकी क्षमता केवल घाटों की संख्या पर ही निर्भर नहीं करेगी बल्कि अन्य कई बातों पर भी, जैसे माल घराउटाई उपस्कर की उपलब्धता, माल की किस्म तथा प्रकार, माल तथा जहाजों का नियमित रूप से आना और काम करने वाली पारियों की संख्या, आशा की जाती है कि चौथी योजना के इन पत्तनों पर प्रत्याशित यातायात अर्थात कलकत्ता (हल्दिया सहित) 146 लाख टन, कांडला पर 26.5 लाख टन और पारादीप पर 42 लाख टन, की घराउठाई वे कर सकेंगे।

Seizure of Smuggled Gold in Delhi and Bombay

2710. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the quantity of smuggled gold seized in Delhi and Bombay since 1st January, 1970 ;

(b) the value in Indian currency of the seized gold ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The quantity of smuggled gold seized in Delhi and Bombay since 1st January, 1970 together with its value is as indicated below :—

Place	Quantity (in kgs.)	Value at international rate (approx.)
		Rs.
Bombay	3260	276 lakhs
Delhi	79	7 lakhs

(c) The number of persons arrested in this connection at Bombay and Delhi and action taken against them so for is as under :

Place	No. of persons arrested	Action Taken					
		No. of persons prosecuted	Discharged.	Acquitted	Convicted	Absconding	Investigations in progress against
Bombay	77	9	1	1	5	2	68 persons
Delhi	17	—	—	—	—	—	17 persons

भारत-थाईलैंड विमान सेवा

2711. **श्री मयावन :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाईलैण्ड सरकार के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत-थाईलैंड विमान सेवा के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए अभी हाल में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई करार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । थाई सरकार तथा भारत सरकार के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच नई दिल्ली में 19 से 22 अक्तूबर, 1970 तक विचार-विमर्श हुआ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह तय हुआ कि 1 जनवरी, 1971, से थाई सरकार और भारत सरकार की नामित विमान कम्पनियों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र को/क्षेत्र पर से प्रत्येक दिशा में परिचालित की जाने

वाली सेवा-आवृत्तियों की कुल संख्या सप्ताह में आठ से अधिक नहीं होगी, और ये सेवायें अपनी-अपनी मर्जी के विमानों द्वारा परिचालित की जा सकेंगी।

शैक्षिक प्रशासन में प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा की गई टिप्पणी

2712. **श्री मयावन**: क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा प्रायोजित दिल्ली में हाल ही में हुए सम्मेलन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन ने शैक्षित प्रशासन में प्रबन्ध को आधुनिक तकनीकों को, उनकी जाँच किये बिना अपनाने में सावधानी बरतने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा की गई उक्त टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। उन्होंने प्रयोग और अनुकूलन की आवश्यकता पर जोर दिया था।

(ख) इस विषय में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त विचारों से, सरकार सामान्यरूप से सहमत है।

बैंकाक में हुई इकाफे की एशियायी राजपथ समन्वय समिलि में भारतीय प्रस्ताव

2713. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1970 में बैंकाक में हुई एशियायी राजपथ समन्वय समिति में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि ने कोई प्रस्ताव रखा था;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितने देशों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). समिति ने एशियायी राजपथ पद्धति में शामिल मुख्य भागों के विकास में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति पर मुख्य रूप से समीक्षा की। समिति ने अनुसंधान तथा इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं तथा एशियायी राजपथ के साथ साथ यातायात के उत्थान के लिए आवश्यक उपाय आदि जैसे अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार किया। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है शिष्ट मंडल ने स्थिति बताया।

Misappropriation of Fund in Ballygunge (Calcutta) Branch of Central Bank of India

2714. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a case of misappropriation of Rs. 20 lakhs in the Ballygunge (Calcutta) Branch of the Central Bank of India has recently come to light;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A case of fraud came to light on 5th April, 1970 in the Ballygunge branch of Central Bank of India when a cheque for Rs. 7,000 received in clearing, a few days earlier, was found missing. Subsequent inquiries revealed certain irregularities. manipulations and and falsification of accounts leading to fraud and defalcation of bank's money by a Junior officer in the Bullygunge Branch of the Central Bank of India, incharge of the clearing House Department. The matter was reported to the Police on 11th April 1970 and the officer and his son were arrested soon thereafter. The exact amount involved in the fraud will be known only after the investigation being made by the bank, is completed. The amount of fraud detected so far by the bank is reported to be about Rs 19.19 lakhs. The Full investigation of the case is not yet over. The Central Bank of India has reported that steps have been taken to exercise tighter control and that the bank is also considering streamlining of procedures and issuing instructions that are necessary to safeguard against repetition of such frauds in future. The Reserve Bank of India which is in touch with developments, will consider taking suitable steps in the light of the finding of the investigation.

वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव

2715. **श्री देवराव पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उनके मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों से कितने पदों के वेतन-मानों को पुनरीक्षण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) किन पदों के वेतन-मान पुनरीक्षित कर दिये गये हैं ; और

(ग) कितने पदों के वेतन-मान का पुनरीक्षण उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 से सम्बन्धित सूचना इस मन्त्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 से सम्बन्धित कुछ सूचना तत्काल उपलब्ध है और संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4428/70**]

(ग) पदों के 31 वर्गों के वेतन मानों में वृद्धि करने के प्रस्ताव आजकल इस मंत्रालय के पास हैं। इन वर्गों से संबन्धित पदों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Free Education to Children upto Age of 14

2716. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a recommendation was made at the State Education Secretaries Confe-

rence held in Delhi during August, 1970 that education tax should be imposed in rural as well as urban areas in order to fulfil the directive regarding free education to children upto the age of 14 as laid down in the Constitution ; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Since the levy of education tax is a matter on which action has to be taken at the State Govarnment level, the recommendation has been referred to the State Governments for examination and necessary action at their end.

In the meanwhile, as recommended by the Central Advisory Board of Education a committee has also been set up to go into the larger question of fulfilment of the constitutional directive in respect of providing free education for children upto the age of 14 and suggest concrete proposols in this regard. This overall review will include the raising of resources through such measures as the levy of education cess etc. The report of the Committee is awaited.

वाहनों की नम्बर प्लेटों पर केवल संख्या लिखने का प्रस्ताव

2717. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री 14 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2859 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर केवल संख्या लिखने का प्रस्ताव अब किस स्थिति में है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मामला अभी भी विचाराधीन है ।

वैयाचेरी के निकट एक मन्दिर से मूर्ति की चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

2718. **श्री स० अ० अगड़ो :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल नाडु में अइयमपेट के निकट वैयाचेरी स्थित एक मन्दिर से मूर्ति की चोरी के संबन्ध में एडवोकेट तथा चपरासी को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त चोरी में गई मन्दिर की सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है, और अपराधियों के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). तमिलनाडु में वैयाचेरी का मन्दिर एक केंद्रीय संरक्षण स्मारक नहीं है । इसलिये, एक वकील तथा चपरासी की चोरी संबंधी अथवा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कोई ब्यौरे इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है ।

द्वारपालक मूर्तियों वाले स्तम्भों का हटाया जाना

2719. **श्री स० अ० अगडी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पता चला है कि द्वारपालक मूर्तियों वाले बड़े आकार के

दो मध्ययुगीन स्तम्भों को किसी मन्दिर से हटा कर बम्बई में मैरीन ड्राइवचर्चगेट स्टेशन के वीर नरमिन मार्ग पर स्थित एक रेस्टोरेन्ट के प्रवेश द्वार पर लगा दिया गया है ;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये प्रयत्न किए गए हैं कि इन स्तंभों को किस मन्दिर से हटाया गया है तथा इन्हें किस की अनुमति से हटाया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है और इस प्रकार एकत्रित की गई सूचना यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्य सड़कों तथा राष्ट्रीय राजपथों में संकेत पटों पर लिपि तथा दूरी दूरी को मीलों तथा किलोमीटरों में लिखने की प्रक्रिया

2720. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि विभिन्न राज्यों में राज्य सड़कों तथा राष्ट्रीय राजपथों में संकेत पटों पर लिपि तथा दूरी की मीलों अथवा किलोमीटरों में लिखने की समान प्रक्रिया नहीं है ; और

(ख) क्या संकेत पटों पर मील अथवा मिलीमीटर लिखने की समान प्रक्रिया का पालन करने के बारे में राज्यों को निदेश देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राजमार्गों पर स्थानों के नाम को बताने वाले साइन बोर्डों की लिपि के बारे में एकरूप नीति है । राष्ट्रीय राजमार्गों की नीति के अनुसार दूरियां साइन बोर्डो पर नहीं दिखाई जाती है, परन्तु उन्हें मील किलोमीटरों के पत्थरों पर दिखाया जाता है । राजमार्गों पर मील किलोमीटर के पत्थरों पर लिखे गए स्थानों के नामों की लिपि और दूरी दर्शाने वाली संख्याओं के बारे में नीति है । नियत डिजाइनों सहित नीतियों सब राज्यों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित की गई है । भारत सरकार को इन नियत डिजाइनों में कुछ राज्यों के वास्तव में कुछ परिवर्तन करने का पता चला है । राज्य सड़कें राज्य क्रियाकलापों के अन्तर्गत आती है ।

(ख) जी हां । राज्य सरकारों के औपचारिक रूप से इस मामले में लिखा पढ़ी करने के अलावा इस मामले पर कई बार मुख्य इन्जीनियरों के सम्मेलन के माध्यम से राज्य मुख्य इन्जीनियरों का ध्यान दिलाया गया है । 29 और 31 अगस्त, 1970 को हुई राज्य मुख्य इन्जीनियरों की पिछली बैठक में यह सहमति हुई कि राज्य मुख्य इन्जीनियर राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइन बोर्डों और किलोमीटर मील पत्थरों की कमी तथा त्रुटियों को दूर करने की कार्यवाही मुख्य इन्जीनियरों की आगामी बैठक से पहले पूरी करने और उस बैठक, जो मद्रास में सितम्बर, 1970 में होनी है, में स्थिति के बारे में सूचित करेंगे (तदनुसार मामले पर आगे कार्यवाही की

जा रही है। यह प्रश्न परिवहन विकास परिषद् की सड़कों की स्थायी समिति, बंगलौर में 17 सितम्बर, 1970 को हुई थी, के समय रखा गया था। इस समिति में सरकारी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अनेक राज्यों के सड़कों के कार्यकारी मंत्री भी उपस्थित थे।

मैसूर राज्य के बेल्लारी जिले में हास्पेट में हवाई अड्डे का निर्माण

2721. **श्री स० अ० अगंड़ी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 12 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बैल्लारी जिले में हास्पेट में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने की परियोजना को असैनिक उड्डयन विभाग निधि से वित्त सहायता देने सम्बन्धी प्रश्न की इस बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। अन्य प्राथमिकताओं के कारण, उक्त परियोजना के लिये नागर विमानन विकास निधि से धन लगाना संभव नहीं होगा।

मैसूर में हुबली धारवार में हवाई अड्डा

2722. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 14 **अगस्त**, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में हुबली धारवार में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिये हुबली धारवार निगम के निःशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और उसे स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हुबली धारवार निगम से भूमि अर्जन करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). हुबली धारवार कारपोरेशन से प्राप्त निःशुल्क भूमि देने के आफर को स्वीकार करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

Appointment to the Post of Junior Traffic Assistant in I. A. C.

2723. **Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with Reference No. D. L. H /E-3/C. P. S. 10184 dated the 25th June, 1970 a written test was held on the 4th July, 1970 for appointment to the post of Junior Traffic Assistant in the Indian Airlines Corporation, Safdarjung Airport, New Delhi ; and

(b) if so, the number of candidates who appeared in the said test, the number of those who qualified in it and the number of those who were appointed against the said post ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) 208 candidates appeared for the written test and 23 qualified. Interviews for final selection will be held shortly.

Four Point Programme for providing Loans to Farmers

2724. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has formulated a Four-Point programme for providing loans to the farmers through the nationalised banks ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A comprehensive programme for providing commercial bank credit to farmers through the nationalised banks has been drawn up and is being implemented, but no Four-point programme as such has been formulated by this Ministry. A statement giving the broad details of the programme is enclosed.

STATEMENT

The broad details of the comprehensive programme for channelising commercial bank credit to farmers through the public sector banks are as under :

(1) The ability of the banks to give increasing credit to different sectors primarily depends upon their success in collecting deposits. Opening a number of branches is one of the methods designed for this purpose. Public sector banks have been allotted 1,300 centres for opening bank offices (of which 1,149 are unbanked centres) by the end of December, 1970.

(2) In pursuance of the recommendations of the Study Group appointed by the National Credit Council, the Governor of the Reserve Bank set up in September, 1969 an Expert Group to examine the factors affecting farm credit by banks with particular reference to tenancy legislation, debt relief and land reforms, etc. The report of the group is being finalised.

(3) Some banks are experimenting with mobile branches, satellite offices, village adoption schemes and area approach.

(4) Field officers have been appointed by the banks to locate prospective customers, contact them for ascertaining their requirements, prepare regular proposals, etc. The field officers also ensure proper utilisation of advances granted and arrange the recovery of loans.

(5) The Reserve Bank has framed a scheme to finance primary agricultural credit societies by commercial banks in those districts where the Central Co-operative Banks are administratively and financially weak and unable to finance primary co-operative societies though the primary societies themselves are viable. The scheme is being experimented in 50 selected districts of 5 States *viz*, Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Mysore and Uttar Pradesh. Commercial banks in these districts are financing about 2,000 primary Agricultural Credit Societies.

India's Economic Dependence

2725. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the editorial entitled "Ghatak

Arthik Parawalamban" (suicidal economic dependence) published in the "*Aj*" dated the 22nd September, 1970 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government do not at all agree with the view that our economy continues to be dependent on the British economy.

इंडियन एयरलाइन्स के एक नियमित उड़ान वाले विमान का दुर्घटना ग्रस्त हो जाना

2726. **श्री लखन लाल कपूर :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अगस्त, 1970 को सिलचर-कलकत्ता के मध्य उड़ने वाला (इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन) का एक नियमित विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दुर्घटना का वास्तव में कब पता लगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, हां । 29 अगस्त, 1970 को इंडियन एयरलाइन्स का फोकर फ्रेंडशिप विमान वी० टी०—डी०डब्लू० टी०, सिल्चर से एक अनुसूचित यात्री उड़ान के दौरान सिल्चर से लगभग 38 किलोमीटर खासी जारिंगा गांव के पास लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर दुर्घटना-ग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप विमान पर सवार सभी 34 यात्रियों तथा 5 कार्मिकों की मृत्यु हो गयी । कलकत्ता हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज, मिस्टर जस्टिस एस०के० दत्ता की अध्यक्षता में एक जांच-अदालत नियुक्त की गयी है। जांच-कार्य चल रहा है ।

(घ) हतभाग्य विमान के भग्नावशेष पहली सितम्बर, 1970 की प्रातः को भारतीय वायु सेना के एक हैलिकाप्टर द्वारा आकाश से देखे गये ।

इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों की मांगें पूरी करने हेतु कार्यवाही करना

2727. **श्री दिनकर देसाई :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में हाल ही में इण्डियन एयर-लाइन्स तथा एयर इन्डिया के बहुत से कर्मचारी बिना कमीज पहने कार्यालयों में आये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). एयर इंडिया के बम्बई क्षेत्र के एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन ने 23 अक्तूबर 1970 को बोनस वृद्धि के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन में कर्मचारी काम पर विरोध प्रदर्शक बिल्ले लगाकर तथा बिना शेव किये और बिना कमीज पहने आने लगे। यह आन्दोलन 6 नवम्बर को यूनियन के प्रतिनिधियों तथा एयर इन्डिया के चेयरमैन के बीच एक बैठक के उपरान्त बन्द कर दिया गया। मामले को अब अदालती निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जा चुका है।

इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों ने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया।

समुद्रतटीय नौवहन द्वारा सामान्य माल, कोयला और नमक के लाने ले जाने में गिरावट आना

2728. **श्री दिनकर देसाई** : क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्रतटीय नौवहन द्वारा सामान्य माल, कोयला और नमक लाने ले जाने में गिरावट आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसमें सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) कोयले जैसे पारस्परिक माल के पर्याप्त मात्रा में दीर्घ कालीन उपलब्धता न होने से पोतपरिवहन कंपनियां कोई नये जहाज वर्तमान पुराने टनभार को बदलने या और नये जहाजों के रूप में प्राप्त करने में असमर्थ रही है तट पर के अल्प सूखे माल का टनभार केवल माल की अल्प मात्रा को उठा सका।

(ग) सक्षम तटीय बेड़े को बनाये रखने की खोज उनके सभी सुसंगत पहलुओं से की जा रही है।

Technical Education in India

2729. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state the spheres of Technical Education in which India (i) is dependent on other countries, (ii) is not dependent on other countries and (iii) is producing experts in excess of the requirements ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : Adequate facilities at the degree and diploma level have been developed in a wide range of technical subjects and diversified courses in various specialities also instituted according to our present needs. A statement showing all these major fields is attached. [*Placed in Library. See* No. LT– 4429/70.] The statement also gives those subjects in which adequate facilities still need to developed.

There is considerable unemployment generally among all categories of engineering personnel because of industrial recession and slow growth of economy.

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आयकर अधिकारियों का चयन

2730. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्तों के अधीन आयकर अधिकारियों श्रेणी (II) के चयन संबंधी विभागीय पदोन्नति समितियां 1970 में दिल्ली को छोड़कर भारत के सभी स्थानों में बैठी हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि आयकर कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जल्दी न बुलाने के लिए प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड को अभ्यावेदन दिया है और विरोध प्रकट किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। दिल्ली कार्य-क्षेत्र के अतिरिक्त, आयकर आयुक्तों के पांच कार्य-क्षेत्र हैं जिनकी विभागीय पदोन्नति समितियों की आयकर निरीक्षकों की आयकर अधिकारी ग्रेड (श्रेणी II) में पदोन्नति के लिए चयन करने के निमित्त 1970 में कोई बैठक नहीं हुई।

(ख) इस विषय पर दिल्ली आयकर कर्मचारी एसोसिएशन का एक तार प्राप्त हुआ है।

आयकर अधिकारियों का चयन

2731. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड का विचार आयकर अधिकारियों के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु पात्रता तिथि को 1 अप्रैल 1970 से बदलकर कोई अन्य तिथि निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आयकर-अधिकारी, श्रेणी II के पद ज्यादातर आयकर निरीक्षक ग्रेड से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ये पदोन्नतियां आयकर आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों की विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा तैयार की गई प्रवर सूचियों से की जाती हैं। जिन आयकर निरीक्षकों ने :

(i) आयकर अधिकारी, श्रेणी-II की विभागीय परीक्षा पास कर ली है, तथा

(ii) निरीक्षक के रूप में 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है,

उनके मामलों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के उत्तरार्द्ध में विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। एतदनुसार, अब तक की प्रथा के अनुसार, जिस वर्ष में संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जाती है उस वर्ष की 1 अगस्त की तारीख को निरीक्षक के रूप में तीन वर्षों की निर्धारित न्यूनतम अवधि की गणना के लिये निर्णायक तारीख निर्धारित किया जाता रहा है। इस वर्ष के आरम्भ में, आयकर-अधिकारियों के 150 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई थी। उन कुछेक कार्य-क्षेत्रों में इन पदों को भरने के लिए, जिनमें प्रवर-सूचियां पहले ही समाप्त हो गई थी,

नई प्रवर-सूचियां तैयार करने के लिए, इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में ही विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक बुलाना आवश्यक हो गया। चूंकि इन विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का सामान्य समय से पहले ही आयोजन किया जा रहा था, इसलिए पदोन्नति की पात्रता निर्धारण करने के उद्देश्य से, निरीक्षक के ग्रेड में निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि की संगणना करने के लिए, 1 अप्रैल, 1970 को निर्णायक तारीख तय करने का निर्णय किया गया। इस प्रकार, इस वर्ष 1 अप्रैल का ही निर्णायक तारीख के रूप में निर्धारित किया जाना अब तक साधारणतया अपनाई जा रही प्रथा से भिन्न था। आयकर अधिकारियों के 150 अतिरिक्त पदों की मंजूरी से उत्पन्न विशेष स्थिति अब समाप्त हो गई है। अब, आयकर आयुक्तों के शेष कार्य क्षेत्रों के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के आयोजन का प्रस्ताव है तथा इन विभागीय पदोन्नति समितियों के आयोजन के मध्य का विचार करते हुए चयन के क्षेत्र को अब केवल उन निरीक्षकों तक ही सीमित रखना आवश्यक नहीं रह गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 1970 को ही 3 वर्षों की निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली थी। इन विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के समय का बकायदा ध्यान रखते हुए ही, इस प्रयोजन के लिए, अब निर्णायक तारीखें निर्धारित की जानी होंगी।

दिल्ली के कालिजों के विद्यार्थियों द्वारा घेराव

2732. **श्री पी० विशम्भरन :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1970 को पहले सप्ताह में दिल्ली के कालिजों के विद्यार्थियों द्वारा कितने घेराव किये गये थे ;

(ख) इन घेरावों के कारण क्या थे ; और

(ग) कालिजों में सामान्य वातावरण बहाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) रामजस कालेज, दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा, एक;

(ख) इस कालेज के विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल का घेराव अपनी मांगें पूरा कराने के लिये किया था।

(ग) विद्यार्थियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के बारे में प्रिंसिपल, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच हुए समझौतों के बाद, कालेज में फिर से सामान्य स्थिति लाने के लिए कदम उठाये गये थे।

टाटा इन्टर कन्टीनेन्टल होटल, बम्बई को दिया गया ऋण

2733. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रस्तावित टाटा इन्टरकान्टीनेन्टल होटल, बम्बई को बहुत अधिक ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ऋण नई दिल्ली में ओबरॉय-इन्टरकान्टीनेन्टल होटल के दिए गए ऋण से कहीं अधिक है ; और

(ग) ऋण की अदायगी की समयावधि क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ताज महल होटल, बम्बई, का नवीकरण तथा विस्तार करने के लिये उसके मालिक 'इण्डियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड' को 25 लाख रुपये का ऋण दिया गया है, जो कि उसके समीप में ही इन्टर-कान्टीनेन्टल होटल्स कारपोरेशन, यू० एस० ए०, के सहयोग से 306 कमरों वाले एक अन्य होटल का भी निर्माण कर रहे हैं।

(ख) ओवेरॉय-इन्टर-कांटिनेंटल होटल नई दिल्ली, को कोई सरकारी ऋण नहीं प्रदान किया गया।

(ग) 8-1/2 वर्ष में।

ओबराय-इन्टरकान्टीनेन्टल होटल, नई दिल्ली को दिए गए, ऋण की अदायगी

2734. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओबराय इन्टर-कांटीनेंटल होटल, नई दिल्ली ने, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग ने नई दिल्ली के ओबेराय इन्टरकान्टीनेंटल होटल को कोई ऋण प्रदान नहीं किये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

रूस द्वारा एक नई किस्म के हैली-काप्टर बेचने का प्रस्ताव

2735. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने एक नई किस्म के हैलीकोप्टर को बेचने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) क्या उनका उपयोग कलकत्ता में कलकत्ता हवाई अड्डे से नगर के बुकिंग कार्यालय तक यात्रियों के लाने ले जाने के लिये किया जाता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ; तथापि हाल ही में एक रूसी के० ए० 26 हैलीकाप्टर द्वारा कुछ प्रदर्शन उड़ानों का आयोजन किया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वित्तीय संस्थानों के लिए उत्पन्न समस्याएं

2736. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से तथा उसके पश्चात सरकार का ऋण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन के कारण वित्तीय संस्थानों के लिये कुछ समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Payment Remuneration for Special Investigation Work Entrusted to Deputy Director of Commission for Scientific and Technical Terminology

2737. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any special investigation work has been entrusted to the present Deputy Director in the Commission for Scientific and Technical Terminology ;

(b) if so, whether it is proposed to pay him some separate remuneration for that work ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Deputy Director was appointed an Inquiry Officer to inquire into charges framed against an employee of the Ministry.

(b) and (c). The general question, as to whether honoraria should be paid to officers, who are appointed to act as Inquiry Officers in disciplinary cases, is under consideration.

Schemes Undertaken by Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology

2738. **Shri Jagannath Rao Joshi**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total number of schemes being undertaken by the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology at present ; and

(b) the details of the new schemes proposed to be entrusted to those two offices during the Fourth Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). A statement showing the schemes handled by the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology and the new schemes proposed to be entrusted to these organisations in the Fourth Plan so far is attached.

STATEMENT

Schemes handled by the Central Hindi Directorate -

1. Preparation and publication of Terminology Indices of standard Hindi Works (old and new).

2. Preparation and publication of Omnibus Volumes of eminent Hindi writers (old and new).
3. Hindi Extension programmes *i.e.* holding of Workshops, Seminars etc.
4. Preparation of animated films for popularisation of Dev-nagari Script.
5. Preparation, Translation and Publication of Hindi Books in Collaboration with Publishers.
6. Publication of BHASHA Magazine.
6. Hindi Information Centre for disseminating information on phone and through correspondence concerning Hindi Terminology.
8. Correspondence Courses in Hindi for foreigners and people of non-Hindi speaking areas.
9. Purchase of books for free gifts to schools, colleges, libraries and public institutions of non-Hindi speaking States.
10. Compilation of Dictionaries and Glossaries.
11. Key-Board for Hindi-typewriter and Teleprinter.
12. Translation of Codes, Manuals, Forms and other procedural literature of non-statutory nature.
13. Prizes on Hindi Books to writers whose mother tongue is not Hindi.

New Schemes :

NIL

Schemes of the Commission for Scientific and Technical Terminology :

1. Evolution and Co-ordination of Technical Terminology in Hindi.
2. Preparation of Glossaries.
3. Translation and Publication of Standard Works of University level in Hindi and Regional languages.
4. Preparation, Translation and Publication of Standard Works of University level in Hindi in collaboration with Publishers.
5. Production of Books in Urdu,-Taraqui-e Urdu Board.
6. Co-ordination of books production programme of five Hindi speaking States, under the scheme for production of books of University level in regional languages.
7. Processing of Copyright cases in respect of Foreign Publications.

New Schemes :

1. Hindi Translation of the Encyclopaedias.
2. Compilation of an English-Hindi Dictionary on the model of Websters International Dictionary.
3. Award of Prizes to writers.

पंजाब में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

2739. **श्री दण्डपाणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 सितम्बर 1970 को आयकर अधिकारियों ने चण्डीगढ़, अमृतसर तथा अन्य

स्थानों के व्यापार गृहों पर छापा मार कर कई लाख रुपये के जवाहारात तथा लेखा बाह्य धन पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षो में उनसे जब्त की गई लेखा पुस्तकों में ही सौदों के काले धन का पता लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केवल लुधियाना में 25 सितम्बर 1970 को आयकर विभाग द्वारा तलाशियां ली गयीं । 22.5 लाख रुपये से अधिक की मुद्रा, जवाहरात तथा हुण्डियां जब्त की गयीं ।

(ख) से (घ). जब्त किये गये बही खातों तथा दस्तावेजों की जांच की जा रही है । अगर जाँच पूरी होने पर यह पता चलता है कि इन व्यक्तियों ने आय को छिपाया है तो उन पर नियमानुसार कर तथा दण्ड लगाया जायेगा ।

नेहरू विश्वविद्यालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती

2740. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू विश्वविद्यालय के लिए अब तक किन्हीं कर्मचारियों की भर्ती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक श्रेणीवार कितने प्रशासनिक तथा शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती की गई है तथा उसकी भर्ती के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ग संख्या	भर्ती करने की विधि
शैक्षणिक कर्मचारी-वर्ग 12	(1) एक केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर, और (2) ग्यारह व्यक्ति विश्वविद्यालय के सविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये गये हैं ।
प्रशासी कर्मचारी वर्ग : 60	(1) 14 केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर ; (2) 44 व्यक्तियों को, इसी उद्देश्य के लिए गठित चयन-समितियों की सिफारिशों पर, उन अभ्यार्थियों में से नियुक्त किया गया जिन्होंने सीधे, या विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन-पत्र भेजे थे या जो काम-दिलाऊ दफ्तर से प्रायोजित थे । (3) 2 विश्व विद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के भावी गठन के बारे में ज्ञापन

2741. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के भावी गठन के बारे में सरकार को नागरिकों तथा अलीगढ़ के विद्यार्थियों के संगठनों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि, हां, तो ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) एक वर्ग की मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन के सम्बन्ध में, तथा उनको वास्तविक रूप देने के हेतु अनेक मुसलमानों द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए, श्री एफ०ए० अहमद द्वारा नियुक्त 8 आदमियों की समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जांए और उसके निमित्त स्वीकृत विधान में उन्हें निगमित कर दिया जाये ; साथ ही यह कि विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक और आवासी स्वरूप सुरक्षित रखा जाए । दूसरे दल की मांग है कि विश्वविद्यालय का साम्प्रदायिक रूप बदल दिया जाये तथा स्थानीय कालेज उससे संबद्ध कर दिया जाये ; साथ ही यह भी कि प्रवेश अथवा नियुक्तियों के मामले में धर्म तथा जाति के आधार पर कोई भेद-भाव न बरता जाए ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन के लिए एक बिल राज्य सभा में 31 अगस्त, 1970 को सरकार ने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित तथा दीर्घकालीन विधान को, विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद तथा विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा मामले के सभी सम्बन्धित पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए उस पर विचार किये जाने के बाद ही हाथ में लिया जायेगा ।

नेहरू विश्वविद्यालय के साथ कुछ शैक्षिक संस्थानों को सम्बद्ध करना

2742. **श्री बलराज मधोक :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू विश्वविद्यालय के साथ इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली, भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली तथा इण्डियन इस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, शिमला के सम्बद्ध करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम में, इस प्रकार किसी संस्था को सम्बद्ध करने की कोई व्यवस्था नहीं है । भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली (पुनः पदनामित अन्तर्रा-

ष्ट्रीय अध्ययन स्कूल) को 5 जून, 1970 से विश्वविद्यालय में मिला दिया गया है और अब विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सक्रिय रूप से सम्बद्धन की एक प्रस्ताव, विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। किन्तु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और भारतीय उच्च अध्ययन, संस्थान शिमला को सम्बद्ध करने का अथवा अन्य प्रकार का कोई प्रस्ताव, विश्वविद्यालय के पास नहीं है।

भारत तथा ईरान के बीच विद्वानों तथा छात्रों का तबादला

2743. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या भारत तथा ईरान के बीच विद्वानों तथा विद्यार्थियों के तबादले की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में ईरान गये भारतीय विद्वानों तथा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा ईरान से आए विद्वानों तथा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ;

(घ) तेहरान विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष भारतीय विद्यार्थियों तथा विद्वानों के लिए रक्षित स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने में भारत सरकार के विफल रहने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) ईरान के अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे स्थान आरक्षित कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) से (ग). भारत और ईरान के बीच विद्वानों और विद्यार्थियों के पारस्परिक आदान-प्रदान का कोई कार्यक्रम नहीं है। किन्तु शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित साधारण सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन कुछ अफ्रीकी, एशियाई देशों और अन्य विदेशों के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। इस योजना के अधीन, ईरान के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियां दी जाती है। पिछले तीन वर्षों में, 6 ईरान विद्यार्थी अध्ययन के लिए भारत आए हैं।

तकनीकी सहयोग योजना (कोलम्बो योजना) के अधीन, ईरान के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, किन्तु पीछले तीन वर्षों में ईरान से कोई भी प्रशिक्षार्थी भारत नहीं आया है।

(घ) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (अब विदेश मंत्रालय के अधीन) में 1950 में सबसे पहले पीठ स्थापित किया था। 1962 में सबसे पहले रिक्त हुआ था परिषद ने 1964 के बीच पीठ को न भरने का निर्णय किया था। 1964 से 1968 तक, तीन उपयुक्त उम्मीदवार चुने गये थे, किन्तु वे अपना पदभार नहीं संभाल सके, क्योंकि तेहरान विश्वविद्यालय आवश्यक सुविधायें प्रदान नहीं कर सका। 1969 से एक भारतीय विद्वान पीठासीन है।

(ङ) ईरान के अन्य विद्यालयों में, भारतीय अध्ययन के लिए इसी प्रकार के पीठ स्थापित करने का, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

Staff attached to Ministers

2744. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Gazetted and non-Gazetted employees on the Personal staff of the Minister of Education, Minister of State and the Deputy Minister in his Ministry alongwith their names, designations and the pay-scales ;

(b) the amount of Overtime Allowance drawn by each of them separately, category-wise, during the period from 1st January, 1970 to 31st October, 1970 month-wise ; and

(c) the average overtime allowance paid per head per month ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). A statement giving the required information is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4430/70.]

ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों का जमा राशि में वृद्धि

2745. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रांति के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में जमा राशि में वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) क्या इसका यह कारण है कि धनी किसान अपने फालतू धन को व्याज की ऊंची दर पर ग्रामीण व्यक्तियों को उधार दे सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो निर्धन किसानों पर से उनका प्रभाव समाप्त करने के लिए सरकार का विचार बैंकों को ग्राम वासियों की जमा राशि पर व्याज की दर में वृद्धि करने के आदेश देने का है तथा किसानों को अपना प्रतिएकड़ पैदावार में वृद्धि करने के लिए सुविधायें और सेवायें प्रदान करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बैंकों द्वारा देहाती क्षेत्रों में जमा के लिए जुटाई गई रकमें, शहरी क्षेत्रों में जुटाई गई रकमों की तुलना से कम है। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 19 जुलाई 1969 से जून 1970 के अन्त तक की अवधि में खोले गये नये कार्यालयों में जमा के लिए प्राप्त की गई 50 04 करोड़ रुपये की रकम में से 14.8 करोड़ रुपया यानी 29 प्रतिशत रकम देहाती क्षेत्रों से (अर्थात वे केन्द्र जिनकी आबादी 10,000 से कम है) नियत शाखाओं में एकत्र हुई। लेकिन देहाती इलाकों में विशेषत: उन इलाकों में जो कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप काफी खुशहाल हो गये हैं, जमा की रकम में वृद्धि होने की काफी गुंजाइश है।

(ख) और (ग). देहाती बैंकों में जमा की रकम में वृद्धि की रफ्तार से कम होने के कई और पेचीदा कारण हैं। इनमें से एक कारण संभवतः, उन अन्य प्रकार के निवेशों का आकर्षण है, जिनमें देहाती ऋणकर्ताओं को अपेक्षाकृत ऊंची व्याज दर पर ऋण देना भी शामिल है।

लेकिन देहाती क्षेत्रों में जमा की रकमों की तेज वृद्धि को रोकने वाली मुख्य बात यह है कि देहात के लोग वाणिज्यिक बैंकों के काम से अपरिचित है और बैंकों की शाखायें दूर फैले हुए गांवों से दूरी पर स्थित हैं। इस उद्देश्य से कि गांवों के लोग बैंकों के साथ लेनदेन कर सकें, बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार गांवों में बड़ी तेजी से कर रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक है इन इलाकों में बैंकों के साथ लेनदेन की आदत पैदा होने में समय लगेगा। बैंक उनकी सुविधाओं और सेवाओं पर बढ़ते हुए पैमाने पर, किसानों तक पहुँचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अप्रैल 1970 से, लम्बी अवधि के लिए जमा रकमों के ब्याज की दर में कुछ वृद्धि करने की अनुमति भी दी गई थी।

बैंक ऋणों पर स्टाम्प शुल्क

2746. **श्री एम० नारायण रेड्डी :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाम्प शुल्क की ऊंची दर लोगों को बैंकों से अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ऋण लेने से हतोत्साहित कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारें ऐसे ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में कमी करने की इच्छुक नहीं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकारों की ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए ऋण पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने के लिए कहने का है अथवा ऐसे सौदों में केन्द्रीय सरकार स्टाम्प शुल्क का भार स्वयं वहन करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सम्भवतः यह प्रश्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि कार्य के लिये दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में है। कृषि कार्य के लिए सीधी वित्तीय सहायता की प्रगति के संबंध में सरकार के पास उपलब्ध तुलनात्मक आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिखाए गए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि स्टाम्प-शुल्क की दर के कारण कृषक आम-तौर से बैंकों से ऋण लेने के लिए हितोत्साहित हुए हैं।

सारणी

जून 1969 के अन्त में		अगस्त 1970 के अन्त में	
	(लाख रु० में)		लाख रुपयों में
खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
171,980	3802.0	686,415	17525.7

स्टाम्प शुल्क का सवाल तो तभी पैदा होता है जब कोई अग्रिम रकम प्राप्त करने के वास्ते किसी वाणिज्यिक बैंक के नाम भूमि कानूनी तौर पर बन्धक रखी जाती है। कई राज्य सरकारों ने, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण दिये जाने के मामलों पर स्टाम्प शुल्क में कुछ

रियायतें दी हैं। राज्य सरकारों ने जो रियायतें दी हैं उनका विस्तृत ब्योरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4431/70] कुछ अन्य राज्य जो इस प्रकार की स्थिति में स्टाम्प शुल्क में रियायत देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा अनेक राज्यों ने जिला मुख्यालयों तथा कुछ अन्य कस्बों को साम्यामूलक बन्धक लिखने के लिए अधिसूचित कर दिया है। इससे बाकी अपने समीपवर्ती कस्बे में साम्यामूलक आधारों पर बन्धक लिखा सकते हैं और इस प्रकार के कानूनी बन्धकों के बारे में लिखित दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाने और उनकी रजिस्ट्री कराने की जो वर्तमान प्रक्रिया है उससे बच जाते हैं। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकारें इस प्रकार के ऋणों के लिए स्टाम्प शुल्क में कमी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

(ग) सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों को सुविधाएं प्रदान करने और बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की वित्तीय सहायता देने में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया है।

मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकों की जमा राशि में कमी

2747. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 1969 से बैंकों में जमा-राशि घटती जा रही है ; और

(ख) क्या बचत में कमी होने का मुख्य कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर रूप से वृद्धि का होना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं श्रीमान्। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 19 जुलाई 1969 को, अर्थात् 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तारीख को, 4669.3 करोड़ रुपये की जो रकम जमा थी वह बढ़कर 30 अक्टूबर 1970 को जो सबसे हाल की ऐसी तारीख है जिसके जमा के आंकड़े उपलब्ध हैं, 5552.0 रुपये हो गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अर्थात् 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय राज्य बैंक और उनके 7 सहायक बैंकों में इसी अवधि में जमा की रकम 3884.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 4651.0 करोड़ रुपये हो गई।

(ख) बचत की वर्तमान दर के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु बैंक जमा में वृद्धि की प्रगति को देखते हुए (वर्ष 1970 के पहले दस महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की 13.4 प्रतिशत की तुलना में 14.7 प्रतिशत) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बचत में कोई कमी हुई है।

जीवन बीमा निगम की पालसी में कमी

2748. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा लोगों को जीवन बीमा पालिसियां देने के कार्य में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय तथा पिछले तीन वर्षों से वर्षवार पालिसी होल्डरों की कुल संख्या क्या रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सालाना जारी की गई नई पालिसियों की संख्या, जो 1957 में 8.16 लाख थी, तेजी से बढ़ कर 1963-6 में 16.46 लाख हो गई। यह संख्या 1964-65 में घट कर 14.44 लाख रह गई और तब से इसी स्तर के आसपास आती रही है। इस स्थिति को पैदा करने वाले कारणों को निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। कठिन आर्थिक परिस्थितियां और संगठन द्वारा पर्याप्त कोशिशें नहीं करने से यह स्थिरता हो सकती है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई कमी नहीं हुई है।

दिल्ली के रेडियो तथा इलेक्ट्रोनिक्स के व्यापारियों द्वारा हड़ताल

2749. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा तंग किए जाने के विरोध में दिल्ली के रेडियो तथा इलैक्ट्रोनिक्स व्यापारियों ने 7 अक्तूबर, 1970 को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यापारियों द्वारा इस बारे में क्या बताया है कि उनको किस प्रकार परेशान किया जाता है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि 6 अक्तूबर, 1970 को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा एक दुकान की तलाशी लिए जाने के विरोध में अपना रोष प्रकट करने के लिए, दिल्ली के रेडियो तथा इलेक्ट्रानिक व्यापारियों ने 7 अक्तूबर, 1970 को आंशिक हड़ताल की थी।

(ख) और (ग). सम्बन्धित फर्म को तंग नहीं किया गया क्योंकि उनके यहां पकड़े गये निर्माणक पुर्जों पर विदेशी मार्के थे, और सम्बन्धित पार्टी के पास उन पुर्जों के वैध आयात के सन्तोष जनक सबूत नहीं थे। मामले की जांच पड़ताल की जायेगी और उसका सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति निपटारा किया जायेगा।

एयर इंडिया की नियन्त्रित कम्पनी द्वारा पर्यटकों के लिए चार्टर विमानों का संचालन

2750. **श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि एयर इंडिया पर्यटकों के लिए चार्टर विमान चलाने हेतु एक नियन्त्रित कम्पनी बनाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). एयर इंडिया यात्री एवं माल चार्टरों के परिचालन के लिए एक कम्पनी स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहे हैं ।

गुजरात में समाचार पत्र उद्योग पर कुछ परिवारों के स्वामित्व तथा व्यक्तिगत नियंत्रण के बारे में जांच

2751. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में समाचारपत्र उद्योग पर कुछ परिवारों के स्वामित्व तथा व्यक्तिगत नियंत्रण की सीमा के बारे में जांच करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) किन समाचारपत्रों की जांच की जायेगी ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). समाचार-पत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व प्रतिरूप का एक विभागीय अध्ययन किया जा रहा है ।

हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यक्रम की समाप्ति

2752. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 27 सदस्यों की हिन्दी सलाहकार समिति की पिछली कार्यवधि चार माह पूर्व समाप्त हो गई थी ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). इस प्रश्न के विषय में कुछ गलतफहमी प्रतीत होती है । जहां तक इस मन्त्रालय का संबंध है, हमारी यहां एक सलाहकार समिति है, जिसका नाम हिन्दी शिक्षा समिति है । इसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 48 है । पिछली बार इसका पुनर्गठन 1-1-1969 को हुआ था तथा वर्तमान समिति के सदस्यों की अवधि 31-12-1971 तक रहेगी ।

कतिपय उद्योगों का कुछ हाथों में जमाव

2753. **श्री भगवान दास** : क्या समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 के एकाधिकार जांच आयोग के निष्कर्षों के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों अर्थात् साबुन, रबड़ उत्पादन, सिग्रेट तथा दवाइयों आदि के कारखानों का कुछ हाथों में अत्यधिक जमाव है ;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) इन उद्योगों के कुछ हाथों में जमाव को रोकने तथा उनमें व्यापार गतिविधियों को रोकने के लिए 1960-61 से सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ; और

(घ) इस बारे में अब तक की गई कार्यवाही से देश को क्या सहायता मिली है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्री मान् ।

(ख) से (घ). संबंधित मन्त्रालयों/विभागों से सूचना संग्रह की जा रही है ।

इन्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्ट्डीज नई दिल्ली

2754. **श्री भगवान दास** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्ट्डीज, नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी ;

(ख) क्या यह संस्था सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है ; और

(ग) क्या इस संस्था के समय समय पर आवश्यक प्रतिवेदन रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को भेजे है यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 3 अक्तूबर, 1955 ।

(ख) 4 जून, 1970 तक स्कूल अन्तर्राष्ट्रीय सोसाइटी के भारतीय स्कूल द्वारा चलाया जा रहा था जिसका पंजीकरण 1860 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था। तत्पश्चात सोसाइटी भंग कर दी गई थी तथा स्कूल को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ मिला दिया गया ।

(ग) जी हां । रिपोर्टों में स्कूल के शासी निकाय के सदस्यों के नाम तथा पद, तथा नियमों में कोई परिवर्तन यदि हुआ हो, जिनको सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना हो, सम्मिलित थे ।

इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्ट्डीज नई दिल्ली

2755. **श्री भगवान दास** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्ट्डीज, नई दिल्ली में कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं ;

(ख) राष्ट्रयतावार इस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हैं ;

(ग) प्रत्येक शिक्षक को कितना वेतन तथा अन्य उपलब्धियां दी जाती हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस स्कूल के अमरीकी शिक्षकों को उनका वेतन तथा अन्य उपलब्धियों का भुगतान अमरीकी डालरों में किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का भारतीय स्कूल का दिनांक 5 जून, 1 70 से नेहरू विश्वविद्यालय में विलयन कर दिया गया है और यह "अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय" के नाम से जाना जाता है। स्कूल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों तथा क्षेत्रीय अध्ययनों में पी०एच०डी० डिग्री के लिए प्रत्याशी तैयार करता है और निम्नलिखित विभागों में अध्ययन कार्य आयोजित किया जाता है :—

1 अमरीकी अध्ययन विभाग

2 राष्ट्र मंडल अध्ययन विभाग

3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा संगठन विभाग

4 पश्चिम-एशियाई अध्ययन विभाग

5 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विभाग

6 अंतर्राष्ट्रीय विधि विभाग

7 केन्द्रीय एशियाई अध्ययन विभाग

8 दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग

9 दक्षिण-एशियाई अध्ययन विभाग

10 पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग, और

11 रूसी अध्ययन विभाग

(ख) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—4432/70]

(ग) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4432/70]

(घ) और (ङ). जी हां। स्कूल के निर्माणात्मक वर्षों में, अमरीकी इतिहास तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए, फोर्ड फाउन्डेशन अनुदानों के अंतर्गत कुछ अतिथि प्रोफेसर, स्कूल में थे। इन अनुदानों में से अतिथि प्रोफेसरों के खर्चे के लिए बजट में निर्धारित धन राशि पोर्ड फाउन्डेशन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय जिससे उस समय स्कूल संबद्ध के कुलपति के अनुदेशों पर 1956 में तथा उसके पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, न्यूयार्क की हस्तान्तरित कर दी गई थी और इसके बाद उसे ताकि अतिथि प्रोफेसरों को उन्हीं के द्वारा भुगतान किया जा सके। अनुदान डालरों में उपलब्ध था। जिस व्यवस्था के अधीन अमरीकी अतिथि प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई थी, वह जनवरी, 1963 में समाप्त कर दी गई।

इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली

2756. श्री भगवान दास : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 से 1969-70 के दौरान इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली को वर्षवार दी गई कितनी केंद्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) स्कूल की आस्तियां तथा देयता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विवरण संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4433/70]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता का वितरण

2757. **श्री भगवान दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य को 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में सरकारी क्षेत्र की बैंककारी संस्थाओं सहित केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई वर्षवार वित्तीय सहायता के वितरण के उद्देश्य क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अखिल भारतीय सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्था, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा, 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान वितरित सहायता का राज्यवार तथा प्रयोजनवार वर्गीकरण अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4434/70]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों के आंकड़े जिस रूप में पूछे गये हैं उस रूप में नही रखे जाते।

कलकत्ता पत्तन के शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में किया गया व्यय तथा संसद सदस्यों को निमन्त्रण

2758. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन के शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अनुमानतः कितना धन व्यय हुआ ;

(ख) उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जो इस अवसर पर विशेष रूप से आमन्त्रित किये गए थे ;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल के सभी संसद् सदस्य आमंत्रित किये गए थे ;

(घ) यदि नहीं, तो उन संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जिनको आमंत्रित नहीं किया गया ; और

(ङ) किन कारणों से उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के शताब्दी समारोह के सम्बंध में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किया गया अनुमानित

व्यय निम्न प्रकार था :—

कलकत्ता और हल्दिया में प्रदर्शनी————	2,00,000 रुपये
पत्तन और बन्दरगाह प्रबंध का सम्मेलन	60,000 रुपये
शताब्दी सप्ताह के दौरान मजदूर बस्तियों कर्मचारियों के आवासों तथा सार्वजनिक सभा भवनों ने साँस्कृतिक नाटक तथा खेलकूद	40,000 रुपये
शताब्दी विवरणिकायें प्रेस द्वारा प्रचार पत्तन क्षेत्र में प्रकाश करना जहाजों की धातु पट्टियों का प्रस्तुतीकरण आदि ।	70,000 रुपये
उद्घाटन समारोह, स्वागत आदि	15,000 रुपये
शताब्दी हस्पताल खोलने के लिए समारोह (जो अभी होना है । जिसमें स्मारक पट्टियां भी शामिल है आदि ।	15,000 रुपये
नई दिल्ली में स्मारक का टिकट का विमोचन	1,400 रुपये
योग	4,01,400 रुपये

(ख) से (ङ). पत्तन आयुक्तों से यह अभिनियश्चित कर लिया गया है कि केवल श्री इन्द्रजीत गुप्ता और डा० (श्रीमती) मैत्रीय बोस—संसद् सदस्यों को निमंत्रण दिया गया था जिन का व्यक्तिगत रूप से श्री गुप्ता जी पत्तन आयुक्त तथा श्रीमती बोस भूतपूर्व पत्तन आयुक्त तथा पत्तन मजदूरों के नेता है के रूप में पत्तन से संबंध हैं।

वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी, हैदराबाद

2759. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी के सचिवों के नाम क्या है ;

(ख) इम्पीरियल टोबैको कम्पनी (अब इण्डिया टोबैको कम्पनी) तथा इसके सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी के खरीदे गये साधारण तथा अभिमान शेयरों की संख्या तथा उनका मूल्य क्या है ;

(ग) वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी के शेयर-ढांचे का ब्यौरा क्या है ;

(घ) भारतीय तथा विदेशी शेयरधारियों की संख्या कितनी है तथा (1) भारतीयों और (2) विदेशियों द्वारा खरीदे गये साधारण तथा अभिमान शेयरों का मूल्य क्या है ;

(ङ) क्या यह कम्पनी इण्डिया टोबैको कम्पनी को "विल्स" जैसी किसी किस्म की सिगरेट का उत्पादन करती है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) मैं० वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी लि०

द्वारा मिसिल किये गये नवीनतम पत्र के अनुसार, इस कम्पनी के 1-1-1970 तक 289 इक्विटी हिस्सेधारी तथा 659 की संख्या तक अधिमान हिस्सेधारी थे। यह सांविधिक प्रलेख, जिसमें हिस्सेधारीयों के नामों का उल्लेख है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 610 के उपबन्धों की शर्त के अनुसार नाम मात्र की फीस देने पर जनता के निरीक्षण के लिए प्राप्त है।

(ख) मैं० इण्डिया टोबैको कम्पनी लि० के मैं० वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी में कोई इक्विटी अथवा अधिमान हिस्से नहीं है। तथापि यू० के० में पंजीकृत इसकी धारित कम्पनी, अर्थात मैं० टोबैको मैन्यूफैक्चरर्स (इन्डिया) लि०, के इसमें 3,12,242 इक्विटी हिस्से है।

(ग) वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी के 30-9-69 तक हिस्सा-संरचना की बाबत ब्यौरे नीचे प्रदर्शित है :

अभिदत्त पूंजी

10 रु० की दर के 20,00,000 साधारण हिस्से	2,00,00,000 रु०
100 रु० की दर के 7 प्रतिशत कर योग्य संचयोनिस्क्रेय अधिमान हिस्से	29,54,300 रु०
योग	2,29,54,300 रु०

(घ) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, वार्षिक विवरणीयों में हिस्सेधारियों की राष्ट्रीयता प्रकट नहीं की जाती तथापि, एक अध्ययन किया जा रहा है।

(ङ) तथा (च). कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, एक कम्पनी के लिए यह सूचना भेजना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, यह सूचना कम्पनी कार्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स वाल्कर ब्रादर्स को स्टेट बैंक आफ इण्डिया का लन्दन शाखा द्वारा दिया गया ऋण

2760. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वाल्कर ब्रादर्स ने स्टेट बैंक आफ इन्डिया की लन्दन शाखा से 600,000 पौंड ऋण लिए ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 के आरम्भ में उक्त कम्पनी दिवालिया हो गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त लेन देन के परिणामस्वरूप बैंक की लन्दन शाखा को 78 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ ;

(घ) क्या सरकार द्वारा लन्दन शाखा की कार्यपद्धति का उच्चस्तरीय जांच करने के लिए आदेश देने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्भवत: यह प्रश्न बैंक आफ इन्डिया की लन्दन शाखा के सम्बन्ध में है न कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सम्बन्ध में। बैंक आफ इन्डिया की लन्दन शाखा ने दिसम्बर 1967 में मैसर्स वाल्कर ब्रादर्स को जो सुविधाएं दे रखी थी वे इस प्रकार थी :

ऋण लेने की सुविधाएं	सीमा
हुन्डियां भुनाने के लिए	350,000 पौंड
बेजमानत ओवरड्राफ्ट के लिए	30000 पौंड
ऋण भिन्न सुविधाएं	380,000 पौंड
लाख पत्र के लिए	570,000 पौंड

किन्तु ऋण लेने या ऋण लेने के भिन्न दोनों प्रकार की सुविधाओं की अधिकतम सीमा 600,000 पौंड से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) नवम्बर 1967 में स्केण्डेनेविया के एक आयातकर्त्ता-ग्रुप को घाटा हो जाने के कारण कम्पनी को भारी हानि उठानी पड़ी और यह गम्भीर वित्तीय कठिनाई में फंस गई। इस पर कम्पनी ने स्वेच्छा से परिसमापन का निर्णय कर लिया। कम्पनी के ऋण दाताओं की 2 जनवरी 1968 को हुई बैठक में एक परिसमापक नियुक्त किया गया।

(ग) बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा के पास लेखे की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

	पौंड
बकाया	47,889-13-2*
घटाइए: हुण्डियों की अगाही और अग्रिम हुण्डियों पर प्राप्त ब्याज की रकम जो उच्न्त खाते में रखी गयी है	26,731-10-7
	21,158-2-7
घटाई रकम : खाते में ली गयी परिसमापक से प्राप्त रकम	3,000-0-0
शुद्ध देनदारी	18,158-2-7

(27-11-1967 को बकाया रकम 449,889 पौंड थी जो कम होकर इतनी रह गयी है।)

बैंक को अपनी लन्दन शाखा से अब तक मिली सूचनाओं के अनुसार परिसमापक से 9,700 पौंड का लाभांश और प्राप्त होने की आशा है और बैंक के अनुमानों के हिसाब से इस खाते में होने वाली हानि अब लगभग 8,500 पौंड रह गयी है।

(घ) और (ङ). रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने ब्रिटेन में बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं का निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकारी लगा दिये हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के लाकर में रखे रामपुर के नवाब के जेवरात

2761. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सीमाशुल्क विभाग ने 1969 में नवाब रामपुर के 2 करोड़ रुपये के जेवरात जब्त किये थे और उक्त जेवरात स्टेट बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली में पड़े हैं ;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के लाकर में जेवरात रखते समय सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि रामपुर परिवार सरकारी अनुमति के बिना औपचारिक प्रयोग के लिये कोई जेवर नहीं ले सकता ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस बात का हाल में पता लगा था कि बैंक की अभिरक्षा में पड़े जेवरात मूल जेवरात का स्थानापन्न होने के कारण नकली हैं जैसा कि 19 सितम्बर 1970 के ब्लिट्ज़ में प्रकाशित हुआ है ;

(घ) क्या सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । केवल 1954 में ही रामपुर के स्वर्गीय नवाब के जवाहरात सरकार की सलाह पर दिल्ली लाये गये थे और उनको भारत के राज्य बैंक, नई दिल्ली में रखा गया था ।

(ख) जी, नहीं । लेकिन, एक अनौपचारिक व्यवस्था के अनुसार संदूकों को गृह मन्त्रालय के किसी अधिकारी की उपस्थिति में ही पुनः खोला जाना था ।

(ग) से (ङ). मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

Branches of State Bank of India in Jaunpur and Pratapgarh Districts, U.P.

2762. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of Finance be pleased to state the names of the places in Jaunpur and Pratapgarh districts of U.P. where it is proposed to open branches of the State Bank of India and the time by which a decision is likely to be taken in the regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Vidya Charan Shukla): Only one application from the State Bank of India for licence to open an office in the district of Jaunpur in U.P, is pending with the Reserve Bank. There is no application from the State Bank for licence for opening any office in Pratapgarh district of U P. A decision on the application of the State Bank for opening an office in Jaunpur is expected to be taken within a month or so.

Since January, 1970, new offices of commercial banks have been opened at 4 centres in Jaunpur district and one is Pratapgarh district. Besides, for an intensive and co-ordinated development of banking the district of Jaunpur has been allotted to Union Bank and Pratapgarh to bank of Baroda under the "Lead Bank Scheme." The respective lead banks are expected to undertake a survey of their lead districts to identify areas and

sectors which are urgently in need of banking facilities. A phased programme for bringing such areas within the net-work of bank branches will be drawn up after the paid surveys are over.

पारादीप पत्तन के लिए रिक्लमर के आयात हेतु विदेशी मुद्रा देना

2763. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पोतपरिवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर माल भरने की दर को बढ़ाने हेतु रिक्लेमर तथा दो 'वेल्ट बैंगनों' के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के निपटान के लिए उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). पारादीप एक बड़ा पत्तन है जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं। खनिज लोह की लदान दर की वृद्धि करने के लिए पारादीप पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने 54.65 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पारादीप पत्तन के लिये एक रिक्लेमर की खरीद की मंजूरी दे दी है इसमें 32.30 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का संघटक है। उसके लिए पारादीप पत्तन न्यास ने एम० ए० एम० सी० को .9-8-1970 आवश्यक क्रयादेश दिया।

वेल्ट वैगनों के सम्बन्ध में पारादीप पत्तन न्यास ने 21.21 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 2 टाटा पी एच एच शीवन इनस्टेड को खरीदने का निर्णय किया है। इसकी प्राप्ति के लिये मंजूरी 20-7-1970 को दी गई। इन दो शावलों में से एक शावल की सिपुर्दगी पहले ही की जा चुकी है और दूसरे की नवम्बर 1970 में सुपुर्द किये जाने की सम्भावना है।

उड़ीसा में वन्य जीवन पर्यटन का संवर्धन तथा विकास सम्बन्धी योजना

2764. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में वन्य जीवन पर्यटन के संवर्धन तथा गहन विकास के लिये केन्द्र सरकार को एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा सरकार द्वारा दिये गये सुझाव पर सहमत हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना वितीय परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है और योजना की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाएगी ; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना में, 1970-71 से 1974-75 तक की अवधि के दौरान 12 लाख रुपये की लागत से, आवास तथा परिवहन सुविधाओं एवं संचार साधनों में सुधार करने के लिये सड़कों तथा पुलों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। विकास के लिये सुझाये गये क्षेत्र निम्नलिखित है :—

1. मयूरभंज जिले में सिमलीपाल पहाड़ी पर प्रस्तावित नेशनल पार्क ।
2. भुवनेश्वर के समीपजीव विज्ञानीय उद्यान (बायोलाजीकल पार्क) ।
3. पक्षियों के लिए चिल्का झील ।
4. भिटारकनिका ब्लाक (पक्षियों तथा मगरमच्छों के लिये) ।

(ग) से (ङ). निधियों पर लगी परिसीमाओं तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण, पर्यटन विभाग इन योजनाओं में से किसी के लिये भी वित्तीय सहायता देने की स्थिति में नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पूर्व पाकिस्तान के तूफान पीड़ित लोगों के लिए भारत द्वारा दी गई सहायता के पाकिस्तान द्वारा स्वीकार न किये जाने के समाचार

श्री नाथपाई (राजापुर) : श्रीमान्, मैं वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"पूर्व पाकिस्तान के तूफान पीड़ित लोगों की सहायता हेतु दिये गये धन और सामग्री को लेने से पाकिस्तान द्वारा इन्कार किये जाने के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया ।"

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम है कि दो हफ्ता पहले पूर्वी पाकिस्तान में जो तूफान आया उससे भूतपूर्व क्षति हुई और भारी संख्या में मृत्यु हुई। 16 नवम्बर को प्रधान मंत्री ने तुरन्त यह घोषणा की कि तूफान पीड़ित लोगों की सहायता के लिए पांच लाख रुपये का आरम्भिक और सांकेतिक अंशदान दिया जाए। बाद की अख़बारी खबरों से इस बात का पता चला कि विपत्ति और क्षति की मात्रा, पहले जो अनुमान लगाया गया था, उससे कहीं अधिक थी। 19 नवम्बर को प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि मित्रता के रूप में और पाकिस्तान के लोगों की संकट की घड़ी में भारत सरकार ने इस अंशदान की मात्रा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी। चावल, चीनी, दवाई, बाल आहार और कोयला जैसी आवश्यक अवस्तुओं की सप्लाई पर खर्च किए जाने के लिए यह धनराशि दी गई थी। सरकार ने पचास बिस्तरों वाले दो चलते-फिरते अस्पताल, जिनमें एक्सरे भी हैं, तथा अन्य सुविधायें देने और

सहायता सप्लाई पहुँचाने में कार्मिक दल असहित डेंगियों की सेवाएं उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव रखा। इसके बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को भारतीय वायु सेना के हेलिकाप्टरों और भारतीय वायु सेना के परिवहन वायुयान देने का भी प्रस्ताव रखा जिससे रसद पहुँचाने में सहायता मिल सके।

2. हमने पाकिस्तान सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया और जिन चीजों को पहुंचाना था उनके बारे में और उनके पहुंचाने की विधि के बारे में आपसी, समझौते के आधार पर प्रबंध कर लिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने हमें यह सूचना दी है कि उन्हें चलते-फिरते अस्पतालों, डेंगियों और भारतीय वायु सेना के हेलिकाप्टरों और परिवहन के वायुयानों की आवश्यकता नहीं है।

3. हमने वाणिज्यिक एयर लाइन द्वारा दो बार दवाइयों के आपत्तकालीन माल भेजे। हरदास पुर में पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर, सड़क द्वारा दवाई, कपड़ा और खाने की और चीजें जानी शुरू हो गयी हैं।

श्री नाथ पाई : जब पूर्वी पाकिस्तान में तूफान द्वारा आई तबाही का समाचार यहां पहुंचा तो संपूर्ण देश में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हुई और प्रधान मन्त्री ने तुरन्त सहायता देने का वचन दिया। हमने पाकिस्तान के सैनिक परिवहन विमानों को भारत पर से उड़ कर जाने की अनुमति दे दी थी, परन्तु ऐसी दो बातें हुई हैं जिनसे हमें चोट पहुँची है। पहला पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सेना पर विश्वास न किया जाना ऐसा है जिससे हमें दुख हुआ है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के हेलिकोप्टर तथा परिवहन विमानों की सहायता लेने से इन्कार कर दिया है। जब हम भारतीय तथा विदेशी को पढ़े तो हमें पता चलेगा कि उनके पास हेलिकोप्टरों की भारी कमी है। हमें इस बात पर आश्चर्य होता है कि जब हम उनके विमानों को भारतीय भूमि पर से उड़कर जाने की अनुमति देते हैं तो फिर भी वे हम पर संदेह रखते हैं।

यहां एक दूसरा पहलू भी है। जब हम पाकिस्तान को धन, सामग्री आदि से सहायता दे रहे हैं वहां फिर भी संदेह का वातावरण बना हुआ है आजाद काश्मीर में "काश्मीर पाकिस्तान बनेगा" जेहाद आदि जैसे नारे बोले जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वे उस देश में शंका को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आज भय तथा संदेह से संपूर्ण वातावरण ग्रसित है। क्या इसको दूर करने के लिए वे उच्च स्तर पर कार्यवाही करेंगे ? संभवतः हमारी प्रधान मंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलकर उनको यह कह सकती है कि हम जरा सी भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है और तूफान पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति रखने के कारण ही हम हेलिकोप्टरों की सेवा प्रस्तुत करना चाहते हैं। चूंकि पाकिस्तान ने संदेह के कारण हमारी द्वारा दी गई सहायता को लेने से इन्कार कर दिया है अतएव हमें उनके इस संदेह को दूर करना है। इस मामले को प्रधान मन्त्री अथवा राष्ट्रपति स्तर पर उठाया जा सकता है ताकि पूर्वी पाकिस्तान के तूफान पीड़ित लोगों को सहायता पहुँच सके।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान ने खाद्यान, औषधि, नालीदार लोहे की चादरों, चीनी, कपड़ा तथा अन्य कई वस्तुओं को लेना स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें विमान, हेलिकाप्टर तथा चलता-फिरता अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। हमारे विचार में इस समय पाकिस्तान को

वही वस्तुएं देनी चाहिए जिनकी उनको आवश्यकता है। हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम पाकिस्तान को उन वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए अनुरोध करें जो वे नहीं चाहते हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरी) : यह दुःख का विषय है कि पाकिस्तान आवश्यकता पड़ने पर भी भारत से चिकित्सा संबंधी सहायता तथा अन्य वस्तुओं को नहीं स्वीकार कर रहा है। परन्तु क्या सरकार ने पहले से ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि पाकिस्तान इस प्रकार की सहायता को स्वीकार करेगा ? पाकिस्तान द्वारा इसको स्वीकार न करने से भारत में स्थिति विकट बन गई है। हमारे लिए यह अच्छा होता कि हम उनका वक्तव्य पहले से जान लेते दूसरा, यह एक तथ्य है कि पाकिस्तान का अमरीका, रूस तथा चीन के साथ गुप्त करार है। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र तथा द्वीपों में पाकिस्तान तथा चीन के बीच कोई प्रतिरक्षा सम्बन्धी कोई गुप्त करार है ? यह आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान ब्रिटेन से नाविकों की सहायता ले रहा है परन्तु ऐसे संकटपूर्ण स्थिति में भारत से सहायता लेना अस्वीकार कर रहा है।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि सरकार ने पहले से ही यह सुनिश्चित क्यों नहीं कर लिया था कि क्या पाकिस्तान सहायता को स्वीकार करेगा या नहीं ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पूर्वी सीमा के कतिपय क्षेत्रों में संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए क्या सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि चीनी सहायता का पाकिस्तान के तूफान पीड़ित लोगों से कोई सम्बन्ध है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए मैं उन वस्तुओं के नाम बताऊंगा जिसकी सप्लाई की जानी है। ये वस्तुएं हैं—टीका की दवा, प्रतिजैविकी औषधि, सल्फा औषधियां लुंगा, साड़ियां, चद्दर, पात्र तथा बर्त्तन आदि, उन्होंने इन वस्तुओं को लेना स्वीकार कर लिया है। सभा इस बात से सहमत होगी कि ये वस्तुयें ऐसी हैं जिनकी आम जनता को बहुत आवश्यकता रहती है।

यह सच है कि उन्होंने हेलिकोप्टरों तथा अन्य विमानों की मांग नहीं की है क्योंकि उनका कहना है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में डाक्टर हैं अतएव उन्हें चलता-फिरता अस्पतालों की आवश्यकता नहीं है। यदि वे बताते हैं कि उन्हें अयुक्त वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो हमें इसके लिए अधिक जोर नहीं देना चाहिए और न इसका भिन्न अर्थ लगाना चाहिए। हमने उन्हें औषधि, खाद्य सामग्रियों तथा कपड़ा देने का प्रस्ताव किया था। हमने उन्हें परिवहन की सुविधा देने का भी प्रस्ताव किया था। उन्होंने बताया कि वे हमें अपनी आवश्यकता बता देंगे तथा उन्होंने एक या दो दिनों में अपनी आवश्यकता बता दी। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने अमुक वस्तु देने का प्रस्ताव किया था तथा उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था ऐसी स्थिति में, जबकि जनता पर कठिनाइयां आई हुई हैं, उन्हें कतिपय प्राथमिकतायें निर्धारित करनी होती है। यदि उन्हें अपेक्षित वस्तु अन्य साधनों से सुलभता से प्राप्त होती है तो यह बात उन पर छोड़ देनी चाहिए।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रश्न के बारे में मेरा कहना है कि यह एक अलग मामला है और इसे सप्लाई करने के प्रश्न के साथ न जोड़ा जाये। इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान हम सप्लाई के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : We feel greatly concerned for the suffering people of East Pakistan who have been hit by the cyclone. India and Pakistani are one. It was natural for India to rush to help on hearing such a tragic news. The Prime Minister had declared to contribute five lakhs rupees to the cyclone hit people and the same was increased. This act of contribution is the accordance with our old tradition.

Secondly, I want to say that Pakistan is refusing to take help in the form of Helicopters, Aircrafts or Mobile hospitals, and India had readily agreed to allow Pakistan to fly her aircrafts over our country.

Thirdly, I want to say that besides India other countries are also sending reliefs to Pakistan. But the administration of Pakistan is so corrupt that reliefs will not reach the people in its full extent. Maulana Bhasani, a leader of East Pakistan, had declared that they would observe protest day from 25th to 29th November, because the Pakistan Government is doing nothing for them. The Pakistan Government claims to have opened 40 relief centres but in reality only two centres have been opened. My intention is to say that their administration is corrupt. In this context I want to ask four questions. Firstly, I want to know whether the increase of Rs. one crore is in addition to Rs. two lakhs inclusive of it. Secondly, I want to know whether Pakistan is also refusing to accept the aid amounting to Rs. 1 crore or five lakhs given or announced by our Government and if not, how much aid has been given in cash and who gave it as well as who received it and thirdly, whether Government of India have proposed to set up a Joint Machinery of the two Governments for the disbursement of the aid. So, then what is the reaction of the Pakistani's Government ? Fourthly, I want to know if some private committees come forward for executing relief works, what help will be given by our Government to them so that they may carry on relief measures ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सम्पूर्ण धन राशि 5 लाख रुपये तथा 95 लाख रुपये अतिरिक्त है। दूसरा, यह धन नकद नहीं दिया जा रहा है। इसका उपयोग उन वस्तुओं को भेजने में किया जायेगा जिनकी सूची मैंने आपको दी है। तीसरा, इन राहत की वस्तुओं के लिये पाकिस्तान के साथ संयुक्त मशीनरी बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। यह संभव नहीं है तथा उचित भी नहीं है। चौथा, यदि संसद ने राहत समिति की स्थापना की है तो वे मुझे वस्तुओं की सूची बनाकर दें और मैं पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था करूंगा।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं प्रधान मंत्री को पूर्वी पाकिस्तान के तूफान पीड़ित जनता को तत्काल सहायता देने के लिए बधाई देता हूं। पूर्वी पाकिस्तान की जनता भारत के साथ मित्रता चाहती है परन्तु पाकिस्तानी अधिकारी इसको अच्छा नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे द्वारा सहायता देने के कार्य में कठिनाईयां खड़ी की हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान की जनता की कठिनाइयों से लाभ उठाना चाहता है तथा वे भारत के विरुद्ध राजनीतिक चाल चल रहे हैं। पाकिस्तानी विद्यार्थियों तथा जनता ने लन्दन तथा ढाका में अपर्याप्त राहत कार्य के विरुद्ध प्रदर्शन किए थे। मैं इस संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ने अन्य देश की सहायता को लेना अस्वीकार कर दिया है। क्या पाकिस्तान ने भारत द्वारा चलता-फिरता अस्पताल, तथा विमानों आदि के रूप में सहायता देने के प्रस्ताव को ठुकराने के कारण बताए हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में केवल एक कारण दिया गया था और वह यह कि उनको

इस प्रकार के परिवहन की आवश्यकता नहीं है और हमारा इस बारे में उनसे और बात करने का इरादा नहीं है।

श्री हेम बरुआ : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान की सहायता करने वाले किसी अन्य देश से सहायता लेने से भी इंकार किया है।

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान ने सहायता लेने से इंकार नहीं किया है लेकिन उसने कुछ वस्तुओं की मांग की है जिन्हें हम सप्लाई कर रहे हैं। यह सच है कि उसने अन्य देशों से विमान तथा हैलिकोप्टर लेना स्वीकार किया है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : यह बहुत गम्भीर मामला है। यह अजीब बात है कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा है और पंडित दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए संसद में घोषणा की गई थी, तो आयोग के प्रतिवेदन को सदस्यों की सप्लाई न कर उसके विषय को संसद के बाहर बतलाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It was announced by the Government that the report would be placed on the Table of the House after the enquiry had been completed. The Government should have first presented the report here.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is very strange that before placing the report of the Commission of the Table of the House, it has done to the Press saying that there was no political grounds behind the death of Pandit Dean Dayal Upadhyaya. It shows that Government cannot keep its secrets closely guarded.

Mr. Speaker : I am looking into it.

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : केरल राज्य के मन्त्री ने एक वक्तव्य में यह बताया कि राज्य में 4,000 बसें नहीं चल रही तथा 40,000 कर्मचारी उक्त हड़ताल में शामिल हैं। उक्त हड़ताल मजूरी बोर्ड के पंचारट को क्रियान्वित किए जाने के बारे में की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है। इसे यहां कैसे उठाया जा सकता है ?

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उप धारा (2) के

अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त निगम, बम्बई के 30 जून, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4407/70]

(2) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1789 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसे आय पर करों के दोहरे आरोपण से बचने के लिये भारत सरकार और जापान की सरकार के बीच समझौते में रूपभेद करने तथा उसकी अनुपूर्ति करने वाले लेख को प्रभावी बनाने के बारे में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 90 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी किया गया था। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—4408/70]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280य ड० की उपधारा (4) के अन्तर्गत, कर जमा प्रमाण पत्र (ईक्विटी शेयर) संशोधन योजना, 1970, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1822 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—4409/70]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत, आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3398 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4410/70]

(5) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4), के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 3 अगस्त 1970 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/60/69-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1970 जो, दिनांक 6 अगस्त 1970 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(33)/67-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4411/70]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर 1750, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1751, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1790, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1896, जो दिनांक 10 नवम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० – 4412/70]

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1952 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 64वां संशोधन नियम 1970, जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1739 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 65वां संशोधन नियम 1970 जो दिनांक, 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1740 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 66वाँ संशोधन नियम, 1970 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1741 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 67वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1742 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 68वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1743 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 69वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1744 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 70वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1745 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 71वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 3 अक्टूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1746 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-मुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 72वां संशोधन नियम 1970, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1747 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 73वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1748 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 74वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत क राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1749 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 75वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र से अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1787 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 76वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1788 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 77वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1789 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) सीमा-शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 78वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1970 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1819 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 129वां संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1859 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—4413/70]

श्री दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिक सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखिम पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) श्री दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु से सम्बन्धित तथ्यों तथा परिस्थितियों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4414/70]

(2) विज्ञान तथा प्रौद्योगिक सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, 1969-70 की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4415/70]

जहां तक पहले विषय का सम्बन्ध प्रधान मन्त्री ने इस बारे में कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है। मैंने इस बारे में जांच की है और मुझे पता लगा कि सरकारी तौर पर कोई विवरण नहीं दिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I want to know this confidential report was published in the newspapers ?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि प्रधान मन्त्री ने इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है अतः इस बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कल सायं इस बारे में निर्णय किया गया था और हम इससे पहले इसे सदन में प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

सभा की कार्यवाही
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : आपकी अनुमति से मैं 30 नवम्बर, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किये जाने की घोषणा करता हूँ :

(1) आज की कार्य-सूची से सरकारी कार्य के किसी भी शेष मद पर विचार।

(2) भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद् विधेयक 1970, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(3) वर्ष 1968-69 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) वर्ष 1968-69 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(7) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1968।
(विचार तथा पास करना)

(8) चार्टर्ड एकाउन्टेंट (संशोधन) विधेयक, 1969।
(विचार तथा पास करना)

(9) मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(10) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(11) राष्ट्रीय गौरव के अपमान का निवारण विधेयक, 1970।
(विचार तथा पास करना)

(12) भारतीय रूई निगम की स्थापना के बारे में बुधवार, 2 दिसम्बर, 1970 को 4.30 बजे म० प० पर नियम 193 के अधीन आगे चर्चा।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : बेरोजगारी के विषय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस विषय पर चर्चा के लिए सरकार को समय निर्धारित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि उपर्युक्त विषयों पर समय पर चर्चा समाप्त नहीं होती तो मैं मन्त्री महोदय को अग्रिम नोटिस दे दूंगा कि हमें 21 और 22 तारीख को भी बैठना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri K. C. Pant has just placed on the Table of the House the Chandrachoor Commission's Report. I want to know whether that Report will be discussed in the House. The unemployment problem should also be discussed during this Session.

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : आपने इस सत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा

करने का वचन दिया था। दो सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी इस विषय पर चर्चा नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में निर्णय करना कार्य मन्त्रणा समिति का काम है।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : यह दुःख की बात है कि पूरे सत्र में अनियत दिन वाले केवल एक या दो प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The Cotton Mills are in very deplorable condition. I want to know whether Government are considering to discuss that matter ?

श्री स॰मो॰ बनर्जी (कानपुर) : यह दुःख की बात है कि सरकार ने हिंसा की गतिविधियों को समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियम, 1970 पर, जिसे पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित किया गया है, चर्चा करना उचित नहीं समझा। इस अधिनियम पर सदन में कभी भी चर्चा नहीं की गई। पुलिसवालों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाना चाहिए।

Shri Rabi Ray (Puri) : Discuss on Preventive Detention Act and unemployment problem should also be accommodate.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Discussion on the strike of non-teaching staff of the University of Patna should also be held. The Report of the University Governess Committee has not been presented so far. I want to know when it is going to be presented ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : बेरोजगारी की समस्या पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है।

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : I want that discussion should be held on the report of Enquiry Commission on the death of Shri Deen Dayal Upadhyaya. I also want that discussion should also be held on the death of Shri Lal Bahadur Shastri and Dr. Lohia. R.S.S. has not yet vacated the Kanshi University Building. I want to know what steps have been taken in this connection ?

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The discussion on Fourth Five Year Plan should be held. In case there is no time, the Session should be extended upto 20-21st of December. I want that discussion on the freedom of Press should also be held. Prevention of Violence Activities Act of Bengal should also be discussed here.

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : I want to know whether a Bill on Abolition of untouchability is going to be introduced during this Session.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : लोकपाल तथा लोक आयुक्त विधेयक लोक सभा ने चार वर्ष पूर्व पारित किया था। राज्य सभा में उक्त विधेयक एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन है। क्या ऐसा मन्त्रियों को संरक्षण देने के लिए किया जा रहा है जिससे इस विषय पर आगामी चुनावों के बाद चर्चा की जाये ? तेलंगाना के विषय पर भी यहां चर्चा की जानी चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Papers relating to the death of Shri Lal Bahadur Shastri have not yet been placed on the Table of the House. The papers should be laid on the Table of the House as early as possible.

This House should also be given an opportunity to discuss the desirability of appointing an unpartial Commission to go into the working of All India Radio.

Discussion on unemployment problem should also be held here. This matter should be given priority.

Shri Hem Raj (Kangra) : I want to know whether the Bill regarding giving Statehood to Himachal Pradesh will be passed during next week ?

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : Discussion on Cotton Corporation under Rule 193 should be admitted. It is a very important matter and it should be given preference.

श्री सोनावने (पंढरपुर) : जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना बाकी है तो मेरे विचार से संसद् के सत्र को बढ़ा देना चाहिए ।

श्री रघुरामैया : कपड़ा निगम के बारे में 2 दिसम्बर को चर्चा की जायेगी । विभिन्न विषयों पर चर्चा करने से सम्बद्ध सदस्यों के विचारों को सम्बद्ध मन्त्रियों तक पहुँचा दिये जायेंगे । चौथी पंचवर्षीय योजना पर अवश्य चर्चा की जायेगी । इस विषय पर सप्ताह के अन्त में चर्चा की जायेगी । माननीय सदस्य द्वारा विभिन्न सुझाव दिये जाते हैं । उनके बारे में सरकार को यह निर्णय करना पड़ता है कि उपयुक्त समय में किन-किन विषयों पर चर्चा करनी सम्भव होगी । सरकार के अपने विधान सम्बन्धी कार्य भी हैं । सरकार समय को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विषयों पर चर्चा करने का अवसर देगी ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बारे में अपनी प्रक्रिया में संशोधन करना होगा ।

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक

COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने और उक्त अधिनियम के अधीन भूमि के या भूमि में या उस पर अधिकारों के कतिपय अर्जनों को विधिमान्य करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने और उक्त अधिनियम के अधीन भूमि के या भूमि में या उस पर अधिकारों के कतिपय अर्जनों को विधिमान्य करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Shiv Chandra Jha : I think that this Bill will not serve our purpose.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है ।

प्रश्न यह है :

"कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने और उक्त अधिनियम के अधीन भूमि के या भूमि में या उस पर अधिकारों के कतिपय अर्जनों को विधिमान्य करने वाले विधेयक के पेश करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नीतिराज सिंह : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2-30 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty minutes past Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2-35 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty-five minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए ।
Shri K. N. Tiwari *in the Chair.*]

Shri Shiv Chandra Jha : Hon. Speaker told me that he was taking my privilege motion. The House was adjourned before that motion was reached. Please give your rulings in that matter.

Mr. Chairman : The matter is under consideration of the Hon. Speaker. So he will give a ruling in this regard,

स्थपति विधेयक—जारी

ARCHITECTS BILL—(*Contd.*)

सभापति महोदय : श्री रणधीर सिंह अनुपस्थित हैं। श्री भगवान दास ।

Shri Bhagaban Das (Ausgram) : Mr. Chairman, this Bill has already been discussed in the Select Committee. According to an amendment accepted by the Select Committee this facility has given that all those engineers who have worked as architects for five years, will be given recognition. But here I would like to point out that a number of engineers, surveyors and draftsman, who have experience of working in last Three Five Year's Plans have been kept out of the purview of this Bill. I suggest that such people should also be extended the benefits of this Bill, as there is a great scope for development of building industry in our country.

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Chairman, Sir, this Bill provides that only architects will do the work of architectural design and the supervision of the erection of building. But

those people who do this work in small villages should also be encouraged. According to the provisions of this Bill these people will not get the work, as only the recognised architects will be permitted to do so. The recognised architects will enhance the rates of their fee. It will further create difficulties for people, particularly for residents of small towns and villeges.

As regards Goa in this connection, I would like to say that Goan people, who hold Degrees or Diploma in Architecture issued by Universities of Brazil and Portugal, should also be included in the schedule given in this Bill, as they have been doing this work in Goa since long. Moreover, the draftsmen and sub-engineers should also be included into it. Simultaneously, people possessing Diploma in Earthquake Engineering should also be included in it, as they will also help the development of building industry. They will tell whether the land proposed for building is safe from shocks of earthquake or not and that what type of construction will be suitable for a particular place.

Shri Deorao Patil (Yeotwal) : Mr. Chairman, I welcome this Bill, which is brought to safeguards the interests of architects. But I would like to say in this connection that at present architects take interest in making plans of superstructures in big cities. While there is need of more houses in the villages. So I want that rural housing schemes should be included in it by widening the scope of the Bill and the architects should be asked to work in the villages. Secondly, I would like to suggest that recognition should be given to the Diploma Certificates issued by various State Governments. Otherwise about 2500 people who are holding such Diplomas and working as architects will be devoid of this facility. In my amendment I suggested that the Diploma in Architecture issued by former Bombay State (now Maharashtra State) Government should also be recognised. I request that my amendments be accepted.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में इस स्थपति विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। मूल विधेयक में स्थपति की यह परिभाषा की गई थी कि जो व्यक्ति नक्शे बना सकेगा और निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण कर सकेगा, वह स्थपति कहलायेगा। किन्तु संयुक्त समिति ने इस परिभाषा में संशोधन किया और यह कहा कि स्थपति से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो स्थपति का काम कर रहा है, और इस विधेयक की अपेक्षाओं को पूरा करता है, चाहे वह स्थपति हो चाहे न हो। अर्थात जिसका नाम इस समय सूची में दर्ज है। विधेयक को प्रस्तुत करते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि इस समय देश किस स्थिति से गुजर रहा है। आज देश में लाखों लोग इंजिनियरिंग का डिप्लोमा लिए बेरोजगार घूम रहे हैं। इस संबंध में हमें यह देखना है कि बेरोजगार इंजिनियरों, ओवरसियरों तथा अन्य डिप्लोमाधारियों में से अधिक से अधिक को इस में स्थान दिया जाये। देश में कुल 3500 स्थपति दर्ज हैं और उनमें से लगभग 3000 स्थपति का काम करते हैं। यदि मकानों के नक्शे बनाने का काम केवल इन्हें ही दिया गया तो इस काम में इन लोगों का एकाधिकार हो जायेगा और उनकी 5 से 7 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। अत: ऐसे इंजीनियरों को भी इस में सम्मलित किया जाये। मेरा एक अनुरोध यह है कि जिन लोगों के पास सिविल इंजीनियरिंग अथवा स्थापत्य की डिग्री या डिप्लोमा है, चाहे वह भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है अथवा किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा, उन्हें इस विधेयक के अन्तर्गत अपने आपको दर्ज कराने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही जो इंजिनियर अपने देश में गत दो वर्ष से यह काम कर रहे हैं उन्हें भी कार्यकारी स्थपतियों की सूची में रखा जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether Government are aware of the fact that some officers in high positions in Government of India violate the rules and construct their buildings according their own likings. While on the one hand they voilate the rules, on the other they deprieve the new engineers and architects of their livelihood. There should be provision in this Bill to preclude these high officials to do such work.

I have no objection if the names of those architects, who are in Government service, are included in the list after their retirement from the service. I also want to suggest that there should be representation of consulting engineers and architects in the proposed Tribunal.

कर्मचारी विधिक सहायता विधेयक

EMPLOYEES LEGAL AID BILL

श्री सरदार अमजद अली (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कारखानों में कर्मकारों के नियोजन के उत्पन्न होने वाले मामलों में कर्मकारों को विधिक सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखानों में कर्मकारों के नियोजन से उत्पन्न होने वाले मामलों में कर्मकारों को विधिक सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सरदार अमजद अली : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ ।

लाटरी प्रतिषेध विधेयक

PREVENTION OF LOTTERIES BILL

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राज्य और केन्द्रीय लाटरी के प्रतिषेध का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य और केन्द्रीय लाटरी के प्रतिषेध का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री कमलनयन बजाज : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 58 और 157 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 58 AND 157)

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

'भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Shiva Chandra Jha : I introduce the Bill.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 145 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 145)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नाथ पाई : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 3:6 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 356)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नाथ पाई : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं ।

राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) विधेयक

PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नाथ पाई : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ ।

व्यक्तियों को उपाधियों से विभूषित करना (उत्सादन) विधेयक—जारी

CONFIRMENT OF DECORATIONS ON PERSONS (ABOLITION) BILL—(*Contd.*)

सभापति महोदय : अब हम व्यक्तियों को उपाधियों से विभूषित करना (उत्सादन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री देवव्रत बरुआ (कलियाबोर) : श्रीमान्, स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश जो सामन्ती पदवियां या खिताब थे उनका हमने इस आधार पर विरोध किया था कि वे लोकतंत्रात्मक पद्धति में ठीक नहीं बैठते। ऐसे विशेषाधिकारों और उपाधियों के हमने स्वतंत्रता मिलने पर समाप्त कर दिया था। प्रस्तुत विधेयक पर विचार करते समय भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधियों और अलंकरव्य के अचौचित्य-अनौचित्य पर भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न यह उठता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य के अन्तर्गत जहां संसदीय पद्धति अपनाई गई है, क्या वहां सरकार इस प्रकार के अलंकरण प्रदान कर सकती है? मेरे विचार से भारत को वर्तमान सामाजिक संरचना में और उसके राजनीतिक वातावरण में इन्हें ठीक नहीं बैठाया जा सकता। कुछ व्यक्तियों ने इन्हें अस्वीकार भी किया है। इन उपाधियों की प्रतिष्ठा अब इतनी गिर गई है कि लोग इनका व्यंग्यात्मक प्रयोग करने लग गये हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें देने के पीछे उद्देश्य अच्छा नहीं है। ऐसी उपाधियों को देने के पीछे जो उद्देश्य हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। किन्तु हमारे समाज में कुछ अवांछनीय बाते ऐसी हैं जिनके कारण ये उपाधियां उन लोगों को नहीं मिल पाती जिन्हें मिलनी चाहिए। ऐसे उदाहरण तो इंगलैंड जैसे देश में भी पाये जाते हैं। वहां वरनाई शा, हक्स्ले जैसे विद्वानों को ऐसे अलंकरण से विभूषित नहीं किया गया। शायद कारण यह रहा हो कि वे क्रांतिकारी थे, रुढ़ियों को तोड़ने वाले और प्रगतिशील थे। शायद क्रांतिकारियों को सम्मानित करना कठिन होता है। यह भी सच है कि ऐसे अलंकरणों की आलोचना के डर से ये ऐसे व्यक्तियों को दे दिये जाते हैं जो विवादास्पद नहीं होते तथा जहां चुनौती दिये जाने की गुंजाइश कम होती है। साथ ही यह भी सही है कि ऐसे महान व्यक्तियों को पाना भी सुगम नहीं होता जिनके बारे में कोई विवाद न हो, और जिन्हें ऐसे अलंकरणों से विभूषित किया जा सके। मैं यह मानने को तैयार नही हूं कि हमारे देश में साम्यवादी देशों की भांति ये सम्मान राजनीतिक प्रभाव के दबाव में दिये जाते हैं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर ये अलंकरण प्रारम्भ किये गये थे, वह उत्तम था। इसका उद्देश्य था समाज सेवा और जनसेवा को प्रोत्साहन देना। हम चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था बन जाये जिससे जनसेवी लोगों को प्रोत्साहन मिल सके, सत्य की खोज में लोग ईमानदारी से लग सकें और शासक वर्ग ऐसे लोगों को सम्मान प्रदान कर सके। किन्तु डर इस बात का है कि कहीं इन उपाधियों का प्रयोग लाभ के लिए न किया जाने लगे। राजनीतिक नेता इससे राजनीतिक लाभ उठा सकता है और उसके लिए दल बदलू ही सबसे अधिक सम्मानीय व्यक्ति हो सकता है।

अलंकरण देने और उन्हें देने की रीति पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें इतने

अधिक अलंकरण प्रतिवर्ष नहीं देने चाहिए। ये सम्मान केवल कुछ ही व्यक्तियों को दिये जाने चाहिए। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस प्रकार के अलंकरण विश्वविद्यालयों या शिक्षा संस्थाओं द्वारा या अन्य तरीके से दिये जा सकते हैं।

इस समूचे मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और समान देने की इस प्रथा को बन्द किया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I support the motion moved by Shri Kripalani. So the confirment honours in this fashion in against the Constitution as held by the Supreme Court. The former Chief justice of India Dr. Subba Rao has written in a book that the confirment of decorations in this fashion is against the spirit of the Constitution. Will the hon. Minister of Law state in his reply whether grant of honours is against the Constitution or not ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Hanumanthaiya) : This is not my subject. It relates to the Minisiry of Home Affairs.

Shri Madhu Limaye : May I know whether this matter was ever reformed to his Ministry and if so the opinion his Ministry has given thereon ?

श्री नाथपाई (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आचार्य कृपालानी द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। अब हमें यह बताया गया है कि इसका उत्तर गृह-कार्य मंत्री देंगे। सभा में इस समय उठाये जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। आप मंत्री महोदय को यहां पर उपस्थित रहने का निदेश दें।

श्री हनुमन्तय्या : राज्य मंत्री अभी केवल दो मिनट के लिए वहा गये हैं।

Shri Madhu Limaye : I was thinking that Shri Hanumanthaiya would reply to the questions being raised by us here now. Shri Kripalani has raised a very important point that Government is acting against the Constitution as far as the question of grant of awards is concerned.

In my view the hon. Law Minister should state as to what the Constitutional position is in this regard. The Attorney General should also be invited to give his opinion in this regard so that we may be able to pass this motion unanimously. So far as there awards are concerned these are being granted to tax evaders and to those who give denotions to Congress Party, The famous artists in the field of music or dance do not need said awards. I therefore, support this motion.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (वेतूल) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि विधेयक में निहित भावना के कुछ गुण हैं क्योंकि स्वयं कुछ पहलुओं की ओर आकर्षित कराया गया है। विश्व में जहां कहीं भी राजनीतिज्ञ होंगे उनपर अवांछनीय दबाव पड़ता रहेगा। मैं विधेयक के उपबन्धों से सहमत नहीं हूँ क्योंकि इससे मनुष्य के गुणों को मान्यता देने सम्बन्धी संस्था को आघात पहुँचता है। वास्तव में श्री मधुलिमेय तथा अन्य सदस्यों ने भी यह नहीं कहा कि भारत के लोगों ने अच्छे तथा ऐसे विशिष्ट कार्य नहीं किये हैं जिनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह कहते हैं कि जिस प्रकार इस कार्य को किया जा रहा है वह उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि कलाकारों की कुछ प्रशंसा किया जाना आवश्यक है। उनको

किसी प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि इनामों का वितरण उचित प्रकार से किया जाये तो इससे कलाकारों को अवश्य ही प्रोत्साहन मिलता है।

प्रस्तावक ने प्रस्ताव के उद्देश्यों सम्बन्धी विवाद में कहा है कि भारतरत्न आदि की उपाधियां आदि देने से सविधान के अनुच्छेद 18 की प्रवंचना होती है। परन्तु मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 18 में जो शब्दावलि प्रयोग में लाई गई है उसका अर्थ यह है कि सैनिक तथा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियां दी जा सकती हैं। मेरे विचार में पदवी और उपाधि दो अलग-अलग चीजें हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधि का उल्लेख नहीं किया गया है। इन दोनों शब्दों के अर्थ में एक विशेष अन्तर है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य श्री मधु लिमये इस अन्तर को समझते हैं। अगर यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि इन दोनों शब्दों का अर्थ पूर्णतया अलग-अलग है और अनुच्छेद में केवल 'टाइटल' शब्द का ही उल्लेख किया गया है। यह कहना गलत है कि 'टाइटल' देना संविधान के अनुच्छेद 18 की भावना के विरुद्ध है। डा० सुब्बाराव ने इस बारे में अपना व्यक्तिगत विचारों का ही उल्लेख किया है। हो सकता है कि उपाधियों को दिया जाना कुछ लोगों को अच्छा न लगे। हमने देखा है कि अनेक ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां दी गई हैं जो कि इनके पात्र नहीं थे। इस बात में मैं श्री मधु लिमये से सहमत हूँ। यह कहना एक अलग बात है कि यद्यपि संविधान में उपाधियों के दिये जाने की अनुमति है तथापि हम इसे पसन्द नहीं करते, परन्तु अनुच्छेद 18 में ऐसी कोई बाधा नहीं लगाई गई है। मैं यह नहीं समझ सका कि उद्देश्य सम्बन्धी विवरण में ऐसा कहे जाने के क्या कारण हैं कि यह समाजवाद तथा लोकतंत्र के विरुद्ध है और कि हमसे व्यक्तियों के बीच विभेद उत्पन्न होता है। उपाधियां उन लोगों को दी जाती है जो सराहनीय सेवा करते हैं चाहे वे किसी भी वर्ग के क्यों न हों।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि 'टाइटल' शब्द में शब्द 'डिसटिंक्शन' भी शामिल है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा तात्पर्य ठीक है अथवा नहीं ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अनुच्छेद 18 का तात्पर्य यही है कि सैनिक अथवा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियां दी जा सकती हैं। जब तक ये उपाधियां समाज के सभी वर्गों के लिए करने वाले कलाकारों, अध्यापकों आदि को दी जाती है तब तक मेरे विचार में ये लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं हो सकती। यदि माननीय सदस्य समानता का अर्थ समझते हैं तो वह यह भी समझ गये होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक के लिए कानून एक ही है। इसका अर्थ यह है कि समान व्यक्तियों के बीच कानून समान रूप से लागू होता है। इसी प्रकार यदि सभी वर्गों के कलाकारों आदि को उपाधियां दी जाती हैं तो इसमें कोई विभेद नहीं। यही कारण है कि युक्तिसंगत वर्गीकरण को स्वीकार किया गया है। मैं इस बात से अवगत हूँ कि व्यापारियों तथा अन्य लोगों को अविवेक पूर्ण ढंग से उपाधियां दी गई है, मेरा एक सुझाव यह है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को उपाधि दी गई हो तो किसी काल्पनिक अपराध का दोषी पाया गया हो तो ऐसे व्यक्ति से उपाधि वापस ले ली जानी चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से चाहे उसने किसी प्रकार का भी अपराध किया हो उपाधि वापस ली जानी चाहिये।

दूसरी आपत्ति यह है कि सरकार इस बात की उचित जज नहीं हो सकती कि किस व्यक्ति को उपाधि दी जाये अथवा किस व्यक्ति को उपाधि न दी जाये। मैं जानना चाहता हूं कि यदि लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार उचित जज नहीं है कि किसको सराहनीय सेवाओं के लिए उपाधि दी जाये अथवा न दी जाये तो फिर कौन इस बात का निर्णय करने हेतु कौन जज हो सकता है। क्या इस कार्य को किसी गैर-सरकारी संस्था अथवा संगठन को सौंपना उचित है ? क्या वे अच्छे जज होंगे। यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाये कि उपाधि देने से मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यद्यपि सरकार अच्छा निर्णय देने के योग्य है तथापि कुछ मामलों में उसने सर्वोत्तम निर्णय नहीं दिया है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने उपाधियों के लिए सदा सर्वोत्तम व्यक्तियों का चयन ही किया है। चयनकर्ता भी मनुष्य ही हैं और उनसे भी गलती हो सकती है। परन्तु इनको दूर किया जा सकता हैं। अत: मैं आचार्य कृपलानी से जानना चाहूंगा कि सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था अथवा संगठन को यह कार्य सौंपा जा सकता हैं। मैं श्री मधु लिमये से इस बात पर सहमत हूं कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां दी गई हैं जो कि इनके पास नहीं थे। कई लोगों ने अपनी उपाधियों का वाणिज्यिक लाभ उठाया है।

श्री नाथ पाई : श्री साल्वे ने अपना तर्क इस आधार पर दिया है कि 'डिसटिंक्शन' और 'टाइटल' दो अलग-अलग चीजें हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने ऐसा नहीं, कहा। मैंने कहा है कि 'टाइटल' स्वयं में एक 'डिस्टिंकशन' है। हो सकता है कि अनुच्छेद 18 में डिसटिंकशन शब्द का प्रयोग अभी अर्थ में किया गया है। मैंने यह कहा था कि 'टाइटल्स' और डिसटिंकशन्स' दो अलग-अलग अवधारणायें हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि कुछ लोगों ने इसका वाणिज्यिक लाभ उठाया है। मुझे लगता है कि चलचित्र बनाने वाले कुछ व्यक्तियों को उपाधियां दिये जाने से आचार्य जी क्षुब्ध हुए हैं। परन्तु उनमें से कुछ वास्तव में महान कलाकार हैं।

यह बात स्पष्ट नहीं है कि उपाधियां देने की कसौटी क्या है। मुझे आशा है कि इस मामले में कुछ युक्ति संगत कसौटी अपनाई जायेगी। सरकार को भी यही रत्न की भी एक उपाधि 54 व्यक्ति को देनी चाहिए। जिसकी पत्नि पति की विरोधी पार्टी में हो और जो राष्ट्र हित में कार्य करे।

मैं आचार्य कृपलानी से निवेदन करूंगा कि वह एक विधेयक को वापस ले लें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I rise to support the Bill moved by Shri Kripalani. During the British regime the titles were conferred on those persons who were pro-Britishers and who were subservient to the cause of the Britishers. We were hoping then that such titles and decorations would not be awarded after the attainment of independence and that such tendencies would not be encouraged. Keeping in view the past experience this practice should be stopped though it may not have contradicted the spirit of the Constitution. The State can award titles and decorations of military and academic nature what is the criterion for selecting the persons for such decorations ? Mr. Chairman you might be remembering that two persons have refused to accept the decorations conferred on them. Many persons do not turn up to receive the awards. Editor of National Herald is one of them. May I know the position of the Government when a person refuses to accept the award conferred

on him ? In this way the Government degrades itself. It is not proper to discriminate between man and a man and it is also not proved worthy to the citizens of a few nation.

May I know whether the opinion of the State Government is also taken in selecting the persons for awarding titles and decorations ? Atleast I am sure, Delhi has not been consulted so far. We were against those persons upon whom the titles have been conferred in Delhi.

It has come to my notice that this year has played its part in the grant of titles and decoration. I do not know how far it is correct and at what level it has been done.

There are removers of loat that some one has given money to the Centre to getting the titles. Such rumour are being spread. I, therefore say that this practice should be done away with. May I know whether there is no scope of burgling in selecting the persons for grant of titles and decorations. May I know whether the decision is taken at the Cabinet level or the Home Ministry takes decision in this regard.

In my view it is in the interest of the 50 crores people if this undesirable and improper tendency is done away with.

Shri S. N. Banerjee (Kanpur) : I rise to support the Bill moved by the Shri Kripalani. He has tried to save the eliminate of the country from being pullerted. I, therefore, congratulated him. May I know what distinguished service has been rendered by Shri Modi for which he has been decorated.

An industrial magnate was awarded "Padma Bhushan" who squeezed the blood of the poor people. Choudhary Charan Singh had recommended this case. What is mean to say is that "Padam Bhushan" and such other titles are given to undeserved persons. The system of awarding titles is also defective. In Delhi also some people were decorated with these titles. Shri Atal Behari Vajpayee made a reference to some individuals on whom these titles were conferred. Although he did not mention the name, he expressed his resentment on that.

Acharyaji also mentioned about Shri Ghatok. a film producer, who was decorated with "Padma Bhushan." He is alleged to have made objectionable reference to Gandhiji. He might have said it in a different context. It may be wrong to make such a reference, But here in Delhi "Padam Bhushan" was awarded to**

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is absolutely wrong.

Shri S. M. Banerjee : **

Shri Atal Bihari Vajpayee : I rise on a point of order.

He said that**

I challenge him to prove his allegation...(*Interruption.*) Let him speak these things outside the House and face the consequences. Is the House meant for this ?**

Let the culprit was sentenced to death and he was hanged.

**Thorefore Shri Banerjee may withdraw his allegations.

**

Shri S. M. Banerjee : **The address which we made**.

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair,

I admit that thing . (*Interruption*.)

Mr. Chairman : The names mentioned by both of you will not go on record.

Shri S. M. Banerjee : I would like to submit that before we confer any title on any person, we must look into his past activities. Even in awarding prizes to sportsmen, partiality plays a dominant role. I know that the case of the Director of Song and Drama Division of the Information and Broadcasting Ministry, is recommended for the award of "Padma Shree", against whom several charges have been made. Earlier the titles like "Ray Bahadur", "Ray Sahib" were given by the Britishers to their most loyal servants in India.. (*Interruption*.) All that I want to say is that if the Government is intending to give some awards to some persons, they must give it to proper persons only. To-day, the titles "Padma Shree", "Padma Bhushan" and the like are misused.

I would support this Bill and I hope that it will not meet with opposition. In the Bill it is said that "Nothing contained in this Act shall apply to decorations already conferred by the State."

I want that the titles conferred in the past should be withdrawn. Similarly, the titles like "Sir", "Lady" etc. are attached to persons even to-day and these are found in the Telephone Directory. It is high time that we scraped these titles, with these words, I would support this Bill.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, सबसे मुख्य बात केवल राजनैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं थी। बल्कि हमारा लक्ष्य जनता में आत्म सम्मान को जागृत करना थी। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सामंती समाज की उपाधियों को दूर फेंक दिया। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने राज्यों की निजी थैली का कड़ा विरोध किया था। वे उपाधियों को बनाये रखने के अनुकूल हैं। हम इस नये उपाधिकारी वर्ग की सृष्टि के जरिये लोकतन्त्र की मूल भावना पर कुठारघात कर रहे हैं। आज ये उपाधियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि लोग इन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं। श्री टेंडुलकर ने पहले इस उपाधि को स्वीकार करने से इनकार किया था। हाल में श्रीमती आशादेवी अरण्यकम ने भी उपाधि स्वीकार नहीं की। लोगों का विश्वास इसमें इसलिये कम हो रहा है कि ये उपाधियां अक्सर आयोग्य व्यक्तियों को दी जाती हैं। गत वर्षों में जो भी कार्य इस सम्बन्ध में किया गया है, इससे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन हुआ है। आयोग्य व्यक्तियों को उपाधियां देकर सरकार ने इसका अवमूल्यन किया है। अंग्रेजों के शासनकाल में उन सभी लोगों को उपाधियां दी जाया करती थीं जो अपने देश की जनता के साथ विश्वासघात करने को अब हम स्वतन्त्र हैं और उस परम्परा को कायम रखना नहीं चाहते। अत: मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं। आशा है कि सदन इसका समर्थन करेगा।

जहां तक वैज्ञानिकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का सम्बन्ध है, सरकार को उन्हें पर्यटन साधन उपलब्ध कराना चाहिये ताकि वे अपने व्यवसाय का विकास कर सकें। कई विकसित देशों में, जिनमें रूस भी शामिल है, सरकार की ओर से कलाकारों और वैज्ञानिकों को सहायता दी जाती है। मगर हमने इस दिशा में अब तक क्या किया ? हम अपने देश के महान वैज्ञानिक डा० सी० बी० रामन तक को सहायता नहीं कर सके। अगर सरकार ने इस प्रकार का कोई कार्य किया होता, तो मैं उसका समर्थन करती। ये छोटी उपाधियां किसी भद्र व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ायेंगी। प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्तियों को जनता से प्राप्त होगी।

मैं विश्वास करती हूँ कि भारी बहुमत से इस विधेयक को पारित किया जाएगा।

Shri R. D. Bhandare (Bombay-Central) : It may be true that the system of awarding titles is not receive from faults. But this does not mean that the great sons of the country should not be honoured by conferring proper titles on them. If we accept the contention of Acharya Kripalani, a problem still remains as to how our great men of distinction should be honoured. The Constitution does not say that these titles should be conferred on any person arbitrarily.

The framers of the Constitution might have put heavy thoughts on this issue and made provisions to give titles to at in deserving cases. There might have been some defects in the manner of award and in the selection of persons to be awarded. If any of the foreign Government give ony title to any of the citizens of our country, really, it is bribery. We must not receive such titles. In this matter we share our concern with Acharyaji and support him. But the eminent scientists, men of letters and such other persons must be honoured by the motion.

Therefore I request that this Bill be withdrawn.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : I rise to oppose the Bill brought forward by Acharya Kripalani. During the British regime titles like Rao Bahadur etc. were conferred on some persons through undemocratic means. In independent India we give titles to persons of eminence by seeking the opinion of the people. We give four titles *viz.* Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, and Padma Shree. Bharat Ratna has been conferred on 14 persons, Padma Vibhushan on 51 persons, Padma Bhushan on 320 persons and Padma Shree on 469 persons so far. In all 854 titles were conferred on individuals. It is a matter of importance that the people of eminence should be honoured for their distinguished service to the country. We are doing it through democratic process. Primarily, the Collector recommends the case of a person and then the social worker of that place, the Secretary of the State Government and the Chief Minister give their opinions in this regard and finally, the opinion of the Prime Minister and the President is sought. Among the people who honoured with these titles, there are poor as well as affluent. There is no reason why we should oppose the poor people being honoured.

The system of giving titles to eminent citizens exists not only in India, but in U.S.S.R. also. The labourers are honoured there with titles for their distinguished service. In fact a man honoured by the Government will be honoured by the people as well and this inspires them to work more for the country.

As the House knows, no individual is permitted to add the titles of Padma Vibhushan, Padma Bhushan or Padma Shree to this name. Therefore, there is little likelihood of these titie being misused. In the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar, Shri Vallabhai Patel and Shri Masani had supported the Article making provision for the conferment of titles. What I want to say is that we confer titles through democratic way and we would, therefore, support this. There should not be room for any kind of opposition.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ हम समता पर आधारित समाज का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार उपाधियां दिये जाने की प्रथा हमारे आधुनिक स्वतन्त्र सामाजिक संदर्भ में असंगत है। इसके द्वारा हम सामंती समाज की परम्परा को बनाये रखने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अपने विश्वस्त सेवकों को तरह-तरह की उपाधियां दी थीं। मगर यह असंगत है कि हम उस परम्परा को अब भी कायम रखें। किसी व्यक्ति को जनता की ओर से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। महात्मा गांधी को किसी सरकारी उपाधि नहीं मिली थी। जनता ने उन्हें प्रतिष्ठा दी। हमारे देश के कई पुत्र और पुत्रियों को जनता ने मान्यता दी है।

मैं संवैधानिक बारीकियों पर इस समय विचार करना नहीं चाहता हूँ। परन्तु, जहां तक मेरा विचार है, संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करने के विरुद्ध नहीं है। अगर संविधान उसके विरुद्ध है भी, तो उसमें संशोधन करके उपाधियों को समाप्त किया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि समता पर आधारित एक समाज का निर्माण हो।

अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूं कि जो भी सदस्य समाजवाद और सही प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं, वे इसका समर्थन करेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : नियम 297 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसके लिये एक घंटे का समय रखा गया था। और वह अब समाप्त हो गया है। मेरा निवेदन है कि अब श्री बि० प्र० मंडल के भाषण के उपरान्त मेरे विधेयक पर विचार करें।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittor Garh) : We want that time for debate on this be extended I also want to speak on this.

Mr. Chairman : If he wants to speak, let him move motion for extending the time for debate.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : The Bill moved by Shri Acharyaji is an important one and hence the time for the debate should be extended.

Mr. Chairman : How much time you want ?

Shri Onkar Lal Bohra : We want two hours.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

इस विधेयक पर वाद-विवाद के लिए समय दो घण्टे और बढ़ा दिया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में : 71 : विपक्ष में 62।

Ayes : 71 : Noes : 62.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : I support the Bill moved by Acharya Kripalani. I would like to move an amendment to this Bill to the effect that these titles and decorations should be abolished with retrospective effect. It was the policy of the Britishers to award the titles of Khan Bahadur, Rai Bahadur, Rai Sahib and Raja-Maharaja etc. so that by preparing a cadre of their loyalists they could strengthen their hold on the Indian people. The titles of Padma Shree and Padma Bhushan etc. are being awarded to the people who do not deserve these titles. This Government is also preparing a cadre of sycophants.

Acharya Kripalani had been the General Secretary of Congress for 22 years and, his suggestion, therefore, should not be taken lightly. If a person proves his or her ability in an open competition, he or she must get the title or award, but these titles are awarded without holding such. Shri Jadhav had stated that when he went to Russia, he found there that similar awards were being awarded in Russia also. Russia has sent a lunar taxi

to the moon, if you want to copy her, you should have sent at least a bullock cart there.

Acharya Kripalani is a person who is respected among the masses and hence, "The conferment of decorations on persons (Abolition) Bill" moved by him should be accepted and these decorations should be done away with retospective effect.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittor Garh) : This important Bill should be given serious thought, because this Bill is related to our basic policies.

The British rulers used to award the titles and decorations of Khan Bahadur, Rai Bahadur etc. to Indians so that they could strengthen their imperialist hold on the Indian people.

In regard to the award of Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Bharat Ratna titles, we want to accord honour to certain people. A person receives honour, when honoured by the masses. Mahatma Gandhi did not get any title or award from any Government, but whole the nation called him "The Father of the Nation." Shri Chittranjan Das is known as Deshbandhu, Subhash Chandra Bose as Netaji. Bal Gangadhar Tilak as "Lokmanya" and Sardar Patel is famous as "Sardar". These titles inspired the nation, but receipients Padma Shree and other titles are ridiculed these days.

In U.S S.R., the farmer who gives highest yield and the workers of a factory producing highest production are honoured. But the prestige of these decorations and titles is going down by awarding them to such persons who do not deserve to get the titles.

By awarding these titles, we are copying a British tradition of awarding Rai Bahadur and Khan Bahadur titles.

The titles should have been awarded to the farmers or the workers who give highest production, but now these titles are being awarded to the persons who are either drunkard or corrupt.

This Bill should be given serious thought. If the Government want to honour the feelings of the people, it should have taken the initiative to bring forward a similar Bill. These titles should be awarded to the capable persons who really deserve the titles. The titles and decorations conferred so far should be enquired into. A person whose name is recommended by the State Government gets the title. Some norms or criteria should be fixed for the award of these tiiles.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : This Bill seems to be against the provisions of the Constitution. There is a difference between titles and decorations or awards. The decorations are conferred in Korea and Norway also.

So far as Section 18 of the Constitution is concerned, there was a great discussion about this particular section. Shri Balkrishna Sharma had stated :

> "We have time and again tried to honour the dignitaries of this country in so many ways. We call some one "Acharya" and Mr. President, we call you "Deshratna". We call Mahatma Gandhi by the name of "Mahatma".

The system of conferment of decorations and awards is very old. This was revived again in 1955 by the President.

Criticising the stand taken by Shri Sharma and maintaining that the clause did not prevent the people or even the State from bestowing appropriate honours on distinguished individuals, Shri Sri Prakasa had observed that what was intended was to make a distinction between titles and honours, a title being something that hung to one's name. It is obvious, therefore that it was admitted by the leaders that there is a great difference between titles and decorations or honour. Even when the titles of Rai Bahadur and Rai Sahib were opposed by the people, the people had thought that the Padma Shree and Padma Bhushan etc. are awards and not titles.

We come to know about the caste of a person by his name "Kripalani" is also a title by which we come to know that a particular person, is a Sindhi. We should abolish these titles as well.

———

पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश को उद्योगों का स्थानान्तरण*

SHIFTING OF INDUSTRIES FROM WEST BENGAL TO U.P.**

श्री समर गुह (कन्टाई) : रक्तपात और हत्याकाण्डों की जो घटनायें संसद के ध्यान में लाई जाती रही हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि पश्चिम बंगाल एक भयावह रोग से पीड़ित है। वर्तमान उद्योगों और उनकी भावी संभाव्यताओं की दृष्टि से पश्चिम बंगाल विध्वंस के शिखर पर है। अगर इस गम्भीर रोग का तत्काल समाधान नहीं किया गया, तो औद्योगिक विनाश की प्रवृत्ति से और अधिक घृणा, अव्यवस्था और रक्तपात को बढ़ावा मिलेगा।

सम्पूर्ण राष्ट्र के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में पश्चिम बंगाल का 28 प्रतिशत योगदान होता था, अब वह घटकर केवल 14 प्रतिशत ही रह गया है। पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिए असाधारण अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। बड़े उद्योग गृहों के मुख्य कार्यालय राज्य से बाहर स्थानान्तरित हो रहे हैं। अनेक औद्योगिक कार्यालय पश्चिम बंगाल के बाहर दूसरी शाखा खोलने के बहाने स्थानान्तरित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संसाधनों और श्रम-शक्ति द्वारा अर्जित पूंजी को हरयाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में लगाया जा रहा है। नये लाइसेंसों के लिए आवेदनों की संख्या में असामान्य रूप से कमी हुई है और अनेक उद्योग-गृहों में तालाबन्दी और हड़ताल चल रही है और कई कम्पनियाँ समाप्त हो रही हैं। उद्योगों के विस्तार और उनमें पूंजी विनियोजन में भयानक रूप से कमी हुई है। रोजगार के अवसरों में चिन्ताजनक रूप से कमी हुई है। विभिन्न राज्यों की सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियां पश्चिम बंगाल के छोटे और बड़े उद्योगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, जिससे अन्य राज्यों में उनका स्थानांतरण हो रहा है। अगर यह स्थिति जारी रही, तो पश्चिम बंगाल के संकट में और अधिक वृद्धि होगी।

यद्यपि सरकारी तौर पर इस बात का खण्डन किया गया है कि कुछ उद्योगों को छोड़कर पश्चिम बंगाल से उद्योगों का स्थानान्तरण हुआ है। बिड़ला बन्धुओं, थापर बन्धुओं, साहू जैन, के० के० गागोडिया, बिनानी बन्धु और अन्य चीनी कारखानों के कार्यालय तो पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं। जय इंजीनियरिंग, बंगाल लैम्प्स, किरन लैम्प्स, अन्नपूर्ण शुगर मिल्स, सुलेखा इन्क्स, सूर रेफ्रीजरेटर्स, बंगाल एनेमल्स और अन्य उद्योगों ने पश्चिम बंगाल से बाहर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर लिये हैं। कलकत्ता स्थित जय इन्जीनियरिंग में हड़ताल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आगरा और हैदराबाद स्थित इसके शाखा कार्यालयों की प्रगति हो सके। अगर कलकत्ता स्थित जय इन्जीनियरिंग परि समाप्त हो जाती है, तो 10,000 शरणार्थी परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पूंजी के स्थानान्तरण पर कोई भी प्रतिबन्ध न होने के कारण, पश्चिम

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour discussion.

बंगाल से बाहर स्थित इन सभी शाखा-कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अर्जित पूंजी का स्थानांतरण हो रहा है ।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों का विकास और विस्तार नहीं हो रहा है और न ही पूंजी विनियोजन हो रहा है । नये उद्योगों को स्थापित करने हेतु नये लाइसेंसों के लिये आवेदनपत्रों की संख्या में तेजी से कमी हुई है । निम्नलिखित आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि होती है । 1966 में नये उद्योगों की स्थापना करने हेतु आवेदनों की संख्या 158 थी, जो 1968 में घटकर सिर्फ 96 ही रह गई । 1966 में 34 आशय-पत्र जारी किये गये थे और 1968 में केवल 18 आशयपत्र ही जारी किये गये । 1966 में गैर-सरकारी कम्पनियों की प्राधिकृत पूंजी 244 करोड़ रुपये थी जो 1969 में घटकर सिर्फ 20.99 करोड़ रुपये ही रह गई, जबकि महाराष्ट्र में इसी अवधि में प्राधिकृत पूंजी 26.7 करोड़ से बढ़कर 119 करोड़ हो गई । 1969 में पश्चिम बंगाल में केवल 69 लाइसेन्स जारी किए गये जबकि महाराष्ट्र में 76 लाइसेन्स जारी किये गये । अप्रैल 1968 में पश्चिम बंगाल की ज्वायन्ट स्टाक कम्पनियों की समग्र प्रदत्त पूंजी लगभग 645 करोड़ रुपये थी, जिसमें अप्रैल, 1970 तक सिर्फ एक करोड़ की ही वृद्धि हुई । 1960-68 की अवधि में संपूर्ण भारत के लिए औद्योगिक आय थी विकास—दर ` प्रतिशत प्रति वर्ष थी जबकि उक्त अवधि के लिये पश्चिम बंगाल के लिए यह दर केवल 2.7 प्रतिशत ही रही । इसी अवधि में कुल राष्ट्रीय आय में 3.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई परन्तु पश्चिम बंगाल के लिए इसमें 2.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । पश्चिम बंगाल में 1966 में 195 नये कारखाने पंजीकृत हुए थे, परन्तु 1969 में यह संख्या घटकर 154 हीं रह गई । 1964 से 1968 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में कुल 593 लाइसेन्स जारी किये गये थे, परन्तु उक्त अवधि में पश्चिम बंगाल में केवल 276 लाइसेन्स ही जारी किये गये । पश्चिम बंगाल के उद्योग में हो रहे ह्रास का इस बात से भी पता चलता है कि 1963-64 में कलकत्ता पत्तन से 1.30 करोड़ टन माल का लदान हुआ था, परन्तु 1968-69 में केवल 0.62 करोड़ टन माल का ही लदान हुआ । गौहाटी में चाय नीलामी केन्द्र की स्थापना हो जाने की वजह से पश्चिम बंगाल को लगभग 7 करोड़ रुपये का घाटा होगा और एक लाख से भी ज्यादा लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे । 292 इस प्रकार की कम्पनियां हैं जो इस समय कार्य नहीं कर रही हैं और जिसका 68,000 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है । महाराष्ट्र और गुजरात में इस प्रकार के सभी संकट-ग्रस्त और बन्द कारखानों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । यद्यपि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के 17 कारखाने संकट ग्रस्त हैं, परन्तु किसी भी कारखाने का सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है । अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में 10 प्रतिशत वद्धि हुई, परन्तु पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसर एक ही स्तर पर स्थिर रहे । पश्चिम बंगाल में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और योजना आयोग के अनुमान के अनुसार चौथी योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़कर 30 लाख हो जायेगी । 1,90,000 शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं । संयुक्त मोर्चा सरकार ने पश्चिम बंगाल में विध्वंसक स्थिति उत्पन्न करने में योगदान दिया । 1969 में पूरे देश में कुल 166 लाख श्रम-दिवसों का नुकसान हुआ जिसमें 100 लाख श्रम-दिवसों का नुकसान केवल पश्चिम बंगाल में ही हुआ ।

श्री दिनेश सिंह ने स्वयं स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल में जो 165 कारखाने बन्द

हुए, उनमें से 74 कारखानों के बन्द होने का कारण कच्चे माल का उपलब्ध न होना है। अपने उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में कोई भी उद्योग स्थानान्तरित नहीं हुआ है। इन्साव आटो लिमिटेड ने 1964 में पश्चिम बंगाल में कारखाने की स्थापना हेतु लाइसेन्स के लिए अनुरोध किया था। परन्तु इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया, परन्तु जब इस कम्पनी ने मास्को की एक कम्पनी के साथ सहयोग हेतु समझौता कर लिया, तो उत्तर प्रदेश में कारखाने की स्थापना करने हेतु अप्रैल, 1970 में अनुमति दे दी गई।

पश्चिम बंगाल की जनता पर करों का भारी बोझ है। योजना आयोग और वित्त आयोग ने भी पश्चिम बंगाल के प्रति सहयोगपूर्ण रवैया नहीं अपनाया है। पश्चिम बंगाल की समस्या विशिष्ट राष्ट्रीय समस्या है, परन्तु उसका समाधान करने के लिए कोई विशिष्ट राष्ट्रीय सूत्र नहीं बनाया गया है।

सरकार अपने दोष को हड़तालों के बहाने से छिपा नहीं सकती। यह एक मात्र कारण नहीं है। अन्य कारण कच्चे माल का अभाव, सरकारी नीति और वित्त-व्यवस्था करने वाले कार्यालयों का बम्बई आदि में होना है। वित्तीय व्यवस्था करने के लिए बम्बई जाना पड़ता है और लाइसेन्स लेने के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं। लाइसेंस प्रणाली अत्यधिक विलम्ब-कारी प्रक्रिया है और स्वेच्छापूर्ण तरीके से लाइसेन्स दिये जाते हैं। महाराष्ट्र, हरयाणा और अन्य राज्यों में उद्योगों को प्रोत्साहन और प्राथमिकतायें दी जाती हैं, परन्तु पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। मुझे नक्सलवादी और मार्क्सवादियों की हिंसक गतिविधियों से कोई चिंता नहीं है। परन्तु उद्योग इसी प्रकार उजड़ता रहा और औद्योगिक संभावनायें नष्ट होती रही और नया विनियोजन नहीं होता और न ही उद्योगों का विकास ही हुआ, तो स्थिति और गम्भीर हो जायेगी। पश्चिम बंगाल की समस्याओं का समाधान गोली चलाने, कर्फ्यू लगाने, नजरबंदी निरोधक कानून लागू करने और भारी संख्या में गिरफ्तारियां करने से नहीं हो सकता। इसके समाधान हेतु रोग के मूल कारण को नष्ट करना होगा। जो 15 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं, उनके लिए आशा और महत्वाकांक्षा का नवीन वातावरण बनाना होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 30 लाख बेरोजगार व्यक्ति होंगे जिनमें से 10 लाख तो शिक्षित बेरोजगार होंगे। सरकार को समस्याओं का समाधान करने के लिए बेरोजगारी को समाप्त करना चाहिए और उद्योगों के विकास और पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन देना चाहिए और वहां से अन्य स्थानों को पूँजी प्रवाह पर रोक लगानी चाहिए।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): West Bengal's role in the industrial development of India has undoubtedly been laudable. But today the industries are shifting from there to other States. There are two reasons behind it, one is the higher rate of profit in U.P., because U.P. is a non-developed area in relation to West Bengal which is a developed State. The industrialist can earn more profit in U.P. Secondly, there is the problem of law and order and labour unrest. I would suggest that a labour code should be evolved by convening a conference of capitalists and the labour leaders.

Calcutta is a metropolitan city and in order to solve the problems of West Bengal, a Metropolitan Development Programme should be evolved and accorded over-riding priority.

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : I do not quite agree with the suggestions put forward by Shri Guha for solving the problems of West Bengal. The root cause of the closure of factories and flow of capital from West Bengal to other States in the problem of law and order there. The people and policemen are killed brutally in the broad day-light. A peaceful atmosphere will have to be restored so that industrialsts can function with a feeling of security. It is not correct that the industrialists are shifting from West Bengal to U.P., as the rate of profit in U.P. is higher. The strike in West Bengal industries take place because of political reasons. There is lack of feeling of security among the industrialists.

I would suggest that an Industrial truce should be evolved for a period of 3 or 5 years or that animosity between the employer and the employee can be done away with. These days, a tendency of going on strike is growing among the labourers, because they are unable to fulfil their basic needs. I would suggest that a part of their wages should be paid in the form of food and other articles on fixed prices.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : यह वास्तव में बहुत खेद की बात है कि पश्चिम बंगाल, जो हमारे देश का एक अग्रणी राज्य रहा है और जहां जूट, चाय, कोयला, इस्पात और इन्जीनियरिंग जैसे विशाल उद्योग स्थापित हैं। उद्योग की दृष्टि से ह्रासोन्मुख है। इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है और सदन के प्रत्येक सदस्य को अच्छे से अच्छे संभव उपायों का ढूंढ़ने के लिए प्रयास करना अधिक आवश्यक है ताकि पश्चिम बंगाल को फिर से औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न बनाया जा सके।

औद्योगिक एककों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने की प्रवृति बंगाल के लिए विशिष्ट नहीं है। 1965 वर्ष से लेकर अब तक विभिन्न राज्यों से इस सम्बन्ध में अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनका आधार श्रमिक समस्याएं हीं नहीं होता कई बार तकनीकी बातें, कच्चे माल या कुछ अन्य बातों से सम्बन्धित विषय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के विवशता के कारण बनते हैं।

भारत सरकार इस बात के लिए काफी उत्सुक हैं कि केवल भय के आधार पर औद्योगिक एकक पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों को स्थानान्तरित न हों। हमने कलकत्ता में उद्योगपतियों को यह समझाने का प्रयास किया है कि इस बात के आधार पर पश्चिम बंगाल को छोड़ना कि अन्य राज्यों में वह अधिक लाभप्रद स्थिति में होंगे, ठीक नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं गैर-सरकारी एककों की ही बात नहीं कुछ प्रतिरक्षा एकक भी पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरित किए गए हैं।

श्री मं० र० कृष्ण : किसी भी राज्य में उद्योगों के पनपने के लिए समुचित परिस्थितियां भी उत्पन्न करनी होंगी।

और फिर यदि किसी एकक को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जाना होता है तो उसके लिए नए लाइसेंस प्राप्त करने के समान प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के लिए अनुमति प्राप्त करना किसी के लिये उतना आसान नहीं रह जाता।

पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जो उस राज्य से बाहर अपने उद्योग चालू

करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में 111 आवेदन पत्रों में से केवल एक या दो को आवेदन पत्र स्वीकार किये गये हैं। शेष आवेदन पत्र या रद्द कर दिये गए हैं और या वे अभी तक विचाराधीन है। इस प्रकार औद्योगिक एककों को पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में स्थानान्तरण के लिए अनुमति देने किसी के लिये आसान नहीं है।

नये लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्रों की संख्या 1964 की अपेक्षा काफी गिर गई है। भारत सरकार इसके प्रति चिन्तित है। इसने रिजर्व बैंक तथा कुछ वित्तीय विशेषज्ञों को इस बात पर विचार करने को कहा है कि बंगाल में उद्योगों को कौन सी ऐसी सुविधाएं तत्काल प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को उपयोग कर सकें तथा उसका विस्तार भी कर सकें।

मुख्य समस्या यह है कि बंगाल में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। परन्तु अब स्थिति में सुधार हो रहा है। (अन्तर्बाधाएं)

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि रोजगार तथा उत्पादन में गिरावट आ रही है। यह भी तथ्य है कि बंगाल में श्रमिक तथा प्रबन्धक भी सुरक्षित नहीं। स्त्रियां घरों में सुरक्षित नहीं। और इस असुरक्षा की स्थिति का उत्पादन पर प्रभाव पड रहा है। किन्तु इस स्थिति में सुधार हो रहा है।

जहां तक कच्चे मालों की उपलब्धि का प्रश्न है यह स्थिति विशेष रूप से इंजीनियरिंग उद्योग में है। इस में यह पिछली मंदी के प्रभावस्वरूप है।

बंगाल की स्थिति के लिए हम केवल श्रमिकों पर ही दोष नहीं दे सकते। इस स्थिति का प्रभाव न केवल बंगाल पर अपितु सारे देश पर पड़ रहा है। अतः हमारी इच्छा है कि यह इच्छा सामान्य हो जाये।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 30 नवम्बर, 1970/9 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, November 30, 1970/Agrahayana 9, 1892 (Saka).

———

Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.